# अविवाहितों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(बुन्देलखण्ड संभाग के जनपद-जालौन के विशेष सन्दर्भ में)

**बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी की वर्ष 2002 की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी [समाजशास्त्र] की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध**

शोध निदेशक :
*डा० आनन्द कुमार खरे*
एम० ए०, पी-एच० डी०
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
डी० वी० (पी० जी०) कॉलेज, उरई
जनपद-जालौन (उ० प्र०)

शोधकर्ता :
*अखिलेश कुमार श्रीवास्तव*
एम० ए०, समाजशास्त्र
जनपद-जालौन (उ० प्र०)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
वर्ष - 2002
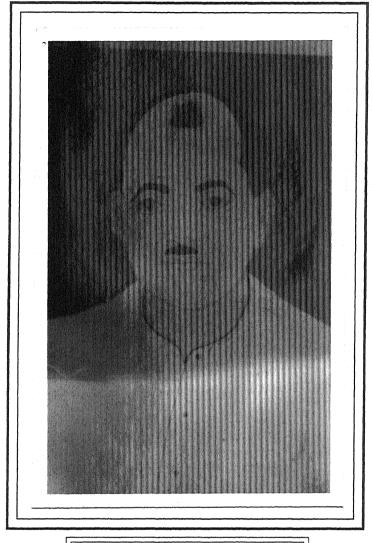
स्व. श्री राजाराम श्रीवास्तव

मेरी समस्त शैक्षिक अभिरूचियों को जाग्रत करने,
शुभाशीष प्रदान करने वाले, कर्मठता एवं प्रेरणा
के उद्‌गम स्त्रोत प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन
पूज्य पिताश्री के चरणों में सादर
समर्पित

# प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अखिलेश श्रीवास्तव ने अविवाहितों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'(जनपद जालौन के विशेष सन्दर्भ में ) शीर्षक पर मेरे मार्ग दर्शन में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध तैयार किया है। वे बु0 वि0 वि0 झाँसी की Ph. D. परीक्षा की नियमानुसार सभी उपबन्धों की पूर्ति करते है इन्होंने नियमित रूप से उपस्थित रहकर निर्देशानुसार कार्य किया है।

मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में यह शोध प्रबन्ध मौलिक प्रयास है तथा इस योग्य है कि परीक्षा के लिए भेजा जाये इस शोध प्रबन्ध का कोई भी अंश अथवा पूर्ण शोध प्रबन्ध किसी अन्य विश्व-विद्यालय की शोध उपाधि के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया है।

दिनाँक :- 16.12.02.

डा0 आनन्द कुमार खरे
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
डी0 वी0 (पी0 जी0) कॉलेज, उरई

3, प्राध्यापक आवास,
राठ रोड उरई

# घोषणा-पत्र

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मेरी मौलिक कृति है। मेरी जानकारी के अनुसार इस कार्य को इसके पूर्व किसी के द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनाँक –16-12-02

शोधकर्ता

( अखिलेश कुमार श्रीवास्तव )

एम0 ए0 ( समाज शास्त्र )

# आभार

अविवाहित रहना भारतीय परिवेश में एक असामान्य प्रक्रिया है। धर्म एवं समाज दोनों ही इसकी अनुमति नहीं देते हैं। आधुनिक परिवर्तन के युग में अविवाहितों का प्रतिशत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे अविवाहितों के जब मैं सम्पर्क में आया तो मेरे मन में इनकी समस्याओं को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई इस सन्दर्भ में मैंने डा0 आनन्द कुमार खरे, अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, डी0 वी0 (पी0 जी0) कॉलेज उरई से विचार विमर्श किया। उन्होंने इस विषय पर मुझे मार्गदर्शन देने की स्वीकृति प्रदान की। शोध कार्यों की रूपरेखा के निर्धारण से लेकर सभी स्तरों पर डा0 आनन्द कुमार खरे ने मुझे सहज सहयोग प्रदान किया। उन्होंने मेरा निर्देशन, मार्गदर्शन, उत्साह वर्धन तथा शोध–अवधि में समय–समय पर अनायास उठ खड़ी होने वाली विषयगत तथा व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण करने में मेरी जो अवर्णनीय तथा अतुलनीय सहायता की है, निःसन्देह उसके लिए में विशेष कृतज्ञ एवं ऋणी हूँ। मैं अत्यन्त विनम्रता से यह स्वीकार करता हूँ कि इस सहयोग के बिना यह शोधकार्य मेरे लिए सम्भव न होता। मैं डा0 साहब के इस अनुग्रह के लिए हृदय की समस्त गहराइयों के साथ आभार प्रकट करना, अपना परम् दायित्व समझता हूँ।

मैं डा0 एन0 डी0 समाधिया, डी0 लिट0, प्रचार्य डी0 वी0 (पी0 जी0) कॉलेज उरई को भी इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करना अपना पुनीत दायित्व समझता हूँ। आपके सामीप्य एवं सानिध्य में मुझे सदैव शैक्षिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई। शोध कार्य की अवधि में आपके मार्ग दर्शन से मुझे सदैव सम्बल प्राप्त हुआ एवं शोध समस्याओं को सुलझाने में मद्द करते हुये मुझे सदैव शुभाशीष प्रदान किया।

आभार श्रेखला के इस सोपान क्रम में मैं अपनी माँ आदरणीया श्रीमति श्यामा देवी के आर्शीवाद को स्मरण करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आपके स्नेह एवं बचपन में दी गयीं बहुमूल्य शिक्षाओं के कारण ही मैं इस योग्य बना कि मैं अपना शोध कार्य पूर्ण कर सका। इस अवसर पर मैं अपने परिवार के सहयोग को विस्मृत नहीं कर

सकता हूँ। शोध कार्य के दौरान मुझे बार–बार पर्याप्त समय तक घर से बाहर रहना पड़ता था। जिससे मैं चाहकर भी परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाया। लेकिन इन विषम परिस्थियों में मैं अपने अग्रज श्रद्धेय श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक बेशिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर एवं आदरणीया भाभी श्रीमति स्नेहलता श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय बा0 इ0 का0 ललितपुर के प्रति आभार व्यक्त करना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। जिन्होंने मुझे परिवार की चिन्ताओं से मुक्त रखा एवं सदैव शैक्षिक उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिये प्रेरणा प्रदान की। आपके संरक्षण एवं मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करके मैं इस योग्य बना कि अपना शोध कार्य पूर्ण कर सका। इस अवसर पर मैं अपने पितृ तुल्य ससुर श्रद्धेय डा0 रमेशचन्द्र खरे को भी स्मरण करना चाहूँगा जिन्होंने सदैव शुभाशीष प्रदान किया एवं शोध कार्य हेतु प्रेरित किया।

इसके अतिरिक्त मैं अपनी पत्नी श्रीमति कल्पना श्रीवास्तव, अध्यापिका, कन्या प्रा0 पा0 मुहम्मदाबाद, उरई एवं अपने छोटे भाई दिनेश कुमार श्रीवास्तव, अपने प्रिय बच्चों सुरभि, आकाशदीप को धन्यवाद ज्ञापित किये बिना नहीं रह सकता। जिन्होंने परिवार के दैनिक कार्यों से मुझे मुक्त रखा।

अन्त में शोधकर्ता उन समस्त महानभावों, जिन्होंने इस शोधकार्य में किंचित मात्र भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया है। वे सभी कोटि–कोटि धन्यवाद तथा बधाई के पात्र हैं। विशेषकर विश्वकर्मा कम्प्यूटर, उरई के कम्प्यूटर प्रभारी श्री जलज विश्वकर्मा एवं मुकेश कुमार विश्वकर्मा को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने सुन्दर लेजर प्रिटिंग और सुन्दर रेखाचित्रों द्वारा इस शोध प्रबन्ध को आकार प्रदान किया।

पुनः कृतज्ञता, धन्यवाद एवं आभार सहित।

दिनांक　　　　　　　　　　　　अखिलेश कुमार श्रीवास्तव

# अध्ययन की रूपरेखा

## (अनुक्रमणिका)

# भूमिका व पद्धति-शास्त्र

# अध्याय 1

# भूमिका व पद्धति शास्त्र

## समस्या की सैद्धान्तिक विवेचना

मनुष्य को प्रकृति की अनुपम कृति कहा गया है। यह इस अर्थ में कि प्रकृति ने उसे उन अनेकानेक विशेषताओं से परिपूर्ण किया है, जो कि अन्य किसी प्राणीं को प्रदत्त नहीं है, फिर भी यह सत्य है कि एकाकी स्त्री और एकाकी पुरूष श्रेष्ठता की इस परिधि से परे है, स्त्री और पुरूष दोनों संयुक्त होने पर ही ईश्वर की श्रेष्ठतम् रचना के रूप में प्रस्तुत होते है।

स्त्री और पुरूष दोनों मिलकर परिवार की संरचना करते हैं। पति–पत्नी के संयुक्त होने पर और उनके माध्यम से परिवार की संरचना को हम लालित्य के साथ इस प्रकार कह सकते है जैसे– नदी के दो तट और उनके बीच प्रवाहित होने वाली नदियाँ। दोनों तटों को नदी संयुक्त करती है। इसी प्रकार दोनों तट संयुक्त होकर नदी को आकार प्रदान करते है। यही स्थिति स्त्री और पुरूष की है। नदी के दो तटों के समान पति और पत्नी है तथा इन दोनों के बीच प्रवाहमान नदी परिवार है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते है कि "आकाश और पृथ्वी पति और पत्नी के समरूप है तथा उनके बीच सृष्टि परिवार के समान है।" विविध धर्म–ग्रन्थ भी इस बात की पुष्टि करते है। 1

इसी परिप्रेक्ष्य में स्त्री और पुरूष के पास्परिक सम्बन्धों की अनिवार्यता आंरभ की गई है। यह सम्बन्ध तत्कालिक अथवा अस्थाई होने पर उन्मुक्त कामाचार और सामाजिक अव्यवस्था को आवश्यक रूप से उत्पन्न करेगा, यही कारण है कि सभी समाजों में स्त्री–पुरूष के पारस्परिक सम्बन्धों की निश्चितता, स्थिरता और नियमबद्ध करने के लिये किसी न किसी प्रभार की व्यवस्था अवश्य ही की गई है, यदि हम विश्व से अत्यन्त पिछड़े हुए आदिवासियों, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अरूण्टा, फिलीपाइन्स द्वीप समूह के टसाड़े, अण्डमान के ओंग या जीव तथा श्रीलंका के बेड्डा आदि पर दृष्टि डाले तो उनमें भी हम इसी संबंध को आकार प्रदान करने के लिये परिवार का अस्तित्व पाते हैं। ईसाईयों के कतिपय समाजों में स्त्री –पुरूष के इस संबंध को धार्मिक संस्कार का स्वरूप दिया गया है, तो कुछ में इसे संविदा माना गया है। कुछ समाजों में एक विवाह का प्रचलन है। तो कुछ मैं बहुपति या बहुपत्नी विवाह का, अतः स्पष्ट है कि विवाह के

---

(1 पृष्ठ 13 वेदालंकार–अर्थववेद)

माध्यम से स्त्री– पुरूष का संयुक्त होना, परिवार और गृहस्थी की स्थापना तथा उसके माध्यम से जीवन यापन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत एक सामाजिक व्यवस्था है। यह विवेचन स्पष्ट करना है कि एक स्त्री अथवा एक पुरूष एकाकी जीत के रूपमें जन्म ग्रहण करता है, परन्तु उसकी नियति एकाकी रहना नहीं है वह स्त्री अथवा पुरूष समाज में प्रचलित विधि अनुसार निश्चित समय पर किसी न किसी जीवन साथी के साथ संबंद्ध होना ही है। हिन्दू समाज में तो स्त्री–पुरूष के परस्पर संबंधित होने और गृहस्थी की स्थापना को एक दैविक कार्य– निरूपित किया गया है। इसलिए अविवाहित रहना, परित्याग, वैधव्य आदि को भारत में असामान्य और दुर्भाग्य माना जाता है। ऐसी स्थिति में अविवाहित रहना केवल तभी संभव था जबकि व्यक्ति विवाह के योग्य न हो अर्थात विक्षिप्त हो, पूरी तरह विकलांग हो अथवा नपुंसक या प्रजनन की क्षमता न रखने वाला हो। यद्यपि ऐसे पुरूषों अथवा स्त्रियों का भी विवाह होता रहा है, का –पुरूष होने पर अथवा पुरूष के सामान्य होने के बावजूद प्रजनन की क्षमता न होने पर नियोग की प्रथा का प्रचलन रहा हैं।

यह विवरण यह प्रकाशित करता हैं कि हिन्दू समाज में अविवाहित रहने की स्थिति सम्भव ही नहीं हैं। इस विषय का विस्तृत विवेचन आगामी अध्यायों में यथा स्थान किया गया हैं यहाँ यह विवरण यह स्थापित करने के लिये दिया गया हैं कि आज के संदर्भ में हिन्दूओं में अविवाहित रहना एक असामान्यता हैं। यद्यपि अविवाहित रहने की प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं, तथा अविवाहित रहने वाले पुरूष और स्त्रियाँ इसे असामान्य या हेय नहीं मानते हैं, परन्तु सामाजिक व्यवस्था और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह असामान्यता अवश्य ही हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ –साथ जीवन के सभी पहलू बदलते जा रहे हैं। उनमें केवल परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, अपितु वह विशेष प्रकार की सामाजिक जटिल समस्यायों को जन्म दे रहे हैं।

आवश्यकताएं नैसर्गिक भी होती हैं तथा सामाजिक भी नैसर्गिक आवश्यकताएं प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त होती हैं। सामाजिक आवश्यकताओं का सृजन मानव ने स्वयं किया हैं, नैसर्गिक व सामाजिक आवश्यकताएं एक–दूसरे से सर्वथा असम्बद्ध नहीं हैं, सच तो यह है कि इनमें आपस में घनिष्ट सम्बन्ध हैं, सामाजिक आवश्यकताओं को यदि नैसर्गिक आवश्कताओं का पूरक कहें तो उचित होगा। सामाजिक आवश्कताओं का विकास नैसर्गिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में इन्हें पूर्ण करने के उद्देश्य से ही हुआ है। उदाहरण स्वरूप मानव प्रजाति की निरन्तरता के उद्देश्य से प्रकृति में स्त्री–पुरूष में यौन

भावना दी हैं, लेकिन हिन्दू धर्मानुसार सामान्यतः यह आवश्यकता दूसरे स्थान पर आती हैं, इसका मूल आधार धार्मिक संस्कार हैं और यौन संबंध दूसरे स्थान पर आते हैं।

इस उद्देश्य की पूर्ति मानव समुदाय में बिना किसी संघर्ष के सुगमता से होती रहे, इसी दृष्टि से विवाह और परिवार संस्था का विकास हुआ है। इस प्रकार विवाह और परिवार संबन्धी आवश्यकता मानव प्रजाति की निरन्तरता संबन्धी नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूरक आवश्यकता हैं। इस नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सभी स्त्री–पुरूष का योगदान होना चाहिये। इसलिये परिवार व विवाह किसी व्यक्ति की आवश्यकता न होकर सभी की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में विवाह और परिवार सभी सामाजिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण हैं।

यह संस्था मात्र मानव प्रजाति की निरन्तरता का ही नैसर्गिक कार्य नहीं करती बल्कि अनेक वैकल्पिक एवं सामाजिक प्रकार्यों को भी सम्पन्न करती है।

हिन्दू सामाजिक जीवन में मानव– जीवन के पुरूषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रावधान है, यह मान्यता रही है कि इन पुरूषार्थों की पूर्ति प्रत्येक हिन्दू के लिये अनिवार्य है। इन चार पुरूषार्थों में से, तीन पुरूषार्थ, धर्म, काम और मोक्ष को विवाह और परिवार के साथ प्रत्यक्षतः संबंधित माना गया है, वास्तविक अर्थ पुरूषार्थ की पूर्ति भी बिना परिवार के नहीं हो सकती, इस प्रकार चारों पुरूषार्थों की पूर्ति, वही व्यक्ति कर सकता जिसने विवाह किया है तथा परिवार स्थापित किया है। इस प्रकार विवाह के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है अर्थात यदि व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सका तो वह बार–बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। यही नहीं बल्कि बिना पत्नी या पति के कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी धार्मिक दायित्वों को निष्पादन नहीं कर सकता है। यही कारण है कि प्रत्येक हिन्दू के लिये विवाह को अनिवार्य माना गया है। जीवन भर विवाह न करने वाले अथवा यथा हेय दृष्टि से देखता है। अतीत में व्यक्ति पर समाज का प्रत्यक्ष और कठोर नियंत्रण था। इसलिये तब ऐसा अपवाद स्वरूप ही था, परन्तु आज सामाजिक नियंत्रण के कमजोर पड़ जाने, व्यक्तित्व स्वतंत्रता को प्रधानता देने, स्त्री–पुरूषों की समानता, व्यक्तित्व आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार से बाहर रहकर भी पूर्ण करने की संभावना तथा अत्याधिक परिवारिक दायित्वों के बोझ से बचने की भावना से स्त्री–पुरूष में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही हैं। इस प्रकार अविवाहित रहना उपरोक्त विवेचनानुसार न केवल धर्म के विरूद्ध है, बल्कि समाज के प्रतिकूल भी हैं। वर्तमान में न तो आश्रम व्यवस्था का प्रचलन है, न ही वर्ण व्यवस्था का। पुरूषार्थों के प्रति सामान्य जनों में चेतना नहीं है, परन्तु हिन्दू समाज मे व्यक्ति जिन उद्देश्यों, धर्म,

अर्थ, काम, मोक्ष और वंश परम्परा की निरन्तरता आदि से प्रेरित होकर इन व्यवस्थाओं का पालन करने में वे आज भी विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अविवाहित रहने में क्या इन पारम्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न नहीं होती है ?

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह आभास होता है कि विवाह न केवल सामाजिक दृष्टि से बल्कि वैवाहिक दृष्टि से भी एक अनिवार्यता है, अतः अविवाहित रहना एक सामान्य व्यवहार नहीं माना जा सकता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्यन को अविवाहित रहने की समस्या पर केन्द्रित रखा गया है।

# हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में विवाह और परिवार का महत्व

सभी सामाजिक संस्थाओ में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम सामाजिक संस्था है। अनेक सामाजशास्त्री इसके इतिहास को खोजने का प्रयास करते है, परन्तु इस प्रक्रिया में वे कुछ भी निर्धारित कर पाते हैं उसे वस्तुतः प्राकल्पना मात्र माना जा सकता हैं। प्राकल्पना इसलिए कि विविध समाजों में पाये जाने वाले परिवार के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर वह तर्कों की सहायता से एक धारणा बना लेते हैं। इसे प्रमाणित करना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं होता है।1 उदाहरण के लिए परिवार के उदविकास को लेकर मोरगन ने (और अन्यों ने भी) जो कुछ कहा है, वह अनुमान परक ही हैं, सत्य तो यह है कि "परिवार उतना ही प्राचेन और नैसर्गिक है जितना कि मनुष्य स्वयं । यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का उदविकास विकसित वानरों से हुआ हैं। तब परिवार मनुष्य से भी अधिक पुराना हैं। चिम्पाजी, उरांग–गुटान, गुरिल्ला तथा साधारण वानरों में भी किसी न किसी सीमा तक पारिवारिक संगठन पाया जाता है, यह कहना भी काल्पनिक ही है कि मानव विकास के प्रारंभिक काल में यौन साम्यवाद था। जैसा कि पूर्व पृष्ठ पर उल्लेख किया गया है ऑस्ट्रेलिया के अरूण्टा, फिलीपाइन्स के टसाड़े, भारत (अण्डमान) के जाखां तथा ओग, श्रीलंका के बेड्डा आदि जनजातियों, जो कि अभी भी न्यूनाधिक नैसर्गिक रूप से रह रहीं है। उनमें भी यौन साम्यवाद का प्रचलन नहीं है। आदिवासियों और गैर आदिवासी समाजो में परिवार से परे पाये जाने वाले यौन सम्बन्धों को यौन साम्यवाद के अवशेष या प्रतीक के रूप में नहीं लिया जा सकता है इसका कारण यह हैं कि यौन आकांक्षा स्त्री–पुरूष में सहज प्रवृत्ति और नैसर्गिक आवश्यकता है। इसलिए अवसर मिलने पर परिवार से परे उसकी संतुष्टि का प्रयास व्यक्तियें के द्वारा किया जाता है, परिवार के आकार, प्रभार,कार्य सम्बन्धों के स्वरूप अधिकार, कर्तव्य स्थिति आदि विभिन्न दोनों में स्थान और समय के अनुसार परिवर्तन भले ही होता रहा हो परन्तु इसके कारण परिवार के नैसर्गिक होने और मानव उदविकास के प्रारंभ से ही प्रचलन में रहने के विषय में कोई शंका नहीं की जा सकती है। परिवार विहीन किसी समाज की कहीं भी उपस्थिति मान लेना शुद्धता कल्पना ही कहीं जा सकती हैं।

---

1. पाटिल डा0. अशोक जी गुरूदेव, प्रकाशन इन्दौर 1994

भारतीय सामाजिक व्यवस्था जैसी की पूर्व वैदिक, वैदिक मध्यकाल तथा वर्तमान में स्वाधीनता की प्राप्ति के पूर्व तक प्रचलित रहीं हैं, परिवार के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रही हैं, परिवार की भारतीय अवधारणा अन्य देशों के समाजो से सर्वथा भिन्न रही है। अंग्रेजो के भारत आगमन सत्ता सीन होने, ज्ञान और वैचारिक पर हावी होने से भारतीय(हिन्दू समाज) और संस्कृति घातक रूप से प्रदूषित हुयी हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव परिवार संस्था पर पड़ा हैं।

परिवार वास्तव में क्या हैं, इस प्रश्न का उत्तर सहज नहीं है, भिन्न–भिन्न समाजों के लोग अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए–भारत की तुलना में पश्चिमी समाज की परिवार विषय पर धारणा संकुचित है। वे सामान्य दशाओं में केवल पति–पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों के समूह को ही परिवार मानते हैं। भारतीय संदर्भ में परिवार के अर्थ को समझने के लिए परिवार शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करना होगा।

परिवार शब्द मूलतः वृ धातु के साथ 'परि' उपर्सग जोड़ कर बनाया गया। "परि" का अभिप्राय है 'चारों और का' तथा वृत आवरण अर्थ को प्रकट करता है। वृ रूपान्तरित होकर प्रकार के स्थान 'आर' युक्त हो जाता है। इस प्रकार वृ के प्रभार को यदि उपरोक्तानुसार 'आर ' में रूपान्तरित कर दें तब व + आर = वार बन जाता है। 'परि ' उपसर्ग को यथा स्थान रखने पर शब्द "परिवार" की रचना होती है। अतः परिवार से तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जो कि व्यक्ति को आवृत्त किये हो अर्थात व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता हो।

'परिवार्यन्ते' परितः आवृयन्ते दोषाः येन स परिवारः स्त्री पुत्रादि। '' अर्थात जिसके द्वारा पत्नी, पुत्र आदि सभी अंगज (माता–पिता, बन्धु, पौत्रादि) परिपोषित होते हो, उसकी संज्ञा परिवार है। 1

इस दृष्टि से परिवार का भारतीय स्वरूप सीमित न होकर विस्तृत है। इसमें पति–पत्नी और उनके आश्रित बच्चे ही नहीं बल्कि अन्य नातेदार भी रहते हैं। ऐसे परिवार संयुक्त परिवार कहे जाते हैं। इन परिवारों के विषय में श्रीमती कर्वे का कथन है कि एक संयुक्त परिवार सामान्यता एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह

---

1. श्याम, डा0. सीताराम झा, भारतीय समाज का स्वरूप (1997 पृष्ट 38)

हैं, जो एक ही चूल्हे पर (सामान्य रसोई में ) बना खाना खाते हैं। जिनकी सम्मिलित सम्पत्ति होती हैं तथा जो सम्मिलित रूप से पूजा–अर्चना करते हैं और जो एक दूसरे के साथ रक्त संबंधों से संबन्धित रहते हैं। 1

संयुक्त परिवार को इससे अधिक अच्छे रूप से अभिव्यक्त करना कठिन हैं, वस्तुतः संयुक्त परिवार एक सामान्य समूह नहीं है। इसलिये इसे इसके लक्षणों के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। श्रीमती कर्वे के द्वारा उल्लेख की गई विशेषतायें है, इनमें किसी एक विशेषता के भी न होने पर हम उस परिवार को पारंपरिक संयुक्त परिवार नहीं कह सकते हैं। 2

डॉ. शिवस्वरूप सहाय इस परिभाषा तथा डॉ. आई. पी. देशाई द्वारा प्रस्तुत परिभाषा के विषय में विचार व्यक्त करते हुये कहते हैं कि इसमें एक विशेषता अधूरी रह जाती है, वह है पितृ–प्रधान परिवार प्रणाली, यह आलोचना सार्थक नहीं हैं, दक्षिण भारत की नायर जाति और कतिपय उत्तर भारतीय पर्वतीय जातियों में संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन हैं परन्तु वह मातृ मूलक है पितृ मूलक नहीं। (अब शनैः–शनैः विशेषकर नायरों में पितृ मूलक परिवारों के प्रति झुकाव बढ़ा है) अतः श्रीमती इरावती कर्वे की व्याख्या परिपूर्ण है।

प्रोफेसर आई. पी. देशाई का कथन है कि हम उस गृहस्थी को संयुक्त परिवार कहते है, जिनमे कि एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक (तीन या इससे अधिक ) पीढ़ियों के सदस्य सम्मिलित रहते है, तथा जो परस्पर सम्पत्ति आय और पारस्परिक हित व कर्तव्यो से जुड़े रहते है। 3

डॉ0 पी. एन. प्रभु ने संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुये कहा है कि सामान्यतः हिन्दू परिवार के अर्न्तगत चार पीढ़ियों के व्यक्ति सम्मिलित रहते है तथा सदस्यो की संख्या कितनी भी हो सकती है। यह सभी सदस्य एक ही घर में निवास करते है और परिवार की सामान्य सम्पत्ति में सहभागी होते हैं। 4

---

1. कर्वे श्रीमति इरावती, किनशिपआरगनाईजेशन इन इंडिया, पब्लिशिंग हाउस; बाम्बे, 1953 पृष्ठ 8
2. सहाय, डा0. शिव स्वरूप; हिन्दू सामाजिक संस्थायें, 1961 पृष्ट 98
3. देशाई, डा. आई. पी., द जोइंट फेमिली इन इंडिया इन एनालिसिस 1956, पृष्ठ – 148
4. प्रभु , पी. एन.,हिन्दू सोशल आरगनाइजेशन, 1958, पृष्ठ – 217

लगभग उपरोक्तानुसार ही विचार डॉ0 एस. सी. दुबे ने व्यक्त किये हैं " वे कहते हैं कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं और उनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हो और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें एक सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। 1

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि "संयुक्त परिवार वह परिवार है, जिसमें न केवल माता–पिता और उनके अविवाहित बच्चे बल्कि विवाहित बच्चे भी विवाहोपरांत रहते हैं तथा सभी लोगों में एक इकाई के सदस्य के रूप में सहभागी होते हैं। यह भारतीय समाज के मूलभूत परिवार की अभिव्यक्ति हैं। भारत की परम्परा के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो यहाँ संयुक्त परिवार के अतिरिक्त अन्य प्रकार के परिवारों को दुर्भाग्य माना जाता था। आज भी संयुक्त परिवार का विघटन सुखद नहीं होता है। हर वृद्ध की आकांक्षा रहती है कि उसकी अर्थी को उसके पुत्रों,पौत्र आदि का कंधा मिलें,पास–पड़ोंसियो का नहीं। इसलिये जब तक अपरिहार्य न हो जाये, तब तक चाहें नगरीय समाज हो या ग्रामीण समाज, संयुक्त परिवार के विघटन को टाला जाता है। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय आदि विषमताओं के कारण परिवार के सदस्य भले ही भिन्न–भिन्न स्थानो पर रहते हों, परन्तु वार्षिक अवकाश, विवाह, संस्कारों का सम्पादन, होली, दीवाली, बीमारी या मृत्यु पर अपने परिवार के साथ अवश्य ही सम्मिलित होते हैं। अलग अलग रहने के बावजूद वे मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक रूप से एक–दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। प्रथम तो वहाँ संयुक्त परिवारों का प्रचलन है ही नहीं, वहाँ परिवार एकाकी परिवार बोधक संज्ञा हैं। परिवार की पाश्चात्य अवधारणा के संबंध में कुछ समाज शास्त्रियों द्वारा प्रेषिक परिभाषाओं का अध्ययन उपयुक्त रहेगा।

इस संकीर्ण विचार से परे बाइबिल में सृष्टि निर्माण के समय भगवान ने कहा है कि "विवाह होने के बाद पुरूष अपने माता–पिता को छोड़ देगा और पत्नी के साथ अलग रहेगा। " हिन्दू समाज में परिवार इस संकीर्ण रूप के विचार से परे हैं। आपस्तम्ब धर्म सूत्र (2/6/4/19) मे व्याख्या की गयी है कि –'मन्त्रणा जीवनों:'पित्रो:' सहवासी विधीयते: अर्थात 'विधान यह है कि भाई के व पिता के जीवन काल में एक साथ ही रहे |2

---

1. दुबे डा. एस. सी., मानव और संस्कृति, पृष्ठ – 113
2. जिनसिस 2/29 हरिदत्त :– वेदांतकार (1953) से उद्दत ।

मैकाइवर एवं पेज ने अत्यन्त संकीर्ण अर्थ में परिवार की व्याख्या करते हुये, इसे यौन संबंधो से परिभाषित एक समूह कहा है, जो कि पर्याप्त छोटा और इतना स्थाई होता है, कि जिसमें प्रजनन और बच्चों का पालन पोषण किया जा सकें। 1

यदि हम भारतीय परिवेश में विचार करें तो हमारे यहाँ परिवार की स्थापना का उद्देश्य यौन आकांक्षाओ की पूर्ति प्राथमिक रूप से है ही नहीं। इसलिये विवाह को हम एक समझौते के रूप में नहीं बल्कि संस्कार के रूप में लेते हैं। हमारे यहाँ वासना पर नियंत्रण का पाठ पढ़ाया जाता है। यौन संतुष्टि को यहाँ शरीर सामान्य आवश्यकता जितना ही महत्व दिया गया है, न कि सर्वोपरि आवश्यकता के रूप में इसी प्रकार परिवार को भारत में मनुष्य के समूह के रूप में नहीं बल्कि प्रगाढ़ सम्बन्धों तथा असीमित दायित्वों के रूप में लिया जाता है। यही कारण है कि भारतीय संयुक्त परिवार मे वस्तुतः व्यक्ति का नही व्यवस्था का महत्व है किसी सदस्य की दुर्भाग्य से मृत्यु होने पर स्वयं ही उसके दायित्वो का वहन अन्यों के द्वारा किया जाता है। प्रभावित व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रूप में वो मृतक की कमी अनुभव करते हैं। परन्तु अन्य सभी दृष्टियों से उन्हें सुरक्षा मिलती है। इसी प्रकार विकलांग, बेकार, बेरोजगार, वृद्ध जिस रूप में पोषण और सुरक्षा प्राप्त करतें हैं, क्या उसकी अभिव्यक्ति परिवार को मनुष्यों का समुह मात्र कहने से हो सकता है ? भारतीय परिवारों में प्रजनन को यौन किया के एक उप–उत्पादन या मानव प्रजाति की निंरतरता के उद्देश्य से किया जाने वाला उत्पादन कार्य नहीं माना जाता है। यहां नव–विवाहित युगल का प्रथम शयन भी सांस्कारित विधि विद्यानों से नियमित होता है। यह भारत ही है जहां गर्भाधान भी एक संस्कार के माध्यम से होता है। प्रसव पूर्व तथा प्रसव के पश्चात के अनेक संस्कार यह प्रतिपादित करते है,कि प्रजनन यहां यौन संतुष्टि से जुड़ा, एक कार्य न होकर स्वतंत्र महत्व रखने वाला एक अनुष्ठान है। इसी प्रकार भारतीय परिवार में बच्चों का केवल पालन–पोषण ही नहीं होता है, यह पाश्चात्य सामाजिक व्यवस्था ही है, जहाँ बच्चो की देखभाल ट्रेंड नर्सेज, आया डिब्बा बंद दूध और इसके बाद नर्सरीज, के.जी. स्कूल, होस्टल आदि करते है। भारत की माताऐं फिगर खराब होने की चिंता न करते हुए बच्चे को स्वयं का भरसक दूध पिलाती है, बच्चों की देखभाल, पालन–पोषण, सामाजीकरण, नियंत्रण का दायित्व, अभिभावको का ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों का भी होता है। अतः भारतीय

---

1. मेकाइवर एन्ड पेज, A Hand book of Socilogy P - 238.

समाज की परिवार व्यवस्था को हम, मैकाइवर और पेज की परिभाषा के आधार पर नहीं समझ सकतें हैं।

पश्चिमी समाज में परिवार किस प्रकार सीमित उद्देश्यों से अभिप्रेरित एक समूह माना जाता है। यह आगवर्न और निमकॉफ की व्याख्या से स्पष्ट होता है इनके अनुसारः" जब हम परिवार का विचार करते है, तब हमारे सामने बच्चों सहित या बच्चों रहित, पति और पत्नी या बच्चों सहित एक पुरूष या एक स्त्री के न्यूनाधिक स्थायी समूह का दृश्य उपस्थित होता है।" 1

एक अस्पष्ट सी परिभाषा विक एण्ड होइनर ने भी दी है।" वह कहते हैं परिवार की परिभाषा एक सामाजिक समूह के रूप में की जा सकती है, जिसके सदस्य, नातेदारी के संबन्धो में आबद्ध हो। 2

यह परिभाषा अस्पष्ट इसलिए है कि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रकार के नातेदार या संबन्धी परिवार रूपी समूह के सदस्य होंगें। नातेदारी अनेक प्रकार की होती है। जैसे रक्त संबन्धी, विवाह संबंधी और कथित या मानी हुई, अतः यह कहना कि परिवार नातेदारी संबंधों से युक्त व्यक्तियों का समूह है अपर्याप्त है।

लगभग इसी प्रकार के विचार पश्चिम के अन्य समाज शास्त्रियों के द्वारा भी परिवार के विषय में व्यक्त किये गये है। जुकरमैन के अनुसार 'परिवार समूह के एक पुरूष स्वामी, उसकी पत्नी या पत्नियाँ, बच्चों सहित रहते हैं और कभी– कभी इसमें एक या अधिक अविवाहित या पत्नी विहीन व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते है। "इलियट और मैरिल कहते है " परिवार पति–पत्नी और उनके बच्चों की जैवकीय सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 3

उपरोक्त परिभाषायें परिवार को यथार्थ रूप में अभिव्यक्त नही करता है। यदि हम स्वीकार करें कि परिवार की भारतीय अवधारणा (संयुक्त परिवार) सार्वभौमिक नहीं है, तब भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि परिवार केवल यौन आवश्यकता की प्रतिपूर्ति, प्रजनन और बच्चों का पालन–पोषण करने वाला समूह नहीं है। यदि ऐसा होता तो इसमें स्थायित्व व्यवस्था और नियंत्रण न रहना, वस्तुतःएक इकाई के रूप में परिवार की दीर्घकाल तक (यथार्थ में जीवन भर) संगठित रखने में परिवार के सदस्यों के बीच पाये

---

1. आगर्वन एवं निम्नकाफँ A Hand book of Socilogy ; P. - 459
2. Bedis & Hoizer An Introduction Anlthropology 1956 P. 382,
3. Eilot & Merril, Social Disorgnization P- 329

जाने वाले भावनात्मक संबंध तथा एक–दूसरे के प्रति असीमित उत्तरदायित्वों की अनुभूति महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से उपरोक्त परिभाषायें परिवार की केवल संरचना पर प्रकाश डालती हैं। उसे उसके वास्तविक रूप में अभिव्यक्त नहीं करती हैं। कतिपय पश्चिमी समाज शास्त्रियों ने परिवारके इस महत्वपूर्ण पक्ष पर भी विचार किया है। मॅरडाक का मत है कि 'परिवार, सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन संबंधी विशेषताओं से अभिव्यक्त एक समान समूह है, इसमें व्यस्क स्त्रियाँ व पुरूष जिनमें से कम से कम एक जोड़ा समाज द्वारा मान्य विधि (विवाह) के माध्यम से यौन संबंधो का निर्वाह करता हो तथा इस जोड़े के स्वयं के या दत्तक लिये हुए एक या अधिक बच्चे सम्मिलित रहते हैं। **1**

क्लेयर ने परिवार की व्याख्या के लिए संबंधो का आधार बनाया है। वे कहते हैं कि परिवार से हमारा अभिप्राय संबंधो की उस व्यवस्था से है।

जो कि अभिभावकों तथा बच्चों के बीच पाये जाते हैं।' पारिवारिक सम्बन्ध वस्तुतः केवल अभिभावक तथा बच्चों के बीच ही नहीं पाये जाते हैं, इन संबंधो का विस्तार ओर अधिक है।

**स्मिथ के अनुसार** :– "परिवार एक विवाहित जोड़, भाग है, जो कि, पुरूष, उसकी पत्नी और अवयस्क बच्चों से युक्त होता है, या फिर यह एक प्रजनन मूलक समूह है, जिसमें एक पुरूष उसकी पत्नी या पत्नियों और उनके बच्चे तथा अविवाहित पुत्रियाँ सम्मिलित रहते हैं।" **2**

बर्जेस और लॉक ने परिवार की व्याख्या करते हुए कहा है कि "परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो कि परस्पर विवाह, रक्त या दत्तक सम्बन्ध से युक्त हों, एक गृहस्थी का निर्माण करतें हों, तथा पति और पत्नी, माता और पिता, पुत्र और पुत्री, भाई और बहिन के रूप में अपने–अपने दायित्वों की पूर्ति तथा अर्न्तक्रियाऐं करते हों। एवं एक सामान्य संस्कृति का विकास व निर्वाह करते हो"। **3**

उपरोक्त सभी परिभाषाओं की तुलना मे D.N.Majumdar की व्याख्या अधिक

---

1. Murdock. G.P. Social Sturcture, 1949, P-1
2. Smith; M. B; Survey of Social Scienees, 1945, P. 168
3. Brajess, E.W.S. lock, H.S; The Family, P. 8

सटीक लगती है। उनके अनुसार "परिवार उन व्यक्तियों काएक समूह है, जो कि एक ही आवास में रहतें हों ओर जो कि केन्द्रित तथा नातेदारी सम्बन्धों से संयुक्त हों, जिनमें कि स्थान, हितों तथा दायित्वों की पारस्परिकता के प्रति जागरूकता हों"। 1

परिवार की ऊपर वर्णित सभी व्याख्यों में यह स्पष्ट होता है कि परिवार के विषय में भारतीय आस्थायें और पाश्चात्य आस्थायें भिन्न है। पश्चिम में परिवार के संरचनात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, जबकि भारतीयों के लिए परिवार का संस्थात्मक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीयों के लिये परिवार एक समूह मात्र नहीं है। यहाँ सम्बन्धों को प्राथमिकता दी जाती है, संख्या को नहीं। इसलिए यदि यह कहा जाये कि भारतीय परिवार में व्यक्ति का अस्तित्व अर्मूत तुल्य होता है तथा संबंध ठोस तो अनुचित नहीं होगा यही कारण है कि संयुक्त परिवार के विघटन को भारत में सदस्येां का संख्यात्मक या संरचनात्मक विघटन भाग नहीं माना जाता है, यदि ऐसा होता तो विघटन त्रासद न माना जाता। विघटन कई बार परिवार के बड़े बुजुर्गो के लिए मानसिक तनाव, शारीरिक–व्याधियों, हृदयाघात या पक्षाघात का कारण भी बनता है।

भारत में विवाह का लक्ष्य यौन सम्बन्धों को अभिमति प्रदान करना या उसके लिये, उपयुक्त व्यवस्था करना मात्र नहीं है। विवाह गृहस्थी की स्थापना करने के लिये किया जाता है। गृहस्थी के अन्तर्गत केवल पति पत्नी ही नहीं, बल्कि पितृ पक्ष से सम्बन्धित नातेदारों का वृहद–समूह और जीवन निर्वाह के लिये सम्मिलित रूप में उपयुक्त व्यवस्था समाहित रहती है। यौन संतुष्टि तो उन अनेकानेक आवश्यकताओं में से एक अंश मात्र है। जिसकी पूर्ति परिवार करता है। एक हिन्दू का परम् लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुत्र का होना आवश्यक है, अतः विवाह पुत्र की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला उपक्रम है। यही कारण है कि यहाँ पर विवाह को पुत्र जन्म का उपक्रम माना जाता है। नवविवाहिता से अपेक्षा रखी जाती है कि वह यथा शीघ्र पुत्र को जन्म दे। इस प्रकार पाश्चात्य धारणा से परे यहाँ संतति पति–पत्नी के बीच यौन समाधान की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाला एक उप उत्पादन नही है। यहाँ विवाह का उद्देश्य पुत्रोत्पत्ति है और इसलिए विवाह तथा यौनिक संसर्ग किया जाता है। डा0 सीताराम झा श्याम का मंतव्य है कि "वेदों का अध्ययन वेद विहिद कर्मो का सम्पादन,

---

1. Majumadar. D.N; Races & Culture of India, P. 163
2. श्याम, डा0 सीताराम झा; पूर्वोक्त पृष्ठ 61

वैदिक विधि से प्राप्त पत्नी से संतान उत्पादन, गृहस्थों के प्रमुख धर्म है"। 2
महाभारत के शान्ति पर्व में इस विषय में उल्लेख इस प्रकार है।

**"अधीव्य वेदान् वुत सर्वकृत्यं**
**संतान मुत्यादा सुखनि युक्तक,**
**समाहित प्रचरेर दुरचर यो**
**गार्हस्थ्य धर्म मुनि धर्म जुष्टम,"।। 1**

इस प्रकार पाश्चात्य समाज में विवाह और परिवार यौन आवश्यकताओं की पूर्ति का एक मार्ग है, जबकि भारत में यह, पुत्र–प्राप्ति का अनुष्ठान मुख्यतः है। यौन संतुष्टि हमारे यहाँ, विवाह और परिवार का द्वैतीयक लक्ष्य है। इसका कारण यह है कि भारतीय दर्शन जीवन को मोक्ष प्राप्ति का माध्यम मानता है समस्त योनियों में केवल मनुष्य ही अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर जन्म–मरण के चक्र से मुक्त होने की पात्रता रखता है, अतः यहाँ जीवन का अर्थ भौतिक सुखों का उपभोग नहीं, बल्कि कर्तव्यों का परिपालन करते हुये मोक्ष की प्राप्ति है, आज की पीढ़ी के लिए यह बात तर्क संगत न लगती हो, परन्तु यह विचार भारतीय दर्शन पर आधारित है, आज की पीढ़ी को यह तर्क संगत न लगने का कारण यह है कि आज के परिवारों की संरचना तथा उसके संस्थागत स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण, आज के भारतीय परिवारों से विमुख हो रहे हैं।

एक भारतीय के लिए गृहस्थी का अर्थ पति–पत्नी का यौनिक सुख के लिए, मित्रवत् साथ–साथ रहना, कदापि नहीं हो सकता है, जैसा कि पश्चिम के समाज में प्रचलन है। महाभारत के शांति–पर्व के कतिपय उद्दरणों से गृहस्थी की भारतीय अवधारणा पर प्रकाश पड़ता है, केवल मात्र मकान को गृह नहीं कहा जाता है। गृह तो वह तब कहलाता है, जबकि वह गृहणी से युक्त हो। इस अर्थ में गृहणी का अर्थ, सखि या सहायक न होकर गृह की स्वामिनी से है। महाभारत के शांति–पर्व 17 में इस बिषयक उल्लेख इस प्रकार है।

**"नागृहं गृह मिताहुर, गहणी गृहं उच्वते।"**

---

1. महाभारत, शान्तिपर्व 6/1/10

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि पुत्र, पौत्र, वधु, सेवक आादि सब कुछ हो परन्तु यदि पति–पत्नी न हो तो घर रिक्त ही रहता है।

**पुत्र, पौत्र, वधु, मृत्यरि, आकीर्ण अपिसवंतर।**
**भार्याहीन गृहस्थस्य शून्यमेव गृहं मवेता 1/8**

पत्नी–विहीन गृह की स्थिति कैसी होती है। इसकी व्याख्या महाभारत शांतिपर्व–19 में इस प्रकार वर्णित है।

**यस्य भार्यया गृहे नास्ति साहणी च प्रियवादिनी।**
**आरण्य मेवतेत गन्तव्यं यथारण्य तथा गृहम्म ।।**

अर्थात जिस गृह में पत्नी न हो, उस घर में रहना तथा आरण्य (वन) में घूमना दोनो ही एक समान है। उपरोक्त उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय समाज में विवाह और परिवार सीमित अर्थ न रखकर व्यापक अर्थ रखते हैं। भारतीय परिवार में जीवित ही नहीं बल्कि, मृत पितर भी अपना सूक्ष्म अस्तित्व रखते हैं। विभिन्न धार्मिक आयोजनों में उनका स्मरण किया जाता है तथा मन्त्रों के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार परिवार के समूह गत स्वरूप को हम महता प्रदान न कर सम्बन्धों की व्यवस्था रूप में उसके संस्थागत् रूप को हम अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।

संस्था से हमारा अभिप्राय सम्बन्धों, नियमों, कार्य–प्रणालियों, परम्परा आदि की व्यवस्था से है, परिवार हमारे लिए यौनिक इच्छा पूर्ति का उपाय न होकर प्रत्येक सदस्य की अनेकानेक, आवश्यकताओं को यूँ कहे कि जीवन पर्यन्त सुगम जीवन निर्वाह की व्यवस्था करने वाली एक संस्था है, तो हम यथार्थ के अधिक निकट होगें।

भारतीय समाज व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है। यह निर्विवाद है कि वर्ण व्यवस्था का विकास समाज में श्रम विभाजन की एक उपयुक्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से किया गया, यह भी सत्य है कि प्रारंभिक स्तर में वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत श्रम विभाजन का आधार वैयक्तिक योग्यतायें और क्षमतायें थीं। इसलिए योग्यताओं और क्षमताओं में परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन भी संभव था। यद्यपि कालंतर में संभव न रहा। कालंतर में वर्ण व्यवस्था जन्म गत हो गई। इसमें ऊँच–नीच का संस्तरण विकसित हुआ, अर्न्त विवाह अनिवार्य हो गया; तथा विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक प्रक्रियाओ पर अनेक बन्धन लागू किये गये। यह सब इसलिये हुआ कि वर्ण–व्यवस्था को आधार प्रदान करने वाली आश्रम व्यवस्था का महत्व घट गया। वर्ण–व्यवस्था के माध्यम् से जहाँ सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, वही आश्रम

व्यवस्था के माध्यम से वैयक्तिक जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया गया। आश्रम व्यवस्था के अर्न्तगत व्यक्ति के जीवन क्रम को चार स्तरों में विभाजित किया गया। प्रत्येक संस्तर में वैयक्तिक कर्तव्यों का इस प्रकार निर्धारण किया गया कि व्यक्ति अधिकतम योग्यताओं व क्षमताओं का अर्जन कर स्वयं के लिए, स्वजनों के लिए तथा समाज के लिए उपयोगी इकाई बन सके।

तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति की औसत आयु एक सौ बर्ष होना असामान्य नहीं था, इसलिए औसत आयु एक सौ बर्ष मानकर इसे पच्चीस–पच्चीस वर्षो के चार कालखण्डों में विभाजित किया गया। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि प्राचीन शास्त्रीय रचनाओं में कही भी यह उल्लेख दृष्टव्य नहीं हुआ जिसमें यह प्रमाणित हो सके कि प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष की अवधि अपरिहार्य थी, यथार्थ यह रहा किं यह व्यक्ति पर निर्भर करता था कि कब वह किस आश्रम में प्रवेश के लिये या उसे त्यागने के लिये अर्हता प्राप्त करता है। अतः चार श्रेणियों (आश्रमों) में विभाजन तो निर्विवाद है परन्तु प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष की कालावधि लचीली रही है।

चार आश्रमों बह्मचर्य; गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि माना गया है।

इस आश्रम में व्यक्ति दोहरी भूमिका निर्वाह करता है। प्रथम स्वजन के प्रति और द्वितीय समाज के प्रति; इस आश्रम में "अर्थ" व "काम" के माध्यम से जहाँ वह स्वजन का हित करता है, वही धर्म के माध्यम से विविध यज्ञों को सम्पन्न कर ऋणों उऋण होकर स्वयं को समाज के साथ जोड़ता है।

गृहस्थाश्रम में प्रवेश किये बिना कोई भी व्यक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरूषार्थों में से किसी भी पुरूषार्थ की पूर्ति नहीं कर सकता है गृहस्थाश्रम की महत्ता को मनु ने इस प्रकार व्यक्त किया है।

**"यथा नदि नदा समस्ते सागरम् यान्तिक्षमा स्थितम्।**
**तथैवाश्रामिन, सर्वे गृहस्थे यान्ति समास्थितम् "**

इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार समस्त नादियाँ सागर में समाहित होती है, उसी प्रकार समस्त आश्रमों की महत्ता गृहस्थाश्रम में समाविष्ट है। गृहस्थाश्रम की महत्ता को प्रतिपादित करने की दृष्टि से शिव स्वरूप सहाय ने महाभारत के शान्तिपर्व का दृष्टांत इस प्रकार दिया है

**"शास्त्राष्टः परैः धर्मः स्थिते गृहस्थमात्रितम्।"**

इसमें कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करना ही शास्त्र की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ धर्म है।

गृहस्थाश्रम की सर्वोपारिता के विषय में मनु द्वारा व्यक्त मत पुनः वसिष्ठ स्मृति में भी देखा गया है। वशिष्ठ के अनुसार

**"यथा नदी नदः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितम्।**
**यथा मता रमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः।**
**एवं ग्रहाथमाश्रित्स सर्वे जीवन्ति मिक्षवः।**

अर्थात जिस प्रकार नदियों को समुद्र और शिशुओं को माता गोद शरण देती है। उसी प्रकार गृहस्थाश्रम अन्य आश्रमों का पालन करता है। इसे संक्षेप में वसिष्ठ ने इस प्रकार व्यक्त किया है।

**"चतुर्णाश्रमरणतुं गृहस्थतु विशिष्टते।" 24**

इसमें वशिष्ठ ने स्पष्ट किया है कि चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम सर्वोपरि है।

हिन्दू के लिये विवाह और परिवार का उद्देश्य गृहस्थी स्थापित सुखों का उपभोग करना मात्र कभी नहीं रहा है। वास्तव में परिवार व्यक्तियों को स्वजनों के साथ–साथ समुदाय से सम्बन्ध करने की महत्वपूर्ण कड़ी है। याज्ञवल्यक स्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि, केवल परिवार के साथ सुखमय जीवन का निर्वाह ही गृहस्थ का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उन्हे समाज के प्रति उत्तरदायित्वों की ओर भी चेतन रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य का इस विषय में कथन हैं कि–

**"गृहस्थोडपि क्रिया यक्तो न गृहेण गृहाक्षमी**
**न चैत पुत्रदारेण स्वकर्म परिवार्णितः।" 25**

इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहकर ही व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकता है। व्यक्ति के दायित्व क्या हैं ?

हिन्दू दर्शन के अनुसार मानव–जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही है परन्तु मोक्ष का मार्ग परिवार और विवाह के माध्यम से प्रशस्त होता है। महाभारत के शान्ति पर्व में अनेक स्थलों में ऐसे दृष्टान्त दिये गये है जो यह प्रतिपादित करते है कि विवाह तथा परिवार के बिना मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश किये बिना संन्यास की साधना करने वालों का शान्तिपर्व में उपहास किया गया है। ऐसे व्यक्तियों को पापी तक कहा गया है। शान्ति पर्व में ही यह कहा गया है कि, विवाह और परिवार मार्ग पर न चलकर केवल मात्र संन्यास से ही, मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हो तब

पर्वत एवं वृक्षों को सहज मोक्ष मिल जाना चाहिए क्यो कि वह संन्यास धर्म का पालन करते हैं किसी को हानि नहीं पहुँचाते अर्थात आप से मुक्त तथा चिरन्तर ब्रह्मचारी हैं। अविवाहित व्यक्ति पुत्र–पौत्र देवगण, ऋषिगण और अतिथियों के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह न करते हुए, वन में सुख से जी सकते हैं परन्तु मोक्ष को प्राप्त नही कर सकते हैं।

एक हिन्दू योनाचार अर्थात वासना से प्रेरित होकर विवाह नहीं करता है, वह स्वयं को जन्म–मरण चक्र से मुक्त कर मोक्ष अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति के लिये विवाह करता है। यही नहीं बल्कि वह पितरों की सद्गति के लिये भी विवाह करता है। "श्री हरि–दत्त वेदांलकार ने इस तथ्य को प्रतिपादित करने के लिये महाभारत के प्रसंग प्रस्तुत किये है।" **1**

जरत्कारू उग्र स्वभाव के तपस्वी थे उन्होनें विवाह नहीं किया था। तपस्वी होने कारण उन्हें यह आभास था कि उनके पितरों को शान्ति नहीं है। उनकी दुर्दशा देखकर अंततोगत्वा जरत्कारू ऋषि को विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ही पड़ा। दूसरा प्रसंग कुणिर्गग कि कन्या का है उसने विवाह नहीं किया घोर तपस्या की वृद्ध होने पर अपने तपोबल के आधार स्वर्ग कामना की, ऐसे समय में नारद मुनि से उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि अविवाहित कन्याओं को स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता है अन्ततः उस स्त्री को अपने तपोबल का आधा हिस्सा भगवान को देकर उससे विवाह करना पड़ा। इसके उपरान्त ही उसे स्वर्ग प्राप्ति हो सकी। इसी परिप्रेक्ष्य में हिन्दू समाज में प्रचलित एक प्रथा का उल्लेख भी समीचीन होगा, यदि किसी अविवाहित स्त्री या पुरूष की मृत्यु हो जाती है तव उसके दाह संस्कार से पूर्व उसका सांकेतिक विवाह किया जाता है इसके उपरान्त ही अन्तिम संस्कार किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि हिन्दू दर्शन के अनुसार विवाह और परिवार व्यक्ति के लिये कामाचार का माध्यम नहीं है। इसी प्रकार विवाह और परिवार कतिपय संसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिये स्त्री–पुरूष के बीच कोई संविदा भी नहीं है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि हिन्दू दर्शन के अनुसार पुत्र की प्राप्ति और धार्मिक कार्यों का सम्पादन हिन्दू विवाह और परिवार के मुख्य कर्त्तव्य हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और कर्त्तव्य है रति अर्थात भौतिक विवाह, आनन्द विवाह, यौगिक सुख प्रदान करता है। मनुष्य में कामवासना थी उसकी अनिवार्यता से हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के

---

1. वेदालंकार हरिदत हिन्दू परिवार मीमांसा

प्रणेता शास्त्रकार भली भांति परिचित थे। उपनिषदों में इसे परम सुख कहा गया है। काम की शक्ति से शास्त्रकार परिचित होने के कारण ही इसकी पूर्ति को उन्होनें प्रत्येक के लिये अनिवार्य माना है। इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि काम की पुर्ति को अन्य कर्त्तव्य से अधिक प्रधानता दी गई है। इसका महत्व इतना ही है जितना कि अन्य आवश्यकताओं का हिन्दू जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को महत्वपूर्ण माना गया है। काम को संकीर्ण अर्थ में नहीं लिया गया है। काम को भौतिक सुख तक सीमित न रख कर समस्त सांसारिक भौतिक सुखों, आवश्यकताओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार यौनिक सुख या आवश्यकता व्यापक भौतिक आवश्यकताओं का एक अंश है। अतः कामवासना रहित मनुष्य में उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं की पूर्ति तथा धर्म का सम्पादन और इन सबके माध्यम से ही सम्भव हैं। उपरोक्तानुसार एक हिन्दू के लिये धर्म सर्वोपरि माना गया है परन्तु धर्म की पूर्ति हेतु भी अर्थ की सिद्धि आवश्यक है। सामान्यता हम अर्थ को धन के पर्याय के रूप में प्रस्तुत करते है। धर्म अर्थ का एक अंग अवश्य है परन्तु धन और अर्थ एक ही नहीं है। अर्थ एक व्यापक धारणा है। वस्तुतः अर्थ से अभिप्राय है कि जीवन निर्वाह के लिये विधि–सम्मत उपक्रम करना तथा उसके माध्यम से साधनों व सामग्री को प्राप्त करना अतः अर्थ को हम दैविक मानव के जीवित रहने का उपक्रम कह सकते हैं। यह उपक्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिये तथा उसके आश्रतों के जीवन यापन के लिये भी आवश्यक हैं। इस लिये अर्थ मनुष्य का एक अनिवार्य कर्त्तव्य या पुरूषार्थ है। परिवार व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं को प्रेरित, निर्देशित और नियमित भी करता है। परिवार विहीन व्यक्ति के लिये जीवन इस लिये भी नीरस होता है कि उसकी आथिक उपलब्धियों को विनियोजित करने का उसे अवसर ही नहीं मिलता है जो कि एक गृहस्थ को मिलता है व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमताओं को निरंतर विकसित करने, धनोपार्जन, सम्पत्ति संचय, भौतिक संसाधों आदि का संचय इसलिये नहीं करता है कि वैयक्तिक रूप से उसका जीवन इस पर निर्भर करता है। वरन इसलिए कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके आश्रितों के लिये यह आवश्यक है। परिवार के सदस्यों के भविष्य की सुरक्षा के लिये प्रत्येक व्यक्ति विरासत में सम्पत्ति, भूमि, गृह संसाधन आदि हस्तांतरित करना आवश्यक समझता है। यदि गृहस्थी के साथ व्यक्ति की यह आर्थिक सम्बद्धता न होती तो वह भी सम्भवतः पशुओं के समान पेट भरने सम्बन्धी तात्कालिक आवश्यकता तथा अस्थाई आश्रय तक सीमित रहता। इसलिए अर्थ रूपी पुरूषार्थ की पूर्ति विवाह तथा परिवार के माध्यम से ही सम्पन्न होती है।

जितना बड़ा परिवार होगा व्यक्ति व परिवार के सदस्यों की आर्थिक अपेक्षायें आर्थिक क्रियायें धनोपार्जन, संचय आदि के लिये अभिप्रेरणा भी उतनी ही तीव्र होगी।1

धर्म को हिन्दू जीवन में सर्वोपरि महत्व दिया गया है। धर्म–विहीन अर्थ और काम निष्फल ही नहीं वरन् पापाचार होता है महाभारत के उधोग पर्व (124/34– 38) तथा शांति पर्व (167/8–9) के आधार पर यह विचार व्यक्त किया है कि धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरूषार्थो को व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करना चाहिये। यदि तीनों की प्राप्ति न हो सके तो उसे धर्म और अर्थ को प्राप्त करना चाहिये।

किन्तु यदि उसे केवल एक ही चुनना हो तो उसे धर्म का ही चुनाव करना चाहिये। इन तीनों में धर्म सर्वोच्च है: अर्थ माध्यम और काम की व्यवस्था भी धर्म पर आधारित है। मनुष्य का विचार हैं कि व्यक्ति को यद्यपि तीनों पुरूषार्थो को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये परन्तु यदि अर्थ और काम धर्म के प्रतिकूल हो तो उसे धर्म के लिये अर्थ और काम को त्याग देना चाहिये। विष्णु धर्म सूत्र तथा भागवत में भी धर्म को ही प्रधानता दी है। 2

धर्म के दो व्यवहारिक पक्ष या साधन हैं भक्ति और कर्म काण्ड। धर्म के कर्म काण्डीय पत्र की सिद्धी विवाह (एवं परिवार) के बिना संभव नहीं है। विशेषकर यज्ञों का सम्पादन पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता है। पत्नी विहीन पति यज्ञ करने के लिये सर्वथा अयोग्य (अयज्ञीय) होना है।

**"अयज्ञियौ वा एवं योड पत्नीकः।**

यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यज्ञों के सम्पादन की उपादेयता क्या है ? वस्तुतः यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ का अनिवार्य कर्त्तव्य माना गया है। यज्ञ के माध्यम में ही व्यक्ति स्वयं को बन्धु–बान्धवों समुदाय, समाज तथा प्रकृति में सतत् साहचर्य बना रहता है। इस दृष्टि से यह एक महान कार्य है, ऐसा अनवरत् जारी रहने वाला महान कार्य एकाकी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। पत्नी उसकी सहचरी, सहधर्मिणी होती है। इसलिये पत्नी के सहयोग के बिना न यज्ञ न ही कोई अन्य धार्मिक कार्य सफलता पूर्वक सम्पादित किया जा सकता है। इसी प्रकार परिवार के अन्य सदस्यो का आत्मिक, मानसिक, शारीरिक तथा भौतिक सहयोग भी आवश्यक होता है यहाँ सहज उत्पन्न इस जिज्ञासा कि यज्ञो का सम्पादन क्यों आवश्यक है? की पूर्ति के लिये ऋण सम्बन्धी

1. श्री सीताराम झा श्याम–भारतीय सामाज का स्वरूप ( पृष्ठ 61)
2. मनु स्मृति 5/56(3) जैन डा0 के .सी. पृष्ठ 88

आस्थाओं पर दृष्टिपात करना उपयुक्त होगा।

हिन्दू दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पाँच प्रकार के ऋणों से ऋणी रहता है, यह पाँच ऋण है देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण, अतिथि–ऋण, एवं मूतऋण। देवऋण से अभिप्राय वह ऋण है जो कि देवताओं के द्वारा प्रदत्त है। हम यह भली–भाँति जानते है कि समुदाय, समाज और प्रकृति से परे एकाकी मानव का जीवन सम्भव नहीं है, इसलिये ईश्वर ने व्यक्ति को जीवन देने के साथ ही उसके जीवन– निर्वाह की भी व्यवस्था की हैं। स्वजन, पशु–पक्षी, पेड़–पौधे, सूर्य–चन्द्र, अग्नि; जलवायु, पृथ्वी सब हमारे जीवन को आधार प्रदान करते है। हमें जीने योग्य दशायें प्रदान करते है, इसलिये ईश्वर ने हमारे लिये इस समस्त सृष्टि की रचना कर हमें उपकृत किया है, हम ईश्वर के इस अनुग्रह के लिये ऋणी हैं। यही देवऋण है।

ज्ञान मनुष्य का वैशिष्टय है, ज्ञान के कारण ही वह अन्य जीवधारियों से भिन्न है, परन्तु ज्ञान का एकांत में विकास सम्भव नही है, ज्ञान ईश्वरीय है, वह ईश्वरीय वाणी के रूप में, अपौरूषेय रूप में अवतरित हुआ; इसे प्राचीन ऋषि, मुनियों, विद्धानों ने ग्रहण किया तथा अपनी वाणी से संचारित किया, इस प्रकार उसके माध्यम से यह ज्ञान वाणी और श्रुति के रूप में प्रसारित हुआ, इसी प्रक्रिया में हमें संकलित किया गया लिपिबद्ध कर स्थायी बनाया गया तथा पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित किया गया, वेद और वेदों के विविध अंग इसी ज्ञान से संयुक्त हैं। इस ज्ञान के आधार पर ही समाज का दार्शनिक, व्यवस्थामूलक और व्यवहारिक पक्ष विकसित और स्थापित यह ज्ञान प्रत्येक के लिये ग्रहण करना आवश्यक है किन्तु यह गुरू की सहायता के बिना अर्जित करना सम्भव नहीं है, गुरू के इस दायित्व का निर्वाह ऋषि–मुनियों ने किया। ब्रहम्चर्य आश्रम में वह ब्रह्रम्चारियो को यही ज्ञान प्रदान कर उनका मानसिक व शारीरिक–विकास करने हेतु उन्हें पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के योग्य बनाते हैं। अतः ऋषियों (गुरूओं) की सहायता के बिना मानव केवल शरीरधारी हो सकता है विज्ञ व उत्तरदायी मनुष्य नहीं। इसलिये हमें इस योग्य बनाकर गुरूओं (ऋषियों) ने हमें ऋणी बनाया है। यह ऋषि–ऋण है, इसे ब्रहम्–ऋण भी कहते हैं। मानव शिशु शून्य में उत्पन्न नहीं होता है, पति–पत्नी के बीच संसर्ग के माध्यम से जीव की उत्पत्ति होती हैं। अतः हमें प्राप्त जन्म माता–पिता कगये अनुग्रह का परिणाम हैं। केवल जन्म देकर ही नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा पालन–पोषण, ज्ञानार्जन के योग्य सुविधायें व दशायें प्रदान कर हममें आर्थिक आत्मनिर्भरता विकसित कर तथा गृहस्थ कि स्थिति प्रदान कर हमें उपकृत किया है, उनके इस उपकार में पूर्वजो का भी योगदान है, अतः इस अनुग्रह के प्रति

प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिभावकों तथा पूर्वजों के प्रति ऋणी रहता है यही पितृ–ऋण है।

मानव के अतिरिक्त सृष्टि में जो कुछ है उसे मनीषियों ने भूत कहा है, पशु, पक्षी और वनस्पतियाँ मानव–जीवन को अनेक रूपों में आधार प्रदान करती है, सहायता करती है। इन्हीं के प्रति कृत्तयज्ञता व्यक्त करने के लिए भूत ऋण की धारणा विकसित की गई।

व्यक्तियों को भरण–पोषण में एक–दूसरे की सहायता करना चाहिये। ऋषि के आश्रम और ब्रहम्चारी के भरण–पोषण का कार्य समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त दान और सहायता पर निर्भर रहा है। अपंग, निराश्रित एंव अन्य असहाय स्वंय का भरण–पोषण नहीं कर सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष रूप में यह समाज पर निर्भर कर सकते है। इसका कोई अपवाद नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में तथा जीवन में कभी न कभी अन्यों की सहायता पर निर्भर होता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अहसास होना चाहिए, उपयन संस्कार में भिक्षाटन का विधान इस तथ्य की प्रतीति के लिए ही किया गया है। अतः समाज के द्वारा व्यक्ति को दी गई उपरोक्त प्रकारों की सहायता को समहेतु रूप में अतिथि ऋण कहा गया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर कथित पाँच ऋणों का भार रहता है, इन ऋणों से उरण हुए बिना धर्म का संपादन तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इन पाँच महायज्ञों–देव यज्ञ, पितृ–यज्ञ, ऋषि–यज्ञ, भूत–यज्ञ एंव अतिथि–यज्ञ का प्रावधान किया गया है।

मनुष्य के जीवन निर्वाह तथा सत्कर्म हेतु ईश्वर ने जो विभिन्न व्यवस्थाऐं की है जिनका उल्लेख देव ऋण के अन्तर्गत किया गया है,के अधिष्ठाता अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, सोम, धन्वन्तरी, पृथ्वी, विश्व देव आदि है। आपस्तम्व बौधायन, धर्म सूत्र एवं गौतम के अनुसार इन देवताओं के नामों का उच्चारण कर उन्हें स्मरण अग्नि में हवि देने से इन देवताओं के प्रति समर्पण तथा देवयज्ञ का सम्पादन होता है। यही विचार मनु का भी है। यज्ञ में हवि, होम करने का कार्य सपत्नीक किया जाना अनिवार्य है। एकाकी रूप में ये सम्भव नहीं है।

शतपथ ब्राह्मण, तेत्तिरीय अरण्यक, आपस्तम्ब, धर्म सूत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रतिदिन किया जाने वाला वेदाध्ययन, विद्याध्ययन ही ब्रह्म यज्ञ (ऋषि यज्ञ) है। ज्ञान–भण्डार को यथेष्ठ रूप में संरक्षित करना, उसमें अभिवृद्धि करना, आगामी पीढ़ी

---

1 आश्वत्वायन गृह्यसूत्र तथा संख्यान गृह्यसूत्र 3/4/6/16

को इसका हस्तान्तरण करना इस यज्ञ का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसे प्रातः काल एकांत में स्वाध्याय के द्वारा तथा तद्न्नतर बानप्रस्थाश्रम में ब्रह्मचारियों को दीक्षित कर सम्पन्न किया जाता है। 1

पितृ यज्ञ चार रूपों में सम्पादित होता है, विवाह कर पत्नी के माध्यम से प्रजनन के द्वारा पुरखों का तर्पण कर, प्रतिदिन भोजन का भोग पितरों को समर्पित कर । स्पष्ट है कि यह यज्ञ भी पत्नी के बिना सम्पन्न नहीं किया जा सकता है।

ऋषि देव, अथर्वेद्य तैतिरीय संहिता ब्राह्मण ऐत्तरेय–ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आपस्तम्ब, धर्म सूत्र पाराशर गृह्यसूत्र आदि में अतिथि का सत्कार कर भिक्षुक को यथायोग्य दान दे कर ब्रह्मचारी को भिक्षा दे कर अतिथि यज्ञ सम्पादित होता है।

आपस्तम्भ धर्मसूत्र, मनु और याज्ञवल्कर ने व्याख्या दी गई है कि गृहस्थ के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने पालित, अपपालित पशुओं, पक्षियों, जन्तुओं जाति से वहिष्कृतों, कोढ़ियों, चाण्डालो आदि के लिए अपनी योग्य सामग्री में से एक अंश पृथक कर प्रदान करें, यह भूत यज्ञ है, यह यज्ञ भी बिना पत्नी, परिवार के सम्पन्न नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त समस्त विवेचना यह भली–भाँति स्पष्ट करता है कि हिन्दू विवाह एवं परिवार विषद सामाजिक हित, सामाजिक कल्याण पर आधारित दार्शनिक धरातल पर स्थापित एक अनिवार्य एवं पवित्र संस्था है।

उन्मुक्त कामाचार की अवस्था में हम किसी व्यवस्थित व संघठित समाज की कल्पना नहीं कर सकते है।

## अध्ययन हेतु प्रयुक्त पद्धति

किसी भी अध्ययन की सफलता उस अध्ययन के लिये प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति पर निर्भर करती है, अध्ययन पद्धति वस्तुतः स्वयं में उस सम्पूर्ण प्रक्रिया को समाहित करती है, जिसके माध्यम से न केवल तथ्यो का संकलन और विश्लेषण किया जाता है, बल्कि विषय निर्धारण से लेकर, निष्कर्ष, निरूपण तक समस्त प्रक्रिया सन्निहित रहती है। प्रस्तुत अध्ययन समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अविवाहित रहने की प्रवृत्ति, भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक असामान्यता है, परन्तु वर्तमान में इस प्रवृत्ति मे निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसलिये ऐसा लगता है कि इसे एक सामाजिक समस्या मानने की अपेक्षा नवाचार के रूप में स्वीकार करना चाहिये। हिन्दू सामाजिक व्यवस्था एकाकी जीवन (चाहे वह स्त्री का हो अथवा पुरुष का) को अनुमति प्रदान नहीं करती है।हिन्दू दर्शन के अनुसार व्यक्ति परिवार के माध्यम से न केवल इहलौकिक सुख प्राप्त करता है,

बल्कि इसके माध्यम से यह अमरत्व का भी उपभोग करता है। इस संदर्भ में सतपथ ब्राह्मण (5/2/1/10) की यह पंक्तियाँ अवलोकनीय है। पत्नी निश्चय ही पति का आधा अंश है, अतः जब तक पुरूष–पत्नी प्राप्त नहीं करता, सन्तान नहीं उत्पन्न करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता, किन्तु जब पत्नी उपलब्ध करता है, सन्तान प्राप्त करता है तो वह पूर्ण बन जाता है।

## प्रस्तुत शोध समस्या की विवेचना परम्परा के संदर्भ में

आवश्यकतायें नैसर्गिक भी होती हैं तथा सामाजिक भी, नैसर्गिक आवश्यकतायें प्राकृतिक या ईश्वरीय प्रदत्त होती है, सामाजिक आवश्यकताओं का सृजन मानव ने स्वयं किया है। नैसर्गिक व सामाजिक आवश्यकतायें एक दूसरे से सर्वथा असम्बद्ध नहीं है, सत्य तो यह है कि इनमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। सामाजिक आवश्यकताओं का यदि हम नैसर्गिक आवश्यकताओं का पूरक कहे तो उचित होगा। सामाजिक आवश्यकताओं का विकास नैसर्गिक आवश्यकता के संदर्भ और उन्हें पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रकृति ने स्त्री व पुरूष में यौन–भावना दी है, इस उद्देश्य की पूर्ति समुदाय में बिना किसी संघर्ष के सुगमता से होती रहें, इसी दृष्टि से विवाह और परिवार संस्था का विकास हुआ है। इस प्रकार विवाह औार परिवार सम्बन्धी आवश्यकता, मानव प्रजाति की निरन्तरता संबन्धी नैसर्गिक आवश्यकता की पूरक आवश्यकता है। इस नैसर्गिक आवश्यकता की पूर्ति में सभी पुरूषों का योगदान होना चाहिये। इसीलिए परिवार व विवाह किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता न रह कर सभी की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में विवाह और परिवार सभी सामाजिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण है। यह संस्था मात्र मानव प्रजाति की निरन्तरता का नैसर्गिक कार्य ही नही करती है, बल्कि हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में मानव जीवन के पुरूषार्थों, धर्म, अर्थ,काम और मोक्ष का प्रावधान है, यह मान्यता रही है कि इन पुरूषार्थों की पूर्ति प्रत्येक हिन्दू के लिए अनिवार्य है। इन चार पुरूषार्थो में से तीन पुरूषार्थ, धर्म, काम और मोक्ष को विवाह और परिवार से प्रत्यक्षता सम्बन्धित माना गया

---

मनुस्मृति 3/70 ऋषिदेव 1/ 73 /1, 5/1/8 – 9, 5/4/5/7/42/4
अर्थवेद 9/6
तेतिरीय संहिता 1/2/10/11 ; तेतिरीय ब्राह्मण 2/1/3, एतरेय ब्राह्मण 2/5/5, शतपथ ब्राह्मण 2/1/4/2, आपस्तम्व धर्मसूत्र सहाय शिवस्वरूप पूर्वो पृष्ठ – 19

हैं। वास्तव में अर्थ पुरूषार्थ की पूर्ति ही बिना परिवार के नहीं हो सकती हैं, तथा परिवार विवाह के बिना स्थापित नही हो सकता हैं, इन चारों पुरूषार्थों की पूर्ति वही व्यक्ति कर सकता है जिसने विवाह किया है तथा परिवार स्थापित किया है एक हिन्दू के जन्म लेने का उद्देश्य आश्रम और वर्ण–व्यवस्था के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना निर्दिष्ट हैं, व्यक्ति आश्रम और वर्ण–व्यवस्था की प्रति पूर्ति पुरूषार्थों के माध्यम से करता है, तथा इसके लिए विवाह अनिवार्य है, इस प्रकार विवाह के बिना मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं है अर्थात यदि व्यक्ति का मोक्ष नही मिल सका तो वह बारम्बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नही हो सकता है। यहीं नहीं बल्कि बिना पत्नी या पति के कोई व्यक्ति किन्हीं भी धार्मिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकता है, यही कारण है कि प्रत्येक हिन्दू के लिए विवाह को अनिवार्य माना गया है। जीवन भर विवाह न करने वाले अथवा यथा समय विवाह न करने वाले व्यक्ति को समाज न केवल अतीत में बल्कि आज भी हेय दृष्टि से देखता है। अतीत में व्यक्ति पर समाज का प्रत्यक्ष और कठोर नियंत्रण था, इसलिये तब ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता था परन्तु आज सामाजिक–नियंत्रण के कमजोर पड़ जाने, वैयक्तिक स्वतंत्रता को प्रधानता देने, स्त्री –पुरूषों की समानता, वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार से बाहर रह कर भी पूर्ण कर सकने की सम्भावना तथा अत्याधिक पारिवारिक दायित्वों के बोझ आदि कारकों के कारण, स्त्री–पुरूषों में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। इस प्रकार रहना उपरोक्त विवेचनानुसार न केवल धर्म के विरूद्ध है,बल्कि समाज के प्रतिकूल भी है।

वर्तमान यद्यपि न तो आश्रम व्यवस्था का प्रचलन है, न ही वर्ण व्यवस्था का पुरूषार्थो के प्रति सामान्य जनचेतन नही है। परन्तु हिन्दू समाज में व्यक्ति जिन उद्देश्यों, अर्थ, काम,मोक्ष और वंश की निरन्तरता आदि से प्रेरित होकर इन व्यवस्थाओं का पालन करते थे, वे आज भी विद्धमान है। ऐसी स्थिति मे अविवाहित रहने मे बाधा उत्पन्न नहीं होती है।

## प्रस्तुत शोध समस्या की विवेचना व्यक्ति के संदर्भ में

जैसा कि पूर्व वर्ति विवरण में उल्लेख किया गया है, विवाह परिवार की स्थापना का माध्यम है। परिवार स्त्री–पुरूष के लिये यौन सन्तुष्टि की निरापद, सुगम और स्थाई व्यवस्था है। यही नही बल्कि परिवार व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार भोजन, वस्त्र और मकान के माध्यम से जहाँ शारीरिक सुरक्षा प्रदान

करता है, वहीं स्नेह, प्रेम, दया, त्याग, सहिष्णुता, समर्पण, सहयोग आदि के माध्यम से मानसिक शान्ति और सुरक्षा देता है। पति पत्नी अपना सुख–दुख समस्यायें, तनाव आदि एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर मनोवैज्ञानिक शान्ति और सुरक्षा अनुभव करते हैं। दिन भर थकावट भागम–भाग और तनाव के बाद व्यक्ति परिवार में ही शन्ति और विश्राम पाता है। अधिक कार्य करने, धन संचय, सम्पत्ति संचय, सुखमय जीवन निर्वाह करने की प्रेरणा व्यक्ति को परिवार से मिलती है, एकाकी व्यक्ति प्रायः इन सबके प्रति उदासीन रहता है। परिवार में रहकर ही व्यक्ति अपने मानव जीवन की सार्थकता को अनुभव करता हैं। परिवार में सन्तान उत्पन्न कर व्यक्ति सन्तान के माध्यम से अपनी अमरता की कल्पना करता है।

**यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम्।**
**कथे वाश्रमितः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम् ।।**
**यथा वायुं समात्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः।**
**तथा गृहस्थभाश्रित्य – वर्तन्ते सर्व आश्रमः।।**

अर्थात जैसे सब नदी नद समुद्र मे जाकर आश्रय पाते है, उसी प्रकार समस्त आश्रमों के लोग ग्रहस्थ आश्रम में आकर आश्रय पाते है। जैसे वायु का आश्रय लेकर सारे प्राणी जीवन पाते है। उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय लेकर सब आश्रम आचरण करते है।

परिवार में यथा सम्भव सब आवश्यकतायें पूर्ण होने, समस्त सुविधाये जुटा लेने, मानसिक शान्ति और सुरक्षा के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित रूप से विकसित होता है, जैसा व्यक्ति समाज व राष्ट्र का उत्तरदायी, सामान्य और संतुलित नागरिक होता है। इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होता है कि अविवाहित स्त्री व पुरूष इस दृष्टि से न केवल स्वयं के लिए समस्या होता है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीता है, जिसकी सार्थकता न तो उसके स्वयं के लिए होती है और न ही समाज के लिए।

## प्रस्तुत शोध समस्या की विवेचना सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में।

परिवार समाज की केन्द्रीय इकाई है। परिवार के माध्यम से व्यक्ति मानवोचित गुणों को ग्रहण करता है, तथा समाज के साथ तादात्मीकरण करता है, परिवार व्यक्ति

में परिस्थितियों के साथ सांमजस्य स्थापित करने की क्षमता का विकास करता है। परिवार मे रह कर ही व्यक्ति में वैयक्तिक और सामाजिक दायित्वों का बोध होता है। अन्यों की समस्याओं को समझना, उनसे सहानुभूति रखना, उन्हें सहयोग देना, दूसरो के लिए त्याग करना आदि गुणों का व्यक्ति में विकास करने में परिवार की अहम भूमिका है। अविवाहित स्त्री–पुरूषें मे प्रायः इन गुणों का अभाव होता है, वह प्रायः आत्म केन्द्रित असहिष्णु, कठोर और संयमी होते है। परिवार के कारण व्यक्ति वृद्धावस्था में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, स्वास्थ्य की देखभाल और अन्तिम संस्कार की निश्चिन्तता के प्रति पूर्णतः आश्वस्त रहता है। अविवाहित स्त्री–पुरूष वृद्धावस्था तथा अन्तिम संस्कार के प्रति अत्यन्त तनाव गृस्त रहते हैं।

विवाहित व्यक्ति अन्य परिवारों और समाज में सम्मान पाता है। अन्य परिवार तथा समाज विवाहित व्यक्ति को सर्वथा सामान्य मानकर पारिवारिक और सामाजिक कार्यो में उन्हें निःशक आमंत्रित करते हैं।

अविवाहित स्त्री–पुरूषों को भी आमंत्रित किया जाता है, परन्तु उस भावना से नहीं जिस भावना से विवाहित स्त्री–पुरूषों को आमंत्रित किया जाता है। ऐसे स्त्री–पुरूषों को सामान्यता अनुभवहीन मानकर पारिवारिक सामाजिक कार्यो मे उनका परामर्श भी प्रायः नही लिया जाता है। धार्मिक आयोजनो में तो प्रायः अविवाहित स्त्री–पुरूषो की उपेक्षा की जाती है।

उपरोक्त परिचयात्मक आलेख प्रकट करता है कि अविवाहित रहना एक असामान्य सामाजिक व्यवहार है। इस दृष्टि से यह एक साामाजिक समस्या है।

वर्तमान में अनेक कारणें से स्त्री –पुरूषों में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस परिप्रेक्ष्य में इस समस्या के कारणो, प्रभावों ओर परिणामों का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उपयोगी होगा।

## प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य

**इस शोध के पार्श्व मे मेरे कुछ उद्देश्य निम्नाकिंत है।**

1. यह पता करना की वे कौन सी वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक दशायें है, जो कि व्यक्ति को अविवाहित रहने के लिए, प्रेरित करती है। बाध्य करती है?
2. वैयक्तिक और सामाजिक दृष्टि से इस प्रवृत्ति के क्या प्रभाव संभाव्य है?
3. अविवाहित स्त्री–पुरूषो के प्रति समाज की क्या प्रतिक्रिया है?

4. अविवाहित रहने के कारण क्या स्त्री–पुरूष सामान्य जीवन का निर्वाह कर सकते है?
5. अविवाहित स्त्री–पुरूषों को किन समस्याओं और अनुभवों सामना करना पड़ता है?
6. विवाह और परिवार संस्था के प्रति अविवाहित स्त्री–परूषों का क्या दृष्टिकोण है?
7. अविवाहित रहने की प्रवृत्ति के कारण क्या विवाह और परिवार संस्था के भविष्य पर कोई संकट है?
8. अविवाहित रहने की प्रवृत्ति क्या किसी सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित कर रही है?
9. एक नवाचार के रूप में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति का क्या महत्व है?
10. अविवाहित रहने की प्रवृत्ति पारंपरिक हिन्दू सामाजिक व्यवस्था, जीवन दर्शन तथा आध्यात्मिक मूल्यों और लक्ष्यो के लिए क्या चुनौती है?

## प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राकल्पनायें

पूर्ववर्ती विवेचन और प्रस्तुत उद्देश्यों अविवाहित रहने की समस्या से संबंधित परिप्रेक्ष्य में इस अध्ययन से सम्बन्धित मेरी कुछ प्राकल्पनायें निम्नांकित है।

1. यह है कि कोई भी व्यक्ति स्त्री–पुरूष स्वेच्छा से अविवाहित रहना नही चाहता है।
2. पारिवारिक दायित्वों का भार अविवाहित रहने की प्रवृत्ति के लिये मुख्यतः उत्तरदायी कारक है।
3. यह कि परिवार के मुखिया की अक्षमता पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह के प्रति उसकी उदासीनता, परिवार के सदस्यों के विवाह के लिये यथा समय पहल न करना, अविवाहित रहने की प्रवृत्ति को प्रश्रय देता है।
4. आत्मविश्वास और पहल का अभाव अविवाहित रहने की भावना में सहायक होता है।
5. व्यक्ति ऐसी उच्च जीवन, मूल्यों और आदर्शो की कल्पना करते है, जिन्हें प्राप्त करना काल्पनिक होता है फलतः हताशा के कारण व्यक्ति (स्त्री–पुरूष) जीवन भर विवाह नही कर पाता है।
6. औद्योगीकरण, नगरीय, जनतंत्रात्मक व्यवस्था, व्यक्तिवादिता आदि के कारण व्यक्ति पर समुदाय, जाति व नातेदारो का प्रभाव और नियंत्रण घट रहा है। इससे व्यक्ति परम्पराओं के निर्वाह के प्रति उदासीन और अत्याधिक व्यक्तिवादी हो गये है। अविवाहित रहने की प्रकृति के लिए यह भी एक उत्तरदायी कारक है।
7. अविवाहित रहने की प्रवृत्ति को समाज एक असामान्यता मानता है, इसलिए अविवाहित रहने वाले व्यक्ति को समाज हेय दृष्टि से देखता है।
8. उपरोक्त (क्रमांक ७) कारण से ही अविवाहित स्त्री–पुरूष नातेदारों और मित्रों के

परिवारो से प्रायः कटे हुये रह कर एकाकी रहना पसंद करते है।

9. अविवाहित स्त्री–पुरूष अर्न्तमुखी होते है तथा शेष समाज और व्यक्तियों के लिये आलोचक होते है।
10. अविवाहित रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि के बावजूद इसका विवाह और परिवार संस्था पर निकट भविष्य में सांघातिक प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नही है।
11. इस प्रवृत्ति के कारण हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के भविष्य पर कोई संकट नही है।
12. यह प्रवृत्ति समाज में यौन अपराधों को बढ़ावा दे सकती है।
13. यह अविवाहित स्त्री–पुरूषो की वृद्धावस्था में देखभाल की दृष्टि से वृद्धाश्रमों की सार्थकता है तथा वृद्धाश्रम को एक सामाजिक संस्था के रूप मे सामाजिक स्वीकृति दी जाना आवश्यक है।
14. वर्तमान में विवाह करना एक स्वैच्छिक आचरण है इसलिये अविवाहित रहने की प्रवृत्ति पर समाज का नियंत्रण सम्भव नही है।

## अध्ययन क्षेत्र

अधिकतम वस्तुनिष्ठता,समरसता और निष्कर्षो की यथार्थता की दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन को केवल हिन्दु धर्मावलम्बी उन अविवाहित स्त्री–पुरूषो तक सीमित रखना भी अभिलक्षित है,जो कि विवाह की सामान्य आयु को पार कर चुके है। मान्य परम्पराओं और प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में 45 वर्ष की आयु प्रौढ़ता की सूचक है और इस आयु के अविवाहित स्त्री–पुरूषेां के विवाह की सम्भावनाऐं न्यून रहती है। इस दृष्टि से 45 वर्ष और इससे अधिक आयु के स्त्री–पुरूषों को ही निर्देशों मे सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

चूँकि इस समस्या से दो पक्ष स्त्रियाँ व पुरूष जुड़े हुये हैं। अतः इस समस्या के गहन अध्ययन और फल दायी परिणामों की दृष्टि से निदर्शो में अविवाहित स्त्रियों और पुरूषों को सम्मिलित करना अभिलक्षित है इस समस्या से जुड़ा हुआ एक तीसरा पक्ष भी है समाज परिवार समाज का प्रतिबिम्ब है,अतः इस समस्या से आज किस प्रकार सम्बन्धित है यह जानने के लियें परिवारो का अध्ययन भी आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन के लिये कुल 300 निर्देशनो का चयन किया गया। इन 300 निदर्शो में से 150 अविवाहित स्त्रियों और 150 अविवाहित पुरूषो का चयन किया गया। अध्ययन हेतु आवश्यक 300 निदर्श जनपद–जालौन की प्रत्येक तहसील मुख्यालय से

बराबर–बराबर लिये गये, इसलिए जनपद–जालौन की उरई, कोंच, कालपी, जालौन, माद्यौगढ़; तहसीलो से क्रमशः 60–60 निदर्शों का चयन करके कुल 300 निदर्शों का चयन किया गया। निदर्शों की खोज के लिये शासन के विभिन्न विभागो, बैंक, महाविद्यालयों में जाकर जानकारी प्राप्त की गई, इस प्रकार इन श्रोतों से निदर्शों की उपलब्धि प्रारम्भ हुयी तदंतर इन्हीं निदर्शों ने उनकी जानकारी के अनुसार अविवांछित स्त्री–पुरूषो की और जानकारी उपलब्ध करायी। निदर्शो की खोज करने मे छात्र–छात्राओं से भी पर्याप्त सहायता मिली, छात्र–छात्राओं ने ऐसे नातेदारो की, पड़ोसियो की और परिचितो की जानकारी दी जिनमें से उपयुक्त निदर्शो का चयन करना मेरे लिये सम्भव हुआ। इन स्रोतों से भी सभी आयु के अविवाहित स्त्री–पुरूषों की जानकारी प्राप्त हुई। उपलब्ध समस्त निदर्शो में से मैने केवल उन्ही निदर्शो का चयन किया जो 45 वर्ष की आयु पार कर चुके थे, जैसा कि पूर्व पृष्ठों पर दिये गये विवेचन में स्पष्ट किया गया है कि 45 वर्ष की आयु का निर्धारण इस मान्यता के आधार पर किया गया कि वे विवाह योग्य आयु पार कर चुके हैं और अब उनके विवाह की सम्भावना क्षीण हो गई है। अविवाहित रहने की प्रवृत्ति का सम्बन्ध चयनित न केवल अविवाहितों से है वल्कि इस सामाजिक घटना के साथ उनके अभिभावक, नाते–रिश्तेदार तथा परिचितों व मित्रों के परिवार भी संबंधित है, इसलिए इस सामाजिक घटना के सभी पक्षो का अध्ययन करने की दृष्टि से यह उपयुक्त समझा गया कि चयनित निदर्शो से संबंधित नातेदारों, मित्रों के परिवारों से भी जानकारी संकलित की जाये। इस दृष्टि से 150 निर्देश अविवाहित स्त्रियों के रूप में, 150 अविवाहित पुरूषों के रूप में और इनसे सम्बन्धित 150 परिवारों का चयन किया गया। विवाह योग्य आयु पार कर चुके अथवा अविवाहित रहने वाले पुरूषों और स्त्रियों का यद्यपि कोई लेखा–जोखा नहीं रखा जाता है, फिर भी उपरोक्त स्रोतों से अध्ययन के लिए पर्याप्त निदर्शो को प्राप्त करना सम्भव हुआ है।

## पारिभाषिक शब्दावली

### विवाहित :–

हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म दोनों ही विवाह को अत्याधिक महत्व देते हैं। हिन्दू धर्मानुार एक हिन्दू व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरूष का विवाहित होना अनिवार्य है, अगर ऐसा न हो तो वह अपने जीवन काल में धर्म के साथ–साथ अन्य बहुत सी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है।

विवाह न करने की अवस्था में व्यक्ति के असामान्य होना का भी अंदेशा बना रहता है। विवाहित वह व्यक्ति है जिसका है जन्म के परिवार के साथ–साथ अपना जनन का परिवार भी होता है, इस स्थिति को प्राप्त कर स्त्रियाँ एवं पुरूष अपने जीवन को सार्थक मानते है और जीवन काल में सुख पूर्वक गृहस्थ जीवन का उपभोग करते हुये अपना जीवन व्यतीत करते है।

हिन्दू धर्मानुसार व्यक्ति के जीवन के लिये चार आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम एवं वानप्रस्थ आश्रमों में से सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम को ही माना गया है। और इस आश्रम में प्रवेश करने के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपना विवाह कर परिवार के माध्यम से अपने गृहस्थ कार्यो का निर्वाहन करते हुये पिता के ऋणो से उन्मुक्त होने के साथ –साथ वंश वृद्धि मे भी समाज को अपना सहयोग प्रदान करे।

अर्थात सारांश में विवाहित से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियो से है "वह व्यक्ति (स्त्री और पुरूष) जिसका जन्म के परिवार के साथ –साथ अपना जनन का परिवार है (जिसे समाज ने धर्मानुसार मान्यता प्रदान की है) और जो सामाजिक नैतिकता का आचरण का पालन करते हुये तथा धर्म का पालन करते हुये आजीवन एक दूसरे के साथ रहते है वह पति–पत्नी कहलाते है तथा विवाहित कहलाते है।

## अविवाहित

हिन्दू धर्मानुसार विवाह की अनिवार्यता के साथ–साथ विवाह की उम्र का भी उल्लेख धर्म ग्रन्थों में किया गया हैं। प्राचीन धमे ग्रन्थ तो कहते है कि पुरूष के ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात् एवं कन्या का कन्यादान उसके रजस्वला होने के पहले ही करना चाहिये अन्यथा इसके पश्चात कन्यादान का कोई महत्व ही नही रह जाता है। हांलाकि आधुनिक युग में उम्र को चाहे उतना महत्व न दिया जाता हो लेकिन विवाह की अनिवार्यता एवं आवश्यकता को नकारा नही जा सकता है।

अतः कई बार इस कारण देर से या अधिक आयु में भी स्त्री और पुरूष विवाह कर लेते है क्योंकि अधिक उम्र में ही व्यक्ति को किसी न किसी साथ की कमी महसूस होती है, अधिक से अधिक 40–45 वर्ष की अवस्था तक के स्त्री और पुरूषो का विवाह करने का अन्देशा बना रहता है, लेंकिन इससे अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्ति बहुत ही

कम मिलते है जो कि इस आयु के पश्चात विवाह करे।

अतः अविवाहित से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिनका अपना जन्म का परिवार तो है लेकिन जनन का कोई परिवार नही है 40–45 वर्ष की आयु पार कर चुके वह व्यक्ति जिन्होंने कि विवाह नही किया है और जिनके विवाह की उम्मीद अतिक्षीण हो चुकी है ऐसे व्यक्ति अविवाहित कहलाते है।

समाज ऐसे व्यक्तियों को आदर व सम्मान की दृष्टि से नही देखता है व्यक्ति कि अनेक नैसर्गिक आवश्कताओं की पूर्ति विवाह सम्वन्धो या जनन के परिवार के माध्यम से होती है और अविवाहित व्यक्तियों की जब इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति नही होती है तो वह अनैतिक आचरण के माध्यम से अपनी यौनेच्छा व अन्य आवश्यकताओ की पूर्ति करना चाहते है जिससे समाज में अव्यवस्था का अन्देश बना रहता है।

अतः एक हिन्दू व्यक्ति के लिए धर्मानुसार व अन्य व्यक्तियेां के लिए समाज में अपनी प्रतिष्ठा, श्रेणी व स्थिति को बनाये रखने व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना एक अनिवार्य आवश्यकता माना जाता है।

एकाकी जीवन व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जन्म का परिवार, आजन्म उसके साथ नही चल सकता और न ही उसपर उसका उतना अधिकार होता है जितना की जनन के परिवार पर होता है। अतः अविवाहित का जीवन दुर्लभ हो जाता है। अतः इस प्रकार का निर्णय लेने से पहलें व्यक्ति को इन सब बातों पर गौर करते हुये इस बात का निर्णय लेना चाहिये।

सारांश में अविवाहित वह व्यक्ति है जो कि विवाह की आयु पार कर चुके है (40 से 45) और जिन्होंने विवाह न करने का निर्णय ले लिया है।

## नातेदारः–

नातेदारो से अभिप्राय ऐसे परिजनो व आत्मीय स्वजनो से है जो कि जन्म एवं जनन दोनों परिवारो के साथ संबंधो के कारण एक दूसरे से जुड़े हुये है विवाहित व्यक्तियों के नातेदार इस प्रकार दोनो पक्षो के होते है, लेकिन अविवाहित व्यक्तियो के नातेदार व सम्बंधी सिर्फ वह व्यक्ति होते है जो कि उनके जन्म के परिवार से सम्बंधित होते है जैसे –बुआ, मामा, मामी, काका, काकी इत्यादि। सामाजिक संबंधो के निर्वहन में नातेदारी व नातेदारों का विशेष स्थान होता है, इन्हीं संबंधो के कारण व्यक्ति सामाजीकरण की प्रक्रिया की और निंरतर अग्रसर होता है। विवाहित व्यक्ति का अपना एक जनन का

परिवार भी होता है हांलाकि नातेदारों की आवश्यकता तो व्यक्ति को दोनों ही अवस्था में पड़ती है, लेकिन अविवाहितों के लिए नातेदारों का होना एक अनिवार्यता बन जाती है, क्यों कि अकेलेपन से एकाकी उत्पन्न होता है उस एकाकी पन को दूर करने में नातेदारों एवं नातेदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों कि अविवाहित यह अनुभव करते हैं कि एकाकी रहते हुये न तो उनका जीवन सहज चल सकता है और न उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है इसलिए नातेदारों के साथ रहना उनकी विवशता है। हालाकि नातेदारों में रहते हुये भी अविवाहित मानसिक रूप से अपने आप को एकाकी महसूस करते हैं, लेकिन नातेदारों स्वजनों, प्रिजनों का जो समाज व व्यक्ति के लिये उपयोग या महत्व है उसे नकारा नहीं जा सकता है।

संक्षिप्त रूप में नातेदारी या नातेदारों से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्धों से है जो जन्म या जनन के परिवार के कारण सम्बन्धों की एक व्यवस्था में बंधे हुये है।

## परिवार :—

परिवार से तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जो कि व्यक्ति को आवृत किये हो अर्थात व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। स्त्री और पुरूष दोनों मिलकर परिवार की संरचना करते है। पति—पत्नी के संयुक्त होने और उनके माध्यम से परिवार की संरचना को हम लातिल्य के साथ इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे नदी के दो तट और उनके बीच प्रवाहित होने वाली नदियों दोनों तटों को नदी संयुक्त करती है उसी प्रकार दोनों तट संयुक्त होकर नदी को आकार प्रदान करते है, यही स्थिति स्त्री और पुरूष की है। नदी के दो तटों के समान पति और पत्नी तथा इन दोनों के बीच प्रवाह मान नदी परिवार है।

इसी परिप्रेक्ष्य में स्त्री और पुरूष के पारस्परिक सम्बन्धों की अनिवार्यता अनुभव की गई। यह सम्बन्ध तात्कालीन अथवा अस्थाई होने पर उन्मुक्त कामाचार और सामाजिक अव्यवस्था को आवश्यक रूप से उत्पन्न करेगा, यही कारण है कि सभी समाज स्त्री और पुरूष के पास्परिक सम्बन्धों को निश्चितता, स्थिरता और नियमबद्ध करने लिये किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था ही की गइे है। कतिपय समाजों में स्त्री—पुरूष के इस सम्बन्ध को धार्मिक संस्कार का स्वरूप दिया गया है तो कुछ में इसे संविदा माना गया है। कुछ समाजों में एक विवाह का प्रचलन है तो कुछ में बहुपति या बहुपत्नी विवाह का, अतः स्पष्ट है कि विवाह के माध्यम से स्त्री—पुरूष का संयुक्त होना,

परिवार गृहस्थी की स्थापना तथा दूसरे माध्यम से जीवन यापन सार्व भौमिक रूप से स्वीकृत एक सामाजिक व्यवस्था है, अतः स्पष्ट है कि एक स्त्री अथवा एक पुरूष एकाकी जीव के रूप में जन्म ग्रहण है परन्तु उसकी नियत एकाकी रहना नहीं है, वह स्त्री अथवा पुरूष समाज में प्रचलित विधि अनुसार निश्चित समय पर किसी न किसी जीवन साथी के साथ सम्बद्ध होता ही है। हिन्दू समाज में स्त्री–पुरूष के परस्पर सम्बन्धित होने और गृहस्थी की स्थापना को एक दैविक कार्य निरूपित किया गया है।

सभी सामाजिक संस्थाओं में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्राचीनतम, सामाजिक संस्था है। परिवार के आकार, प्रकार कार्य सम्बन्धों के स्वरूप अधिकार, कर्त्तव्य, स्थिति आदि।

## अध्ययन हेतु प्रयुक्त पद्धति

शोध केवल मात्र ज्ञान के नवीन धरातलों को ही उद्घाटित नहीं करता है, बल्कि शोध के माध्यम से प्राप्त, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान मानव प्रगति का आधार भी बनता है। सभी प्रकार के शोधों का लक्ष्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्य–कारण सम्बन्धों की विवेचना करते हुये यर्थाथ तक पहुँचना होता है। वैज्ञानिक पद्धति से किये गये व्यवस्थित शोध सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने में सहायक होते है। सामाजिक विघटन को रोकने के लिये उपाय सुझाते हैं। सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन और तदनुकूल लाभ प्राप्त करने में सहायता भी करते हैं। विवाह स्त्री–पुरूषों के बीच केवल मात्र यौन आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि यह व्यक्ति समुदाय और समाज के के अन्य अनेक महत्व पूर्ण प्रकार्यो को भी सम्पन्न करता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था की कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रर्याप्त कारण के उपेक्षा नहीं कर सकता है। अविवाहित रहना न केवल वैक्तिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुविधि प्रभाव डालने वाली एक घटना हैं। इसलिए इस अध्ययन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष अत्यन्त उपयोगी रहेगें, इस मूलभूत धारण को लेकर अध्ययन के वक्त पूरे समय इस तथ्य के प्रति जागरूक रहा गया कि वैज्ञानिक मापदण्डों के अनुकूल ही प्रस्तुत अध्ययन सम्पन्न किया जाये। इसलिए कल्पना, अनुमान या मिथ्या कथोपकथन से यथा सम्भव मुक्त रहकर तथ्यों को संकलित किया गया। अध्ययन पद्धति के अर्न्तगत अध्ययन के व्यस्थित आयोजन, प्रयुक्त विधियों तथा निष्कर्ष निरूपण तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया निहित होती है, जिस के अनुसार शोध कार्य का संगठन, तथ्यों की विवेचना तथा निष्कर्षो का निर्धारण किया जाता है। वस्तुतः अध

यन पद्धति से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसे कि एक अध्ययेता अपनी अध्ययन वस्तु के सम्बन्ध में तथागत निष्कर्ष निकालने के लिये उपयोग में लाता है।

निदर्शों से जानकारी प्राप्त करने में दो सम्भाविक उपागम हो सकते थे। प्रथम प्रश्नावली के माध्यम से तथ्यों का संकलन और द्वितीय अनुसूची की सहायता से साक्षात्कार। चूकिं प्रस्तुत अध्ययन व्यक्ति के जीवन के आन्तरिक पक्षों, भावनाओं, वेदनाओं और समस्याओं से सम्बन्धित हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नावली प्रविधि का उपयोग न करते हुये अनुसूची की सहायता से साक्षात्कार के द्वारा तथ्यो का संकलन किया जाये। प्रश्नावली का पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर अतिरंजित, मिथ्या और भावना में बहकर दे सकता है। प्रस्तुत अध्ययन चूकिं जैसा कि ऊपर कहा गया है वैयक्त्तिक जीवन के संवेदन शील पक्षों से सम्बन्धित है। इसलिए प्रश्नावली पद्धति का उपयोग करने पर यह आशंका फलीभूत होना अधिक सम्भव था। इसीलिए प्रश्नावली पद्धति को सर्वथा अस्वीकार करते हुये अनुसूची की सहायता से साक्षात्कार को माना गया।

अध्ययन कर्ता के परिचितों में से अविवाहित एक महिला और एक पुरूष का चयन कर एक तात्कालिक अनुसूची का निर्माण किया गया। तद्नन्तर उपलब्ध निदर्शों में से पाँच महिला और पाँच पुरूषों पर उसका प्रयोग करते हुये आवश्यक संशोधन कर अनुसूची को अन्तिम रूप दिया गया, यही प्रक्रिया 150 परिवारों से सम्बन्धित अध्ययन के लिये अनुसुची का निर्माण करते हुये अपनाई गई। इन परिवारों से जानकारी प्राप्त करने के लिये, उत्तरदाता के रूप में मुखिया की पत्नी का चयन किया गया, इसका कारण यह है कि पुरूषों की अपेक्षा महिलायें विवाह, परिवार, नातेदारी, रीति–रिवाज, प्रथा आदि के विषय में अधिक चेतन्य रहती हैं। इसलिए अपने परिचित अविवाहित महिलाओं और पुरूषों के विषय में उनका दृष्टिकोण तथा उनकी धारणायें अधिक महत्व रखतीं हैं ।

चयनित निदर्शों में से प्रत्येक के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क कर अनुसूची में निहित प्रत्येक प्रश्न से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर, स्वयं उत्तरदाता के द्वारा अंकित की गई है। इस प्रकार समस्त साक्षात्कार दाताओं से प्राप्त जानकारी को स्वयं के द्वारा सारणीयन किया गया है, तद्अनुकूल सारणियाँ बनाई गई, उनका विश्लेषण और विवेचना की गई और पूर्व निर्धारित अध्यायों के अनुसार उन्हें लिपिबद्ध किया गया।

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है अविवाहित रहना एक असामान्यता है। ऐसे व्यक्ति चाहे जितना बल देकर यह कहें, कि वे इसे असामान्य नहीं मानते हैं अथवा

विवाह न करने से उनके वैयक्तिक और सामाजिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, परन्तु यथार्थ में यह है कि वह जानते है, कि उनका यह कथन सत्य से परे है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति अर्न्तमुखी होते है। वे अविवाहित रहने के अपने इस आचरण से सम्बन्धित उत्तरदायी कारकों पर खुल कर चर्चा करना पसन्द नहीं करते है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन के लिये तथ्यों का संकलन करना एक दुष्कर कार्य था। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि तथ्यों के संकलन हेतु बनाई गई अनुसूची अत्यन्त विस्तृत थी, जिसके कि उत्तरदाता बचने का प्रयास करते थे। फिर भी बार–बार के सम्पर्क करने पर तथा उनका विश्वास अर्जित कर लेने पर साक्षात्कार अयोजित करना उतना कठिन नहीं रह गया। इस समस्या का निराकरण हो जाने पर दूसरी समस्या भी यथार्थ जानकारी को प्राप्त करना। इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि जब व्यक्ति सत्य को छुपाकर असत्य कथन करता है, तब उसके आचरण में कहीं न कहीं असामान्यता आ जाती है। ऐसे समय, समय–सूचकता, वाक्पटूता, ह्रास परिह्रास और कहीं–कहीं मर्यादित कुटिलता के साथ वास्तविक जानकारी को प्राप्त करने के लिये प्रयास किया गया, जिससे कि बहुसंख्यक प्रकरणों में सफलता प्राप्त हुई।

कतिपय उत्तरदाताओं ने इस आश्वासन पर सहयोग किया कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी तथा उनकी स्वयं की पहचान को गोपनीय रखा जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों के उपरान्त भी सत्य यह है कि यह अध्ययन विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण, निदर्शों के चयन उनसे सम्पर्क करना, उन्हें साक्षात्कार के लिये तैयार करना, उनसे साक्षात्कार लेना और उनसे सत्य जानकारी प्राप्त करना एक अत्यन्त कठिन कार्य रहा है। इसलिए सर्वेक्षण कार्य के लिये अधिक समय नियोजित हुआ है।

# वैयक्तिक-परिप्रेक्ष्य
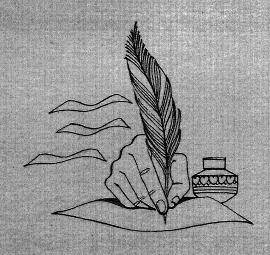
अध्याय 2

# वैयक्तिक : परिचय

प्रस्तुत अध्ययन उन महिलाओं एवं पुरूषों से सम्बन्धित है, जिन्होंने कि अविवाहित रहने का निर्णय ले लिया, या जो कि अब ऐसी आयु में पहुँच चुके है जिसमें विवाह होने कि संभावना नहीं है। इन महिलाओं व पुरूषों के लिए इस दृष्टि से 45 वर्ष को आयु सीमा, निम्नतम आयु सीमा मानी गई। भारतवर्ष में विवाह विषय परम्परा को दृष्टिगत रखते हुये यह आयु सीमा निश्चिय ही उस अवस्था को आदर्श रूप में व्यक्त करती है, जिसमें कि विवाह करने के इच्छुक महिलाओं; एवं पुरूषों का सामान्यतः विवाह हो जाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इस आयु के पश्चात विवाह हो ही नहीं सकता है, परन्तु जैसा कि ऊपर कहाँ गया है, परम्परा को दृष्टिगत रखते हुये इस आयु के पश्चात् विवाह की संभावनाएं क्षीण रहती है।

अविवाहित रहने की प्रवृत्ति अनेक वैयक्तिक दशाओं के साथ सम्बन्धित होती है, अतः प्रस्तुत अध्ययन में निदर्शो से सम्बन्धित वैयक्तिक जानकारी का संकलन किया गया। यह जानकारी विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से निम्नानुसार प्रेषित है।

उत्तरदाता महिलाओं एवं पुरूषों का आयु के आधार पर वर्गीकरण निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक – 1**

**उत्तरदाताओं का आयु अनुसार विवरण :**

| अ. क्र. | आयु समूह | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | 45 से 55 वर्ष | 102 | 132 | 68% | 88% |
| 2. | 55 से 65 वर्ष | 45 | 09 | 30% | 06% |
| 3. | 65 से 75 वर्ष | 03 | 06 | 04% | 04% |
| 4. | 75 वर्ष से अधिक | 00 | 03 | 00% | 02% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका में प्रेषित सांख्यिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आयु वृद्धि के साथ–साथ अविवाहित रहने वाली औंर पुरूषों की संख्या में भी क्रमिक कमी आई है।

## तालिका क्रमांक 1
## उत्तरदाताओं का आयु अनुसार वितरण :
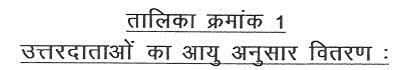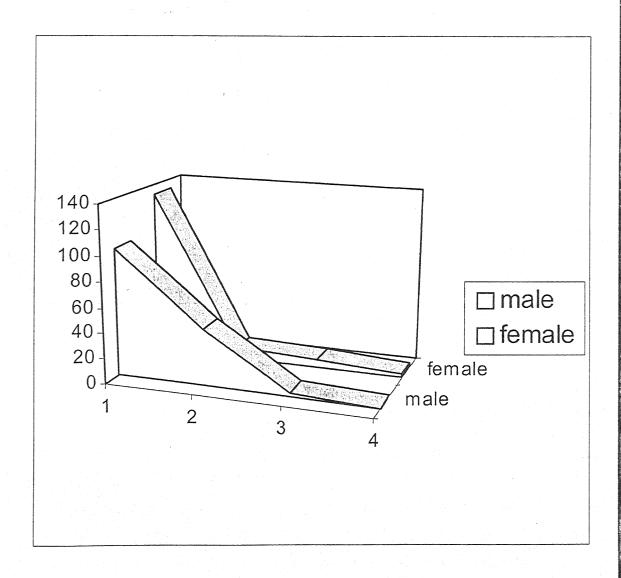


रेखा–चित्र क्रमांक 1

150 महिला उत्तरदाताओं में से 132 (88%) महिलाएं, 45 से 55 वर्ष की आयु समूह में है। इस आयु समूह में पुरूषों की संख्या 102 (68%) है। 55 वर्ष के आयु समूह में महिलाओं की संख्या 09 (06%) तथा पुरूषों की संख्या 45 (30%) है। 65 से 75 वर्ष के आयु समूह में महिलाएं 6 (04%) और पुरूष 3 (02%) है और इससे अधिक आयु समूह में महिलाओं की संख्या 3 (02%) व पुरूषों की संख्या शून्य है। अतः स्पष्ट है कि आयु सोपान में अविवाहित रहने वाली महिलाओं व पुरूषों की संख्या में क्रमिक कमी आई है।

इससे एक निष्कर्ष यह भी निरूपित होता है कि तुलनात्मक रूप के वर्तमान में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई है। 45 वर्ष से 75 वर्ष की आयु सीमा में 30 वर्ष का अन्तर है, जबकि 45 से 55 वर्ष की आयु सीमा में अविवाहित रहने वाली महिलाओं और पुरूषों की संख्या 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और पुरूषों की अपेक्षा अधिक है। एक और तथ्य इस तालिका से यह प्रकट हुआ है कि पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति अधिक पाई गई है। उपरोक्त तालिका में दिये गये भिन्न आयु समूह की महिलाओं की संख्या की तुलना उस आयु समुह के पुरूषों से करने पर प्रकट होता है कि 45 वर्ष से 55 वर्ष की आयु समूह में 132 महिलाएं अविवाहित है, जबकि पुरूषों की 102 है। इसी प्रकार 65 वर्ष से 75 वर्ष के आयु समूह में 6 महिलाएं अविवाहित है जबकि पुरूष केवल 3 इसी प्रकार 75 वर्ष से अधिक आयु की 3 महिलाएं अविवाहित है जबकि पुरूष एक भी नहीं। अतः यह तालिका निम्नांकित दो तथ्यों पर प्रकाश डालती है

1. अविवाहित रहने की प्रवृति, पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक है।
2. अविवाहित रहने की प्रवृत्ति में क्रमिक वृद्धि हुई है, यह वृद्धि भी पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक हो रही है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था जाति व्यवस्था पर आधारित है। सभी जातियों के हिन्दूओं के लिए विवाह की अनिवार्यता शास्त्र सम्मत है, इस सन्दर्भ में प्रस्तुत अध्ययन के पार्श्व में एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि, क्या अविवाहित रहने की प्रवृत्ति परोक्ष या अपरोक्ष रूप में जाति, व्यवस्था के साथ सम्बन्धित है। इस दृष्टि से अध्ययन में सम्मिलित 150 महिलाओं और 150 पुरूषों से उनकी जाति विषयंक जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक 2
## उत्तरदाताओं की जाति विषयक जानकारी,

| अ. क्र. | जाति | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | ब्राह्मण | 57 | 75 | 38% | 50% |
| 2. | क्षत्रिय | 33 | 36 | 22% | 24% |
| 3. | वैश्य | 54 | 29 | 36% | 19% |
| 4. | अ. जा. | 06 | 10 | 04% | 07% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका स्त्रियों के संन्दर्भ में इस ओर ध्यान आकर्षित करती है कि सर्वोक्षित 150 अविवाहित स्त्रियों में से 75 (50%) ब्राह्मण जाति की 36 (24%), क्षत्रिय जाति की 29 (19%), वैश्य जाति की और अनुसूचित जाति की आजीवन अविवाहित महिला उत्तरदाताएं 10 (07%) है।

पुरूषों में 57 (30%), ब्राह्मण जाति के 33 (22%), क्षत्रिय जाति के और 54 (36%), वैश्य जाति के है। शेष 6 (04%) अनुसूचित जाति के है।

उपरोक्त सांख्यिकी यह प्रकट करती है कि स्त्रियों में से बहुसंख्यक ब्राह्ममण जाति के सदस्य है। आगामी पृष्ठों पर व्यक्त किये अनुसार, इस प्रवृत्ति के लिए जहाँ दहेज प्रथा महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मणों का जातिगत काल, धार्मिक विधि विधानों का अनुपालन और अनुरक्षा रहा है। इसलिए स्त्रियों के द्वारा नौकरी करना ब्राह्मणों की दृष्टि में एक हेय कार्य है। इस प्रकार ब्राह्मण जाति की महिलाओं में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति अधिक होने के लिए न केवल दहेज प्रथा बल्कि जातिगत अंधविश्वास भी उत्तरदायी है। क्षत्रिय जाति की महिलाओं में अविवाहित रहने के लिये जहाँ अत्याधिक दहेज उत्तरदायी है वही यह जातिगत अह्म कि, महिला का कामकाजी होना पुरूष के आत्मसम्मान को चोट पहुँचाना है। इसलिए एक और तो क्षत्रिय जाति को जारी रखने के प्रतिद्वंदता और दूसरी और पुरूषों के द्वारा इसे अपने प्रतिष्ठा के विरूद्ध मानना उत्तरदायी है। यही स्थिति वैश्य जाति की महिलाओं के लिये भी लागू होती है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में अविवाहित रहने

की प्रवृत्ति का मुख्य कारण उत्तरदायी प्रतीत नहीं हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित 150 पुरूषों में से (57–38%) ब्राह्मण जाति के (54–36%) वैश्य जाति के और क्षत्रिय जाति के (33–22%) उत्तरदाता है। शेष 6 (4%) उत्तरदाता अनुसूचित जाति के है। अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं द्वारा यह व्यक्त किया गया है के अपने समकक्ष जीवन और उसका परिवार प्राप्त न होने के कारण उन्होने अविवाहित रहने का निर्णय के लिये इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी उत्तरदायी है। अतः महिलाओं के सन्दर्भ में जहाँ अविवाहित रहने के लिये, जाति–प्रथा भी अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी एक कारक है, वहाँ पुरूषों के सन्दर्भ में यह तथ्य लागू नहीं होता है।

इस विषय में कृपया निम्नांकित तालिका का अवलोकन करने का कष्ट करें।

**तालिका क्रमांक 3**

**अविवाहित रहने की प्रवृत्ति और जाति में सह सम्बन्ध**

| अ. क्र. | जाति सम्बन्धी कारक | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | जाति में दहेज बहुत अधिक देना पड़ता है। | — | 105 | — | 70% |
| 2. | नौकरी पेशा महिलाओं को जाति में हेय माना जाता है। | — | 129 | — | –86% |
| 3. | स्त्री का नौकरी करना जाति पुरूष अपनी प्रतिष्ठा के विरूद्ध मानते है। | — | 118 | — | –79% |
| 4. | जाति प्रथा उत्तरदायी नहीं है। | 144 | 07 | 96% | 05% |
| 5. | अन्य कारक भी उत्तरदायी है। | 150 | 129 | 100% | 86% |

उपरोक्त तालिका यह प्रतिवेदिन करती है कि महिलाओं में अविवाहित रहने की

प्रकृति के लिये अन्य कारकों के अतिरिक्त दहेज से सम्बन्धित समस्या, नौकरी–पेशा महिलाओं को हेय दृष्टि से देखना और पुरूषों का अहम् भी उत्तरदायी हैं। इसके विपरीत पुरूष उत्तरदाताओं में से 144 ( 96 %) पुरूषों ने उनके अविवाहित रहने के लिए जाति प्रथा को किसी भी रूप में उत्तरदाताओं ने नहीं बताया है केवल अनुजाति के 6 उत्तरदाताओं के द्वारा अपनी जाति में योग्य वधु न मिलना, उनके अविवाहित रहने के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित किया है।

ग्रामीण–समाज और नगरीय–समाज, भारतीय समाज के ही एक भाग मात्र होने के बाबजूद सामाजिक, सांस्कृति दृष्टि से अनेक भिन्नताएं रखते हैं। यह अन्तर दोनों क्षेत्रों के व्यक्तियों के व्यक्ति पर स्पष्टतः परिलक्षित होता है। ग्रामों में अभी भी परंनराओं, प्रथाओं, धार्मिक, विधि–विधानों तथा कर्म काण्डों के प्रति आस्था पायी जाती है। इस संदर्भ में यह जानना उपयुक्त समझा गया है कि अविवाहित रहने की प्रवृत्ति का क्या कोई संवंध ग्रामीण अथवा नगरीय रहवास से संबंधित है। सर्वेक्षण में सम्मिलित अविवाहित महिलाओं एवं पुरूषों के मूल–निवास संबंधि जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

**तालिका क्रमांक 4**

**उत्तरदाताओं के मूल–निवास विषयक जानकारी**

| अ. क्र. | मूल–निवास | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | नगरीय | 111 | 138 | 74% | 92% |
| 2. | ग्रामीण | 39 | 12 | 26% | 08% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका में प्रेषित सांख्यिकी भी इसी तथ्य को प्रकाशित करती है, अविवाहित रहने की प्रवृत्ति मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महिलाओं व पुरूषों की अपेक्षा मूलतः नगरीय क्षेत्र से सम्बद्ध महिलाओं और पुरूषों में अधिक पायी जाती है। 150 महिलाओं में से केवल 12 (8%) महिलाऐ मूलतः ग्रामीण क्षेत्र की है। शेष 138 (92%) नगरीय क्षेत्र से मूलतः संबद्ध है। इसी प्रकार 150 पुरूषों में से केवल 39 (26%) ग्रामीण क्षेत्र के तथा 111 (74%) मूलतः नगरीय क्षेत्र के निवासी है। इससे यह निरूपित

पुरूषों और महिलाओं में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं पुरूषों से अधिक पाई जाती है।

## उत्तरदाताओं के जन्म के परिवार–विषयक तथ्य

अविवाहित रहने वाले पुरूष और स्त्रियों का विवाह न होने कारण, उनका अपना जनन का तो कोई परिवार नहीं रहता है, परन्तु उनका जन्म का परिवार अवश्य ही होता है। इस परिवार में उनके अन्य नातेदार सम्मिलित रहते है। स्वयं अविवाहित होने के बावजूद, जन्म के इस परिवार के साथ, इनका सम्बन्ध बना रहता है। इसी प्रकार अभिभावक और भाई–बहिन तथा उनके परिवार के सदस्य भी अविवाहित नातेदार के साथ सम्बन्ध को किसी न किसी रूप में अवश्य बनाये रखते है, इस संदर्भ में उत्तरदाताओं के जन्म के परिवार के विषय में जानकारी प्राप्त की गई।

यह जानने का प्रयास किया गया कि उत्तरदातओं के माता–पिता वर्तमान में किसके साथ रह रहे है। प्राप्त जानकारी निम्नांकित तालिका में दी गई है।

### तालिका क्रमांक 5
### उत्तरदाताओं के माता–पिता के निवास विषयक जानकारी

| अ. क्र. | निवास स्थान | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | माता–पिता उत्तरदाता के साथ रह रहे है। | 99 | 42 | 66% | 28% |
| 2. | माता–पिता भाई के साथ रह रहे है। | 06 | 24 | 04% | 16% |
| 3. | माता–पिता अकेले रह रहे है। | 09 | 18 | 06% | 12% |
| 4. | माता–पिता परलोक वासी हो गये है। | 36 | 66 | 24% | 44% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका की साँख्यिकी यह प्रगट करती है 150 उत्तरदाताओं के अभिभावकों महिलाओं उत्तरदातओं में से 66 (44%) उत्तरदातओं के अभिभावकों की मृत्यु हो चुकी है, और 42 (28%) उत्तरदातओं के अभिभावक उत्तरदाताओं के साथ रहे है। इसके विपरीत 150 पुरूष उत्तरदातओं में से 36 (24%) के माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा 99 (66%) उत्तरदाताओं के साथ उनके माता–पिता रह रहे हैं। 24 (16%) महिला उत्तरदाताओं के माता–पिता अविवाहित लड़की के साथ न रहकर लड़को के साथ रह रहे है। 18 (12%) के माता–पिता पुत्र अथवा पुत्री के साथ न रहकर अकेले रह रहे है। जब हम इस साँख्यिकी की तुलना पुरूष उत्तरदाताओं के साथ करते है, तब पाते है कि 99 (66%) उत्तरदाता अविवाहित पुत्र के साथ, 06 (04%) के माता–पिता किसी अन्य पुत्र के साथ और केवल 9 (6%) उत्तरदाताओं के माता–पिता अकेले रह रहे है। तुलनात्मक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि अभिभावक अविवाहित लड़की के साथ रहने की अपेक्षा किसी लड़के के साथ, अथवा अकेल रहना अधिक पसंद करते है। किन्तु अविवाहित लड़के के साथ रहने को प्रायः प्राथमिकता देते है। अविवाहित लड़की के साथ न रहने के पार्श्व में लड़की के साथ जुड़ी हिन्दू मानसिकता उत्तरदायी प्रतीत हुई है। मानसिकता यह है कि कन्या को पराया धन माना जाता है और इसलिए कन्या की आय से या सम्पत्ति से जीवन–निर्वाह करना पाप–कर्म माना जाता है। भले ही लड़की अविवाहित रहने वाली क्यों न हो इसके विपरीत लड़को के विषय में मान्यता यह है कि लड़को का यह अनिवार्य कर्तव्य है, वह हर समय विशेषकर वृद्धावस्था में माता–पिता की देखभाल करें। अकेले रहना अनेक समस्याओं को जन्म देताा है फिर भी उपरोक्त मानसिकता के कारण ही, अविवाहित लड़कियों तक के साथ भी न रहने का निर्णय अभिभावक़ लेते है। यह तथ्य निम्नांकित–तालिका में दी गई साँख्यिकी स्पष्ट करती है।

## तालिका क्रमांक 6
## आविवाहित पुत्री के साथ
## माता/पिता के न रहने के लिए उत्तरदायी कारक

| अ. क्र. | उत्तरदायी कारक | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | लड़की को पराया धन मानने से उन पर आश्रित न रहने की भावना। | — | 22 | — | 15% |
| 2. | कोई आस्था नहीं है। | — | 42 | — | 28% |
| 3. | लड़को के यहाँ उन्हें अधिक सुविधायें प्राप्त हैं। | — | 02 | — | 01% |
| 4. | किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करते है। | — | 18 | — | 12% |
| 5. | माता–पिता दोनों ही परलोक वासी हो गये हैं। | — | 66 | — | 44% |
| | योग | — | 150 | — | 100 |

उपरोक्त साँख्यिकी यह सत्यापित करती है कि कन्या अकेली रहते हुए परेशानी का अनुभव क्यों न करती है, फिर भी उनके माता–पिता, उनके, साथ केवल इसलिए नहीं रहते है कि लड़की की कमाई या आय से जीवन–निर्वाह करना पाप कर्म है यह आस्था और इसी प्रकार की अन्य अनेक आस्थाएं किस प्रकार विकसित हुई, यह एक पृथक शोध का विषय है। प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में यह उल्लेख महत्वपूर्ण है कि माता–पिता कन्या विषयक पारम्परिक आस्थाओं के कारण अविवाहित लड़की के साथ रहना भी पसंद नहीं करते हैं।

पुरूष उत्तरदाताओं की स्थिति इस दृष्टि से भिन्न है, जिन उत्तरदाताओं के

माता–पिता जीवित है, उनमें से बहुसँख्यक अविवाहित पुत्रों के साथ रह रहे है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि शासकीय सेवारत अविवाहित उत्तरदाताओ में से अनेक ने अपना स्थानान्तरण, जहाँ माता–पिता रहते है वहाँ पर इस आधार पर करवाया है कि वृद्ध माता–पिता की देखभाल हेतु उनकी आवश्यकता है कुछ प्रकरणों में स्वयं माता–पिता ने भी इस आधार पर अविवाहित पुत्र स्थानान्तरण अपने पास करवाया है। इसके साथ यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि अविवाहित पुत्र के प्रति माता–पिता की चिन्ता उसके प्रति स्नेह और उसकी देखभाल की लालसा, अन्य पुत्रों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। कतिपय प्रकरणों में पिता और अविवाहित पुत्र सम्मिलित रूप से व्यापार करते है, अथवा पिता–पुत्र दोनों ही अशासकीय सेवा में है। अविवाहित पुरूष उत्तरदाताओं के माता–पिता के निवास विषयक जानकारी निम्नांकित तालिका में प्रेषित है।

**तालिका क्रमांक 7**
**अविवाहित पुरूष उत्तरदाताओं के**
**माता–पिता के निवास सम्बन्धी जानकारी**

| अ. क्र. | निवास | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | माता–पिता,माता–पिता उत्तरदाता के साथ रह रहे है। | 99 | — | 66% | — |
| 2. | माता–पिता,माता–पिता उत्तरदाता के भाई के साथ रह रहे है। | 06 | — | 04% | — |
| 3. | माता–पिता अकेले रह रहे है। | 09 | — | 06% | — |
| 4. | माता–पिता परलोक वासी हो गये है। | 36 | — | 24% | — |
| | योग | 150 | | 100 | |

तालिका में प्रेषित साँख्यिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 150 पुरूष उत्तरदाताओं में से (99–66%) के अभिभावक उनके साथ रह रहे हैं। 06 (04%) उत्तरदाताओं के अभिभावक उत्तरदाताओं के साथ न रहकर किसी अन्य पुत्र के साथ रह रहे है। 09 (06%) उत्तरदाताओं के अभिभावक उत्तरदाताओं के साथ न रहकर पृथक रह रहे है। शेष 36 (24%) उत्तरदाताओं के माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है, अतः यह तालिका भी ऊपर वर्णित तथ्य की यथार्थता को प्रकट करती है।

उपरोक्त संदर्भ में ही यह जानने का प्रयास भी किया गया कि क्या उत्तरदातओं के माता–पिता अथवा भाई बहिन उत्तरदाताओं के साथ रहकर उसी शहर में अन्यत्र रह रहे हैं। प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक 8**

**उत्तरदाता महिलाओं के उन नातेदारों की जानकारी जो उसी नगर में अन्यत्र रह रहे है।**

| अ. क्र. | नातेदार एवं उनके आवास संबंधी जानकारी | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | माता–पिता उसी नगर में अन्यत्र रहते है। | 03 | 02% |
| 2. | भाई उसी नगर में अन्यत्र रहते है। | 06 | 04% |
| 3. | माता–पिता का स्वर्गवास हो गया है। | 66 | 44% |
| 4. | कोई नातेदार उस नगर में अन्यत्र नहीं रहता है। | 33 | 22% |
| 5. | उसी शहर में उत्तरदाता के साथ ही रह रहे है। | 42 | 28% |
| | योग | 150 | 100 |

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि 3 (2%) महिला उत्तरदाताओं के माता–पिता उसी नगर में रहने के बावजूद उनके साथ नहीं रहते है। इसी प्रकार 06 (4%) उत्तरदाताओं के भाई उसी नगर में परन्तु प्रथक रहते है। माता–पिता अथवा भाई उनके साथ क्यों नहीं करते है, इस विषय में उत्तरदाता महिलाओं के द्वारा निम्नांकित जानकारी दी गई।

## तालिका क्रमांक 9

## उत्तरदाता महिलाओं के उन नातेदारों के उनके साथ न रहकर उसी नगर में अन्यत्र रहने के कारण।

| अ. क्र. | कारण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | साथ रहने से कलह होती है। | 01 | 01% |
| 2. | साथ रहने से प्रर्याप्त स्वतन्त्रता नहीं मिलती है। | 02 | 01% |
| 3. | साथ रहने से अन्यो की देखभाल का दायित्व भी निभाना पड़ता है। | 06 | 04% |
| 4. | माता–पिता का स्वर्गवास हो गया हैं। | 66 | 44% |
| 5. | कोई नातेदार उस नगर में अन्यत्र नहीं रहता है। | 33 | 22% |
| 6. | उसी शहर में उत्तरदाताओं के साथ ही रह रह हैं। | 42 | 28% |
| | योग | 150 | 100 |

उपरोक्त विश्लेषण से यह विदित होता है कि कतिपय महिला उत्तरदाता अपने अभिभावकों के साथ अथवा भाई के साथ रहना पसंद नहीं करती है, उनके द्वारा इस हेतु प्रगट किये गये कारणों में महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे अन्य नातेदारों और उनके परिवार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दायित्व का वहन करने के लिए तैयार नहीं है। 2 (1%) उत्तरदाता प्रतिवेदित करती है कि उन्हें जितनी स्वतन्त्रता की आवश्यकता है, वह उन्हें किसी अन्य के साथ रहने पर नहीं मिलती हैं। 1 (1%) उत्तरदाता का कथन है कि उन्हें कलहपूर्ण वातावरण पसंद नहीं है और साथ रहने पर कलह होना स्वाभाविक है। उत्तरदाताओं के साथ माता–पिता के अतिरिक्त रह रहे अन्य नातेदारों का विवरण तालिका क्रमांक 74 में दिया गया है।

पुरूष उत्तरदाताओं के संदर्भ में भी यह जानने का प्रयत्न किया गया कि, क्या उनके अभिभावक अथवा भाई–बहिन उसी नगर में उनके साथ न रहकर अन्यत्र रहते है। इस विषय में प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक 10
## उत्तरदाता पुरूषों के नातेदारों की जानकारी जो उसी नगर में अन्यत्र रह रहे है।

| अ. क्र. | नातेदार एवं उनके आवास सम्बन्धी जानकारी | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | माता–पिता उसी नगर में अन्यत्र रहते है। | 00 | 00% |
| 2. | भाई उसी नगर में अन्यत्र रहते है। | 03 | 02% |
| 3. | विवाहित बहिन अन्यत्र रहती है। | 05 | 03% |
| 4. | माता–पिता का रूवर्गवास हो चुका है। | 36 | 24% |
| 5. | कोई नातेदार उस नगर में यन्यत्र नहीं रहता है। | 05 | 04% |
| 6. | माता–पिता उसी शहर में उत्तरदाता के साथ रह रह रहे हैं। | 99 | 66% |
| 7. | उसी शहर में अन्य नातेदार उत्तरदाताओं के साथ रह रहे है। | 02 | 01% |
| | योग | 150 | 100 |

उपरोक्त तालिका के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय परम्परा के अनुसार माता–पिता ही नहीं बल्कि भाई भी अपनी बहिन से किसी भी रूप में कोई अपेक्षा नहीं रखते है। इसके विपरीत आवश्यकतानुसार वे ही बहिन को सहायता करते है। इसी लिए उपरोक्त तालिका अनुसार 5 (3%) उत्तरदाताओं की विवाहित बहिन उसी नगर में रहने के बावजूद उत्तरदाता के उनके साथ नहीं रहते है। 3 (2%) उत्तरदाताओं ने प्रतिवेदित किया है कि उनके भाई उसी नगर में रहते है, परन्तु वे साथ में नहीं है। इसके लिए उत्तरदायी कारक जिनका उल्लेख आगामी अध्याय में किया गया है जिसमें से महत्वपूर्ण है विचारों का साम्य न होना तथा कलहपूर्ण वातावरण से बचना उत्तरदाताओं के साथ माता–पिता के अतिरिक्त रह रहे है अन्य नातेदारों का विवरण तालिका क्रमांक 74 में है। प्रायः यह देखा गया है कि सबसे बड़ा पुत्र अथवा पुत्री अपने माता–पिता के दायित्वों के निर्वाह में सहगामी बनने के प्रति अधिक जागरूक रहते है इसी प्रकार एक आम धारणा यह भी है कि सबसे छोटे पुत्र अथवा पुत्री के विवाह की

आयु तक अन्य भाई बहिन अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों इतने अधिक व्यस्त हो जाते है कि वह अपने सबसे छोटे भाई अथवा बहिन के लिए जीवन साथी खोजने की ओर ध्यान नहीं दे पाते है, वृद्ध माता–पिता स्वयं वृद्धावस्था के कारण पहल नहीं कर पाते है और सबसे छोटे पुत्र अथवा पुत्री की विवाह योग्य आयु निकल जाती है। इसी संदर्भ मे यह जानने का प्रयास किया गया है कि सर्वेक्षण में सम्मिलित अविवाहित उत्तरदाता के आयु अनुसार भाई–बहिनों के बीच अनुक्रम कौन सा है। प्राप्त जानकारी निम्नांकित तालिका में प्रेषित है।

**तालिका क्रमांक 11**
**उत्तरदाता का आयु अनुसार**
**अपने भाई–बहिनों के बीच अनुक्रम**

| अ. क्र. | अनुक्रम | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | पहला | 69 | 51 | 46% | 34% |
| 2. | दूसरा | 54 | 33 | 36% | 22% |
| 3. | तीसरा | 15 | 36 | 10% | 24% |
| 4. | चौथा | 03 | 09 | 02% | 06% |
| 5. | पाँचवा | 06 | 12 | 02% | 08% |
| 6. | छठा | 03 | 09 | 02% | 06% |
| | योग | 150 | 100 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह विदित होता है कि 150 महिला उत्तरदातओं में 51 (34%) उत्तरदाता अपने भाई बहिनों मे सबसे बड़ी, 33 (22%) दूसरे क्रम पर है इसी प्रकार 150 उत्तरदाता पुरूषों में से 69 (46%) सबसे बड़े, 54 (36%) द्वितीय क्रम पर है अतः दोनों ही प्रकरणों में यह स्पष्ट होता है कि आयु में बड़े होने के कारण अभिभावकों के दायित्वों के निर्वाह में, सहयोगी बनने सम्बन्धी भावना, अविवाहित रहने के लिए उत्तरदायी है इसी प्रकार 9 (6%) उत्तरदाता महिलायें अपने परिवार में सबसे छोटी है। 3 (2%) उत्तरदाता पुरूषों की अपने परिवार में यही स्थिति है। अतः सबसे

छोटे होने के कारण अन्यों की अपेक्षावृत्ति अविवाहित रहने के लियें एक कारण है। इन कारणों सम्बन्धी जानकारी आगामी अध्याय में यथास्थान पृथक से प्रेषित की गई हैं उत्तरदाताओं के संबंध में यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि उनके अभिभावकों का परिवार वस्तुतः संयुक्त है अथवा एकाकी प्राप्त जानकारी इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक 12**
**उत्तरदाताओं के अभिभावक**
**जिस परिवार में रहते है उसका स्वरूप**

| अ. क्र. | परिवार का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | संयुक्त | 51 | 66 | 34% | 44% |
| 2. | एकांकी | 99 | 84 | 66% | 56% |
| | योग | 150 | 100 | 100 | 100 |

साँख्यिकी यह व्यक्त करती है कि 84 (56%) महिला उत्तरदाता और 99 (66%) पुरूष उत्तररदाताओं के अभिभावक जिस परिवार में रहते है वह संयुक्त न होकर एकाकी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि संयुक्त परिवार लड़के/लड़कियों के विवाह के प्रति अधिक सचेत रहते है इसलिए इन परिवारों में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से कम है।

## उत्तरदाता का व्यवसाय व आर्थिक स्थिति

सर्वेक्षण में सम्मिलित सभी उत्तरदाता आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है। वस्तुतः जीवन निर्वाह के लिए किसी न किसी प्रकार का उपक्रम एक अनिवार्यता है। इस संदर्भ में महिलाओं और पुरूषों के मामले में, मुख्य अन्तर यह है कि भारतीय समाज में आजीविका अर्पित करना पुरूषों का कर्त्तव्य माना जाता है, तथा घर–गृहस्थी की साज संभाल औरीगृह कार्य महिलाओं का। अभी भी भारत में कार्यकारी महिलाओं की संख्या कम है। 60 से दशक तक महिलाओं का नौकरी करना हेय दृष्टि से देखा जाता था, जो महिलायें तब नौकरी करती थी उनके विषय में यह भांति होती थी कि वे किसी दुर्भाग्य

से पीड़ित हैं। अभी भी यद्यपि कार्यकारी महिलाओं का प्रतिशत बड़ा है परन्तु इस अवस्था का विकास नहीं हो पाया है कि नौकरी करना महिलाओ के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि पुरूषों के लिए अंधविश्वासी और परम्परावादी अभी भी इस मिथ्या अहम् से ग्रस्त है कि घर चलाने के लिए महिलाओ का आजीविका अर्पित करना उस परिवार के पुरूषों का निकम्मापन है। इसी प्रकार नौकरी की दृष्टि से स्थान सम्बन्धी गतिशीलता का भी महिलाओं में अभाव पाया जाता है आगामी अध्याय में अविवाहित रहने सम्बन्धी कारणों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। उसमें यह भी तथ्य स्पष्ट हुआ है कि महिलाओं का कामकाजी होना उनके विवाह में बाधक रहा है।

जैसा कि उल्लेख किया गया हे कि सर्वेक्षण में सम्मिलित महिला व पुरूष उत्तरदाता जीवन–निर्वाह हेतु किसी न किसी प्रकार का उपक्रम अवश्य ही करते हैं। इस संदर्भ में विशेषकर अविवाहित रहने वाली महिलाओं के संदर्भ में, यह जानने का प्रयास किया गया कि वे किस आयु से आजीविका अर्जन का कार्य कर रहीं हैं। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक 13**

**उत्तरदाताओं के द्वारा आजीवका**

**अर्जन प्रारम्भ करने की आयु सम्बन्धी विवरण।**

| अ. क्र. | आयु समूह | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | 20 वर्ष से कम | 24 | 12 | 16% | 0.8% |
| 2. | 20 से 25 वर्ष | 93 | 88 | 62% | 59% |
| 3. | 25 वर्ष से 30 वर्ष | 24 | 44 | 16% | 29% |
| 4. | 30 वर्ष से अधिक | 09 | 06 | 06% | 04% |
| | योग | 150 | 100 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका में दी गई साँख्यिकी अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि बहुसंख्यक महिला उत्तरदाताओं ने 25 वर्ष की आयु तक नौकरी प्राप्त कर ली थी। 150

महिला उत्तरदाताओं में से 12 (8%) महिलाओं ने 20 वर्ष से कम आयु में ही नौकरी करना प्रारंभ कर दिया था। 88 (59%) ने 20 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के बीच नौकरी करना प्रारंभ किया 25 वर्ष से 30 वर्ष की आयु में जीवन निर्वाह हेतु उपक्रम प्रारंभ करने वाली महिलाओं की सँख्या 44 (29%) हैं। 30 वर्ष की आयु के उपरांत आजीविका अर्जन करने वाली महिलाओं की स्थिति 6 (4%) है। इस प्रकार बहुसँख्यक उत्तरदाता महिलाओं ने 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जीवन निर्वाह हेतु किसी न किसी प्रकार का उपक्रम प्रारंभ कर दिया था।

पुरूष उत्तरदातओं ने किस आयु में जीवन निर्वाह हेतु उपक्रम प्रारंभ किया यह महत्व पूर्ण नहीं है, इसका कारण यह है कि सामान्य पुरूष के लिए आजीविका अर्जन करना एक अनिवार्यता है इस क्षेत्र में काफी प्रतिस्पर्धा होने के कारण शीघ्र अथवा विलंब से नौकरी या व्यवसाय करना समय व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका प्रभाव लड़की के विवाह पर नहीं पड़ता है, प्रायः यह देखा गया है कि लड़की के अभिभावक कामकाज न करने वाले लड़के के साथ भी अपनी लड़की का विवाह यह सोच कर देते है कि कभी न कभी लड़का आय अर्जित करेगा, फिर भी उत्तरदाता पुरूषों ने किस आयु में आय अर्जित करना प्रारंभ किया, इस विषयक संकलित तथ्यो से यह विदित होता है कि बहुसँख्यक उत्तरदातओं ने 30 वर्ष की आयु तक आजीविका अर्जित करना प्रारंभ कर दिया था। 24 (16%) उत्तरदाताओं ने 20 वर्ष से कम आयु में 93 (62%) ने 20 वर्ष से 25 वर्ष की आयु में और 24 (16%) ने 25 से 30 वर्ष की आयु में नौकरी या व्यवसाय प्रारंभ कर दिया था। 9 (6%) उत्तरदाता 30 वर्ष की आयु तक अभिभावकों अथवा अन्य भाईयों के साथ व्यापार व्यवसाय करते रहे और 30 वर्ष की आयु के पश्चात् उन्होंने स्वतन्त्र रूप से व्यवसाय प्रारंभ किया।

जीवन एक लम्बी प्रक्रिया है, जीवन निर्वाह के लिए किसी न किसी उपक्रम को करना आवश्यक होता है। भारतीय परम्परा में आजीविका अर्जित करना पुरूषों का कार्य क्षेत्र माना गया है स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी तक सीमित रहता है। स्त्रियों के भरण–पोषण का दायित्व पुरूष का ही माना गया है। विवाहित कामकाजी महिलायें आजीविका के माध्यम से पारिवारिक आय में वृद्धि करती है तथा पारिवारिक जीवन स्तर को उन्नत करने और परिवार करे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करती है। विवाहित कामकाजी महिलाओं का अर्थोपार्जन यही महत्व रखता है न कि परिवार का भरण–पोषण करने का, विवाहित पुरूष भी आजीविका परिवार और आश्रितों

के भरण–पोषण का दायित्व निभाते हैं। इस दृष्टि से अविवाहित महिलाओं की स्थिति भिन्न है। अविवाहित महिलाओं को संबंध प्रदान करने वाला आधार अर्थात् पति अनुपस्थित रहता है। भारतीय परम्परा के अनुसार अभिभावक लड़की के विवाह तक उसका भरण–पोषण करना अपना दायित्व मानते है और विवाह के बाद यह दायित्व पति का हो जाता है। अविवाहित महिलायें इस रूप में अभिभावकों की मृत्यु के पश्चात असहाय हो जाती है अथवा भाई व उसके परिवार पर आश्रित बन जाती है यह स्थिति उनके लिए सम्मानजनक नहीं होती है। इसलिये अविवाहित रहने वाली सामान्य स्त्रियाँ जीवन निर्वाह की दृष्टि से किसी प्रकार की आजीविका अर्जित–निर्भर देखी गई है। इसी प्रकार अविवाहित पुरूष भी किसी न किसी प्रकार से जीवीकोपार्जन करते हैं।

उत्तरदाताओं से उनके द्वारा जीवन–निर्वाह के लिए किये जाने वाले उपक्रम के बिषय में जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी निम्नांकित तालिका में संकलित की गई है।

**तालिका क्रमांक 14**

**उत्तरदाताओं के जीवन–निर्वाह के उपक्रम**

| अ. क्र. | आयु समूह | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | राजपत्रित अधिकारी | 33 | 21 | 22% | 14% |
| 2. | अराजपत्रित कर्मचारी–अधिकारी | 42 | 57 | 28% | 38% |
| 3. | अशासकीय अधिकारी | 15 | 00 | 10% | 00% |
| 4. | अशासकीय कर्मचारी | 12 | 63 | 08% | 42% |
| 5. | आयकर दाता व्यापारी | 06 | 00 | 04% | 00% |
| 6. | सामान्य व्यापारी | 42 | 09 | 28% | 06% |
| | योग | 150 | 100 | 100 | 100 |

तालिका में दी गई साँख्यिकी यह स्पष्ट करती है कि अविवाहित महिलायें एवं पुरूष जीवन–निर्वाह के लिए किसी एक या विशिष्ट उपक्रम पर निर्भर न करते हुए विभिन्न व्यवसायों में रत हैं। 150 महिला उत्तरदाताओं में से 21 (14%) उत्तरदाता

## तालिका क्रमांक 14
## उत्तरदाताओं के जीवन-निर्वाह के उपक्रम
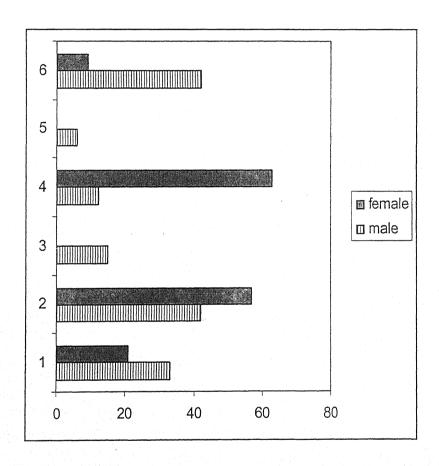
रेखा-चित्र क्रमांक 2

राजपत्रिक अधिकारी है। 57 (38%) अराजपत्रिक अधिकारी हैं। 63 (42%) अशासकीय कर्मचारी है तथा 9 (6%) उत्तरदाता व्यापार–व्यवशाय (लघु–उद्योग) के माध्यम से आजीविका अर्जित करती हैं । 150 पुरूष उत्तरदाताओं में से 33 (22%) राजपत्रिक अध्किारी, 42 (28%) अशासकीय अधिकारी, 12 (8%) अशासकीय कर्मचारी 42 (28%) सामान्य व्यापारी, 15 (10%) अशासकीय अधिकारी और 6 (4%) आयकर दाता व्यापारी हैं।

उत्तरदाताओं से उनकी आय बिषयक जानकारी प्राप्त की गई जानकारी निम्नानुसार हैं।

**तालिका क्रमांक 15**

**उत्तरदाताओं की मासिक आय**

| अ. क्र. | आयु समूह | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | 1500 रू. से कम | 05 | 02 | 03% | 00% |
| 2. | 1500 से 3000 | 20 | 40 | 14% | 27% |
| 3. | 3000 से 4500 | 37 | 40 | 14% | 27% |
| 4. | 4500 से 6000 | 62 | 37 | 41% | 24% |
| 5. | 6000 से 7500 | 26 | 31 | 18% | 21% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 150 महिला उत्तरदाताओं में से 02 (1%) उत्तरदाताओं की आय रू.1500 प्रतिमाह से कम है। इन महिलाओं में प्रायः वे महिलायें सम्मिलित है जो अशासकीय कर्मचारी है। इस श्रेणी में पुरूषों की संख्या केवल 05 (3%) है। रू.1500 से 3000 तक मासिक आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या सर्वाधिक 40 (27%) है रू. 3000 से 4500 रू. प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या इतनी ही है। 4500 से 6000 तक 37 (24%) और 6000 से अधिक आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 31 अर्थात् (21%) हैं। इस आय समूह में पुरूषों की संख्या 26 (28%) तथा रू. 4500 से रू. 6000 आय समूह के अन्तर्गत आने वाले पुरूषों की संख्या 62 (41%) है। इस तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अविवाहित रहने

वाली बहुसंख्यक महिलायें मध्यम श्रेणी की प्राप्त करती है जबकि इससे उच्च आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 40 (27%) है। इाके विपरीत रू. 4500 तक आय प्राप्त करने वाले अविवाहित पुरूषों की संख्या 37 (24%) है और 4500 से अधिक आय प्राप्त करने वाले पुरूषों की संख्या 62 ( 41% ) है । महिलाओं और पुरूषों की आय संबंधी इस विवरण के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अविवाहित रहने वाले पुरूषों की स्थिति अविवाहित रहने वाली स्त्रियों की तुलना में अधिक अच्छी है। इस अन्तर के लिए उत्तरदायी कारकों में महत्वपूर्ण है स्त्रियों में स्थान संबंधी गतिशीलता का कम होना प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति कम होना तथा अभिभावकों व अन्य नातेदारों के साथ रहते हुए सुरक्षा अनुभव करना, इसके विपरीत अविवाहित रहने वाले पुरूषों में स्थान संबंधी गतिशीलता होती है, साथ ही प्रतिस्पर्द्धा की प्रवृति भी अधिक रहती है।

उच्च आर्थिक स्थिति का एक मापदण्ड आयकर दाता होना भी है। उत्तरदाता महिलाओं व पुरूषों का इस विषयक विवरण इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक 16**

**आयकर के भुगतान की पात्रता**

**के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण**

| अ. क्र. | आयु समूह | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | आयकर देते है | 87 | 27 | 58% | 18% |
| 2. | आयकर नहीं देते हैं। | 63 | 123 | 42% | 82% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका स्पष्ट करती है कि उत्तरदाता 150 महिलाओं में से केवल 27 (18%) महिलायें आयकर दाता हैं, जबकि तत्सम पुरूषों की संख्या 87 (58%) हैं।

अविवाहित रहने वाली स्त्रियों और पुरूषों को अंतिम समय तक एकाकी रहना होता है। ऐसी स्थिति में यह जानना उपयुक्त समझा गया कि सेवा–निवृति के समय उत्तरदाता जीवन–निर्वाह हेतु उनकी आय अथवा आर्थिक उपलब्धि क्या होगी प्रदत्त जानकारी निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक – 17
## सेवा–निवृत के समय उत्तरदाताओं की संभावित आय–विषयक जानकारी

| अ. क्र. | संभावित आय | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | रू.1000 से 1500 | 09 | 25 | 06% | 17% |
| 2. | 1500 से 2000 | 19 | 29 | 12% | 19% |
| 3. | 2000 से 2500 | 42 | 33 | 28% | 22% |
| 4. | 2500 से अधिक | 80 | 63 | 54% | 42% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका के अवलोकन से यह विदित होता है कि बहुसंख्यक उत्तरदाता यह अनुभव करते हैं कि वह अपने शेष जीवन को सुचारू रूप से निर्वाह कर सकेंगे, महिलाओं के प्रकरण में 63 (42%) महिलायें सेवानिवृति के समय रू. 2500 से अधिक आय प्राप्त करेंगी, यह स्थिति रखने वाले पुरूषों की संख्या 80 (54%) है। रू. 2000 से 2500 तक सम्भावित परिलब्धि वाली महिलाओं की संख्या 33 (22%) और पुरूषों की 42 (28%) है। 29 (19%) महिलाओं का कथन है कि वे रू. 1500 से 2000 तक आर्थिक अर्जन सेवा निवृति के समय कर सकेंगी। ऐसे पुरूषों की संख्या 19 (12%) है। रू. 1000 से 1500 तक मासिक आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 25 (17%) तथा पुरूषों की संख्या 9 (6%) है।

वस्तुतः उत्तरदाताओं के द्वारा वर्तमान में प्राप्त की जाने वाली आय और सेवा निवृति के समय उन्हें प्राप्त होने वाली आय का संबंध उनके द्वारा जीवन–निर्वाह हेतु किये जाने वाले कार्य–विषयक जानकारी प्राप्त करने पर निम्नांकित उपक्रम ज्ञात हुए।

## तालिका क्रमांक – 18
## उत्तरदाताओं के द्वारा जीवन–निर्वाह हेतु किये जाने वाले उपक्रम

| अ. क्र. | उपक्रम | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | प्रशासकीय–अधिकारी | 30 | 24 | 20% | 16% |
| 2. | लिपीकीय | 06 | 03 | 04% | 02% |
| 3. | शिक्षकीय | 24 | 93 | 16% | 62% |
| 4. | चिकित्सीय | 03 | 06 | 02% | 04% |
| 5. | यांत्रिक | 27 | 00 | 18% | 00% |
| 6. | वकील | 09 | 06 | 06% | 04% |
| 7. | व्यापार / वयवसाय | 30 | 08 | 20% | 05% |
| 8. | गृह–उधोग | 21 | 10 | 14% | 07% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका अभिव्यक्त करती है कि 150 महिला उत्तरदाताओं में से 24 (16%) महिला उत्तरदातायें प्रशासकीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षकीय कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या 93 (62%) है, 6 (4%) महिलायें चिकित्सीय व्यवसाय से जुड़ी हुई है। इतनी ही महिलाये अधिवक्ता के रूप में आजीविका अर्जित करती हैं। लिपिकीय कार्य में संलग्न महिला उत्तरदाताओं की संख्या 3 (2%) है, 10 (7%) गृह–उद्योग के माध्यम से जीवन निर्वाह करती हैं। 8 (5%) महिलाये व्यापार–व्यवसाय से सम्बद्ध है। यह साँख्यिकीय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायता करती है कि बहुसंख्यक 93 (62%) महिलायें शिक्षकीय कार्य करती है।

पुरूषों में इस प्रकार का कोई निश्चित रूझान दिखाई नहीं देता है। पुरूषों और महिलाओं संबंधी साँख्यिकी भी तुलना करने पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह अवश्य ही निरूपित होता है कि अविवाहित रहने वाले पुरूष उत्तरदाता शिक्षकीय कार्य में महिलाओं से कम (24–16%) संलग्न है। इस अन्तर का कारण स्पष्टतया यह है कि महिलायें अन्य कार्यो की अपेक्षा शिक्षकीय कार्य को निरापद, सुरक्षित, सहज और कम कष्ट सहाय मानती हैं। पुरूषों के समक्ष इस प्रकार की कोई समस्या नहीं हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य

## तालिका क्रमांक 18
## उत्तरदाताओं के द्वारा जीवन–निर्वाह हेतु किये जाने वाले उपक्रम
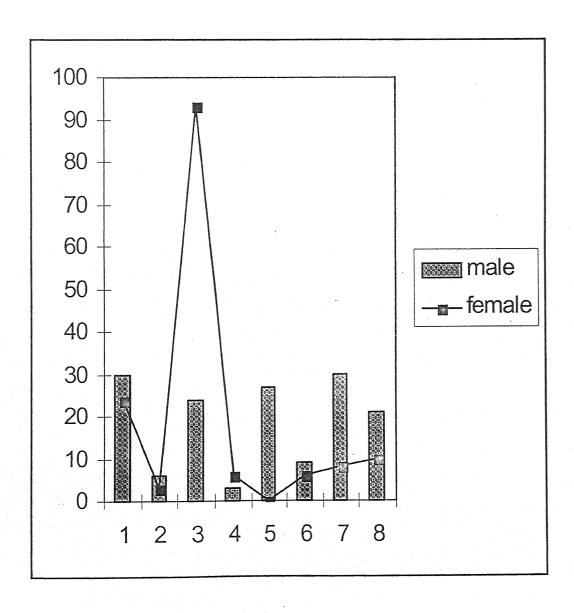
रेखा–चित्र क्रमांक 3

यह है कि शिक्षकीय कार्य के लिए विशेषकर अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं को वरीयता दी जाती है। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षकीय कार्यकी सहजता, पर्याप्त आमदनी, सुरक्षित आय प्राप्त सम्मान आदि के कारण शिक्षकीय कार्य से सम्बद्ध महिलायें अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति न्यूनाधिक निश्चिंत होती हैं। इसलिए शिक्षकीय कार्य से सम्बद्ध महिलाओं में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है।

अविवाहित रहने के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों में से एक कारण यह भी विदित हुआ है कि नौकरी में, माता–पिता के निवास के नगर से अन्यत्र पद स्थापना के फलस्वरूप जाने के कारण माता–पिता/भाई इत्यादि विवाह हेतु यथासमय पहल नहीं कर पाये। इसी प्रकार नौकरी संबंधी अनिवार्यता के कारण अवकाश न मिलने पर कभी कभी माता–पिता के द्वारा विवाह संबंधो की चर्चा के लिए बुलाये जाने पर भी वे नहीं पहुँच पाये। इससे अभिभावकों को यह भ्रांति हुई कि उत्तरदाता की विवाह करने में रूचि नहीं है। कतिपय प्रकरणों में उत्तरदातओं ने यह भी प्रतिवेदित किया कि अशासकीय नौकरी में होने से विवाह के बाद इच्छित स्थान नगर स्थानान्तर होने की संभावना न रहना भी उनके लिए विवाह में बाधक बना हैं। कतिपय उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि विवाह की उपयुक्त आयु में माता–पिता से अलग रहना भी विवाह में विलंब और अन्तोत्गत्वा अविवाहित रहने के लिए एक उत्तरदायी कारक है। उत्तरदाताओं से इस विषय में प्राप्त जानकारी इस प्रकार हैं।

**तालिका क्रमांक – 19**

**विवाह की उपयुक्त आयु में**

**माता–पिता के साथ न रहने और अविवाहित रहने में सह संबंध**

| अ. क्र. | उपक्रम | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | विवाह के लिए उपयुक्त में माता–पिता के साथ न रहना अविवाहित रहने के लिये उत्तरदायी | 21 | 38 | 14% | 26% |
| 2. | उत्तरदायी नहीं है | 129 | 112 | 86% | 73% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

21 (14%) पुरूष उत्तरदाताओं ने प्रतिवेदन किया है कि विवाह के लिए उपयुक्त आयु में माता–पिता के साथ न रहने के कारण उनके विवाह की अनिवार्यता का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव माता–पिता पर नहीं रहा है और इसलिए विवाह संबंधी पहल जिस तत्परता और तीव्रता से उन्हें करना चाहिये था वह नहीं कर पाए। फलस्वरूप विवाह योग्य आयु निकल जाने पर न उनकी विवाह में रूचि रही और न ही उपयुक्त संबंधो के सुझाव आये। इस श्रेणी की महिला उत्तरदाताओं की संख्या 38 (26%) है। शेष महिलाओं व पुरूष इसे उत्तरदायी नहीं मानते है।

इसी तारतम्य में यह जानने का प्रयास किया गया कि उत्तरदाता किस आयु तक अपने अभिभावकों के साथ रह पाये हैं इस विषय में प्राप्त जानकारी निम्नांकित तालिका में दी गई हैं।

**तालिका क्रमांक – 20**

**उत्तरदाताओं की माता–पिता के साथ रहने की कालाविधि**

| अ. क्र. | उपक्रम | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | 5 वर्ष से कम | 02 | 03 | 03% | 02% |
| 2. | 5 वर्ष से 10 वर्ष | 04 | 12 | 08% | 08% |
| 3. | 10 वर्ष से 15 वर्ष | 02 | 34 | 01% | 28% |
| 4. | 15 वर्ष से 20 वर्ष | 06 | 18 | 04% | 12% |
| 5. | 20 वर्ष से अधिक | 28 | 31 | 18% | 21% |
| 6. | वर्तमान में रह रहे है। | 99 | 42 | 66% | 28% |
| 7. | माता–पिता जीवित है तथा पृथक रह रहे हैं। | 09 | 10 | 06% | 07% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका की साँख्यिकी से यह प्रकट होता है कि 2 (1%) पुरूष 5 वर्ष से कम कालावधि तक 04 (3%), 5 से 10 वर्ष की आयु तक 2 (1%), 10 से 15 वर्ष की आयु तक व 6 (4%), 15 से 20 वर्ष से अधिक आयु तक 28 (18%) 20 वर्ष से अधिक आयु तक माता–पिता के साथ रह पाये। 99 (66%) वर्तमान में भी अपने

अभिभावकों के साथ ही रह रहे हैं। स्त्रियों के संदर्भ में 03 (2%), महिलाएं 5 वर्ष से कम आयु तक 12 (8%), 5 से 10 वर्ष की आयु तक 34 (28%), 10 से 15 वर्ष की आयु तक 18 (12%), 15 से 20 वर्ष की आयु तक व 31 (21%), 20 वर्ष से 25 वर्ष की आयु तक तथा 42 (28%) अभी भी अपने अभिभावकों के साथ रह रही है।

उपरोक्त तालिका में दी गई सांख्यिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 57 (36%) महिला उत्तरदाताओं के अभिभावकों की मृत्यु तब हो गई जब वह 20 वर्ष अथवा उससे कम आयु की थी। इस श्रेणी के प्रमुख उत्तरदाताओं की संख्या 14 (10%) है। यह सांख्यिकी विश्लेषण इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि अभिभावकों की मृत्यु उत्तरदाताओं की कम आयु में हो जाने से लड़कियां नौकरी करने की ओर प्रवृत्त हुई, जबकि पुरूषों के संदर्भ में यह तथ्य लागू नहीं होता है।

उत्तरदातओं की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने की दृष्टि से उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि जब उन्होंने नौकरी अथवा व्यवस्था प्रारंभ किया था तब उनकी आय कितनी थी प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक 21**

**नौकरी/व्यवसाय के प्रारंभ उत्तरदाताओं की आय**

| अ. क्र. | आयु समूह | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | 250 रू. से कम | 15 | 4 | 10% | 28% |
| 2. | 250 से 500 | 48 | 51 | 32% | 34% |
| 3. | 500 से 750 | 51 | 42 | 34% | 28% |
| 4. | 750 से 1000 | 21 | 12 | 14% | 08% |
| 5. | 1,000 से अधिक | 15 | 03 | 10% | 02% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

सर्वेक्षण में सम्मिलित महिलाएं एवं पुरूष चूंकि 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु

के है अतः लगभग उत्तरदाता जो कि नौकरी अथवा व्यवसाय कर रहे हैं, लगभग 20 वर्ष पूर्व की आर्थिक परिस्थितियों का स्मरण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय रू. 250 से रू.1000 तक मासिक आय प्राप्त करने वालों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से दयनीय नहीं थी। एक उदाहरण के रूप यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि 1970 और उसके आसपास सोने के रूपये 250 से रूपये 400 प्रति तोला थे। इसी प्रकार जीवनोपयोगी अन्य वस्तुएं भी आज की तुलना में कम महंगी थी। इस दृष्टि से इस आय समूह के लोगों को पर्याप्त आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। उस समय 4 अंको में आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उच्च स्थिति युक्तमाना जाता था। प्रस्तुत सर्वेक्षण में 150 उत्तरदाता महिलाओं में से 3 (2%) उत्तरदाताओं ने जब आय अर्जित करना प्रारंभ किया था तब उनकी आय रू. 1000 से अधिक थी। इस श्रेणी के पुरूष उत्तरदाताओं की संख्या 15 (10%) है, 42 (28%) उत्तरदाता महिलाएं अपनी सेवा के प्रारंभिक में रूपये 250 से कम आय प्राप्त करती थी, इनके समकक्ष पुरूषों की संख्या 45 (30%) हैं। शेष 105 (77%) महिलाएं और 120 (80%) पुरूष रूपये 250 से अधिक और रू. 1,000 से कम आय प्राप्त करते थे। अतः सेवा के प्रांरभिक काल मे इन उत्तरदाताओं की आय उतनी आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त थी। इससे एक संभावना विशेषकर महिला उत्तरदाताओं के संदर्भ में यह बनती है कि पर्याप्त आय होने के कारण उनके अभिभावकों ने उनके विवाह हेतु किसी प्रकार की व्याकुलता अथवा चिंता व्यक्त नहीं की। परिणाम स्वरूप इस उपेक्षा वृत्ति के कारण विवाह योग्य आयु बीत गई एवं अविवाहित रहने के लिए यह भी एक उत्तरदायी कारण बना।

उत्तरदाताओं की अपनी व्यवसायिक स्थिति क्या है। इस विषयक जानकारी पूर्व तालिका में दी गई हैं। यहां पर उनके अधिकारिक पद विषयक जानकारी प्रेषित की जा रही है।

## तालिका क्रमांक 22
## उत्तरदाताओं के वयवसाय/नौकरी का स्वरूप

| अ. क्र. | उपक्रम | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | प्रशासकीय | 29 | 18 | 20% | 12% |
| 2. | लिपीकीय | 23 | 39 | 16% | 26% |
| 3. | शिक्षकीय | 56 | 62 | 38% | 41% |
| 4. | चिकित्सीय | 05 | 12 | 03% | 08% |
| 5. | यांत्रिक | 07 | 00 | 04% | 00% |
| 6. | वकील | 09 | 06 | 06% | 04% |
| 7. | वयवसायी/व्यापारी | 21 | 13 | 14% | 09% |
| | योग | 150 | 100 | 100 | 100 |

तालिका में प्रेषित सांख्यिकीय प्रकट करती है कि महिलाओं और पुरूष उत्तरदाताओं में अविवाहित की संख्या शिक्षकीय कार्य करने वाले अधिक हैं। 18 (12%) महिलाएं और 29 (20%) पुरूष शासकीय, अशासकीय सेवा में प्रशासकीय अधिकारी। जबकि 39(26%) महिलाएं और 23 (16%) लिपीकीय सेवा में संलग्न हैं। चिकित्सीय कार्य से संबंध 12(8%) महिलाएं चिकित्सक और नर्सेस तथा 05 (3%) पुरूष उत्तरदाता चिकित्सक तथा चिकित्सा व्यवसाय से संबंध अन्य पुरूष सम्मलित है। 07 (4%) यांत्रिक सेवा में कार्य कर रहे हैं। वकालत का व्यवसाय करने वाली 6 (4%) महिला उत्तरदाता है। 13 (9%) उत्तरदातामहिलाएं और 21 (14%) पुरूष गृह उद्योग व्यापार व्यवसाय के द्वारा जीवन–निर्वाह करते हैं। उपरोक्त सांख्यिकी इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करती है कि शिक्षकीय कार्य में संलग्न महिलाओं में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इनके पश्चात लिपिकीय और चिकित्सकीय व्यवसाय से संबंद्ध महिलाओं में यह प्रवृत्ति अधिक है। पुरूषों के संदर्भ में भी शिक्षकीय कार्य करने वाले अविवाहित उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 56 (38%) है। तदानुसार प्रशासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों का कम आता है। इस प्रकार पुरूष और महिलाएं दोनों ही वर्गों में शिक्षकीय कार्यरत अविवाहित की संख्या सर्वाधिक है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना उपयुक्त

होगा कि सर्वेक्षण में अधिकारिक कार्यालयों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। उत्तरनिपटों के चयन में शिक्षकीय कार्य करने वाले पुरूषों और महिलाओं को किसी प्रकार की न तो प्राथमिकता दी गई और न ही पक्षपात किया गया।

अविवाहित रहने वालों में असुरक्षा की भावना पाई जाती है, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से अंतर वें अपनी आमदनी के स्रोत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कतिपय उत्तरदाता समय व्यतीत करने की दृष्टि से अन्य कार्यों से सम्बंध हो जाते हैं। इस दृष्टि से यह जानने का प्रयास किया गया कि उत्तरदाता नौकरी अथवा व्यवसाय के अतिरिक्त क्या और किसी स्रोत से भी आय प्राप्त करते हैं।इस विषय में उत्तरदाताओं के द्वारा प्रदत्त जानकारी इस प्रकार हैं।

**तालिका क्रमांक – 23**
**उत्तरदाताओं की आय में अन्य श्रोत प्रतिशत**

| अ. क्र. | उपक्रम | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | मकान किराया | 03 | 21 | 02% | 14% |
| 2. | शेयर्स | 12 | 134 | 08% | 89% |
| 3. | व्याज का धंधा नौकरी के पश्चात | 24 | 06 | 16% | 04% |
| 4. | दुकानदारी | 03 | 00 | 02% | 00% |
| 5. | ट्यूशन | 15 | 51 | 10% | 34% |
| 6. | लेख, कविता, कहानी लिखना | 53 | 06 | 36% | 04% |
| 7. | दलाली | 05 | 00 | 03% | 00% |
| 8. | कुछ नहीं | 29 | 16 | 20% | 11% |

उपरोक्त तालिका प्रकट करती है कि केवल 16 (11%) महिलाएं नौकरी अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय के अतिरिक्त और किसी प्रकार की अन्य आय प्राप्त नहीं करती। जबकि बहुसंख्यक (134–89%) महिलाएं अपनी आय में से बचाकर सार्वाधिक

## तालिका क्रमांक 23
## उत्तरदाताओं की आय में अन्य स्त्रोत
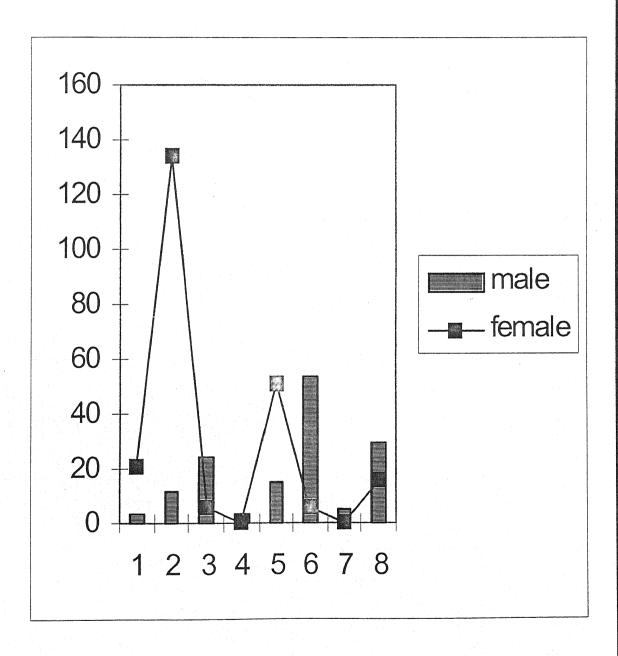
रेखा–चित्र क्रमांक 4

जमा राशि के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त करती है। शिक्षकीय व्यवसाय में रत महिलाएं ट्युशन के माध्यम से आय अर्जित करती है, 6 महिलाओं में साहित्य अभिरूचि है अतः वह लेखनीय में साहित्यक अभिरूची है। अतः यह लेखकीय कार्य से अतिरिक्त आय प्राप्त करती हैं। मध्यवर्गीय लोगों में शेयर्स का कारोबार एक नवीन प्रवृत्ति है इस कारोबार के प्रति महिलाएं भी आकर्षित हो रही है। 150 महिलाओं में से 6 (4%) महिलाएं शेयर्स के क्रय–विक्रय के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त करती हैं। पुरूषों में भी 42 (28%) बचत का सवार्धिक जमा में नियोजित कर अतिरिक्त आय प्राप्त करने की प्रवृत्ति ज्ञात हुई है। 21 (14%) महिला उत्तरदाता और 34 (23%) पुरूष उत्तरदाताओं के अपने निजी मकान हैं जिसमें उन्हे किराये के रूप में आय प्राप्त होती है। 24 (16%) पुरूष उत्तरदाताओं ने शेयर्स के क्रय–विक्रय और 53 (36%) उत्तरदाता ट्यूशन के माध्यम से आय अर्जित करते हैं 3 (2%) उत्तरदाता निजी तौर पर ऋण देकर उस पर व्याज के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त करते है। 15 (10%) पुरूष उत्तरदाता नौकरी के पश्चात अतिरिक्त समय में दुकानदारी और 5 (3%) उत्तरदाता मकान, प्लाट, वाहन आदि के क्रय–विक्रय में दलाली के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। अतः बहुसंख्यक महिला एवं पुरूष उत्तरदाता नौकरी अथवा व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी आमदनी प्राप्त करते है।

वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति अपना निजी मकान बनाने की आकांक्षा रखता हैं इस सन्दर्भ में यह ज्ञात करने का प्रसास किया गया कि उत्तरदाताओं के निजी स्वामित्व के भवनों की स्थिति क्या हैं। प्राप्त उत्तर निम्नांकित तालिका में अंकित है।

**तालिका क्रमांक – 24**

**उत्तरदाताओं के मकान के स्वामित्व विषयक जानकारी**

| अ. क्र. | आयु समूह | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | एक | 74 | 48 | 50% | 32% |
| 2. | दो | 03 | 00 | 02% | 00% |
| 3. | कुछ भी नहीं | 73 | 102 | 48% | 68% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

सांख्यिकीय विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 48 (32%) महिलाएं और 74 (50%) पुरूष उत्तरदाताओं के स्वामित्य का एक-एक निजी मकान है। 3 (02%) पुरूष उत्तरदाताओं के स्वामित्व के दो मकान हैं। 73 (48%) पुरूष उत्तरदाताओं और 102 (68%) महिला उत्तरदाताओं के स्वामित्व का कोई मकान नही है। यह सांख्यिकी पूर्ववर्ती तालिका में मकान किराये से प्राप्त आय के संदर्भ में कोई विरोधाभास प्रस्तुत नहीं करती है, क्योकि 77 (52%) महिला उत्तरदाताओं में से केवल 34 (22%) ने और 48 (32%) पुरूष उत्तरदाताओं में से केवल 21 (14) ने अपने मकान में किरायेदार भी रखा है। उत्तरदाताओं में निजी मकान बनाने की तत्परता कम होने के कारण प्रतिवेदन हुये है।

(1) वे निश्चय नहीं कर पा रहे है कि सेनानिवृत्ति के पश्चात अथवा वृद्धावस्था में वह कहाँ रहगें।

(2) मकान बानने सम्बन्धी जटिलताओं से वह बचना चाहते है।

(3) उन्हें विश्वास है कि पैतृक आवासीय सम्पत्ती में से उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा।

(4) यह कि वह अपनी बचत को मकान में व्यय करने की अपेक्षा बचत योजनाओं में लगातार वृद्धि करना अधिक समझते है। ताकि वृद्धावस्था में उन्हें कोई कठिनाई न हो।

(5) कतिपय उत्तरदाताओं के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि, वे अपना निजी मकान बनायेंगे परन्तु वर्तमान में वह उस स्थिति में नहीं है। उन्होंने आवासीय प्लाट खरीदकर रख लेना प्रतिवेदन किया। इस विषयक जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक – 25**

**उत्तरदाताओं के रिक्त आवासीय भूखंड विषसक जानकारी**

| अ. क्र. | रिक्त भूखंड संख्या | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | एक | 30 | 54 | 20% | 36% |
| 2. | दो | 18 | 03 | 12% | 02% |
| 3. | कुछ भी नहीं | 102 | 93 | 68% | 62% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

3 (2%) महिलाओं उत्तरदाताओं और 18 (12%) पुरूष उत्तरदाता जिनके स्वात्मिक के दो–दो आवासीय भूखण्ड है उन्होनें तथा उनके अतिरिक्त कतिपय अन्य उत्तरदाताओं के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उन्होनें एक या एकाधिक आवासीय भूखण्ड निजी मकान बनाने के लिए नहीं वल्कि पैसे के विनियोग हेतु खरीदे है। उनका कथन है कि आवासीय भूखंड़ो से उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि के कारण, इनमें पैसा नियोजित करना भविष्य की दृष्टि से अधिक लाभप्रद है।

## निदर्शो की शैक्षणिक जानकारी

अविवाहित रहना भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक त्वाचर है इस संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया गया कि उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर क्या है। प्राप्त जानकारी निम्नांकित तालिका में संकलित की गयी है।

**तालिका क्रमांक – 26**

**उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति**

| अ. क्र. | शैक्षणिक योग्यता | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | इण्टरमीडिएट | 16 | 09 | 12% | 06% |
| 2. | स्नातक | 54 | 38 | 36% | 26% |
| 3. | स्नातकोत्तर | 34 | 77 | 22% | 51% |
| 4. | वी. ई. | 07 | 01 | 05% | 01% |
| 5. | एम. बी. बी. एस. | 03 | 02 | 02% | 01% |
| 6. | पी–एच. डी. | 12 | 09 | 08% | 06% |
| 7. | एल. एल. बी. | 20 | 08 | 13% | 05% |
| 8. | एल. एल. एम. | 04 | 06 | 02% | 04% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका स्पष्ट करती है कि सभी उत्तरदाता शिक्षित है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना न्याय संगत होगा कि उत्तरदाताओं की खोज मुख्यतः शालाओं, महाविद्यालयों,

शासकीय–कार्यालयों एवं व्यापारिक संस्थानो में की गई। इसलिए उत्तरदाताओं का शिक्षित होना सहज है। 150 महिला उत्तरदाताओं में से केवल 9 (6%) ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हैं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण पुरूषों की संख्या 16 (12%) है। शेष सब इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त है। स्नातक उपाधि महिला उत्तरदाताओं की संख्या 38 (26%) है जबकि पुरूषों की 54 (36%) है। स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त महिलायें 77 (51%) तथा पुरूष 34 (22%) है। महिला उत्तरदाताओं में 01 (01%) बी. ई. उत्तीर्ण है जबकि यह उपाधि प्राप्त पुरूषों की संख्या 7 (5%) है। चिकित्सकीय कार्य में संलग्न 2 (1%) महिला उत्तरदाता है तथा 18 (12%) महिला उत्तरदाता नर्सिंग के कार्य में संलग्न है इन्हें स्नातक श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। चिकित्सकीय सेवा में संलग्न 5 (3%) पुरूष उत्तरदाताओं में से 3 (2%) एम. बी. बी. एस. उपाधि प्राप्त चिकित्सक है शेष कम्पाउंड़र के रूप में कार्यरत है तथा इनके पास मूलतः उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र है। पी. एच. उपाधि प्राप्त महिला उत्तरदाताओं की संख्या 09 (6%) जबकि पुरूष उत्तरदाताओं की संख्या 12 (08%) है। यद्यपि अधिवक्ता के रूप में कार्यरत महिला उत्तरदाताओं की संख्या 6 (4%) है परन्तु एल. एल. बी. उपाधि प्राप्त महिला उत्तरदाताओं की संख्या 8 (6%) है। 6 (4%) महिला उत्तरदाताओं नें एल. एल. एम. उपाधि प्राप्त की है इसी प्रकार अधिवक्ता के रूप में कार्यरत पुरूष उत्तरदाताओं की संख्या 9 (6%) है परन्तु एल. एल. बी. पुरूष उत्तरदाताओं की संख्या 20 (13%) है। एल. एल. एम. उपाधि प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या 9 (5%) है।

यह सांख्यिकी विश्लेषण इस तथ्य प्रगट करता है कि सभी उत्तरदाता उपयुक्त शिक्षा प्राप्त है।

शिक्षा प्राप्त करना एक अनवरत प्रकिया है। समय आयु और स्थिति इमें बाधक नहीं बनती है अनेक व्यक्ति नौकरी अथवा व्यवसाय करते हुए शिक्षा अर्जित करते है। सर्वेक्षण से विदित हुआ है कि अनेक उत्तरदाता जो कि उच्चतर माध्यमिक स्तर तक भी शिक्षा प्राप्त नहीं थे, उन्होने व्यापार–व्यवसाय अथवा गैर–शासकीय प्राथमिक शाला या बाल मंदिर में नौकरी करते हुए शनैः–शनैः शिक्षा अर्जित की उनमें से अनेक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उतीर्ण अथवा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त हैं। नौकरी या व्यवसाय जब प्रारम्भ किया था इस समय उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति क्या थी, इस विषय में संकलित की गई जानकारी इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक – 27
## नौकरी/व्यवसाय अर्जित करने की अवस्था में उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता

| अ. क्र. | शैक्षणिक योग्यता | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | इण्टरमीडिएट से कम | 16 | 20 | 11% | 15% |
| 2. | इण्टरमीडिएट | 41 | 32 | 28% | 22% |
| 3. | स्नातक | 40 | 31 | 26% | 20% |
| 4. | स्नातकोत्तर | 21 | 52 | 14% | 34% |
| 5. | एल. एल. बी. | 18 | 08 | 12% | 05% |
| 6. | एल. एल. एम. | 04 | 02 | 02% | 01% |
| 7. | एम. बी. बी. एस. | 03 | 02 | 02% | 01% |
| 8. | वी. ई. | 04 | 01 | 04% | 01% |
| 9. | पी एच. डी. | 03 | 02 | 02% | 01% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त सांख्यिकी व्यक्त करती है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने नौकरी अथवा व्यवसाय करते हुए शिक्षा के प्रति रूचि रखी तथा उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि की है। तालिका में दी गई सांख्यिकी में स्पष्ट होता है कि नौकरी व्यवसाय प्रारंभ करने के पहले 16 (11%) पुरूष एवं 20 (15%) महिला उत्तरदातायें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में भी कम 41 (28%) पुरूष एवं 32 (22%) महिला उत्तरदाता उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हुए।

40 (26%) पुरूष एवं 31 (20%) महिलायें स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये हुए थी। 21 (14%) पुरूष एवं 8 (5%) महिलायें एल. एल. बी. करने के बाद व्यवसाय ये कार्य करने लगी 01 (1%) पुरूष एवं 02 (1%) महिला उत्तरदताओ ने जब नौकरी/व्यवसाय प्रारंभ किया तो वह एल. एल. एम. किये हुए थी 7 (4%) पुरूषों और 01 (1%) महिला पहले ही बी. ई. की उपाधि प्राप्त करती थी एवं भाग 3 (2%) पुरूष एवं 02 (2%)महिला उत्तरदाता ही नौकरी/व्यवसाय से पहले पी. एच. ड़ी. किये हुए थी।

वर्तमान में इन उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति क्या है उस विषयक जानकारी पूर्ववर्ती तालिका क्रमांक – 26 में दी गई है।

उत्तरदाताओं के द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा के सन्दर्भ में यह जानने का प्रयत्न किया गया कि उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा तथा उनकी नौकरी/व्यवसाय में परस्पर क्या कोई तारतम्य है। इस विषय में प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक 28**

**उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर व व्यवसाय के साथ सम्बद्धता**

| अ. क्र. | सम्बद्धता | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | सम्बन्धित है | 114 | 117 | 76% | 78% |
| 2. | सम्बन्धित नहीं है | 36 | 33 | 24% | 22% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका में दी गई साँख्यिकी प्रगट करती है कि उत्तरदाताओं के द्वारा उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य व्यवसाय में योग्य क्षमतायें अर्पित करना ही नहीं था 33 (22%) महिलाएं और 36 (24%) पुरूष उत्तरदाताओं के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा अर्पित उच्च शिक्षा का सम्बन्ध उनके व्यवसाय के साथ नहीं हैं।

उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गई है कि शिक्षा सम्बन्धी व्यय का वहन उनके स्वयं के द्वारा किया गया अथवा माता–पिता या अन्य नातेदारों के द्वारा प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक 29
## शिक्षा हेतु व्यय के निर्वाह सम्बन्धी जानकारी

| अ. क्र. | व्यय किसके द्वारा | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | प्रारंभिक शिक्षा माता–पिता के द्वारा | 123 | 101 | 85% | 76% |
| 2. | प्रारंभिक शिक्षा भाई–बहन के द्वारा | 31 | 18 | 21% | 12% |
| 3. | प्रारंभिक शिक्षा अन्य नाते दारों के द्वारा | 07 | 02 | 04% | 01% |
| 4. | उच्चतर शिक्षा स्वयं के द्वारा | 139 | 128 | 95% | 86% |
| 5. | उच्चतर शिक्षा माता–पिता के द्वारा | 01 | 02 | 01% | 01% |
| 6. | उच्चतर शिक्षा अन्य नातेदारो के द्वारा | 00 | 00 | 00% | 00% |
| 7. | छात्रवृत्ति/संस्थानों से प्राप्त सहायता | 03 | 07 | 02% | 04% |
| | योग | — | 150 | — | 100 |

तालिका में संकलित तथ्य इस ओर इंगित करते है कि बहुसंख्यक महिला एवं पुरूष उत्त्तरदाताओं की प्रारंभिक शिक्षा व्यय माता–पिता के द्वारा ही वहन किया गया। इसके विपरीत बहुसंख्यक उत्तरदाता महिला 128 (86%) और पुरूष 139 (95%) ने उच्चतर शिक्षा नौकरी या व्सवसाय करते हुए अर्पित की, इस प्रकार अपनी शिक्षा के भार का वहन उनके स्वयं के द्वारा किया गया।

## तालिका क्रमांक 29
## शिक्षा हेतु व्यय के निर्वाह संबंधी जानकारी
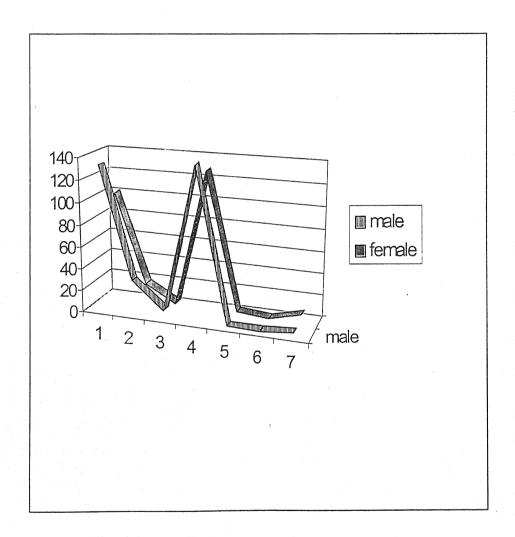
रेखा–चित्र क्रमांक 5

उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या उनके द्वारा अर्पित शिक्षा उनकी सेवा निवृत्ति के बाद भी जीवन यापन हेतु किसी प्रकार के उपक्रम के लिए सहायक होगी। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक 30**

**अर्जित शिक्षा और सेवा निवृत्ति पर किये जाने वाले उपक्रम**

| अ. क्र. | उपक्रम में संबंध | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | उपयोगी रहेगी | 80 | 120 | 55% | 80% |
| 2. | उपयोगी रहेगी | 70 | 30 | 45% | 20% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने प्रतिवेदित किया है कि यदि सेवा निवृत्ति के पश्चात वे किसी प्रकार के आजीवका अर्जन का कार्य करते है तो उनके द्वारा अर्पित शिक्षा इस दिशा में उनके लिये सहायक होगी। इस सन्दर्भ में 120 (80%) महिलाओं और 80 (55%) पुरूषों ने सकारात्मक उत्तर दिया है।

# अविवाहित रहने के लिए उत्तरदायी दशायें
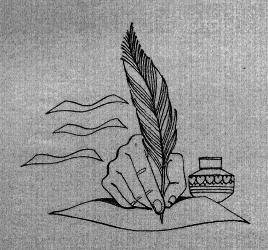
## अध्याय–3

# अविवाहित रहने के लिए उत्तरदायी दशायें

विवाह को एक नैसर्गिक संस्था व संदर्भ में माना जाना चाहिए कि यह न केवल यौन संतुष्टि का निरापद और संघर्ष रहित स्थायी माध्यम है। बल्कि यह मानक प्रणाली की निरन्तरता को बनाये रखने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है, न केवल यौन संतुष्टि के संकीर्ण उद्देश्य की पूर्ति विवाह करता है बल्कि विवाह में आबद्ध होने वाले पति–पत्नी और बच्चे एक ऐसे आंतरिक और आत्मीय समूह का निर्माण करते है, जो कि अनेक वैयक्तिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में एक–दूसरे को सहयोग देते है जितना आत्मीय निस्वार्थ और यथाशक्ति अधिकतम सहयोग परिवार रूपी समूह में पाया जाना असंभव है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस परिवार का विस्तार नातेदारी के बृहद्संजाल तक हुआ है नातेदारी का ही विस्तार जो कि रूप में होता है एवम् जातीय ताने–बाने से हमारी भारतीय सामाजिक संरचना का विकास हुआ है। इस प्रकार भारतीय संदर्भ में समाज में परिवार का ही व्यापक स्वरूप है। इसलिए भारत में प्रत्येक बालक वैध परिवार में जन्म लेता है, परिवार के माध्यम से ही पोषित और सामाजीक्रत होता है, जीवन निर्वाह के योग्य बनता है और परिवार में रहकर ही पुत्रों, नातेदारों के कन्धों पर अंतिम यात्रा भी करता है। पश्चिम न तो परिवार और निर्वाह इतनी महत्वपूर्ण संस्था है और न ही व्यक्तियों की परिवार के साथ सम्बद्धता इतनी प्रगाढ़ है यही कारण है कि भारत में परिवार सर्वोपरि महत्व रखने वाला, आत्मीयता स्वजनों का घनिष्ठ समूह है और अद्वितीय संस्था है, कर्त्तव्य है, इसी अनिवार्यता के परिपेक्ष्य में है। इसे और परिवार को मोक्ष के साथ जोड़ा गया है। मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव होती है, जबकि पुत्र अभिभावकों का पिण्ड दान करें और जायज पुत्र की प्राप्ति बिना विवाह के संभव नहीं है। इस संदर्भ में यह भी अवलोकनीय है कि कर्मकाण्डीय परिवारों में अभी भी किसी अविवाहित की मृत्यु होने पर उसके सांकेतिक विवाह की प्रथा पाई जाती है। इन्हीं सब संदर्भो में प्रत्येक हिन्दू के लिए विवाह न केवल एक अनिवार्य कर्त्तव्य है, बल्कि एक पवित्र संस्कार भी है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम विचार करे तो पाते है कि अविवाहित रहना एक असामान्यता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत

अध्ययन में सम्मिलित निदर्शो से यह जानने का प्रयास किया गसा कि वे कौन सी वैयक्तिक प्रेरणायें अथवा समस्यायें थी जिनके कारण उन्होनें विवाह न करने का निर्णय लिया अथवा वे इसके लिए बाध्य हुए।

उत्तरदाताओं से यह पूंछा गया कि क्या वे अनुभव करते है कि विवाह जीवन की एक अनिवार्यता नहीं है। इस बिषय में प्राप्त जानकारी निम्नांकित तालिका में प्रेषित है।

**तालिका क्रमांक – 31**

**विवाह की अनिवार्यता के विषय में उत्तरदाताओं के विचार**

| अ. क्र. | संभावित आय | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अनिवार्य नहीं है। | 99 | 84 | 66% | 56% |
| 2. | अनिवार्य है। | 45 | 54 | 30% | 36% |
| 3. | कोई निश्चित धारणा नहीं है | 06 | 12 | 04% | 08% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका के अवलोकन से यह विदित होता है कि 84 (56%) महिला उत्तरदातायें अनुभव करती है कि विवाह एक अनिवार्यता नहीं है। यह धारणा रखने वाले पुरूष उत्तरदाताओं की संख्या 99 (66%) है। विवाह अनिवार्य है यह मान्यता केवल 54 (36%) महिला एवं 45 (30%) पुरूष उत्तरदाताओं की है। शेष 12 (8%) महिला उत्तरदाता एवं 06 (04%) पुरूष उत्तरदाता इस विषय में कोई निश्चित मत व्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाते है।

अविवाहित व्यक्ति वह है जो कि विवाह के विषय में प्रतिकूल मान्यतायें रखते है।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि अविवाहित रहने वाले पुरूष और स्त्रियों के लिए अविवाहित रहना कोई बाध्यता रही है।

जिन महिला एवं पुरुष उत्तरदाताओं ने विवाह की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया है उनसे यह जानने का प्रयत्न किया गया कि वे विवाह को अनिवार्य क्यों नहीं मानते हैं। इन उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी निम्नांकित तालिका में प्रेषित है।

तालिका क्रमांक – 32

## विवाह की अनिवार्यता अनुभव न करने के कारण

| अ. क्र. | कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | विवाह के पश्चात वैयक्ति प्रतिभा कुण्ठित होती है। | 45 | 48 | 30% | 32% |
| 2. | वैयक्तिक स्वतन्त्रता का हनन होता है। | 68 | 48 | 45% | 32% |
| 3. | जीवन जीने के लिए विवाह का बन्धन आवश्यक नहीं है | | | | |
| 4. | स्वावलम्बी के लिए विवाह अनिवार्य नहीं है। | 52 | 42 | 35% | 28% |
| 5. | अनुपयुक्त जीवन साथी के साथ जीवन–निर्वाह की बाह्यता न रहने देना। | 12 | 31 | 08% | 20% |
| 6. | पुरूष के वर्चस्व और दबाव का विरोध | 33 | 21 | 22% | 14% |
| 7. | अभिभावकों और भाई बहिनों संबंधी दायित्वों के निर्वाह को प्राथमिकता | 38 | 32 | 26% | 21% |
| 8. | परिवार संबंधी दायित्वों के प्रति अनिच्छा। | 68 | 48 | 45% | 32% |
| 9. | परिवार से जुड़ी यौन आवश्यकता की पूर्ति परिवार से परे भी पूर्ण हो सकती है। | 18 | 00 | 12% | 00% |

तालिका में दी गई सांख्यिकी पर दृष्टि डालने से यह विदित होता है कि 48

## तालिका क्रमांक 32
## विवाह की अनिवार्यता अनुभव न करने के कारण
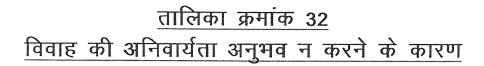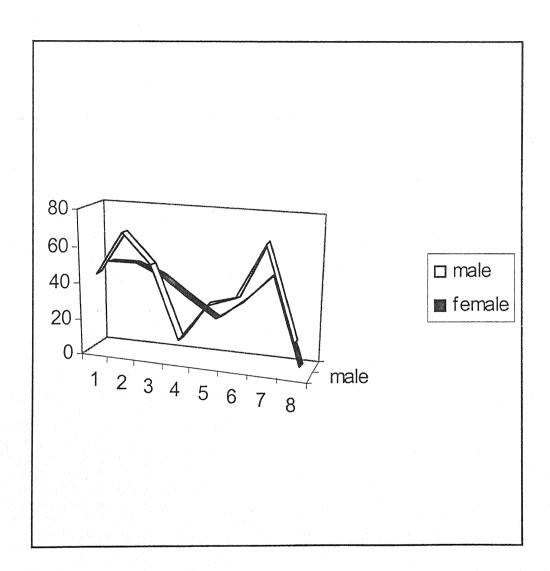
रेखा–चित्र क्रमांक 6

(32%) महिलायें एवं 45 (30%) पुरूषों कथन है कि विवाह के पश्चात पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में व्यस्त हो जाती है। उन्हें और विकसित करने या उनके अनुकूल आचरण करने की अपेक्षा पूरा ध्यान पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह पर केन्द्रित हो जाता है, इसलिए प्रतिभावान को विवाह नहीं करना चाहिए। 48 (32%) महिलायें और 68 (45%) पुरूष बंधन रहित स्वतंत्र जीवन का निर्वाह करने में विवाह को बाधक मानते है 42 (28%) महिला उत्तरदाता और 52 (35%) पुरूष उत्तरदाताओं का कथन है कि आज के समय में पारिवारिक बंधनो में न बंधते हुए भी जीवन यापन संभव है। बाहरी एजेंसीज जैसे होटल, धोबी, गृहकार्य के लिए नौकर चाकर आदि के कारण बिना विवाह के भी जीवन निर्वाह सम्बन्धी आवश्यकतायें पूर्ण की जा सकती है। इसलिए विवाह करना आवश्यक नहीं मानते है। उपरोक्त तालिका इस विशिष्ट तथ्य पर बल देती है महिलाओं में शिक्षा व आजीविका अर्पित करने क्षमता संबंधी अवसरों की फलस्वरूप यह आस्था विकसित हो रही है कि यदि स्त्रियां शिक्षित हो तथा आत्म–निर्भर हो उन्हें विवाह जैसे बंधन के माध्यम से पुरूष के आधीन होना आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत पुरूष इस मामले में अधिक उदार है, केवल 12(08%) पुरूष उत्तरदाताओं का ही यह मत है स्वालम्बी व्यक्ति क्यों कर विवाह बंधन में बँधे? विवाह में दो पक्ष स्त्री और पुरूष का होना अत्यन्त अनिवार्य है, कहा जाता है कि विवाह एक जुआ है, पुराने समय में विवाह संबंध माता–पिता के द्वारा तय किये जाते थे, जिसमें कि लड़की की पसंद ज्ञात करना अथवा उसे प्रधानता देना आवश्यक नहीं माना जाता है। ग्रामीण और कस्बार्ध समाज में अभी भी ऐसी मानसिकता वाले परिवारों की कमी नहीं है। ऐसे परिवेश में से शिक्षा प्राप्त कर तथा उपयुक्त पद पर कार्यरत स्त्रियाँ एवं पुरूष इस आशंका से ग्रस्त रहते हैं कि यदि उनके लिए चयनित जीवन साथी उनके योग्य न हुआ तो सम्पूर्ण भावी जीवन दुःखमय हो जायेगा, इसलिए इससे बेहतर यही है कि विवाह ही न किया जाये। 21 (14%) महिला उत्तरदाताओं का मत है कि यह आशंका भी स्त्री–पुरूषों को अविवाहित रहने के लिए प्रेरित करती है। 48 (32%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि यदि स्त्रियाँ शिक्षित है और आत्म निर्भर है, तब उन्हें पुरूषों की ओर से समता की स्थिति मिलनी चाहिए। परन्तु उनका मत है कि प्रायः पुरूष ऐसी मानसिकता नहीं रखते हैं। इसलिए पत्नी चाहे शिक्षित और स्वावलम्बी हो अथवा अशिक्षित, उसे पुरूष के आधिपत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त यही है कि महिलायें विवाह ही न करें। पुरूष उत्तरदाता महिलाओं की इस धारणा के प्रति नकारात्मक रूख

रखते हैं। किसी भी पुरूष ने अविवाहित रहने के लिए इस कारक को उत्तरदायी नहीं माना हैं। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ मे कहा गया है कि भारत में पारिवारिक संचरना में बंधे हुए व्यक्ति एक–दूसरे के साथ पारस्परिक कर्त्तव्यों और दायित्वों की व्यवस्था से जुड़े हुए रहते है। ऐसी स्थिति में शिक्षित एवं योग्य, विवेकशील स्त्रियाँ और पुरूष यह अनुभव करते है कि उन्हें अपने अभिभावकों के आर्थिक दायित्वों के निर्वाह में सहभागी बनना चाहिए। इसी प्रकार वह अपने छोटे भाई एवं बहिनों की देखभाल, शिक्षा–दीक्षा, आर्थिक–नियोजन और वैवाहिक व्यवस्था भी करना भी अपना दायित्व मानते है। इस प्रकार के दायित्व बोध से युक्त व्यक्तियों को विवाह करना ही नहीं चाहिए। इस पक्ष में 32 (21%) महिला एवं 38 (26%) पुरूष उत्तरदाता हैं। परिवार बहुविध कार्यो को सम्पन्न करने वाली एवं व्यापक संरचना और व्यवस्था हैं। इसके अंर्तगत पुत्र और बहू महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। स्त्री से सुगृहणी होने तथा पुरूष से कर्त्तव्यपरायण पुरूष होने की अपेक्षा रखी जाती हैं, ऐसी स्थिति में स्त्रियों पर पति अपने बच्चों और नातेदारों से संबंधित असीमित दायित्व होते हैं। इसी प्रकार पुरूष को भी अपनी आय से न केवल अपनी बल्कि पत्नी और बच्चों को साथ–साथ नातेदारों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करना अनिवार्य होता है, अनेक स्त्रियां व पुरूष अपने आप को इसके लिए उपयुक्त नहीं पाते हैं, इस दृष्टि से उनका कथन है कि विवाह कर स्वयं का और परिवार के सदस्यों का जीवन दुखमय बनाने की अपेक्षा उचित है कि विवाह ही न किया जाये। इस पक्ष में 48 (32%) महिला एवं 68 (45%) पुरूष उत्तरदाता हैं। जैसा कि प्रारंभिक विवरण में उल्लेख किया गया हैं, यौन आवश्यकता की पूर्ति का स्थायी और निरापद मध्यम परिवार है। 18 (12%) पुरूषों का कथन है कि यदि यौन आवश्यकता की पूर्ति ही परिवार का उद्देश्य है, तब केवल इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए क्यों कर परिवार बसाने और चलाने संबंधी जटिलताओं को पाला जायें। इस आवश्यकता की पूर्ति तो वैध पत्नी और विवाह के बिना भी पूर्ण की जा सकती है।

उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयत्न किया गया कि अविवाहित रहने के लिए व्यक्त किये गये उपरोक्त प्रेरक तत्व उनके स्वयं के अविवाहित रहने के लिए भी उत्तरदायी हैं। प्राप्त उत्तर इस प्रकार हैं।

**तालिका क्रमांक – 33**
**उत्तरदाताओं के द्वारा उक्त तालिका**
**में प्रस्तुत कारकों के साथ स्वयं की सम्बद्धता**

| अ. क्र. | उत्प्रेरक के प्रति प्रतिक्रिया | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | तालिका क्रमांक 33 में उल्लिखित कारक उनके लिए भी प्रेरक रहे हैं। | 51 | 84 | 34% | 56% |
| 2. | प्रेरक नहीं रहे हैं। | 99 | 66 | 66% | 44% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका क्रमांक 33 में संकलित विभिन्न कारक विवाह के विषय में उनकी व्यक्तिगत आस्थाओं को प्रगट करते हैं। वे स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि विवाह और परिवार की अपनी उपेदेयता भी है इसलिए संस्था चिरकाल से सतत अस्तित्व में बनी हुई हैं। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि यद्यपि उन्होंने विवाह नहीं किया है, परन्तु समाज के बहुसंख्यक पुरूष और स्त्रियाँ विवाह कर परिवार स्थापित करते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में उनसे यह पूछा गया कि वे बतायें कि अन्यों के द्वार भी विवाह करना और बसाना उचित है अथवा अनुचित, उनके द्वारा प्रगट किये गये विचार निम्नानुसार हैं।

**तालिका क्रमांक – 34**
**विवाह और परिवार के समाज में**
**प्रचलन के विषय में उत्तरदाताओं की मान्यता**

| अ. क्र. | मान्यता | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | समाज में विवाह और परिवार का प्रचलन उचित है। | 131 | 119 | 87% | 79% |
| 2. | उचित नहीं हैं। | 19 | 31 | 13% | 21% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका क्रमांक 33 एवं 34 के तुलनात्मक अध्ययन से विदित होता है कि यद्यपि उत्तरदाताओं ने स्वयं विवाह नहीं किया है परन्तु बहुसंख्यक उत्तरदाता महिलायें और पुरूष विवाह और परिवार को समाज के लिए उपयोगी बताते हैं। इस संदर्भ में उनसे यह ज्ञात किया गया कि एक ओर वे स्वयं है जिन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया है, तथा दूसरी ओर समाज के लिए विवाह की उपादेयता के प्रति उनकी स्वीकारोक्ति है। ऐसी दशा में वह किन परिस्थितियों में विवाह को उचित मानते है और किन दशाओं में अनुचित। प्राप्त उत्तर निम्नांकित तालिकाओं में प्रेषित हैं।

## तालिका क्रमांक – 35

# विवाह के उचित अनुचित होने संबंधी दशायें।

| अ. क्र. | दशायें | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | यदि वैयक्तिक, अभिभावकीय पारिवारिक समस्यायें न हो तब विवाह करना चाहिए। | 63 | 44 | 42% | 30% |
| 2. | यदि विवाह योग्य उपयुक्त आयु में विवाह हो तब उचित है। | 89 | 98 | 60% | 66% |
| 3. | यदि उपयुक्त जीवन साथी मिल जाये तो विवाह अवश्य करना चाहिए। | 112 | 123 | 83% | 90% |
| 4. | विवाह के लिए चयनित लड़के व लड़की को पर्याप्त समय तक साथ रहने दिया जाये ताकि उन्हें एक दूसरे की पसंद, वैचारिक समानता, असमानता की पूर्ण जानकारी हो ताकि भविष्य में विवाह के असफल होने या कलह की संभावना न रहें। | 33 | 21 | 22% | 14% |
| 5. | यदि अभिभावक अपने दायित्वों को अनुभव करते हो, तथा अपनी सेवा की अपेक्षा पुत्र/पुत्रियों से न रखते हों तब विवाह अवश्य करना चाहिए। | 38 | 32 | 26% | 21% |
| 6. | जिनके विशिष्ट लक्ष्य न हो, तथा सामान्य जीवन जीन की इच्छा रखते हों। उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। | 45 | 48 | 30% | 34% |
| 7. | विवाह आवश्यक नहीं हैं। | 19 | 31 | 12% | 21% |

## तालिका क्रमांक 35
## विवाह की उचित–अनुचित होने संबंधी दशायें

रेखा–चित्र क्रमांक 7

तालिका यह प्रगट करती है कि केवल 19 (12%) पुरूष और 31 (21%) महिला उत्तरदाताऐं ही किसी के लिए भी विवाह की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं करती हैं। 63 (42%) पुरूष और 44 (30%) महिला उत्तरदातओं का कथन है कि विवाह नितांत वैयक्तिक घटना न होकर परिवार से संबंधित एक दायित्व है, यदि वयक्ति वैयक्तिक और अपने अभिभावकों की पारिवारिक समस्या से प्रभावित हो तब ऐसी दशा में वे आशंकित रहते है कि उनका अपना वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह सकेगा ऐसी स्थिति में स्वयं को और पत्नी के जीवन को दुखमय बनाना उपयुक्त नहीं हैं। इस प्रकार वे व्यक्ति जिनकी वैयक्तिक और अभिभावकीय परिवार से संबंधित कोई समस्यायें न हो उन्हें विवाह अवश्य करना चाहिए।

89 (60%) पुरूष और 98 (67%) महिला उत्तरदाता अनुभव करती हैं कि प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय होता है, उस समय के व्यतीत हो जाने पर उस कार्य को करने की न तो कोई सार्थकता होती है और नहीं उसे कोई आनंद मिलता है, इसलिए विवाह के लिए उपयुक्त आयु में यदि विवाह होना हो तब विवाह अवश्य ही करना चाहिए।

विवाह आजीवन साथ रहने हेतु स्त्री–पुरूष और बच्चों से युक्त एक इकाई होता है। इसमें यदि स्त्री अथवा पुरूष में से किसी का आचरण अनु उत्तरदायित्वपूर्ण हो अथवा उसमें संवेदनशीलता न हो तब दूसरा पक्ष अनुभव करता है, तथा उसके मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न होता है कि विवाह करने की अपेक्षा यदि न किया होता तो उनका जीवन अधिक सुखमय होता। अतः यदि इस प्रकार की जटिलता उत्पन्न होने की संभावना न हो तथा उपयुक्त जीवन साथी मिल जाये तब विवाह अवश्य ही करना चाहिए। इस पक्ष में 112 (83%) पुरूष उत्तरदाता तथा 123 (90%) महिला उत्तरदाता हैं।

उपरोक्त समस्या का निराकरण करने की एक विधि तो यह है कि विवाह हेतु लड़के एवं लड़की को कुछ समय तक साथ रहने की अनुमति दी जाये ताकि वे एक दूसरे को समझ सके तथा यदि वे एक दूसरे की वैचारिक धरातल पर एक समान अनुभव करते हों तब विवाह कर सकें। इसके अभाव मे विवाह करना जुआं खेलने के समान है। इस प्रकार के विचार 33 (22%) पुरूष और 21 (14%) महिला उत्तरदातओं के द्वारा व्यक्त किये गये हैं। इन उत्तरदाताओं की यह अवस्था, तर्क की कसौटी पर खरी

नहीं उतरती है। इसका कारण यह है कि परिस्थितियाँ सदैव एक समान नहीं रहती हैं, इसलिये परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ–साथ विचारों में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः विवाह से पूर्व की वैचारिक समानता विवाह के पश्चात् भी बनी रहे, यह आवश्यक नहीं है। पश्चिमी समाज इसका उदाहरण है। जहाँ डेटिंग व्यवस्था से माध्यम से जीवन साथी का चयन किया जाता है, परन्तु फिर भी जिनका जीवन सुखमय और दीर्घकालीन नहीं रह पाता है।

38 (26%) महिला उत्तरदाता और 32 (21%) पुरूष उत्तरदातओं के द्वारा व्यक्त किया गया कि यदि अभिभावक अपने बच्चों तथा परिवार संबंधी अपने दायित्वों को भली भाँति जानते हो तथा उनके निर्वाह हेतु वे स्वयं सक्षम हो जब उनके पुत्र–पुत्री के लिए विवाह करना उचित है। उनका मत है कि यदि बच्चों की संख्या अधिक हो अथवा पिता की आय कम हो, या कोर्ट–कचहरी, कर्ज आदि संबंधी कोई ऐसे दायित्व पिता पर हो, जिनके कारण वे अपने बच्चों एवं परिवार की देखभाल न कर पाते हो, तब यदि पुत्रों और पुत्री के विवाह का दायित्व और आ जाये तब उपयुक्त वर अथवा वधु नहीं मिल पाता है और येन–केन प्रकारेण विवाह न करते हुए पिता के दायित्वों के निर्वाह में सहयोग करना उचिंत है।

कतिपय क्योंकि जीवन से संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों को लेकर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि विवाह करें तो न केवल उनके लक्ष्य पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है, बल्कि कुण्ठा और ग्लानि भी उत्पन्न होती है। 45 (30%) पुरूष और 48 (32%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि, जिन व्यक्तियों के जीवन से संबंधित इस प्रकार के कोई विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य न हो, उन्होने विवाह अवश्य करना चाहिए।

विवाह न करना अथवा विवाह न होना एक बाध्यता अथवा अनिश्चित आचरण भी हो सकता है। उत्तरदाताओं से विवाह और परिवार विषयक उपरोक्त विचारों को ज्ञात करने के पश्चात यह जानने का प्रयास किया गया कि अविवाहित रहते हुए क्या उन्हें विवाह न करने संबंधी ग्लानि हीन भावना अथवा असंतोष का अनुभव होता है। प्राप्त जानकारी निम्नांकित तालिका में प्रेषित है।

## तालिका क्रमांक – 36
## स्वयं के द्वारा विवाह न करने के विषय में उत्तरदाताओं के वर्तमान विचार

| अ. क्र. | विचार | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | विवाह नहीं करके ठीक किया है | 99 | 117 | 66% | 78% |
| 2. | विवाह नहीं करके ठीक नहीं किया है | 51 | 33 | 34% | 22% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि 33 (22%) महिला और 51 (34%) पुरूष उत्तरदाता अनुभव करते है कि विवाह न करने का निर्णय उनकी एक भूल थी। 117(78%) महिलाओं और 99 (66%) पुरूष उत्तरदाता विवाह न करने के विषय में किसी प्रकार की कुण्ठा या ग्लानि से ग्रस्त नहीं है।

यद्यपि तालिका क्रमांक 33 एवं 36 उत्तरदाताओं की विवाह संबंधी आस्थाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालती है, फिर भी उत्तरदाताओं के द्वारा स्वयं विवाह न करने संबंधी जिन कारणों को प्रगट किया गया है, उनके आधार पर उन्हें श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में कृपया निम्नांकित तालिका का अवलोकन कीजिए।

## तालिका क्रमांक – 37
# विवाह न करने के कारणों के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

| अ. क्र. | दशायें | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | स्वतंत्र एवं शांत जीवन निर्वाह की चाह | 66 | 51 | 44% | 34% |
| 2. | भाई/बहिन, माता–पिता के दुःखी वैवाहिक जीवन के कारण,विवाह के प्रति अनिच्छा | 11 | 17 | 08% | 12% |
| 3. | अभिभावकों में दहेज चुकाने की क्षमता का न होना | 00 | 38 | 00% | 26% |
| 4. | दहेज मांगने वालों के साथ विवाह न करने का प्रण | 00 | 05 | 00 | 03% |
| 5. | समय पर विवाह न करने के कारण अच्छे संबंध प्रस्तावित न होगा | 18 | 21 | 32% | 14% |
| 6. | छोटे भाई–बहनों की देखभाल, शिक्षा व विवाह संबंधी दायित्वों के निर्वाह के कारण | 38 | 32 | 25% | 21% |
| 7. | उच्च शैक्षणिक व व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु | 17 | 31 | 11% | 20% |
| 8. | विवाह से जुड़े , यौन संबंधो के प्रति अरूचि | 01 | 18 | 01% | 12% |
| 9. | मन पसंद जीवन साथी के साथ विवाह न होना | 11 | 28 | 07% | 18% |
| 10. | पारिवारिक दायित्वों के प्रति अनिच्छा | 63 | 48 | 42% | 32% |
| 11. | विवाह से जुड़ी समस्याओं के कारण | 42 | 68 | 28% | 46% |

## तालिका क्रमांक 37
## विवाह न करने के कारणों के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण
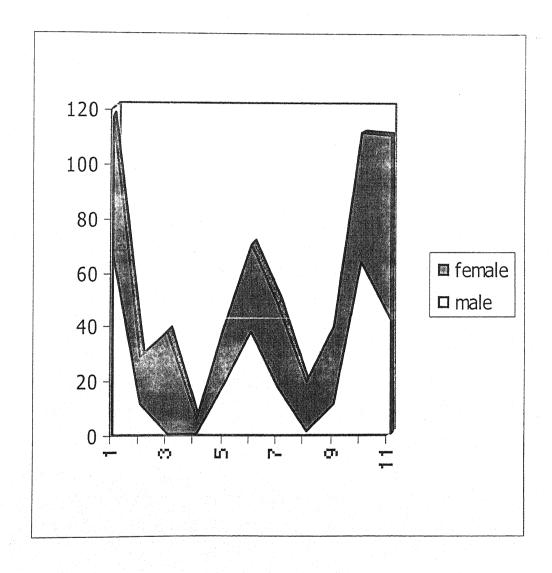
रेखा–चित्र क्रमांक 8

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि कुछ उत्तरदाताओं के द्वारा अविवाहित रहने के निर्णय के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी बताया तो कुछ ने एक से अधिक कारणों को 66 (44%) पुरूष और 51 (34%) महिला उत्तरदाताओं ने विचार व्यक्त किया है कि वह तनाव और कलह पूर्ण वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ऐसा जीवन एकांकी जीवन ही हो सकता है। इसलिए विवाह न करने का निर्णय लिया है। 11(8%) पुरूष एवं 17 (12%) महिला उत्तरदाताओं ने यह तथ्य उद्घाटित है कि चूंकि उनके बहन–भाई अथवा माता–पिता का वैवाहिक जीवन दुःखी होने के कारण उन्होंने यह अनुमान किया कि ऐसा जीवन जीने की अपेक्षा विवाह न करना ही उपयुक्त है, इसलिए उन्होंने विवाह न करने का निर्णय लिया।

दहेज भारत की एक विकट सामाजिक समस्या है। यह समस्या भी उनके परिवारों की कन्याओं से समक्ष विवाह संबंधी समस्या उत्पन्न करती है। 38 (26%) महिला उत्तरदाताओं मुें ऊँचा दहेज चुकाने की क्षमता न होने तथा कम दहेज में उपयुक्त जीवन साथी न मिलने के कारण उन्होंने विवाह न करने का निर्णय लिया है। 5 (3%) महिला उत्तरदातओं का निर्णय था कि वह केवल उस लड़के के साथ विवाह करेगें जो कि दहेज नहीं लेगा। इस प्रकार का वर उनकी जाति में नहीं मिलने के कारण उन्होंने दहेज देकर विवाह करने की अपेक्षा अविवाहित रहना ही उचित समझा।

48 (32%) पुरूष एवं 21 (14%) महिला उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि विवाह योग्य आयु रखते हुए अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप जीवन साथी प्राप्त करने की आकांक्षा से वे उन्हें प्रस्तावित संबंधों को टालते रहे और अन्तोगत्वा आयु बीत जाने पर उपयुक्त संबंध आना बंद हो गये। ऐसी स्थिति में उन्होंने अविवाहित रहना अधिक उपयुक्त समझा।

38 (24%) पुरूष और 32 (21%) महिला उत्तरदाताओं ने प्रतिवेदित किया है कि पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अथवा पिता की मृत्यु के कारण छोटे भाई–बहनेां का दायित्व उन पर आ गया, फलस्वरूप इस दायित्व के निर्वाह के प्रयास में उन्हें अपने स्वयं के विषय में सोचने अथवा निर्णय लेने का समय नही मिला। जब तक वे इन दायित्वों से निवृत्त हुए तब तक उनके विवाह की आयु निकल चुकी थी। इसलिए अविवाहित रहना उनके लिए अनिवार्य बाध्यता थी।

17 (11%) पुरूष एवं 31 (21%) महिला उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया कि वे अधिकतम शिक्षा अर्जित कर उच्च पद और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की

आकांक्षा के पूर्ण होने पर ही विवाह करने संबंधी निर्णय लेना उन्होंने निश्चित किया था, परन्तु इस प्रक्रिया में या तो अधिक समय लगा अथवा उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिला इसलिए वे अविवाहित ही रहे।

01(1%) पुरूष एवं 18 (12%) महिला उत्तरदाताओं ने यह महत्वपूर्ण तथ्य उद्घाटित किया कि बाजार में उपलब्ध साहित्य, मित्रों, सहेलियों से वार्तालाप, बहिन, भाभी की व्यंगोकियों आदि के कारण यौन संबंधों के प्रति उनके मन में भय सा व्याप्त हो गया, वे यह निर्धारित नहीं कर पाये कि उनमें इस योग्य क्षमतायें है अथवा नहीं तथा यह कि क्या यह उचित है। इसी अव्यक्त भय के कारण वह विवाह से डरते और कतराते रहे।

11 (7%) पुरूष एवं 28 (18%) महिला उत्तरदाता अपने मनपसंद स्त्री–पुरूष से विवाह करना चाहते थे। कतिपय उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके द्वारा पसंद किया गया जीवन साथी विजातीय था। कुछ प्रकरणों में विधर्मी होने के कारण विवाह की संभावना ही नहीं थी अतः मन पसंद साथी से विवाह न हो पाने की दशा में उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया है।

63 (42%) पुरूष एवं 48 (32%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि वह जबरदस्ती पारिवारिक दायित्वों का बोझ उठाना नहीं चाहते थे।इन सब दायित्वों के प्रति अनिच्छा के कारण उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया । 42 (28%) पुरूष एवं 68 (46%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि परिवार से जुड़ी अनेक समस्याएं, अत्याधिक जिम्मेदारियों, बच्चों की परेशानी, घर–गृहस्थी के अंतहीन कार्यों के कारण जो अनेक परेशानियों उत्पन्न होती है उससे वह बचना चाहते थे। कारण उन्होने विवाह न करने का निर्णय लिया।

पूर्व पृष्ठ पर यह उल्लेख किया कि कतिपय उत्तरदाताओ के लिए अविवाहित रहने का निर्णय सुविचारित और स्वैच्छिक था, जबकि कतिपय के लिए यह एक बाध्यता उत्तरदाताओं में 51 (34%) पुरूष एवं 33 (22%) महिला उत्तरदाता ( तालिका क्रमांक 37) अब अनुभव करते हैं कि विवाह न कर उन्होंने ठीक नहीं किया है। वे कौन सी दशाऐं हैं जो उन्हें इस स्तर पर इस प्रकार का विचार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इस बिषय में उनके द्वारा दिये गये विचार निम्नानुसार हैं।

## तालिका क्रमांक – 38
## विवाह न करने के प्रति ग्लानि के लिए उत्तरदायी कारण

| अ. क्र. | उत्तरदायी कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | एकाकी जीवन नीरसता उत्पन्न करता है। | 51 | 33 | 34% | 22% |
| 2. | अविवाहित रहना अनेक प्रकार से सुविधाजनक है। | 22 | 26 | 14% | 18% |
| 3. | जीवन निरूद्देश्य लगता है। | 38 | 19 | 26% | 12% |
| 4. | नातेदार, रिश्तेदार अपेक्षा करते है। | 43 | 26 | 28% | 18% |
| 5. | समाज में पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता है। | 36 | 29 | 24% | 18% |
| 6. | असुरक्षा अनुभव होता है। | 51 | 33 | 34% | 22% |

उपरोक्त तालिका यह व्यक्त करती है कि सभी उत्तरदाता अनुभव करते है कि अविवाहित रहने के कारण जीवन इतना एकांकी और असुरक्षित हो जायेगा, यह उन्होने सोचा नहीं था। वृद्धावस्था का विचार न करते हुए भी, वर्तमान में अवस्थता के समय उन्हें अधिक सुरक्षा अनुभव होती है, वृद्धावस्था में असुरक्षा स्थायी चिंता का विषय है ही। इसी प्रकार 43 (28%) पुरूष और 26 (18%) उत्तरदाता महिलाएं अनुभव करती है कि अविवाहित होने के कारण नाते, रिश्तेदार उनकी उपेक्षा करते हैं। 36 (24%) पुरूष और 29 (18%) महिला उत्तरदातायें इसी प्रकार समाज में भी पर्याप्त सम्मान मिल पाने की शिकायत करती हैं। 22 (14%) पुरूष और 26 (18%) महिलाएं अनुभव करती है कि अविवाहित रहने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 38 (26%) पुरूष और 19 (12%) महिलाओं का मन है कि उन्हें अब अपना जीवन

## तालिका क्रमांक 38
## विवाह न करने के प्रति ग्लानि के लिए उत्तरदायी कारण
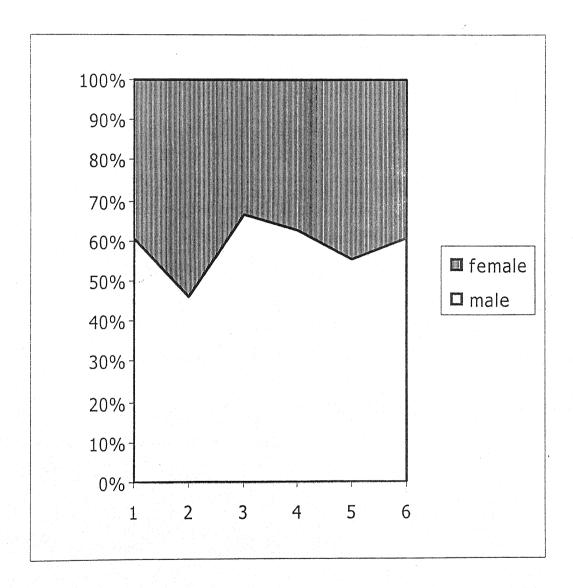
रेखा–चित्र क्रमांक 9

निरूद्देश्य लगता है।

ऊपर प्रस्तुत तालिकाएं इस मान्यता को भ्रांत्र सिद्ध करती है, कि विवाह न करने के प्रति अविवाहितों में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होती है अथवा यह कि अविवाहित का जीवन सुखमय होता हैं। सर्वेक्षित निर्दशनों से साक्षात्कार के दौरान अध्ययनकालीन की यह आभास हुआ कि 51 (34%) पुरूष और 33 (22%) महिला उत्तरदाताओं ने तो स्पष्टता स्वीकार किया कि विवाह न करके उन्होंने ठीक नहीं किया है। परंतु इस प्रकार का विचार रखने वाली निदर्शो की संख्या इससे कहीं अधिक है। संभवतः वह ये कहकर कि विवाह न करके उन्होंने ठीक ही किया है, अपनी कुण्ठा को छुपाना चाहते हैं। यद्यपि उन्हें इस विषय में विश्वास में लेने का काफी प्रयास किया गया, परंतु प्रत्यक्षतः तो उन्होंने यही व्यक्त किया है कि विवाह न करना उनका स्वैच्छिक निर्णय था औरन इसके प्रति उन्हें कोई ग्लानि नहीं हैं। किंतु साक्षात्कार के दौरान अनेक प्रसंग ऐसे उपस्थित हुए जब यह अनुमान लगाना सहज हुआ कि वस्तुतः विवाह न करने के निर्णय के प्रति उनके मन में क्षोभ है।

विवाह न करने संबंधी निर्णय किसी एक कारण पर निर्भर नहीं करता हैं। इसके लिए अनेक व्यक्तिगत,सामाजिक और पारिवारिक कारण भी उत्तरदायी रहते हैं। इस समस्या से संबंधित अनेक कारणों का उल्लेख किया गया है। कतिपय कारण ऐसे है जिनके विषय में पृथक से उल्लेख आवश्यक है। इनके विषय में विवरण निम्नानुसार हैं।

सामान्यतः यह माना जाता है कि जो अविवाहित है उनका अवश्य ही किसी के साथ प्रेम संबंध रहा होगा और इसकी असफलता के कारण ही उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिय है। सर्वेक्षित उत्तरदाताओं से इस विषय में प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक — 39

# अविवाहित रहने की प्रवृत्ति और प्रेम संबंधों की असफलता:— सह—संबंध

| अ. क्र. | दशायें | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | परिवार के सदस्यों के अनुसार प्रेम विवाह चरित्र हीनता है,और इससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। इसलिए उन्होनें प्रेम विवाह की अनुमति नही दी | 08 | 06 | 05% | 04% |
| 2. | प्रेमी—प्रेमिका विजातिय होने के कारण विवाह की अनुमति नहीं मिली। | 08 | 03 | 06% | 02% |
| 3. | प्रेम विवाह से अन्य भाई—बहनों के विवाह में बाध्यता उत्पन्न होने की संभावना के कारण प्रेम विवाह नहीं किया। | 07 | 04 | 04% | 03% |
| 4. | उपरोक्त कारणों से उन्होने चयनित जीवन साथी को प्रतिक्षा करने के लिए कहा, किन्तु कुछ अवधि के बाद उन्होंने अन्यत्र विवाह कर लिया। इसलिए उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया। | 04 | 03 | 02% | 02% |
| 5. | प्रेमी—प्रेमिका के साथ मन मुटाव, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने के बाद विवाह में अरूचि उत्पन्न हो गई। | 05 | 03 | 04% | 02% |
| 6. | विवाह पूर्व यौन—संबंध हो जाने पर प्रेमी—प्रेमिका द्वारा विवाह से इंकार | 01 | 02 | 01% | 01% |
| | योग | 33 | 21 | 22% | 14% |

## तालिका क्रमांक 39
## अविवाहित रहने की प्रवृति और
## प्रेम संबंधों की असफलता सह–संबंध
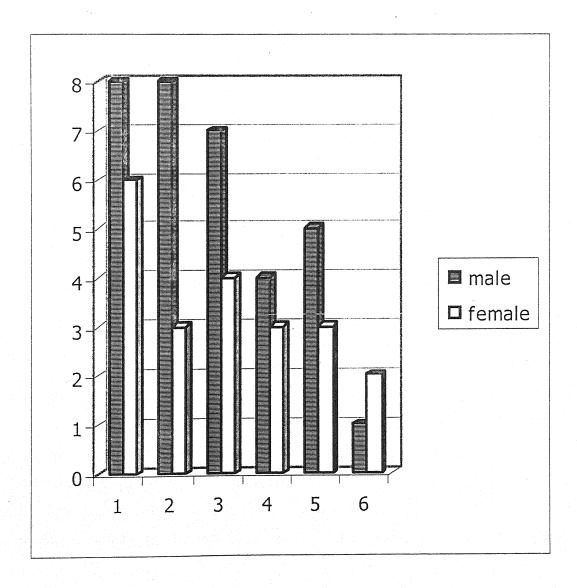
रेखा–चित्र क्रमांक 10

उपरोक्त तालिका व्यक्त करती है कि 33 (22%) पुरूष और 21 (14%) महिलाएं इच्छित जीवन साथी से विवाह न कर पाने के कारण अविवाहित रहें। इसमें से 08 (6%) पुरूष और 06 (5%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है, उनके अभिभावकों ने उन्हें इसलिए प्रेम–विवाह की अनुमति नहीं दी कि इससे अभिभावकों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकुल प्रयास पड़ेगा, क्योंकि समाज प्रेम विवाह को चारित्रिक दुर्बलता मानता है चूँकि उनके द्वारा चयनित जीवन साथी विजातीय–विधार्मिक था अतः उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी। वे स्वयं अपने अभिभावकों के विरूद्ध नहीं जा सकें। उन्हें अविवाहित रह जाना पड़ा।

07 (4%) पुरूष और 04 (3%) महिला उत्तरदाताओं के अनुसार वे अपने परिवार ज्येष्ठ होने के कारण यदि वे अपनी पसंद के जीवन साथी से विवाह कर लेते तो इससे उनके अन्य भाई–बहनों के विवाह में बाधा पहुँचती, इसलिए उन्होंने यह उपयुक्त समझा कि जब तक भाई–बहिनों का विवाह न हो जाये तब तक अविवाहित ही रहेंगे। यह स्थिति आने तक उनके विवाह की आयु निकल चुकी थी, इसलिए उन्हें अविवाहित रहना पड़ा। 04 (03%) पुरूष और 03 (02%) महिला उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने अपने छोटे भाई–बहनों के विवाह तक रूकने तथा उसके पश्चात विवाह करने हेतु अपने द्वारा पसंद किये गये जीवन साथी से कहा, उसके कुछ समय तक प्रतिक्षा कर लेने के बाद अन्यत्र विवाह कर लिया गया। चयनित जीवन साथी द्वारा अन्यत्र विवाह कर लेने पर भी उन्होंने स्वयं किसी और से विवाह करना उचित नहीं समझा और अविवाहित रहने का निर्णय लिया। 05 (4%) पुरूष एवं 03 (2%) महिला उत्तरदाताओं के अनुसार चयनित जीवन साथी दीर्घ काल तक सम्पर्क में रहने तथा विलंब के दौरान उन्हें यह आभास हुआ कि विचार परस्पर नहीं मिलते हैं।

इसमें वे पारस्परिक संबंधो को विवाह तक नहीं पहुँचा पाये और अंततः अविवाहित रह जाना पड़ा। 1 (1%) पुरूष और 2 (1%) महिला उत्तरदाताओं ने यह तथ्य प्रगट किया कि जीवन–साथी के पसंद करने के पश्चात उस संबंध को विवाह में परिणित करने के पश्चात, उस संबंध को विवाह में परिणित करने से पूर्व उनमें शारीरिक सम्पर्क हुआ। इस सम्पर्क के पश्चात जीवन साथी के मन में या तो वितृष्णा हुई अथवा चरित्र पर शंका हुई और वह अपेक्षा करने लगा–लगी। धीरे–धीरे संबंध टूटता गया और उन्होंने विवाह ही न करने का निर्णय लिया।

अविवाहित रहना एक असामान्यता है, यह तो एक विदित तथ्य है कि बिना विवाह के जीवन निर्वाह कष्टप्रद हैं। अतः विवाह न करने का निर्णय सामान्य

परिस्थितियों में नहीं किया जाता है। स्पष्टतः अविवाहित रहने वाले पुरूष और महिलाएं एक–दूसरे के सम्पर्क से वंचित रहते है, इसलिए उन्हें एक दूसरे को जानने का अवसर ही नहीं मिलता है। फलतः उनके मन में एक–दूसरे के प्रति अनेक मूर्तियों कुंठाएं आदि होती है। विवाहित स्त्री और पुरूष साथ–साथ रहते हुए एक दूसरे के साथ वैचारिक एवं व्यवहारिक आदान–प्रदान करते है। एक–दूसरे की समस्याओं से परिचित होते हैं तथा परस्पर सहयोग करते है। ऐसी स्थिति में उनमें एक–दूसरे को समझने तथा सामंजस्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। अविवाहित स्त्री–पुरूष ऐसी सम्पर्क से वंचित होते हैं। इसलिए उनके मन में एक–दूसरे के प्रति मूर्तियों और कुंण्ठाएं होना स्वाभाविक है, जिसे वह एक–दूसरे को पसंद न करने, अविवात रहने के लिए एक उत्तरदायी कारक मानतें हैं। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से जानने का प्रयत्न किया गया कि वे भी ऐसी मानसिकता से पीड़ित हैं। सर्वेक्षित महिलाओं और पुरूषों के द्वारा दिये गये उत्तर निम्नलिखित तालिकाओं में प्रेषित हैं।

## तालिका क्रमांक – 40
## पुरूषों के विषय में अविवाहित महिलाओं की धारणाएं

| अ.क्र. | महिलाओं की मान्यताएं | उत्तरदाताओं की संख्या | उत्तरदाताओं का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| | | महिलाएं | महिलाएं |
| 1. | पुरूष अहंकारी होते है। | 113 | 78% |
| 2. | महिलाओं की समस्याओं के प्रति पुरूष संवेदनहीन होते है। | 118 | 80% |
| 3 | पुरूष नारी स्वतंत्रता में बाधक बनते हैं। | 118 | 80% |
| 4. | पुरूषों द्वारा महिलाओं को आतंकित किया जाता है और अत्याचार किये जातें हैं। | 69 | 46% |
| 5. | आदर्श पुरूष कम होते है। | 118 | 80% |
| 6. | पुरूष द्वारा नारी को सम्मान नहीं दिया जाता है। | 113 | 78% |
| 7. | महिलाओं के सहयोग, त्याग और सहनशक्ति का पुरूष शोषण करते हैं। | 118 | 80% |
| 8. | पुरूष सारे दायित्व महिलाओं को सौपकर अर्कण्मय बन जाते है। | 69 | 46% |
| 9. | पुरूषों में सहयोग और सामंजस्य करने की क्षमता कम होती है। | 115 | 79% |
| 10. | पुरूष अच्छे और बुरे दोनों ही होते है, इसलिए कोई दोषारोपण उचित नहीं है। | 32 | 21% |

उपरोक्त तालिका पुरूषों के विषय में अविवाहित महिलाओं की विभिन्न धारणाओं को व्यक्त करती हैं।

## तालिका क्रमांक 40
## पुरूषों के विषय में अविवाहित महिलाओं की धारणायें
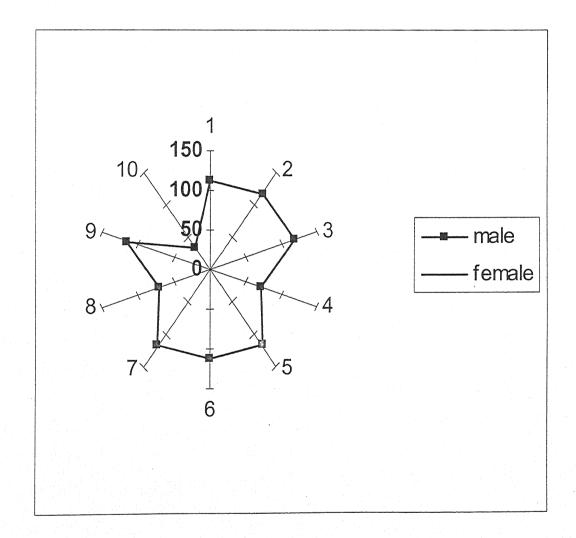
रेखा–चित्र क्रमांक 11

कुछ सामान्य धारणाएं जो कि इस अध्ययन में अभिव्यक्त हुई है, इस प्रकार है। 113 (78:) महिलाओं के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि पुरूष अहंकारी होते है। महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का सम्मान नहीं दे पाते हैं। महिला उत्तरदाताओं के द्वारा इसे स्पष्ट करते हुए जो उदाहरण प्रस्तुतः किये गये है, उनके अनुसार नारी को चाहे वह घर या कार्यालय में हो उसे पुरूष के हाथों प्रताड़ित होना ही पड़ता है। इसलिए उनकी यह धारणा बन गई है कि पुरूष अहंकारी होते हैं तथा वह अपने अहंकार के कारण ही महिलाओं का सम्मान भी नहीं करते हैं। 118 (80: ) महिलाओं का मन है कि स्त्रियों की शरीर रचना उनका, स्वभाव, उनकी आवश्यकता और उनकी समस्याएं पुरूषों से सर्वथा भिन्न प्रकार की होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पुरूष महिलाओं से व्यवहार करते समय महिलाओं की इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखें, परन्तु अनुभव यह है कि वे ऐसा नहीं करते हैं। 118 (80%) महिलाओं का ही मत है कि पुरूष नारी की स्वतंत्रता में बाधक बनते हैं। इसी प्रकार उनका यह भी मत है कि पुरूष नारी के त्याग, सहनशीलता, का अनावश्यक शोषण करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इन महिलाओं की मान्यताएं है कि इन कमियों से वंचित आदर्श पुरूष बहुत कम होगें और ऐसे आदर्श पुरूषों की खोज सहज नहीं हैं। साथ ही मनुष्यों के स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए यदि आज कोई आदर्श पुरूष प्रतीक भी होता है तो व्यवहारिक जीवन में उसका यह रूप यथावत बना रहेगा, यह आवश्यक नहीं हैं। 69 (46%) स्त्रियों का मत है कि पुरूष नारी उत्पीड़न के लिये दोषी है वे न केवल नारी पर अत्याचार करते हैं बल्कि नारी की क्षमताओं और सहृद्वयता का शोषण भी करते हैं। इन्हीं महिलाओं का यह भी मत है कि इन्हीं कारणों से पुरूष अपने अधिकतम दायित्वों को महिलाओं को सौंपकर स्वयं मित्रों, मनोरंजन, क्लब सभा, सोसायटी आदि में समय बिताकर अकर्मण्य बन जाते हैं। 115 (79%) महिला उत्तरदाताओं का मत है कि पुरूष सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु अन्यों का सहयोग देने से प्रायः कतराते है।

उपरोक्त धारणाओं से भिन्न 32 (21%) महिलाओं का कथन है कि अच्छा एवं बुरा होना स्त्री – पुरूष भेद पर आधारित नहीं है, दोनों ही अच्छे और बुरे पाये जाते हैं। इसलिए पुरूषों पर दोषारोपण उचित नही हैं।

उपरोक्त तारतम्य में अविवाहित पुरूष उत्तरदातओं से महिलाओं के विषय में उनके विचार ज्ञात किये गये। प्राप्त प्रत्युक्त निम्नानुसार हैं।

## तालिका क्रमांक — 41

## महिलाओं के विषय मे अविवाहित पुरूषों की धारणायें।

| अ.क्र. | पुरूषों की मान्यताएं | उत्तरदाताओं की संख्या | उत्तरदाताओं का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| | | पुरूष | पुरूष |
| 1. | स्त्रियाँ शक्की और झगड़ालू होती है। | 122 | 81% |
| 2. | स्त्रियाँ पुरूष की स्वतन्त्रा में बाधक बनती है। | 109 | 72% |
| 3 | स्त्रियाँ ईर्ष्यालू होती है। | 79 | 52% |
| 4. | स्त्रियों की सोच संकीर्ण होता है। | 79 | 52% |
| 5. | स्त्रियों में पुरूषों को नियंत्रित रखने की भावना होती है। | 122 | 81% |
| 6. | स्त्रियाँ स्वार्थी होती है। | 79 | 52% |
| 7. | स्त्रियाँ गृहस्थी के अधिकाश दायित्व पुरूषों पर थोपना चाहती है। | 122 | 81% |
| 8. | स्त्रियाँ पुरूषों के विकास के मार्ग में बाधा बनती है। | 109 | 72% |
| 9. | स्त्रियाँ पुरूषों को स्वार्थ, भ्रष्ट आचरण, पश्चपाद आदि के लिए बाध्य बनती है। | 59 | 40% |
| 10. | स्त्रियाँ पुरूषों के बन्धन से परे स्वच्छनता चाहती है। | 78 | 57% |
| 11. | स्त्रियाँ अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की होती है। इसलिए किसी का दोषारोपण उचित नहीं है। | 28 | 18% |

उपरोक्त तालिका यह अभिव्यक्त करती है कि बहुसंख्यक 122 (81%) पुरूषों की मान्यता है कि स्त्रियाँ शंकालु स्वभाव की होती हैं। यह शंकालु स्वभाव

## तालिका क्रमांक 41
## महिलाओं के विषय में अविवाहित पुरूषों की धारणायें
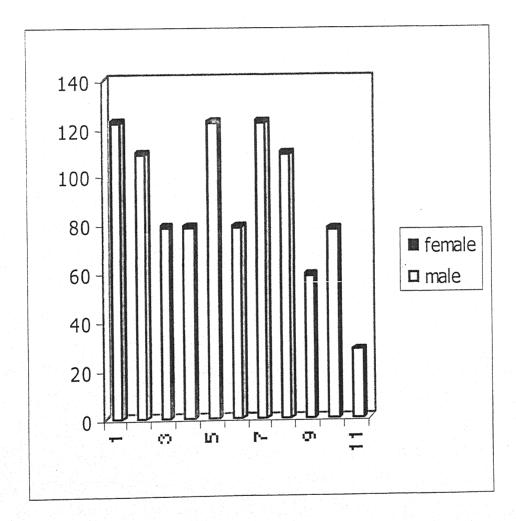
रेखा—चित्र क्रमांक 12

बार–बार कलह उत्पन्न करता है। इसी प्रकार स्त्रियाँ पुरूष पर न केवल एकाधिकार चाहती है बल्कि वह पूरी गृहस्थी पर अपना वर्चस्व ओर नियत्रंण स्थापित करना चाहती हैं। इसी के अंतर्गत वह चाहती है कि पुरूषों को भी नियंत्रित करे यह स्वाभिमानी पुरूष के लिए असहनीय होता है। 109 (72%) पुरूषों ने यह विचार व्यक्त किया है कि स्त्रियाँ पुरूषों की स्वतंत्रता के इसीलिए बाधक बनती हैं, यही नहीं बल्कि वह पुरूषों की प्रगति के मार्ग में भी अवरोध बनती है। 79 (52%) पुरूषों की मान्यता है कि स्त्रियों का स्वभाव ईर्ष्यालु होता है, उनका यह स्वभाव पारिवारिक और सामाजिक सम्बन्धों के निर्वाह में बाधा बनता है, फलतः व्यक्ति स्वयं को अन्यों से कटा हुआ अनुभव करता हैं। 79 (52%) ही पुरूषों का यह भी मत है कि महिलाओं के सोचने समझने का ढंग, विश्व को देखने की दृष्टि,उनके सामाजिक सम्पर्क, विश्व के विषय में उनकी जानकारी संकीर्ण होती हैं जानकारी का ये अभाव उनके सोच को सीमित कर देना हैं। इसी प्रकार 79 (52%) पुरूषों ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि महिलाओं का दृष्टिकोण न केवल संकीर्ण होता है बल्कि वह स्वार्थी भी होती है। 59 (40%) पुरूषों का विचार है कि संकीर्णता और स्वार्थपरता के कारण स्त्रियाँ ही पुरूषों को गलत मार्ग पर अग्रसर करती है, भ्रष्टाचार, पक्षपात के लिए प्रायः महिलाएं ही उत्तरदायी होती है। 78 (57%) पुरूषों की यह धारणा है कि अब स्त्रियाँ पारम्परिक व्यवस्था से उभर चुकी है फलस्वरूप अब वह भी बंधन रहित ओर स्वच्छंद जीवन की ओर अग्रसर हैं। पुरूषों के अहम् पर इसमे चोट पहुँचती है तथा इसका प्रभाव स्त्री पुरूष संबंधो पर पड़ता है।

उपरोक्त विचारों से परे 28 (18%) पुरूषों का मत है कि स्त्रियाँ पर दोषारोपण उचित नहीं है क्योंकि स्वभाव की विलक्षणता स्त्री और पुरूष दोनों में ही पाई जाती हैं।

अविवाहित रहने के लिए एक उत्तरदायी कारक व्यक्ति का स्वास्थ्य उपयुक्त न होना भी होता है। इसके अन्तर्गत दीर्घ अस्वस्थ्ता, लाइलाज बीमारी, विकलांगता, शारीरिक कुष्टता आदि सम्मितलत रहते हैं। उत्तरदाताओं में यदि स्वास्थ्य संबंधी ऐसे किसी कारक के कारण अविवाहित हों तो उन्हें ढूंढने का प्रयास किया। प्राप्त जानकारी निम्नानुसार हैं।

तालिका क्रमांक – 42

स्वास्थ्य के कारण अविवाहित रहने वाले उत्तरदाताओं का विवरण

| अ. क्र. | स्वास्थ्य संबंधी कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं काप्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | विकलांगता | 05 | 02 | 03% | 01% |
| 2. | दीर्घ अस्वस्थता | 03 | 02 | 02% | 01% |
| 4. | लाइलाज बीमारी (सफेद दाग) | 02 | 01 | 01% | 01% |
| 5. | सामान्य से छोटा कद | 02 | 01 | 01% | 01% |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है विकलांगता से ग्रस्त स्त्रियाँ और पुरूष प्रायः विवाह करने के प्रति उदासीन रहते है। इसका कारण यह बताया गया है कि वे आशंकित रहते है कि उनकी जीवन साथी उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर पायेगा अथवा नहीं। इसी प्रकार सफेद दाग से ग्रस्त व्यक्ति भी अविवाहित रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो कभी क्षय रोग, मलित कुष्ट से व्याधि ग्रस्त रहे है, परन्तु अब वे सुधर चुके हैं। परन्तु फिर भी चूँकि जाति में उनके रोग–ग्रस्त होने के बारे में सबको जानकारी रहती हैं, इसलिए ऐसी स्त्रियां पुरूष को जीवन साथी मिल पाना कठिन होता है। उत्तरदाताओं में इस श्रेणी के दो पुरूष (1%) और 1 (1%) महिला हैं। यह तालिका प्रतिवेदित करती है कि विकलांगता अथवा किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी दोष नैसर्गिक होने पर तथा सामान्य जीवन में बाधक न होन पर भी प्रायः यह विवाह के लिए समस्या बनता है और ऐसे व्यक्ति अविवाहित रहने के लिए बाध्य होते हैं।

यौन शरीर से संबंधित एक नैसर्गिक और अनिवार्य आवश्यकता है, इसका मनुष्य के जीवन मे वही महत्व है, जो कि शरीर के लिए अनिवार्य अन्य आवश्यकताओं का, यह नैसर्गिक इसलिए भी है कि बिना इसके मान्य प्रजाति की निरन्तरता संभव नहीं है। अतः यह ईश्वर प्रदत्त मूलभूत मानवीय आवश्यकता है। मानव संबंधों का विस्तार वस्तुतः इस मूलभूत आवश्यकता के कारण ही हुआ है। अतः यौन आकांक्षा न होना एक असामान्यता है। फिर भी कतिपय प्रकरणों में यह विदित हुआ है कि कुछ स्त्रियां व पुरूष यौन संबंधों के प्रति न केवल अरूचि रखते है, बल्कि इसके प्रति बात तक करने से वे घृणा करते

## तालिका क्रमांक 42

## स्वास्थ के कारण अविवाहित रहने वाले उत्तरदाताओं का विवरण
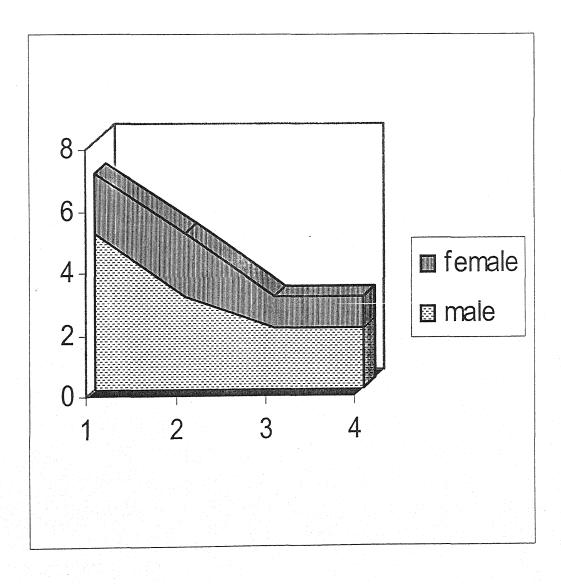
रेखा–चित्र क्रमांक 13

हैं। इस विषय में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर उनका वर्गीकरण निम्नानुसार हैं।

**तालिका क्रमांक – 43**

**यौन संबंधों में अरूचि और अविवाहित रहने की प्रवृति :**

| अ. क्र. | यौन प्रवृति | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | यौन संबंध के प्रति अरूचि होने से विवाह नहीं किया। | 01 | 18 | 01% | 12% |
| 4. | यौन संबंधों के प्रति अरूचि है। परन्तु इस अरूचि के कारण अविवाहित रहने का निर्णय लिया। | 22 | 38 | 14% | 25% |
| 5. | यौन संबंधों को बुरा नहीं मानते है। | 127 | 94 | 85% | 63% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका यह प्रतिवेदित करती है कि 1 (1%) पुरूष व 18 (12%) महिला उत्तरदाताओं ने यौन–संबंधो के प्रति अरूचि होने के कारण अविवाहित रहने का निर्णय लिया। 22 (14%) पुरूष एवं 38 (24%) महिला उत्तरदाताओं का मत है कि यौन संबंधों में अरूचि थी, लेकिन इस कारण से उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय नहीं लिया। इसके विपरीत 127 (85%) पुरूष एवं 94 (63%) महिला उत्तरदाताओं का कहना है कि वह यौन संबंधों को बुरा नहीं मानते हैं।

**पारिवारिक समस्यायें जन्म के परिवार संबंधी**

परिवार हमारे समक्ष दो रूपों में प्रस्तुत होते हैं :– वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है तथा (2) वह परिवार जिसे विवाह के माध्यम से वह स्वयं स्थापित करता है।

## तालिका क्रमांक 43
## यौन संबंधों में अरूचि और अविवाहित रहने की प्रवृति
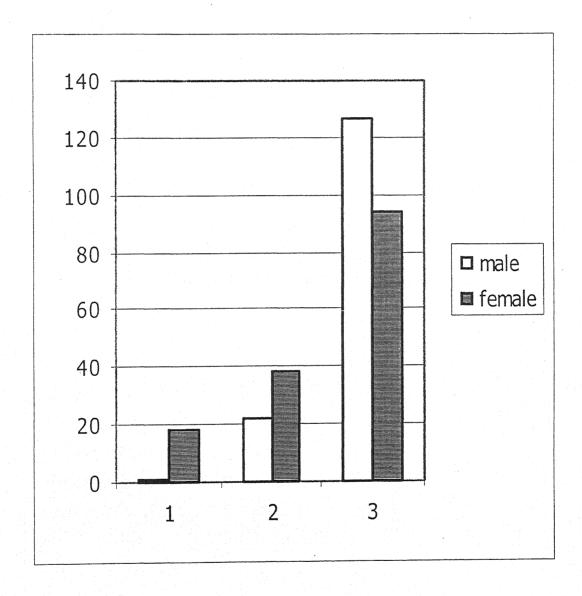
रेखा–चित्र क्रमांक 14

माता–पिता का परिवार अर्थात् वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म का परिवार कहा जाता है। इसके विपरीत वह परिवार जिसे व्यक्ति स्वयं विवाह के माध्यम से स्थापित करता है, जन्म का परिवार कहलाता है। जो अविवाहित है उनका अपना जनन का कोई परिवार नहीं होता है, इसलिए सदस्यता की दृष्टि से वे केवल एक ही परिवार, जन्म के परिवार के सदस्य होते हैं। इस प्रकार उनकी शिक्षा–दीक्षा, संस्कारों का सम्पादन, सामाजीकरण आदि जन्म के परिवार के माध्यम से सम्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत अध्ययन करते समय इस तथ्य का उनके अविवाहित रहने के निर्णय के संदर्भ में परीक्षण किया गया, इस विषयक जानकारी विगत अनुच्छेद में प्रस्तुत हैं।

एक सुस्थापित तथ्य है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति अविवाहित रहने का निर्णय करते समय इस दिशा में सोच लेते है। इस संदर्भ में यह मानने का प्रयास किया गया कि क्या उत्तरदाताओ के परिवार में उनके अतिरिक्त उनके और भी भाई/ बहिन/काका/बुआ हैं। जिन्होंने विवाह नहीं किया हैं। प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक – 44**

**उत्तरदाताओं के अविवाहित नातेदारों की जानकारी**

| अ. क्र. | अविवाहित नातेदार | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | भाई अविवाहित है। | 04 | 06 | 03% | 04% |
| 2. | बहिन अविवाहित है। | 03 | 12 | 02% | 08% |
| 3. | भाई और बहिन अविवाहित है। | — | 04 | — | 03% |
| 4. | काका/ताऊ अविवाहित है। | 02 | 05 | 01% | 03% |
| 5. | बुआ अविवाहित है। | — | 03 | — | 02% |
| 6. | कोई भी नातेदार अविवाहित नहीं है। | 141 | 120 | 94% | 80% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

## तालिका क्रमांक 44
## उत्तरदाताओं के अविवाहित नातेदारों की जानकारी
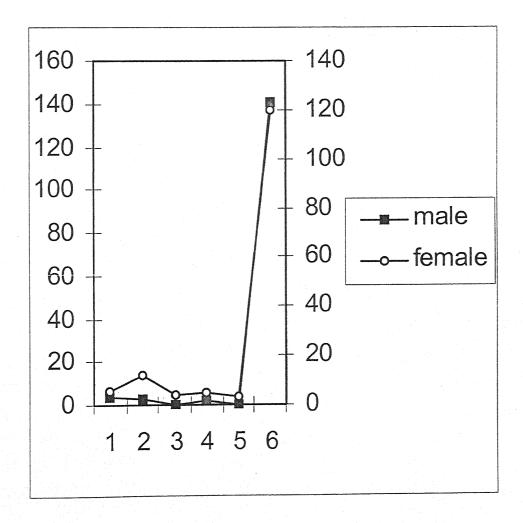
रेखा–चित्र क्रमांक 15

उपरोक्त तालिका यह प्रतिवेदित करती है कि 9 (6%) पुरूष एवं 30 (20%) महिला उत्तरदाता स्वयं अविवाहित है बल्कि उनके जन्म के परिवार में अन्य नातेदार भी अविवाहित है। 4 (3%) पुरूष एवं 6 (4%) महिला उत्तरदाताओं ने यह जानकारी दी है कि उनके परिवार में उनके अतिरिक्त उनका भाई भी अविवाहित हैं 03 (2%) पुरूष एवं 12 (08%) महिला उत्तरदाताओं की बहिने भी अविवाहित हैं। 04 (3%) महिला उत्तरदाताओं के भाई और बहिन दोनों ही अविवाहित है। इसके विपरीत पुरूषों में इसकी संख्या निरक है। 150 पुरूष व महिला उत्तरदाताओं में से 02 (1%) पुरूष एवं 5 (4%) महिला उत्तरदाताओं के काका/ताऊ अविवाहित है। इसके विपरीत 141 (94%) पुरूषों और 120 (80%) महिला उत्तरदाताओं का कोई भी नातेदार अविवाहित नहीं हैं।

उपरोक्त तथ्य के संदर्भ में उत्तरदाताओं से यह जानकारी भी प्राप्त की गई की उनके इन नातेदारों ने किन कारणों से विवाह न करते हुए अविवाहित रहना पसंद किया अथवा बाध्य हुए। प्राप्त उत्तर इस प्रकार हैं।

**तालिका क्रमांक – 45**

**नातेदारों के विवाह न करने के लिए उत्तरदायी कारण**

| अ. क्र. | कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | दहेज के कारण। | 01 | 10 | 01% | 07% |
| 2. | आय कम होने से। | 03 | 07 | 01% | 05% |
| 3. | योग्य जीवन साथी न मिलने के कारण । | 02 | 06 | 01% | 04% |
| 4. | विवाह योग्य आयु में माता–पिता द्वारा ध्यान न दिये जाने के कारण | 02 | 03 | 01% | 02% |
| 5. | अस्वस्था शारीरिक विकलांगता के कारण | 01 | 02 | 01% | 01% |
| 6. | स्वयं द्वारा पसंद किये गये पुरूष/स्त्री के द्वारा किसी अन्य से विवाह कर लेने के कारण। | 01 | 02 | 01% | 00% |
| | योग | 09 | 30 | 06 | 20 |

## तालिका क्रमांक 45
## नातेदारों के विवाह न करने के लिये उत्तरदायी कारण
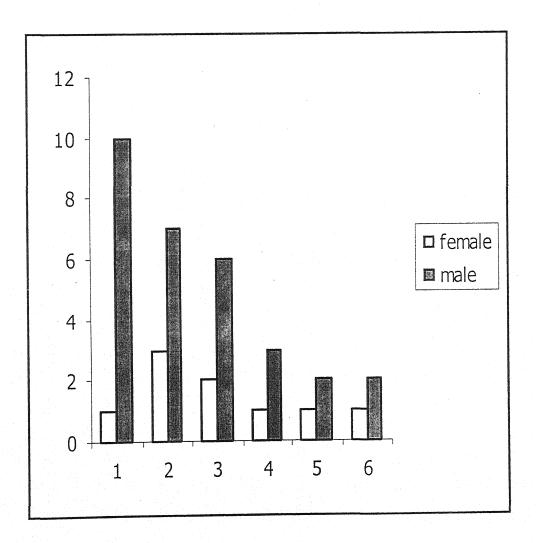
रेखा–चित्र क्रमांक 16

मनुष्य यद्यपि बुद्धिशील प्राणी है परन्तु स्वविवेक से निर्णय देने अथवा स्वतः प्रेरणा से किसी कार्य को करने की अपेक्षा वह अनुकरण करना अधिक पसंद करता है। उपरोक्त तालिका भी यह प्रतिवेदित करती है कि 30 (20%) महिला और 9 (6%) पुरूषों के प्रकरणों मे यह प्रतिपादित हुआ है कि उन्हें अविवाहित रहने के लिए प्रेरित करने में उन नातेदारों की भूमिका भी रही है, जो कि उनके ही समान अविवाहित रहे है। अविवाहित रहना बिना किसी कारण के भी होता है। उत्तरदाताओं के उपरोक्त अविवाहित नातेदारों के द्वारा भी किसी न किसी कारण से ही अविवाहित रहने का निर्णय का लिया गया। उपरोक्त सांख्यिकी भी इसी तथ्य को प्रगट करती है। (1%) पुरूष व 10 (7%) महिला उत्तरदाताओं ने आय की कमी के कारण तथा 2 (1%) पुरूष एवं 6 (4%) महिला उत्तरदातओं ने योग्य जीवन–साथी न मिलने के कारण 1 (1%) पुरूष एवं 3 (2%) महिला उत्तरदाताओ ने विवाह योग्य आयु के समय माता–पिता के द्वारा ध्यान न दिये जाने के कारण अविवाहित रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें विपरीत 1 (1%) पुरूष एवं 2 (1%) महिला उत्तरदातओं ने अस्वस्थता एवं विकलांगता के कारण, तथा इतने ही उत्तरदाताओं ने अपनी पसंद किये गये व्यक्ति द्वारा किसी अन्य से विवाह कर लियें जाने के कारण अविवाहित रहने का निर्णय लिया।

परिवार में किसी सदस्य के असफल अथवा दुखी जीवन का भी अन्य सदस्यों के वैवाहिक सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ सकता है। इस संदर्भ में यह परिकल्पना की गई थी कि न केवल परिवार के किसी सदस्य के अविवाहित रहने की प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य व्यक्ति अविवाहित रहने का निर्णय लेते है बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों का दुखी जीवन भी अन्यों के लिए अविवाहित रहने हेतु प्रेरक बनता है। इस विषय में संकलित जानकारी निम्नानुसार हैं।

### तालिका क्रमांक – 46
### उत्तरदाताओं के परिवार के विवाह–विच्छेद विषयक जानकारी

| अ. क्र. | विवाह विच्छेद संबंधी जानकारी | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | नातेदारों का विवाह विच्छेद हुआ है। | 12 | 18 | 08% | 12% |
| 2. | किसी भी नातेदार का विवाह विच्छेद नहीं हुआ | 138 | 132 | 12% | 88% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका यह व्यक्त करती है कि 12 (8%) पुरूष एवं 18 (12%) महिला उत्तरदाताओं के परिवार में किसी न किसी का तलाक हुआ ही है। किसी नातेदार का विवाह विच्छेद होना ही, कहाँ तक उत्तरदाताओं को अविवाहित रहने के निर्णय लेने के वित बाध्य कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नातेदारों के द्वारा लिये गये तलाक के समय उत्तरदाताओं की आयु क्या थी। प्राप्त विवरण तालिका क्रमांक 47 में दर्शाया गया है।

### तालिका क्रमांक – 47
### नातेदारों के तलाक के समय उत्तरदाताओं की आयु

| अ. क्र. | आयु समूह | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | 5 से 10 वर्ष | — | — | — | — |
| 2. | 10 से 15 वर्ष | 03 | — | 02% | — |
| 3. | 15 से 20 वर्ष | 03 | 03 | 02% | 02% |
| 4. | 20 वर्ष से अधिक | 06 | 15 | 04% | 10% |
| 5. | तलाक नहीं हुआ है। | 138 | 132 | 92% | 88% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि 12 पुरूषों के नातेदारों एवं 18 महिलाओं के नातेदारों जो महिलायें एवं पुरूष स्वयं अविवाहित है द्वारा विवाह–विच्छेद तब किया जब वह (उत्तरदाता) वयस्क थे। पुरूषों के प्रकरण में 6 (4%) नातेदारों तब तलाक लिया जबकि उत्तरदाताओं की आयु 20 वर्ष से अधिक थी। इसी प्रकार 3 (2%) उत्तरदाता 15 से 20 वर्ष की आयु में थे और इतने ही 10 की 15 वर्ष की आयु में थे। महिलाओं के प्रकरण में 15 (10%) नातेदारों के द्वारा लिए गये तलाक के समय उत्तरदाताओं की आयु 20 वर्ष से अधिक थी जबकि 3 (2%) नातेदारों के प्रकरण में उत्तरदाता महिलाओं की आयु 15 से 20 वर्ष थी। यह सांख्यिकी विश्लेषण, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्रेरित करता है कि परिवार में घटित तलाक किशोर और युवा पर विवाह के विषय में प्रतिकूल सुझाव डालते हैं। जो कि अन्तोत्गवता भावी पीढ़ी को अविवाहित रहने के लिए प्रेरित करती हैं।

कलह एक सामान्य आचरण है परन्तु कलह इस सीमा तक भी न हो कि इसमे व्यक्तिक और पारिवारिक विद्यटन की सम्भावना हो। माता–पिता अथवा नातेदारों के बीच कलह का बाल मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि क्या उत्तरदाताओ के अविवाहित रहने के निर्णय के पार्श्व में परिवार के सदस्यों के बीच होने वाला झगड़ा क्या उत्तरदायी हैं। उत्तरदाताओं से यह पूछने पर कि क्या उनके माता–पिता, भैया–भाभी, चाचा–चाची आदि के बीच प्रायः कलह होती थी जिसका कि उन पर प्रभाव पड़ा है। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक – 48**

**उत्तरदाताओं के जन्म के परिवार में कलह पूर्ण वातावरण**

| अ. क्र. | पारिवारिक वातावरण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | कलह होती थी। | 27 | 15 | 18% | 10% |
| 2. | कलह होती थी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। | 33 | 41 | 22% | 28% |
| 3. | ऐसा किसी कलह का स्मरण नहीं है। | 90 | 94 | 60% | 62% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि 27 (18%) पुरूष और 15 (10%) महिला उत्तरदाताओं के द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके माता–पिता के परिवार में प्रायः कलह हुआ करती थी और उस कलह ने उनमें पारिवारिक बंधनों के प्रति घबराहट उत्पन्न की इसके कारण भी उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया है। 33 (22%) पुरूष और 41 (28%) महिला उत्तरदाताओं का मत है कि यद्यपि उनके माता–पिता के परिवार में कलह होती थी, परन्तु यह कलह उन्हें पारिवारिक जीवन के प्रति किसी प्रकार की प्रतिकूल धारणा को विकसित नहीं कर पाई। 90 (60%) पुरूष और 94 (62%) महिलाओं ने व्यक्त किया है कि उन्हें अपने जन्म के परिवार से ऐसी कोई कलह या घटना स्मरण नहीं है जिसने उन्हें अविवाहित रहने के लिए प्रेरित किया।

अभिभावकों में कलह किन कारणों से होती थी। इस विषय में उत्तरदाताओं के द्वारा प्रदत्त जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक – 49**
**परिजनों में कलह के कारण**

| अ. क्र. | कलह के कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | माता–पिता के अनमेल–विचार | 02 | 08 | 01% | 06% |
| 2. | माता–पिता दोनों का झगड़ालू स्वभाव | 04 | 03 | 03% | 02% |
| 3. | पिता झगड़ालू है। | 03 | 06 | 02% | 04% |
| 4. | चाचा एवं पिता दोनों झगड़ालू प्रकृति के हैं। | 01 | 06 | 01% | 04% |
| 5. | अलग–अलग परिस्थितियों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या | 05 | 04 | 03% | 02% |
| 6. | कोई विशेष प्रयोजन होने | 135 | 123 | 90% | 32% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि 2 (1%) उत्तरदाता महिलाओं और 8 (6%) पुरूषों के अभिभावकों का विवाह अनमेल विवाह था यह अनमेल विवाह ही कलह का कारण था और यह कारण ऐसा था जिसके निराकरण की सम्भावना नहीं थी। इसलिए अभिभवकों में प्रयः कलह होती रहती थी। इस कलह के कारण पूरे परिवार का वातावरण ही तनाव ग्रस्त रहता था। इस स्थिति में उनके मन में जीवन के प्रति गहरी हताशा उत्पन्न की फलस्वरूप विवाह के प्रति उनके मन में आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ तथा विवाह की आवश्यकता कभी उन्होंने तीव्रता से अनुभव ही नहीं की। 4 (3%) महिला एवं 3 (2%) पुरूष उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके माता–पिता का स्वभाव ही शीघ्रता से क्रोध आ जाने का था, फलस्वरूप वह जरा–जरा सी बात पर उत्तेजित होकर झगड़ा करते थे। इनका भी कथन है कि उपरोक्त परिस्थितियों में उन्होंने भी विवाह न करने का निर्णय लिया। 3 (2%) महिलाओं एवं 6 (4%) पुरूष उत्तरदाताओं की माँ झगड़ालू नहीं है परन्तु पिता झगड़ालू है, फलतः पिता के द्वारा बार–बार उकसाये जाने पर कलह होती ही थी। 1 (1%) महिला और 6 (4%) पुरूष उत्तरदाताओं के अभिभावकों का परिवार संयुक्त था, इस संयुक्त परिवार में सम्पत्ति को लेकर चाचा एवं पिता में प्रायः कलह होती थी, इसी कलह ने उन्हें जीवन के प्रति नैराश्य भाव, सम्बन्धों की निःस्सारता सम्बन्धी विचारों को विकसित किया, फलतः सभी सम्बन्धी उन्हें स्वार्थी और लोभी लगने लगे। यहाँ तक कि विवाह के पश्चात पत्नी भी ऐसा ही करेगी यह ग्रन्थि उनके मन में बन गयी, फलतः उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया। 5 (3%) महिला एवं 4 (2%) पुरूष उत्तरदाताओं ने प्रतिवेदित किया कि परिवार में भी उन्होंने एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेषपूर्ण आचरण देखा, फलतः वह भी अविवाहित रहने के लिए प्रेरित हुए।

भारत में विवाह एक पारिवारिक दायित्व माना जाता है। भारतीय आस्थाओं के अनुसार पुत्र या पुत्री द्वारा अपने स्वयं के विवाह की पहल को उद्दंडता और अनैतिकता माना जाता है इसके विपरीत जो माता–पिता की इच्छानुसार विवाह करते है उन्हें शालीन और सच्चरित्र माना जाता है। भारत में पुत्र/पुत्री के जन्म के साथही पति/पत्नी बच्चों के पालन पोषण ही नहीं, बल्कि भविष्य में उनके विवाह की चिन्ता से ग्रस्त हो जाते है। लड़का/लड़की किशोर हुए कि उनके विवाह सम्बन्धी आर्थिक तैयारी व योग्य वर/वधु हेतु नातेदारों से पूछ–परख प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार पुत्र/पुत्री का विवाह हिन्दू परिवार का अनिवार्य दायित्व और माता/पिता का कर्त्तव्य माना जाता है। इस संदर्भ में एक जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि कहीं परिवार और माता–पिता के द्वारा अपने दायित्व और कर्त्तव्य के प्रति बरती गई उपेक्षा तो अविवाहित रहने की प्रवृत्ति के साथ सम्बनधित नहीं है। उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या वे अनुभव करते है कि जब

उनकी आयु विवाह योग्य थी तब आपके माता/पिता या आपके भाई/बहिनों ने आपका विवाह करवाने का प्रयास नही किया।

**तालिका क्रमांक – 50**
**माता–पिता द्वारा उत्तरदाताओं के विवाह की यथा–समय पहल बाबत जानकारी**

| अ. क्र. | पहल का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | यथा समय पहल की गई। | 132 | 123 | 88% | 82% |
| 2. | यथा समय पहल नहीं की गई। | 18 | 27 | 12% | 18% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि यद्यपि 18 (12%) पुरूष और 27 (18%) महिलायें ही अनुभव करतीं है। कि उनके माता–पिता के द्वारा उनके विवाह हेतु यदि यथा समय पहल की गई होती तो संभवत उन्हें अविवाहित न रहना पड़ता। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि विवाह योग्य आयु होने पर यदि माता–पिता, पुत्र/पुत्री के विवाह की पहल कर विवाह सम्पन्न करवाने में उपेक्षा बरतते है तो इसका प्रभाव एक कारक के रूप में, अविवाहित रहने की समस्या को उत्पन्न करता है।

उपरोक्त संदर्भ में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि किन कारणों से अभिभावकों ने उनके विवाह की यथा समय पहल नहीं की। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार हैं।

## तालिका क्रमांक – 51
## अभिभावकों द्वारा उत्तरदाताओं के विवाह की यथा–समय पहल न करने के कारण

| अ. क्र. | कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | उत्तरदाता की आर्थिक आय उत्तम होने से, उस पर परिवार का एकाधिकार रखने की भावना। | 03 | 08 | 02% | 06% |
| 2. | अभिभावकों की अपनी परिस्थितियाँ और दायित्व। | 02 | 07 | 01% | 05% |
| 3. | कुरूपता/अस्वस्थता/विकलांगता के कारण। | 10 | 05 | 07% | 03% |
| 4. | पिता अस्वस्थ होने से वर/वधू की खोज नहीं कर पाये। | 01 | 03 | 01% | 02% |
| 5. | विधवा माँ के द्वारा प्रयास कर पाने में असफलता। | 02 | 02 | 01% | 01% |
| 6. | माता–पिता के द्वारा दहेज जुटाने हेतु असफलता। | 00 | 02 | — | 01% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका उन कारणों पर प्रकाश डालती है, जिनकी वजह से अभिभावकों ने अपने पुत्र/पुत्री के विवाह में रूचि नहीं ली। महिलाओं/पुरूषों के प्रकरण में

महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रकाश में आया है कि माता–पिता में यह भावना रही है कि काम–काजी, पुत्र/पुत्री का विवाह कर दिया जाये तो पुत्र की आमदनी पर उसकी पत्नी व पुत्री की आमदनी पर ससुराल के लोगों का अधिकार होगा, इस प्रकार वे माता–पिता उनकी आय से वंचित रह जायेगे। इस स्वार्थ–वश माता–पिताने यथा समय विवाह की पहल न करते हुए उसे टालते रहे। 2 (1%) पुरूषों व 6 (5%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि माता–पिता उनके (पुत्र/पुत्री) विवाह के समय अपनी वैयक्तिक और पारिवारिक समस्याओं जैसे परिवार से परे पदस्थापना के स्थान पर रहने की बाध्यता, पिता का बार–बार का स्थान्तरण, अपने स्वयं के ( पिता के भाई/बहिनों ) के विवाह को प्रधानता देना। तालिका क्रमांक 38 प्रतिवेदित करती है कि 38 (26%) महिला उत्तरदाता इसलिये विवाह नहीं कर पाई कि उनके अभिभावक दहेज जुटाने में असफल रहे। इनमें से 2 (1%) महिला उत्तरदाताओं ने यह विचार प्रगट किया कि,क्यों कि उनके माता–पिता में दहेज जुटाने की क्षमता नहीं थी, इसलिये उन्होनें विवाह की पहल ही नहीं की। 10 (7%) उत्तरदाता पुरूष एवं 5 (3%) महिलाओं ने प्रगट किया है कि कुरूपता, अस्वस्थता एवं शारीरिक विकलांगता के कारण उनके अभिभावकों ने यह विचार करते हुए कि उनके योग्य कोई जीवन साथी नहीं मिल पायेगा। इसलिये उन्होने उनके विवाह का कोई प्रयास ही नहीं किया 1 (1%) पुरूष एवं 3 (2%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके पिता की दीर्घ अस्वस्थता के कारण वे (पिता) उनके विवाह हेतु प्रयास नहीं कर पाये। इस प्रकार 2 (1%) महिला उत्तरदाताओं एवं 2 (1%) पुरूष उत्तरदाताओं ने प्रगट किया कि उनके पिता की कम आयु में देहावसान हो जाने के कारण, विधवा माँ उनके विवाह के लिए उपयुक्त वर/वधु खोज नहीं पाई इसके अतिरिक्त उनके मन में स्वयं की असुरक्षा की भावना भी थी, इस कारण उनका विवाह टलता रहा।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि पुत्र/पुत्री का विवाह करना माता–पिता का दायित्व होता है। सामान्यतः माता–पिता इस दायित्व का निर्वाह करते है। परन्तु कतिपय परिस्थितिसों जैसे पुत्र/पुत्री के विवाह योग्य होने से पूर्व सेवा–निवृत्त हो जाना अथवा पिता की मृत्यु हो जाना, ऐसी स्थिति में अभिभावक बच्चों विवाह की और ध्यान नहीं दे पाते हैं। उत्तरदाताओं की आयु–विवाह योग्य थी, तब उनके पिता क्यों कर उनके विवाह की पहल नहीं कर पाये। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक – 52
## उत्तरदाताओं की विवाह योग्य आयु के समय अभिभावकों के द्वारा उनके विवाह की पहल न करने के कारण

| अ. क्र. | कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | सेवानिवृत्ति | 48 | 45 | 32% | 30% |
| 2. | स्वर्गवासी | 30 | 48 | 20% | 32% |
| 3. | वृद्धावस्था के कारण | 72 | 57 | 48% | 38% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका की साँख्यिकी यह प्रगट करती है कि 48 (32%) पुरूष ण्वं 45 (30) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि उनकी बाल्यावस्था मेंही उनके पिताजी सेवानिवृत्त हो गसे थे, अतः वे उनके विवाह हेतु सक्षम पहल नहीं कर पाये। परिवार के सदस्यों और नातेदारों का भी उन्हें सहयोग नही पाया। इसी प्रकार 30 (20%) पुरूष एवं 48 (32%) महिलाओं ने प्रगट किया कि उनके बाल्यकाल में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, इसलिये भाई/बहिनों ने सक्षमता पूर्वक प्रयास नहीं किया तथा माँ विधवा होने के कारण चाह कर भी सफल नहीं हो सकी। 72 (48%) पुरूषों एवं 57 (38%) महिला उत्तरदाताओं ने यह व्यक्त किया कि उनके माता–पिता अत्याधिक वृद्ध होने के कारण वे उनके विवाह हेतु प्रयत्न नहीं कर पाये तथा भाई/बहिन अपनी–अपनी गृहस्थी में व्यस्त होने के कारण रूचि नहीं ले पाये परिणाम स्वरूप उनके विवाह में विलम्ब हुआ। इस विलम्ब के कारण उन्हें उपयुक्त वर/वधु नहीं मिल पाये या उनकी स्वयं की रूचि हट गई। इस प्रकार पिता की वृद्धावस्था, बाल्सकाल में पिता की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु उत्तरदाताओं के अविवाहित रहने के लिए एक उत्तरदायी कारक है।

शिक्षा व्यक्तित्व विकास आर्थिक स्वावलम्बन और उच्च सामाजिक स्थिति के लिये आवश्यक होती है अतः यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या उपरोक्त उद्देश्यों से प्रेरित होकर, शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास में वे विवाह को टालते रहे और अन्तोत्गत्वा उन्हें अविवाहित रहना पड़ा। प्राप्त उत्तर इस प्रकार हैं।

## तालिका क्रमांक – 53
## शिक्षा और अविवाहित रहने की प्रवृत्ति सह–सम्बन्ध

| अ. क्र. | सहसम्बन्ध | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| 1. | शिक्षा प्राप्ति और व्यक्तित्व विकास के प्रयास में विवाह में विलम्ब होता रहा। | 21 | 24 | 14% | 16% |
| 2. | ऐसा कोई कारण नहीं है। | 129 | 126 | 86% | 84% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका की साँख्यिकी यह प्रगट करती है कि 21 (14%) पुरूष एवं 24 (16%) महिला उत्तरदाताओं ने अपनी शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास के प्रयास में विवाह पर ध्यान नहीं दिया और बाद में विवाह के लिए देर हो चुकी थी 129 (86%) पुरूष 126 (82%) महिला उत्तरदाताओं ने ऐसा कोई कारण प्रगट नहीं किया है।

उपरोक्त तारतम्य में उन कारणों को भी ज्ञात किया गया जिनसे कि वे व्यक्तित्व विकास के इस प्रयास में विवाह की उपेक्षा करते रहे अथवा उनका विवाह न हो सका। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक — 54
## व्यक्तित्व विकास के प्रयास और
## अविवाहित रहने की घटना सह–सम्बन्ध

| अ. क्र. | अविवाहित रहने की घटना | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | समकक्ष योग्य जीवन साथी उपलब्ध नहीं हुआ/हुई | 13 | 11 | 09% | 08% |
| 2. | दूसरे पक्ष द्वारा उत्तर–दाताओं की शिक्षा और योग्यताओं को देखते हुए, विवाह से इन्कार किया गया। | 02 | 04 | 01% | 02% |
| 3. | उत्तरदाता आश्वस्त नहीं थी कि जीवन साथी उनके मापदण्ड़ों के अनुकूल जीवन में खरा उतरेगा/उतरेगी। | 04 | 06 | 03% | 04% |
| 4. | उच्चशिक्षा पद और स्थिति को देखते हुए विवाह के द्वारा उसे घर गृहस्थी में नष्ट उचित नहीं समझा। | 02 | 03 | 01% | 02% |
| 5. | उपरोक्त में से कोई कारण उत्तदायी नहीं है। | 129 | 126 | 86% | 84% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि अविवाहित उत्तरदाताओं मे से 13 (9%)

## तालिका क्रमांक 54
## व्यवक्तित्व विकास के प्रयास
## और अविवाहित रहने की घटना सह–संबंध
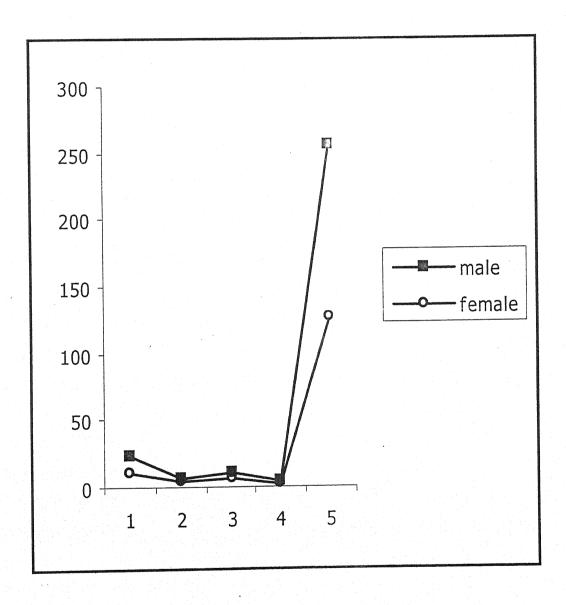
रेखा–चित्र क्रमांक 17

पुरूष एवं 11 (8%) महिला उत्तरदाताओं ने यह व्यक्त किया कि उनकी आकांक्षा थी कि उनका जीवन साथी उनकी समकक्ष योग्यता युक्त हो ताकि वैचारिक और सामाजिक धरातल पर दोनों एक समान हों, ऐसा होने से उनके लिए सामाजिक समायोजन सहज होता, चूँकि उन्हें अपनी पसंद के अनुसार ऐसा जीवन साथी उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए अपेक्षा के विपरीत किसी से भी विवाह कर जीवन को दुखमस बनाने की अपेक्षा उन्होंने अविवाहित रहना ही उपयुक्त माना। 02 (1%) पुरूष एवं 4 (2%) महिला उत्तरदाताओं के अनुसार वे तो परिस्थितियों के साथ समझौता करते हुए अपने से कम योग्यता रखने वाली स्त्री पुरूष से विवाह करना चाहते थे, परन्तु दूसरे पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया इनमें न केवल स्त्रियाँ बल्कि पुरूष भी सम्मिलित है। यह पुरूष जिस जाति परिवेश से आये है उस परिवेश में उच्च शिक्षितों के प्रति भ्रांति रहती है कि अत्याधुनिक होने के कारण उनके साथ दासियों के समान अथवा अपमानजनक स्थिति में निर्वाह करना पड़ेगा इसलिए पुरूषों के चाहने के बावजूद भी महिलाओं ने उनके साथ विवाह करना पसंद नहीं किया 04 (2%) पुरूष एवं 6 (4%) महिला उत्तरदाताओं का कथन था कि शिक्षा, पद और आर्थिक स्थिति को देखते हुए वे ऐसे वर्ग के सदस्य थे जिसमे कि व्यक्तियों में विशेष प्रकार का जीवन जीने की अपेक्षा की जाती है।

जीवन जीने का उनका अपने ढंग, मानक और सामाजिक आदर्श होते है। अतः उन्होने अनुभव किया कि इस परिवेश में उनका जीवन साथी, उनके साथ समायोजन नहीं कर पायेगा। इससे वैवाहिक जीवन दुखी होगा। वैवाहिक जीवन को दुखमय बनाने की अपेक्षा उचित यह है कि विवाह ही न किया जाये, इस प्रकार उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया।

2 (1%) पुरूष एवं 3 (2%) महिला उत्तरदाताओं के अनुसार शिक्षा एवं तदनुकूल अर्जित योग्यताओं और क्षमताओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से, यह उपयुक्त है कि व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीये। विवाह के पश्चात घर गृहस्थी के दायित्वों में बंध जाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में, प्रतिभाओं और क्षमताओं का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए 2 (1%) पुरूष एवं 3 (2%) महिलाओं ने यह उचित समझा कि अविवाहित रहते हुए योग्यताओं और क्षमताओं को मुखरित होने दे और उनसे लाभ उठाने का प्रयास करें। इसी प्रक्रिया में उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया।

उत्तरदाताओं के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति और उसका उत्तरदाताओं के अविवाहित रहने से संबंध

जीवन निर्वाह के लिए किसी न किसी प्रकार का आर्थिक उपक्रम करना अनिवार्य है। वस्तुतः परिवार की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर इस प्रकार के सदस्यों के व्यक्तित्व को व्यापक रूप में प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति और शिक्षा के प्रति अभिरूचि में प्रत्यक्ष संबंध है। इसी प्रकार परिवार के सदस्यों में संख्या , आकार, स्थिति और परिवार के सदस्यों में वैवाहिक संबंध परस्पर संबंधित होते है। इस संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या उत्तरदाताओं के पिता के व्यवसाय का स्वरूप कैसा था। प्राप्त जानकारी इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक – 55**

**उत्तरदाताओं के पिता का व्यवसाय**

| अ. क्र. | कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | नौकरी | 71 | 66 | 54% | 44% |
| 2. | व्यवसाय | 54 | 66 | 36% | 44% |
| 3. | कृषि | 15 | 18 | 10% | 12% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका से यह प्रतिवेदित होता है कि 71 (54%) पुरूष और 66 (44%) महिला उत्तरदाताओं के पिता नौकरी, 54 (36%) पुरूष एवं 66 (44%) महिला उत्तरदाताओं के पिता व्यापार और 15 (10%) पुरूषों एवं 18 (12%) महिला उत्तरदाताओं के पिताजी कृषि का कार्य करते हैं।

विवाह भारत में एक खर्चीला आयोजन होता है, न केवल विवाह के संस्कार को सम्पन्न करने में खर्च होता है बल्कि विवाह के लेन–देन के मामले में भी काफी व्यय करना पड़ता है। यह व्यय न केवल दहेज के रूप में बल्कि नाते–रिश्तेदारों को दी जाने वाली भेंट, उपहार, वस्त्र, यात्रा–व्यय, दावत आदि पर भी करना पड़ता है। इस आर्थिक व्यय का कोई निश्चित प्रतिमान या मानक नहीं है। वास्तव में एक–दूसरे का अनुकरण और उसके अनुकूल प्रतिस्पर्धा नातेदार करते है। विशेष कर ऐसी प्रतिस्पर्धा नातेदारों के बीच अधिक होती है। प्रतिस्पर्धा के कारण विभिन्न मदों में किया जाने बाला व्यय निरंतर

बढता जाता है। इसलिए हिन्दू समाज में विवाह एक व्यय पूर्ण कार्य है। यदि माता–पिता की आर्थिक स्थिति अनुकूल न हो तथा किसी स्रोत से सहायता, कर्ज आदि प्राप्त होने की संभावना न हो, तब भी अच्छे वर की खोज, समस्या बन जाती है। इसी प्रकार अच्छी आर्थिक स्थिति हो तो अभिभावक वधू पक्ष से विवाह को अधिक खर्चीला बनाने, भेंट, उपहार देने, यात्रा, दहेज और भैतिक सुख सुविधाओं के साधन होने इस की मांग करते हैं। इस प्रकार के प्रयास में अपेक्षायें निरंतर बढ़ती जाती हैं। अन्ततः जाति अथवा समुदाय में यह प्रचारित होता है कि अधिक ऊँची मांग के कारण लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है और ऐसे लड़की के लिए, विवाह के प्रस्ताव आना प्रायः बंद हो जाते हैं। अन्तोगत्वा अविवाहित रह जाना बाध्यता हो जाती है। इस प्रकार अभिभावकों की आर्थिक स्थिति वर और वधू दोनों के प्रकरण में अविवाहित रहने के लिए कारक बनती है।

**तालिका क्रमांक – 56**

**उपभोक्ताओं के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति**

| अ. क्र. | आर्थिक स्थिति | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | निम्न मध्यमवर्गीय आर्थिक स्थिति। | 58 | 62 | 38% | 41% |
| 2. | उच्च मध्यमवर्गीय आर्थिक स्थिति। | 74 | 59 | 50% | 40% |
| 3. | उच्चवर्गीय आर्थिक स्थिति। | 18 | 29 | 12% | 19% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

अविवाहित रहने की प्रवृत्ति दो स्थितियों में सर्बाधिक व्यक्त हुई है। प्रथम वह स्थिति जिसमें कि अभिभावक दहेज नहीं जुटा पाये, जिसमें उत्तरदाताओं पर अभिभावकों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले दायित्वों का निर्वाह करने की आवश्यकता पड़ी, तथा

द्वितीय वह स्थिति जिसमें कि स्त्रियाँ और पुरूष अपनी शैक्षणिक स्थिति, पद, आर्थिक–स्थिति तथा विवाह योग्य आयु बीत जाने के कारण विवाह नहीं कर पाये।

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि, बहुसंख्यक उत्तरदाता निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के सदस्य है। उच्च मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय स्थिति में उपरोक्त दोनों दशाओं को जन्म दिया है। दहेज मध्यम वर्ग के लिए भी एक बोझ है, इसी प्रकार मध्यम वर्गीय परिवारों की आय, परिवार का आकार और आवश्यकताओं के बीच संतुलन नहीं कर पाते हैं। इसलिए सामान्यतः ज्येष्ट पुत्र/पुत्री के दायित्वों के निर्वाह में अभिवाको की सहायता करनी पड़ती। इसके साथ ही यह तथ्य भी सत्य है कि मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ /पुरूष विवाह सम्बन्धी, जीवन साथी के चयन में अधिक सजग दिखाई देते है। इस वर्ग के शिक्षित पुरूष भौतिकवादी मूल्यों से अधिक जुड़े होने कू कारण, एक ओर वो दहेज की अधिक मांग करते हैं, तो दूसरी ओर जीवन साथी पसन्द करते हैं जो शैक्षणिक व्यवसायिक दृष्टि से इनके अधिक निकट हो, यह स्थिति इस वर्ग की महिलाओं की भी है। इसलिए इस प्रक्रिया में उपयुक्त जीवन साथी की तलाश पूर्ण नहीं होती है, फलतः विवाह योग्य आयु के बीत जाने पर अविवाहित रहने की बाध्यता हो जाती है।

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि 150 उत्तरदाताओं में से केवल मात्र 18 (12%) पुरूष एवं 29 (19%) महिलायें ही उच्च वर्ग से समबन्धित है, शेष मध्यवर्गीय उत्तरदाता है। उच्च वर्गीय उत्तरदातओं में अविवाहित रहने का कारण अपने समकक्ष जीवन साथी के उपलबध न होना मुख्य है। यह विदित हुआ है कि अविवाहित रहने की प्रवृति को स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता है। भारत में विवाह संबंधों की खोज अभिभावकों का दायित्व माना जाता है। अभिभावक जिन कारणों से पुत्र हेतु वर/वधु की खोज में उदासीनता बरतते हैं, उसमें एक कारण यह भी है कि यदि अभिभावकों की आय कम हो, विवाह योग्य पुत्र/पुत्री आय अर्जित करते हों, परिवार का आकार बड़ा है तथा उनके छोटे भाई/बहिनों के विवाह का दायित्व पूर्ण करने में, अभिभावक सक्षम न हों, तब निम्नलिखित दो परिस्थितियाँ उतपन्न होती है।

1. स्वयं अविवाहित रहने का निर्णय लेकर अभिभावक की आर्थिक सहायता करना और छोटे भाई/बहिनों का विवाह की व्यवस्था करना ।
2. अभिभावको के द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप में उन्हें फिलहाल विवाह न करते हुए, उपरोक्तानुसार सहायता करने हेतु प्रेरित या बाध्य करना।

इन दोनों स्थितियों में काफी समय तक वे स्वयं के विषय में विचार नहीं कर पाते है। और जब तक भाई/बहिनों के दायित्वों से उन्हे मुक्ति मिलती है तब तक न तो विवाह योग्य आयु रह जाती है और न ही विवाह के प्रति उत्साह, फल स्वरूप इच्छित/अनिच्छित रूप में अविवाहित रहना नियति बन जाता है। इस विषय में उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या वे अनुभव करते है कि भाई/बहिनों के विवाह की तैयारी और अभिभावकों की आर्थिक सम्बल–प्रदान करने की अपेक्षा से उनके अभिभावक उनके विवाह की उपेक्षा करते रहे? प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक – 57**

**भाई/बहिनों के विवाह से संबंधित दायित्व**

**और उत्तरदाताओं के विवाह के प्रति उपेक्षा :– सह संबंध**

| अ. क्र. | विवाह संबंधीदायित्वों के प्रति उपेक्षा | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अभिभावकों के द्वारा उदासीनता बरती गई। | 24 | 18 | 16% | 12% |
| 2. | उदासीनता नहीं बरती गई। | 126 | 132 | 84% | 88% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि 24 (16%) पुरूषों और 18 (12%) महिला उत्तरदाताओं के प्रकरणों में अभिभावकों के द्वारा पुत्र/पुत्री के आर्थिक दोहन के प्रयास में उनके विवाह के प्रति उदासीनता बरती गई। जिसका परिणाम अन्त में उनके अविवाहित रहने के रूप में घटित हुआ।

उपरोक्त तालिका एवं तालिका क्रमांक 37 की परस्पर तुलना से यह विदित होता है कि दोनों ही तालिकाओं की संख्या में भिन्नता है, इस भिन्नता का कारण यह है कि उपरोक्त तालिका में केवल उन उत्तरदाताओं का समावेश किया गया है, जिसमें उत्तरदाताओं के विवाह को इसलिए टाला गया ताकि इनकी सहायता अन्य भाई/बहिनों

का विवाह पहले सम्पन्न कर लिया जाये। तालिका क्रमांक 37 में उन उत्तरदाताओं का उल्लेख किया गया है, जिन्होने उपरोक्तानुसार अभिभावकों में निहित स्वार्थ के कारण तथा छोटे भाई/बहिनों की शिक्षा दीक्षा में सहायता के लिए स्वैच्छिक रूप में भी विवाह के प्रति उपेक्षा वृति रखी, अतः उपरोक्त तालिका 37 का एक हिस्सा है। तालिका क्रमांक 37 में से यदि उपरोक्त साँख्यिकी को पृथक कर दें तब हम भाई/बहिनों की समुचित शिक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से तथा माता/पिता के द्वारा अन्य भाई/बहिनों के विवाह में उत्तरदाताओं की सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रवृति के आधार पर तालिका को निम्नानुसार स्वरूप प्रदान कर सकते है।

**तालिका क्रमांक – 58**

**भाई/बहिनों की शिक्षा और विवाह संबंधी दायित्व तथा उत्तरदाताओं का अविवाहित रहना :**

| अ. क्र. | अविवाहित रहने के कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | छोटे भाई/बहिन के विवाह में सहायता की अपेक्षा से, अभिभावकों द्वारा उनकी उपेक्षा की गई। | 24 | 18 | 16% | 12% |
| 2. | छोटे भाई/बहिनों की शिक्षा दीक्षा विवाह आदि दायित्वों के निर्वाह में, अभिभावकों की सहायता की दृष्टि से स्वयं विवाह टालते रहे। | 14 | 14 | 10% | 10% |
| | योग | 38 | 32 | 26% | 22% |

उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण क्या विवाह कर परिवार पर बोझ न डालने की भावना उनके अविवाहित रहने के पार्श्व में एक उत्तरदायी कारक रहा है। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक – 59**
**विवाह के कारण पड़ने वाले आर्थिक भार से अभिभावकों को राहत प्रदान करना अविवाहित रहने हेतु उत्तरदायी एक कारण**

| अ. क्र. | अविवाहित रहने के कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | उत्तरदाताओं के विवाह संबंधी आर्थिक भार से अभिभावकों को मुक्त करने की भावना उत्तरदायी है। | 14 | 14 | 9% | 9% |
| 2. | उत्तरदायी नहीं है। | 136 | 136 | 91% | 91% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका यह प्रगट करती है कि 14 (09%) पुरूष उत्तरदाताओं एवं इतनी ही महिला उत्तरदाता अनुभव करती हैं कि उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण छोटे भाई/बहिनों का भविष्य उज्जवल बनाने की आकांक्षा से उन्होने स्वयं के विवाह के भार से अभिभावकों को मुक्त करने की दृष्टि से अपने विवाह के प्रति उपेक्षा रखी, परिणामतः उन्हे अविवाहित रह जाना पड़ा।

उत्तरदाताओं से उपरोक्त तालिका से संबंधित इस प्रश्न के तारतम्य में कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण क्या आपने विवाह कर, परिवार पर आर्थिक बोझ, नहीं डालना चाहा तथा छोटे भाई/बहिनों की देखभाल में सहायता की भावना रखी, से संबंधित एक पूरक प्रश्न यह पूछा गया कि क्या यह संभव न होता कि वे विवाह

भी करते तथा विवाह के बाद भी अभिभावकों की सहायता करते रहते? उत्तरदाताओं के द्वारा निम्नांकित उत्तर दिये गये।

**तालिका क्रमांक – 60**

**विवाह करने के बाद अभिभावकों की आर्थिक सहायता करते रहने की संभावना के प्रति प्रतिक्रिया**

| अ. क्र. | प्रतिक्रिया | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | इस मामले में पति/पत्नी पर निर्भर रहना पड़ता है। | 05 | 07 | 03% | 05% |
| 2. | स्वयं के पारिवारिक दायित्व बढ़ने पर उनके स्वयं के लिए ऐसा करना संम्भव नहीं हो पाता। | 03 | 05 | 02% | 03% |
| 3. | वे कोई जोखिम लेना नहीं चाहते/चाहती थी। | 06 | 02 | 04% | 01% |
| | योग | 14 | 14 | 09% | 09% |

उपरोक्त तालिका की साँख्यिकी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 5 (3%) पुरूष एवं 7(5%) महिला उत्तरदाता स्वयं के विवाह की उपेक्षा इसलिए करते रहे ताकि विवाह के पश्चात, अभिभावकों की आर्थिक सहायता करना अथवा विवाह करना उनकी इच्छा पर निर्भर न रह कर पति/पत्नी की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसी दशा में तनाव तथा कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। संभव है कि इसमें उनका वैवाहिक जीवन दुखी होता तथा उन्होने इस संभावना से बचने के लिए अविवाहित रहने का निर्णय लिया। 3 (2%) पुरूष एवं 5 (3%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि विवाह कर लेने पर उनके स्वयं के भी पारवारिक दायित्व बढ़ जाते और तब इन दायित्वों के

निर्वाह की प्राथमिकता के कारण उनके लिए यह संभावना न रहती कि वे अपनी अभिभावकों की भी सहायता करें। उपरोक्त दो कारणों को दृष्टिगत रख कर 6 (4%) पुरूष एवं 2 (2%) महिला उत्तरदाताओं के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि वे इस प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे।, इसलिए वे प्रारम्भ में विवाह को टालते रहे और अन्तोगत्वा जबाबदारियों से मुक्त होने तक उनके स्वयं के विवाह के आयु बीत चुकी थी।

## अविवाहित रहने की प्रवृति और सामाजिक दशायें : सह–संबंध

विवाह करना अथवा न करने के निर्णय को कतिपय सामाजिक दशायें प्रभावित करती हैं, मुख्यतः यह दशायें है–

1:– अपनी जाति में समकक्ष योग्य वर उपलब्ध न होना।

2:– अत्याधिक दहेज की मांग

3:– दहेज के कारण किये जाने वाले अत्याचार और हत्यायें

4:– बहुओं पर अत्याचार

5:– पारवारिक दायित्वों का बोझ

6:– पति/पत्नी के बीच समायोजन न होने की संम्भावना तथा संयुक्त परिवार में रहते हुये समायोजन न कर सकने का भय।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उत्तरदाताओं से ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि क्या उनके द्वारा अविवाहित रहने संबंधी निर्णय लेने के पार्श्व में इस प्रकार के कोई कारक उत्तरदायी रहे है। इसी से संबंधित जानकारी निम्नांकित तालिकाओं में प्रषित है।

जाति भारतीय संस्कृति की एक आधार–भूत विशेषता है। जाति को अस्तित्व में बनाये रखने के लिये जो कारण सहभोगी रहे है, उनमें सबसे बड़ा कारक है, अपनी ही जाति में विवाह करने की अनिवार्यता। यह अनिवार्यता वर/वधु की खेज के क्षेत्र को सीमित कर देता है। यह भारत के संदर्भ में इसलिए भी महत्व पूर्ण है कि भारत वृह्वत–राष्ट है और कोई जाति किसी निश्चित ग्राम, नगर या क्षेत्र तक सीमित न होकर सम्पूर्ण भारत में प्रमाणित होती है। इसके अतिक्ति महत्व पूर्ण यह भी है कि जाति का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता है। इसलिए जाति के सदस्यों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे अपने व्यवसाय में विशेषज्ञता अर्जित करें और जीवन–निर्वाह के लिए उसे ही अपनाये। इसलिए अनेक जातियाँ जिनमें कि व्यवसायी, कृषक और शिल्पकार

सम्मिलित है, जो उच्च शिक्षा के प्रति उदासीनता पाये जाते है। इसी प्रकार इनमें स्थान संबंधी जड़ता पाई जाती है। इन दशाओं में शिक्षा अधिक लाभ प्रदान करने वाले गैर–जातिय या जाति से असम्बद्ध व्यवसाय, अन्यों के सम्पर्क से सीखने और परिवर्तित होने की सम्भावना तथा उच्च सामाजिक स्थिति में अवसरों से जाति के सभी सदस्य समान रूप से लाभान्वित नहीं हो पाते है। इसमें एक जाति के सदस्य में ही भिन्नता पाई जाती है। विवाह जीवन भर चलने वाला एक संबंध होता है, उसलिए पति–पत्नी के बीच तथा पति के परिवार के सदस्यों के साथ समायोजन आवश्यक हो जाता है। यदि दोनों के परिवारों के बीच उपरोक्त क्षेत्र में भिन्नता हो तब समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तरदाताओं से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि क्या उनकी जाति या उपजाति में योग्य जीवन साथी न मिलने के कारण उन्हे अविवाहित रहने का निर्णय लेना पड़ा? इस विषय में तथ्य निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक – 61**
**जाति / उपजाति में योग्य जीवन**
**साथी न मिल पाने के कारण अविवाहित रहना**

| अ. क्र. | जाति में उपयुक्त साथी की उपलब्धि | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | जाति में समकक्ष, उपयुक्त प्रस्ताव न मिलने से (जीवन – साथी ) विवाह नहीं किया। | 33 | 21 | 22% | 18% |
| 2. | यह कारण उत्तरदायी नहीं है। | 117 | 129 | 78% | 82% |
| | योग | 150 | 150 | 78% | 82% |

तालिका प्रतिवेदित करती है कि 150 पुरूष उत्तरदाताओं में से 33 (22%) उत्तरदाताओं का कथन है कि योग्य जीवन–साथी न मिलने के कारण उन्हे अविवाहित रह जाना पड़ा। उसी प्रकार महिला में से 21 (14%) महिला उत्तरदाताओं का भी कथन है कि उन्हे भी उपनी जाति में उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिला। अनुपयुक्त जीवन साथी के साथ जीवन – निर्वाह की बाध्यता के स्थान पर उपयुक्त यह है कि विवाह ही न किया जाये। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते है कि अपनी ही जाति में विवाह करने की सामाजिक बाध्यता भारतीय समाज में स्त्रियों व पुरूषों में अविवाहित रहने की समस्या के साथ जुड़ी हुई है।

दहेज विवाह से जुड़ी एक मुख्य समस्या भारतीय समाज के साथ संबंधित है। दहेज का उद्गम किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में यह सामाजिक समस्या बनी, यह अध्ययन का एक पृथक और स्पतन्त्र विषय है। प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या यह दहेज के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़ी हुई है? इस विषय में उत्तरदाताओं के द्वारा दी गई जानकारी निम्नांकित तालिका में प्रेषित है।

## तालिका क्रमांक – 62
## अविवाहित रहने की प्रवृति और दहेज प्रथा के साथ उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सन्बन्ध

| अ. क्र. | सन्बन्ध | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | माता–पिता में दहेज चुकाने की क्षमता न होने के कारण, अविवाहित रह जाना पड़ा। | 00 | 38 | 00% | 26% |
| 2. | विवाह हेतु माता–पिता की अत्याधिक दहेज की आकांक्षा के कारण इन्हे अविवाहित रहना पड़ा। | 58 | 00 | 38% | 00% |
| 3. | भाई / बहिनों के विवाह हेतु दहेज जुटाने में माता–पिता की सहायता करने के कारण अविवाहित रह जाना पड़ा। | 38 | 32 | 26% | 21% |
| 4. | दहेज अविवाहित रहने कि लिए उत्तरदायी नहीं है। | 54 | 80 | 36% | 53% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह विदित होता है कि 58 (38%) पुरूष और

38 (26%) महिलाओं के संदर्भ में दहेज प्रथा उनके अविवाहित रहने के लिए उत्तरदायी कारण है। महिलाओं के संदर्भ में अभिभावकों की दहेज चुकाने से क्षमता न होना तथा पुरूषों के संदर्भ में अभिभावकों की दहेज की अत्याधिक मांग के कारण उन्हे अविवाहित रहना पड़ा। 38 (26%) पुरूष एवं 32 (21%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि उन्हे अपनी बहिनों के लिए दहेज जुटाने के प्रयास में अभिभावकों की सहायता करनी पड़ी, इस प्रक्रिया में प्रथम तो स्वयं के विवाह पर होने वाले खर्च की व्यवस्था कर पाने में कठिनाई और द्वितीय बहन/बहिनों के लिए दहेज जुटाने या इस हेतु के लिए गये खर्च का भुगतान करने की प्रक्रिया में इतना विलंम हो गया कि विवाह के प्रति उनके मन में कोई रूची न रही। इसका एक कारण यह भी है कि उन्हे योग्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये। केवल 54 (36%) पुरूष 80 (53%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि दहेज प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप में उनके विवाह में बाधक नहीं बना। इन उत्तरदाताओं को यदि ध्यान में न रखे तो स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं के प्रकरण में स्वयं के विवाह हेतु अथवा बहिनों के विवाह हेतु दहेज जुटाने की बाध्यता उनके स्वयं के अविवाहित रह जाने के लिए उत्तरदायी रही है।

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि 58 (38%) पुरूष और 80 (53%) महिला उत्तरदाता दहेज के अतिक्ति अन्य पारिवारिक समस्याओं के कारण अविवाहित रहने के लिए बाध्य हुये अथवा उन्होने स्वेच्छा से निर्णय लिए।

वे उत्तरदाता जिन्होने दहेज से परे अन्य सामाजिक समस्याओं के कारण विवाह नहीं किया उनके विषय में विवरण निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक – 63**
**अविवहित रहने के लिए दहेज**
**के अतिरिक्त अन्य उत्तरदायी समस्यायें**

| अ. क्र. | समस्यायें | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | परिवार, नातेदार, पास पड़ोसियों में हुई दहेज संबंधी हत्यायें। | 11 | 17 | 07% | 11% |
| 2. | बहुओं पर किये जाने वाले अत्याचार। | 00 | 17 | 00% | 11% |
| 3. | विवाहित महिलाओं की निम्न स्थिति। | 00 | 36 | 00% | 26% |
| 4. | स्त्रियों पर आधिपत्य की भावना। | 00 | 60 | 00% | 40% |
| | योग | 11 | 132 | 00% | 88% |

उपरोक्त तालिका की साँख्यिकी के अवलोकन से विदित होता है कि 11 (7%) पुरूष एवं 17 (11%) महिलायें दहेज सम्बन्धी हत्याओं के कारण आतंकित रहे है। महिलायें आस्वस्त नहीं है कि विवाह हेतु दहेज देने के बावजूद भविष्य में ससुराल पक्ष के लोग ओर दहेज की मांग नहीं करगें तथा उनका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। पुरूष इसलिए आतंकित है कि वे न तो अपने अभिभावकों को विवाह हेतु दहेज न मांगने के लिए राजी कर पाये है और न ही वे आश्वस्त है कि विवाह के बाद उनके अभिभावक इस प्रकार की कोई मांग नहीं करेगें। इन परिस्थितियों में पुरूष और स्त्रियों दोनों ने निरापद समझा कि विवाह ही न करें। इसी प्रकार इन महिलाओं का यह भी मत रहा है कि स्त्रियों को न केवल सास–ससुर और पति के अन्य नातेदारों के अत्याचार सहने पड़ते है, बल्कि स्वयं पति के अत्याचार भी सहने पड़ते है। यह उनका अपने परिवार–नातेदारी समूह–सहेलियाँ और पास–पड़ोस सम्बन्धी अनुभव रहा है, इस कारक ने भी अविवाहित रहने हेतु प्रेरित किया। 38 (26%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है

कि स्त्री–पुरूष हर दृष्टि से समान स्थिति नहीं रखते बल्कि पुरूषों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं। इसका कारण यह है कि वे बच्चों को जन्म देने तथा उससे सम्बन्धित कष्टों को सहती हैं, कामकाज कर परिवार को आर्थिक आधार भी प्रदान करती हैं, इस प्रकार निश्चित रूप से उनकी भूमिका पुरूषों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद पुरूष इसे न अनुभव करते हुये महिलाओं पर अत्याचार करते है, अतः इन महिलाओं का कथन है कि ऐसी त्रासदी और तनाव से बचने की दृष्टि से उचित यह है कि विवाह ही न किया जाये। इन महिलाओं के अलावा 60 (40%) ऐसी महिलायें है जिनका कथन है कि यद्यपि बच्चों को जन्म देना स्त्री का नैसर्गिक कार्य है तथा परिवार को आर्थिक आधार प्रदान करना भी, स्वयं उनके हित में है, इसलिए वह अविवाहित रहने के लिए इसमें उर्पाजन किसी अन्य भाव को उत्तरदायी नहीं मानती हैं, परन्तु उन्हे एक पीड़ा अवश्य ही है कि जैसा कि उन्होने अपनी सहेलियों, नातेदारों और पास – पड़ोसियों के सन्दर्भ में अनुभव किया है, पतियों में स्त्रियों पर प्रभुत्व स्थापित करने की भावना रहती है। यह स्थिति शिक्षित पत्नी के लिए असाध्य होती है, फलस्वरूप या तो उसे कुण्ठा ग्रस्त होकर जीवन निर्वाह करना पड़ता है अथवा कलह पूर्ण पारिवारिक वातावरण बन जाता है दानों ही दशाओं में वे असाध्य अनुभव करती हैं। ऐसी दशा में अविवाहित रहने के विकल्प को ही उन्होने बेहतर माना है।

सुखी परिवार जीवन के लिए पति/पत्नी के बीच पारस्परिक समझ और समायोजन होना अनिर्वाय है। इसी प्रकार संयुक्त परिवार में रहते हुये इन दोनों मामलों में स्त्रियों को अधिक उदार होना पड़ता है। शिक्षित और कामकाजी महिलायें अन्य स्त्रियों से भिन्न होती है, वे अनुभव करती है कि उनकी उच्च शिक्षा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्वालम्बन आदि के फलस्वरूप वे किसी भी रूप में परिवार के अन्य सदस्यों पर अवलम्बित नहीं होती है ऐसी स्थिति में उनमें स्वतन्त्र रहने की प्रवृति का विकास हुआ है, इसलिए वे अन्य से समायोजन करने की उपेक्षा स्वतन्त्र रहना अधिक उपयुक्त समझतीं हैं। इसी प्रकार पुरूषों का भी मत है कि अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित पत्नी से विवाह करना नहीं चाहेगें और समकक्ष शिक्षित पत्नी उपके परिवार के साथ समायोजन कर सकेगी यह निश्चित नही है इसलिए वे भी विवाह कर किसी प्रकार की जोखिम लेने की अपेक्षा अविवाहित रहना अधिक उपयुक्त समझते है। उपरोक्त सन्दर्भ में सॉंख्किी निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक – 64
## समायोजन की समस्या और अविवाहित रहने का निर्णय

| अ. क्र. | समायोजन की समस्या | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | पति / पत्नी के साथ समायोजन न कर सकने की आशंका। | 27 | 23 | 18% | 15% |
| 2. | संयुक्त परिवार में रहकर समायोजन न कर सकने की आशंका। | 39 | 29 | 26% | 18% |
| | योग | 66 | 52 | 44% | 33% |

उपरोक्त तालिका यह प्रदर्शित करती है कि स्त्रियों और पुरूषों के द्वारा अविवाहित रहने के लिए जिन आधारों पर निर्णय लिया जाता है उसमें विवाह और परिवार से सम्बन्धित सामाजिक समस्यायें भी सम्मिलित है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पारिवारिक और सामाज़िक समस्यायें अविवाहित रहने की प्रवृति के लिये उत्तरदायी कारक है।

वस्तुस्थिति को ज्ञात  करने के दृष्टि से उत्तरदाता महिलाओं व पुरूषों से उनकी अभिरूचियाँ व दिनचर्या क्या है।

# अविवाहिततों की जीवन- शैली व समस्यायें
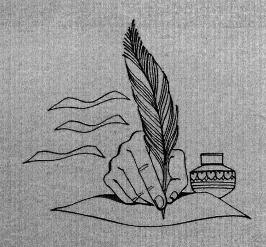
# अध्याय – 4

सर्वेक्षण में सम्मिलित उत्तरदाता 45 वर्ष से अधिक आयु के है। यदि उत्तरदाताओं नें विवाह किया होता तो उनके अनेक पारिवारिक और वैक्तिक कार्यो में उनके जीवन साथी का सहयोग मिला होता। इन उत्तरदाताओं में जीवन साथी के अभाव में स्वयं ही विभिन्न कार्यो को करना होता है यहाँ तक कि जो उत्तरदाता संयुक्त परिवार में अथवा सम्बन्धी के साथ रह रहे/रही है वे भी प्रयास करते है कि अपने अधिकाधिक कार्यो को वे स्वयं कर लें। इसी प्रकार घर गृहस्थी से सम्बन्धित गृहकार्य के अतिरिक्त अन्य दायित्व होते है, जिनका निर्वाह परिवार के मुखिया अथवा स्त्री को करने पड़ते है, यही नहीं बल्कि अनेकानेक सामाजिकों दायित्वों में भी उनका बहुत सारा समय व्यतीत होता है। अविवाहित स्त्रियों और पुरूषों के समय समायोजन के विषय में सामान्य लोगों में दों तरह की धारणायें है। प्रथम यह कि समस्त दायित्वों का निर्वाह स्वयं के द्वारा करने के कारण उनके पास कोई अतिरिक्त समय उपलब्ध नही रहता है द्वितीय यह कि कोई पारिवारिक दायित्व न होने के कारण उनके पास भरपूर समय अतिशेष रहता है यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति एकाकी रूप में जन्म लेता है, परन्तु वास्तव में उसे ईश्वर ने उसे एकाकी रहने के लिए उत्पन्न नही किया है। इसी कारण मनुष्य प्राणी में भिन्न स्थिति रखता है अन्य प्राणियों की आवश्यकतायें इतनी सीमित होती है कि उन्हे वे अकेले बिना किसी अन्य की सहायता से पूर्ण कर लेते है इसलिए किसी प्रकार के समूह का निर्माण और संगठन का विकास तथा कार्यो को संस्थात्मक स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता उन्हे नहीं रहती है। मनुष्य अनेकानेक आवश्यकताओं से परिपूरित है, इसलिए एकाकी रहना उसके हित में नहीं है और सहज भी नहीं है। यही कारण है कि समूह बनाकर रहना संगठन और व्यवस्था का विकास तथा रीती–रिवाजों व कार्य–विधियों का विकास और उन्हे संस्थात्मक स्वरूप प्रदान करना मनुष्य की एक अनिवार्य आवश्यकता है, इस आवश्यकता के कारण ही मनूष्य ने जहाँ एक विशिष्ठ जीवन शैली विकसित की है, वही अर्न्तनिर्भरता, जनता अनेक समस्याओं को जन्म दिया है।

अविवाहित रहना उपरोक्तानुसार विकसित जीवन शैली का अंग अथवा सामान्यता नही है। अविवाहित रहना न केवल गत जीवन सामाजिक संगठन और व्यवस्था का उल्लघंन तथा अनियमित जीवन पद्धति को प्रगट करता है। बल्कि यह इन सबके लिए तथा स्वयं व्यक्ति के लिए भी घातक है। इस परिप्रेक्ष्य में यह जानने का प्रयास किया गया है कि अविवाहित रहने वालों की जीवन शैली किस प्रकार की है। एक विवाहित पुरूष अथवा स्त्री की दिनचर्या, भिन्न कार्यो में उसकी सहभागिता अन्य सदस्यों के साथ

अन्तर्क्रियात्मक सह सम्बन्ध शारीरिक सुरक्षा, धार्मिक आस्थायें क्रिया कलाप व सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन सामाजिक सम्पर्क वैक्तिक अभिरूचियाँ और समस्यायें, विवाहित पुरूष अथवा स्त्री से किसी न किसी मात्रा में समान अथवा भिन्न हो सकती है। प्रस्तुत अध्याय में इसी विषय में संकलित तथ्यों की विवेचना की गई है।

एकाकी जीवन और पारिवारिक जीवन व्यक्तित्व को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है। जैसा कि पूर्ववर्ती तालिकाओं से स्पष्ट किया गया है कि अविवाहित रहने वाले व्यक्ति प्रायः जीवन को निरूद्देश्य अनुमान करते है। ऐसी दशा में उनकी अभिरूचियों का क्या स्वरूप है, यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया, उत्तरदाताओं द्वारा प्रदत्त जानकारी इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक 65**

**उत्तरदाताओं की अभिरूचियाँ**

| अ. क्र. | अभिरूचियाँ | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | लम्बी दूरी तक घूमने जाना। | 32 | 07 | 22% | 04% |
| 2. | बाग–बगीचों में नियमित रूप से बैठना। | 21 | 02 | 14% | 01% |
| 3. | नियमित रूप से देवालय जाना। | 71 | 94 | 48% | 63% |
| 4. | घर पर सुबह–शाम नियमित रूप से पूजा पाठ करना। | 103 | 139 | 76% | 93% |
| 5. | नियमित रूप से मित्रों के घर जाना। | 71 | 23 | 48% | 15% |
| 6. | मित्रों कें साथ क्लब, होटल, काफी हाउस में बैठकर गप–शप करना। | 43 | 00 | 28% | –% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | नियमित रूप से वाचनालय जाना | 32 | 05 | 22% | 03% |
| 8. | प्रायः चलचित्र देखना। | 28 | 05 | 18% | 03% |
| 9. | पत्र—पत्रिकायें, उपन्यास खरीद कर घर पर पढना | 34 | 61 | 23% | 40% |
| 10. | साहित्यिक लेखन | 18 | 32 | 12% | 22% |
| 11. | पर्यटन | 21 | 48 | 14% | 32% |
| 12. | मद्यपान | 32 | 02 | 22% | 01% |
| 13. | धुम्रपान | 81 | 00 | 54% | –0% |
| 14. | शास्त्रीय और सुगम संगीत में रूचि | 21 | 18 | 14% | 12% |
| 15. | चित्रकला | 08 | 06 | 06% | 04% |
| 16. | समाज सेवी संगठन के माध्यम से समाज सेवा | 31 | 43 | 20% | 32% |
| 17. | खेल—कूद | 12 | 07 | 08% | 05% |
| 18. | मित्रों को घर बुलाकर गप—शप, खान—पान, ताश, शतरंज आदि के आयोजन। | 18 | 06 | 12% | 04% |

तालिका की सांख्यिकी यह प्रदर्शित करती है कि उत्तरदाताओं के द्वारा अविवाहित जीवन के एकाकीपन को दूर करने लिए किसी न किसी प्रकार की अभिरूचि को विकसित किया है। बहुसंख्यक उत्तरदाता 103 (76%) पुरूष एवं 139 (93%) महिलाऐं नियमित रूप से पुजा—पाठ करती हैं। उनकी यह क्रिया अनेक उद्देश्यों से प्रेरित करती है। उनकी यह क्रिया अनेक उद्देश्यों से प्रेरित होती है, इससे मुख्यतः सहज और सुरक्षित जीवन व्याधियों और संकटों से बचाव की कामना और समय व्यतीत करना मुख्यतः सम्मिलित हैं, घर पर नियमित रूप से पुजा—पाठ करने के अतिक्ति 71 (48%) पुरूष एवं 94 (63%) महिला उत्तरदाता नियमित रूप से किसी न किसी खयाल में अवश्य ही जाते है। अतः उत्तरदाताओं की यह अभिरूचि, इस धारणा से निर्मूल करती

है कि अविवाहित एकाकी स्त्रियों और पुरूष में धार्मिक आस्थाओं का अभाव पाया जाता है। कतिपय उत्तरदाता अर्न्तमुखी स्वभाव के प्रतीत हुये, वे लम्बी दूर तक घूमने जाना इस दृष्टि से सर्वोतम मानते हैं, यह न केवल इनके लिए समय बिताने का सहज माध्यम है, बल्कि इसे वे अन्यों के बीच रहते हुये उत्पन्न होने वाली कलह, मानसिक तनाव , अनावश्यक व्यय, मद्यपान, धुम्रपान उसे व्यसनों से मुक्ति के साथ–साथ उत्तम स्वास्थय की दृष्टि से भी उचित मानते है। लगभग इसी भावना से 21 (47%) पुरूष और 2 (17%) महिला उत्तरदाता बाग–बगीचों में सैर और वहाँ कुछ समय व्यतीत करना उपयुक्त समझते है। 71 (48%) पुरूष एवं 23 (157%) महिलाऐं जीवन की एक रसता को दूर करने की दृष्टि से मित्रों के यहाँ जाना मानते हैं। इसमें जहाँ दैनन्दिन जीवन में भोगे जाने वाले एकाकीपन और तनाव से मुक्त होते है वहीं मित्रों के परिवार के साथ रहकर उन्हे अपने खान–पान सम्बन्धी शौक को पूर्ण करने का अवसर भी मिलता है। उनका यह भी कथन है कि मित्रों के परिवार के साथ रहते हुये उन्हे यह अहसास होता है कि कोई है जिसे उनका ध्यान है तथा जो उनके विषय में सोचते हैं विचार करते हैं और उन्हे सुख पहुचाने का प्रयास करते है। इनके फलस्वरूप उन्हे सुरक्षा अनुभव होती है। 43 (20%) पुरूष एकाकी रहने के कारण परिवारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, इसी प्रकार एकाकी भ्रमण जैसे शौक को भी वे विकसित नहीं कर पाये। इसके एवज में वे क्लव, होटल, काफी हाउस और बाग–बगीच में गप–शप करने में अपना समय व्यतीत करना अधिक निरापद मानते है। 32 (22%) पुरूष एवं 5 (3%) महिलाओं ने नियमित रूप से वाचनालयों की सदस्यता प्राप्त कर पत्र–पत्रिकाओं तथा वाचनालय से प्रदाय किये जाने वाले ग्रन्थों का अध्ययन करने की नियमित आदत बना ली है। यह उन्हें सात्विक शौक अनुभव होता है। जिससे किसी को हानि भी होती है। और स्वयं उन्हे अपार आनन्द, मानसिक शान्ति का अनुभव तथा ज्ञानार्ज होता है। 28 (18%) पुरूष तथा 5 (3%) महिला जो स्वभाव से अर्न्तमुखी तथा कुष्ठिनत अनुभव हुए ये आदतन चलचित्र दर्शक है। चलचित्र देखते हुये उनका समय तो व्ययतीत होता है तथा मनोरंजन भी मिलता है परन्तु सर्वोपरि चलचित्रों की तथा वस्तु तथा अभिनेताओं के माध्यम से अपनी दमित इच्छाओं और कुष्ठाओं को पूरा होने का भ्रम पालते हैं। इस प्रकार इसे एक मानसिक विक्रति के रूप में देखा जाना चाहियें जो कि अविवाहित एकाकी जीवन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। 39 (26%) पुरूष एवं 61 (40%) महिला उत्तरदाता स्वयं अपनी रूचि के अनुसार पत्र–पत्रिकाओं और साहित्य

खरीदकर जब भी समय उपलब्ध हो जाये तब घर पर ही उन्हे पढ़ना अधिक पसंद करते है। इन्ही में से तथा नियमित रूप से वाचनालय जाने वाले उत्तरदाताओं में से 18 (12%) पुरूष एवं 32 (21%) महिलायें ऐसी है जिन्होने पठन–पाठन के साथ–साथ लेखन की अभिरूचि भी विकसित की है। 21 (14%) पुरूष एवं 48 (32%) महिलायें पर्यटन में रूचि रखतें है, जब भी सुबिधा हो वह पर्यटनों स्थलों पर भ्रमण करने जाते है। ऐसा करते हुये वे मानते है कि जहाँ उनका समय आनन्द पूर्वक व्यतीत होता है वहीं नवीन स्थानों, लोगों और संस्कृतिक के दर्शन होने से अपने परिवेश के विषय में अधिक जानकारी मिलती है, यही नहीं बल्कि इसके उत्पन्न होने वाला उल्लास और प्रसन्नता लम्बे समय तक बनी रहती है। मद्यपान और धूम्रपान ऐसे शौक है जिन्हें सात्विक नहीं माना जाता है तथा यह धारण है कि ये शौक किसी न किसी विकृति फलस्वरूप उत्पन्न होते है। अविवाहित रहना निश्चित रूप में एक समस्या और असामाजिक है। इससे उत्पन्न असुरक्षा, तनाव और कुण्ठाओं को दूर करने हेतु उत्तरदाता मद्यपान और धुम्रपान का सहारा लेते हैं। नियमित रूप से मद्यपान करने वाले उत्तरदाता की संख्या 32 (21%) पुरूष और 2 (17%) महिलायें है। इसी प्रकार अत्याधिक धुम्रपान करने वाले पुरूष 81 (54%) और महिलायें निरंक है। 21 (14%) पुरूष एवं 18 (12%) महिला उत्तरदाता शास्त्रीय और सुगम संगीत के माध्यम से समय व्यतीत करते है तथा अविवाहित एकाकी जीवन की एकरसता को दूर करते हैं। इसी प्रकार 8 (5%) पुरुष और 6 (4%) महिलायें चित्रकला के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। 31 (21%) पुरूष एवं 43 (28%) महिलाओं ने समाज सेवी संगठन जैसे लायंस, लायन्स क्लब, रोटी–क्लब, इनरव्हील क्लब जेसीज या जैसीरेट विंग, वनिता विश्व आदि समाज सेवा से सम्बन्द्ध संगठनों की सदस्यता प्राप्त भी है। इनकी गतिविधियों में सक्रिय योगदान कर वे समय का सदुपयोग करते हैं। 12 (8%) पुरूष और 7 (5%) महिलायें खेलकूद संगठानों से जुड़ी है और स्वयं खेलकूद कर अथवा प्रशिक्षण देकर समय व्यतीत करते है। 18 (12%) पुरूष एवं 6 (4%) महिलायें मित्रों को घर बुलाकर गप–शप, खान–पान, ताश एवं शतरंज आदि का आयोजन करके अपने एकाकीपन को दूर करने का प्रयत्न करते है।

## अविवाहित स्त्रियों–पुरूषों की दिनचर्या तथा स्वावलम्बन

विवाहित पुरूषों और स्त्रियों को वैयक्तिक कार्यो के अतिरिक्त, परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भी समय नियोजित करना होता है। अविवाहित

लोंगो के विषय में यह आम–धारणा है कि उनकी आवश्यकतायें अत्यन्त सीमित होती है तथा उनके पास अतिरिक्त समय बहुत अधिक उपलब्ध रहता है। इस धारणा के विषय में यथार्थ को जानने के लिए उत्तरदाताओं से अनेक प्रश्न पूछे गये। उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक–66**

**उत्तरदाताओं के शयन के समय विषयक जानकारी**

| अ. क्र. | शयन का समय | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | रात्रि 9 बजे | 02 | 12 | 01% | 08% |
| 2. | रात्रि 10 बजे | 02 | 68 | 01% | 46% |
| 3. | रात्रि 11 बजे | 51 | 43 | 34% | 29% |
| 4. | रात्रि 11 बजे के बाद | 55 | 02 | 36% | 01% |
| 5. | कुछ निश्चित नही है। | 40 | 23 | 28% | 16% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि रात 9 बजे सोने वाले उत्तरदाताओं की संख्या कम है। 02 (2%) पुरूष एवं 12 (8%) महिलायें 9 बजें, 02 (1%) पुरूष एवं 67 (46%) महिला उत्तरदाता रात्रि 10 बजे सो जाते हैं। 51 (34%) पुरूष एवं 43 (29%) महिला उत्तरदाता ऐसे है जो कि रात्रि 11 बजे सोते हैं। रात्रि 11 बजे बाद 55 (36%) पुरूष एवं 2 (1%) महिला, तथा कुछ उत्तरदाता ऐसे है जिनका सोने का कोई निश्चित समय नहीं हैं 40 (28%) पुरूष एवं 23 (16%) महिला उत्तरदाता ऐसे ही है।

इन उत्तरदाताओं से यह ज्ञात किया गया कि शयन से पूर्व इनका समय किन गतिविधियों में नियोजित होता है। इस विषयक जानकारी इस प्रकार हैं।

## तालिका क्रमांक 67
## शयन से पूर्व उत्तरदाताओं की गतिविधियाँ

| अ. क्र. | उपक्रम में संबंध | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | टी.वी देखना | 87 | 132 | 59% | 96% |
| 2. | समाचार पत्र / पत्रिकायें पढ़ना। | 34 | 61 | 23% | 40% |
| 3. | व्यवसाय से संबंधित अध्ययन, तैयारी कार्य निपटाना। | 33 | 99 | 22% | 66% |
| 4. | साहित्य–सर्जन | 18 | 32 | 12% | 21% |
| 5. | मित्रों के साथ गपशप / ताश खेलना। | 61 | 06 | 40% | 04% |
| 6. | भ्रमण रात्रि 9 बजे के बाद सिर्फ शयन | 02 | 12 | 01% | 08% |

उत्तरदाताओं के प्रातः काल उठने के समय सम्बन्धी जानकारी निम्नांकित तालिका में दी गई है।

## तालिका क्रमांक–68
## उत्तरदाताओं के प्रातःकाल उठने के समय विषयक जानकारी

| अ. क्र. | प्रातःकाल उठने का समय | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | प्रातः 6 बजे से पूर्व | 50 | 20 | 34% | 14% |
| 2. | प्रातः 6 बजे | 45 | 92 | 30% | 61% |
| 3. | प्रातः 7 बजे | 53 | 38 | 35% | 25% |
| 4. | प्रातः 8 बजे | 02 | 00 | 01% | 00% |
| 5. | 8 बजे के बाद | 00 | 00 | 00% | 00% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उत्तरदाताओं से यह भी ज्ञात किया गया कि वे प्रातः काल उठने के पश्चात कौन–कौन सी गतिविधियाँ सम्पन्न करते है।

**तालिका क्रमांक 69**

**प्रातः काल उठने के पश्चात तथा कार्य पर जाने से पूर्व की गतिविधियाँ**

| अ. क्र. | गतिविधियाँ | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | प्रातः कालीन भ्रमण | 32 | 07 | 21% | 05% |
| 2. | पूजा आराधना | 66 | 45 | 44% | 30% |
| 3. | घर की साज–सज्जा और व्यवस्था | 21 | 126 | 14% | 84% |
| 4. | बाजार के कार्य | 22 | 12 | 15% | 08% |
| 5. | भोजन बनाना आदि | 06 | 106 | 04% | 71% |
| 6. | लिखना–पढ़ना | 108 | 54 | 72% | 36% |
| 7. | प्रातः कालीन पाली में नौकरी करते हैं। | 11 | 43 | 08% | 28% |
| 8. | घर पर सुबह दफ्तर लगाते हैं। | 09 | 06 | 06% | 04% |

प्रातः कालीन पारी में कार्य करने वाले उत्तरदाताओं से दोपहर को उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई जो इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक 70
## प्रातः कालीन पारी में कार्य करने वाले उत्तरदाताओं की दोपहर सम्बन्धी गतिविधियाँ।

| अ. क्र. | गतिविधियाँ | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | भोजन बनाना | 03 | 21 | 02% | 14% |
| 2. | घर की साज सज्जा व अन्य कार्य | 03 | 27 | 02% | 18% |
| 3. | लिखना–पढ़ना | 18 | 12 | 12% | 08% |
| 4. | बाजार के कार्य | 06 | 03 | 04% | 02% |
| 5. | दूरदर्शन देखना | 02 | 05 | 01% | 03% |
| 6. | मित्रों/सहेलियों के यहाँ जाना | 06 | 03 | 04% | 02% |
| 7. | शयन | 02 | 20 | 01% | 01% |
| 8. | ट्यूशन | 05 | 18 | 03% | 12% |
| 9. | चिकित्सीय परामर्श | 03 | 06 | 02% | 04% |

उत्तरदाताओं से संध्या समय कार्य से लौटने के पश्चात तथा शयन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। उनके अनुसार संध्या समय उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य यह है।

## तालिका क्रमांक 71
## संध्या समय किये जाने वाले कार्य।

| अ. क्र. | कार्य | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | बाजार के समय कार्य करना | 22 | 12 | 14% | 08% |
| 2. | संध्या पूजा, अर्चना | 103 | 139 | 68% | 92% |
| 3. | किसी बगीचे या पार्क में घूमने जाना। | 21 | 02 | 14% | 01% |
| 4. | संगीत शास्त्रीय/सुगम का आनंद लेना। | 21 | 18 | 14% | 12% |
| 5. | लिखना–पढ़ना | 18 | 32 | 12% | 21% |
| 6. | टी. वी. देखना | 187 | 132 | 65% | 67% |
| 7. | संध्या का भोजन बनाना | 06 | 102 | 04% | 68% |
| 8. | ट्यूशन करना | 08 | 22 | 06% | 14% |
| 9. | सायंकालीन कार्यालय | 09 | 06 | 06% | 04% |
| 10. | चिकित्सकीय परामर्श | 03 | 06 | 02% | 04% |
| 11. | नातेदारो और मित्रों से सामाजिक सम्पर्क | 61 | 06 | 40% | 04% |
| 12. | क्लब में जाना, समाज सेवा से संबंधित कार्य | 31 | 29 | 21% | 14% |
| 13. | गोष्ठियों सामाजिक, सांस्कृतिक | 12 | 20 | 08% | 14% |
| 14. | वाचनालय में जाकर पत्र/पत्रिकायें पढ़ना | 32 | 05 | 21% | 03% |

## तालिका क्रमांक 71

## अविवाहित पुरूषों और स्त्रियों के द्वारा सम्पादित गृहकार्य

रेखा–चित्र क्रमांक 18
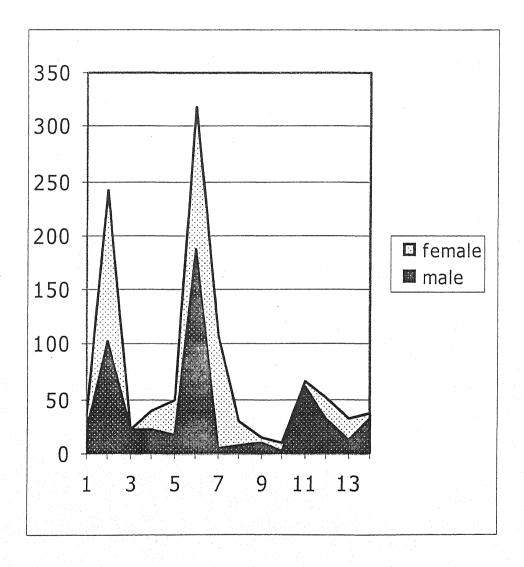
उपरोक्त तालिका क्रमांक 66 से 71 तक में प्रस्तुत तथ्य इस धारणा को निर्मूल करते है कि अविवाहित एकाकी रहने वाले पुरूष और स्त्रियों के पास आम व्यक्तियों से अधिक अतिरिक्त समय रहता हैं और समय किस प्रकार व्यतीत किया जाये, उनके समक्ष यह समस्या रहती है। सत्य तो यह है कि अविवाहित रहने वाले पुरूष और स्त्रियों, चाहे वह एकाकी रहते हो, माता–पिता के साथ या किसी अन्य नातेदार के साथ, अपनी दिनचर्या को सुनिर्धारित करते है एवं उसको अपनाते है। इस संदर्भ में उनका कथन है कि इस दिनचर्या के निर्धारण में उनके अकेले के द्वारा लिया जाने वाला निर्णय महत्वपूर्ण होता है।

उपरोक्त तालिका इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इंगित करती है कि अविवाहित रहने वाले पुरूष चाहे वह अकेले रहते हो अथवा किसी नातेदार के साथ इस ओर सचेष्ट है कि घर के विविध कार्यो का बोझ स्वयं पर अथवा साथ रह रहे नातेदारों पर पड़े। इसके पार्श्व मे यह मनोविज्ञान कार्य करता है कि नातेदार यह अनुभव न करे कि विवाह न करने के कारण उनका भार साथ रह रहे व्यक्तियों पर है, तथा वे इन व्यक्तियों के ऊपर आश्रित है अथवा निर्भर करते है। महिलाओं के संदर्भ में यह इस दृष्टि से महत्व रखने वाली घटना है कि अविवाहित रहने वाली स्त्रियाँ चाहे नौकर रखें अथवा न रखें, स्वयं परिवार के विभिन्न कार्यों को सम्पादित करती है। इस रूप में अविवाहित रहने का मनोवैज्ञानिक दबाव स्त्रियों की अपेक्षा पुरूषों पर अधिक रहता है। पुरूष उत्तरदाता जो कि अपने हाथ़ों से स्वयं भोजन बनाते हैं, एकाकी रह रहे है। इनका कथन है कि नौकर से भोजन वे इसलिए नहीं बनवाते है कि बचपन से अपने परिवार में वे बड़ों की सहायता करते रहे है तथा पाक कला में वे पारंगत हैं। द्वितीय यह है कि खान–पान संबंधी उनकी विशिष्ट आदतें है जिनकी पूर्ति नौकर–चाकर के माध्यम से संभव नहीं है। तृतीय यह कि बाहर के भोजन अथवा नौकर के हाथ के भोजन से उन्हें सन्तुष्टि नहीं मिलती हैं। इसलिए स्वयं ही भोजन बनाना वे श्रेयस्कर मानते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कि इससे सुबह शाम का पर्याप्त समय वे सुगमता से व्यतीत कर लेते हैं। उत्तरदाता स्त्रियां भी यह स्वीकार करती है कि परिवार के विविध कार्यो को करने से परिवार में उनकी उपादेयता बनी रही हैं, अन्य सदस्य उन्हें बोझ नहीं मानते है तथा उनका समय रचनात्मक रूप में व्यतीत होता है।

# उत्तरदाताओं के साथ रह रहे नातेदार और प्राप्त सहयोग

सर्वेक्षण में सम्मिलित 150 स्त्रियों और 150 पुरूषों में से केवल 31 (21%) पुरूष और 42 (28%) स्त्रियों ही अकेले रह रहे हैं शेष सभी उत्तरदाताओं के साथ कोई न कोई नातेदार रह रहा हैं। विवाह न करते हुए नातेंदारो के साथ रहने के पार्श्व में उत्तरदाताओं के क्या उद्देश्य हैं, इन नातेदारों से उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय में तथ्य संकलित किये गये। प्राप्त जानकारी यहाँ प्रस्तुत है।

उत्तरदाताओं से यह ज्ञात किया गया कि वे अकेले रह रहे है अथवा किसी नातेदार के साथ और यदि किसी नातेदार के साथ है तो उसके साथ उनके क्या संबंध है। प्राप्त जानकारी निम्नांकित तालिका में प्रेषित है।

**तालिका क्रमांक 72**

**उत्तरदाता और उनके साथ रह रहे नातेदारों विषयक जानकारी**

| अ. क्र. | नातेदारों का विवरण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | माता–पिता के साथ | 99 | 66 | 66% | 44% |
| 2. | भाई के परिवार के साथ | 03 | 07 | 02% | 05% |
| 3. | अविवाहित छोटे भाई के साथ | 06 | 13 | 04% | 08% |
| 4. | अविवाहित छोटे भतीजे /भतीजी के साथ | 03 | 01 | 02% | 07% |
| 5. | अविवाहित चाचा के साथ | 02 | 00 | 01% | –% |
| 6. | काका के परिवार के साथ | 01 | 00 | 01% | 02% |
| 7. | अकेले रह रहे है। | 01 | 03 | 01% | 02% |
| 8. | स्वर्गीय भाई बहिन के बच्चों के साथ | 05 | 08 | 03% | 06% |

तालिका प्रतिवेदित करती है कि अकेले रहने वाले पुरूष उत्तरदाताओं की संख्या 31 (21%) एवं महिलाओं की संख्या 42 (28%) है। 99 (66%) पुरूष उत्तरदाता और 66 (44%) महिला उत्तरदाताओं के साथ उनके माता–पिता रहते है। 3 (2%) पुरूष एवं 7 (5%) महिलायें भाई के परिवार के साथ रह रही हैं, जब कि अविवाहित छोटे भाई के साथ 6 (4%) पुरूष एवं 13 (8%) महिलायें रह रही हैं। अविवाहित छोटे भतीजे–भतीजी के साथ 3 (2%) पुरूष एवं 11 (7%) महिलायें रह रही हैं। स्वर्गीय भाई बहिनों के बच्चों के साथ 5 (3%) पुरूष एवं 8 (6%) महिलायें, अविवाहित चाचा के साथ 2 (1%) पुरूष एवं काका परिवार के साथ 1 (1%) पुरूष एवं 3 (2%) महिला उत्तरदाता रह रही है। इसके विपरीत 31 (21%) पुरूष एवं 42 (28%) महिला उत्तरदाता ही रह रहे हैं।

यह सांख्यिकी विश्लेषण इस ओर इंगित करता है कि अविवाहित रहने वाली स्त्रियों और पुरूषों ने विवाह न करने का निर्णय लेने के बावजूद अकेले रहने का निर्णय न लेते हुए किसी न किसी नातेदार के साथ अवश्य ही रहते हैं। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि इन नातेदारों के अलग हो जाने के उपरान्त वह क्या किसी अन्य व्यक्ति को साथ रखना पसंद करेंगें अथवा अकेले रहेंगें। उत्तरदाताओं द्वारा प्रदत्त जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक 73**

**भविष्य में नातेदारों के साथ रहने विषयक उत्तरदाताओं की योजना**

| अ. क्र. | स्थान | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अकेले रहेगें। | 21 | 21 | 14% | 14% |
| 2. | किसी मित्र/सहेली के साथ रहेगें। | 03 | 12 | 02% | 08% |
| 3. | भाई/भतीजे के परिवार के साथ रहेगें। | 47 | 49 | 32% | 32% |
| 4. | किसी अन्य नातेदार के साथ रहेगें। | 06 | – | 04% | – |
| 5. | वृद्धाश्रम में रहेगें। | 06 | 03 | 04% | 02% |

| अ. क्र. | स्थान | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 6. | अभी निश्चित नहीं किया हैं। | 51 | 53 | 34% | 36% |
| 7. | किसी नातेदार में बच्चें को गोद लेगें। | 14 | 12 | 10% | 08% |

उपरोक्त दोनों तालिकाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि वर्तमान से 31 (21%) पुरूष एवं 42 (28%) महिलायें अकेले रह रही हैं, परन्तु वृद्धावस्था में अकेले रहने का निर्णय लेने वाले उत्तरदाताओं में पुरूष एवं महिलाओं की संख्या 21 (14%) मात्र हैं। अतः यह निरूपित होता है कि अविवाहित रहने के बावजूद भी उत्तरदाता महिलायें व पुरूष किसी न किसी नातेदार के साथ रहना पसंद करते हैं।

वर्तमान ये नातेदारों के साथ रहने के कारण उन्हें, उनसे क्या सहयोग मिल रहा है। इस विषय में उत्तरदाताओं के द्वारा प्रदत्त जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक 74**

**साथ रह रहे नातेदारों से उत्तरदाताओं को प्राप्त सहयोग**

| अ. क्र. | सहयोग का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | एकाकी पन दूर करने में सहायक हैं। | 119 | 108 | 80% | 75% |
| 2. | दैनिक कार्यो में नातेदारों से सहायता मिलती है। | 62 | 51 | 41% | 34% |
| 3. | निश्चिन्तता व मानसिक सुरक्षा अनुभव होती है। | 48 | 42 | 32% | 28% |
| 4. | शारीरिक अस्वस्थता के कारण सहायता व सुरक्षा मिलती है। | 51 | 28 | 34% | 18% |
| 5. | अकेले रह रहे है। | 31 | 42 | 21% | 28% |

## तालिका क्रमांक 73
## भविष्य में नातेदारों के साथ रहने विषयक उत्तरदाताओं की योजना

रेखा–चित्र क्रमांक 19

## तालिका क्रमांक 74

## साथ रह रहे नातेदारों से उत्तरदाताओं को प्राप्त सहयोग

रेखा—चित्र क्रमांक 20

## तालिका क्रमांक 74
## साथ रह रहे नातेदारों से उत्तरदाताओं को प्राप्त सहयोग

रेखा–चित्र क्रमांक 21
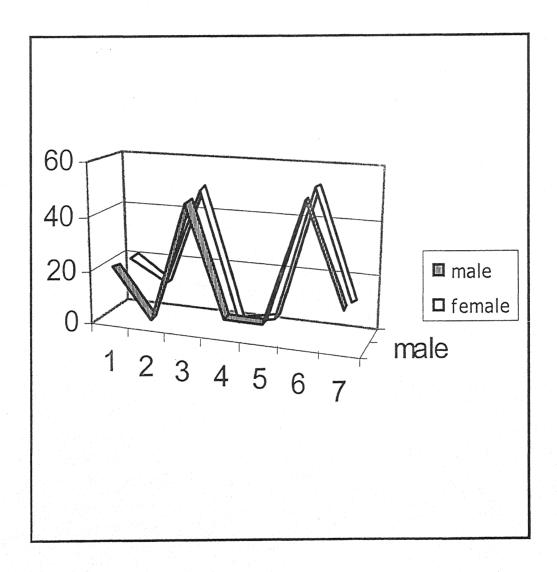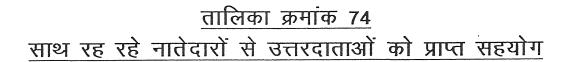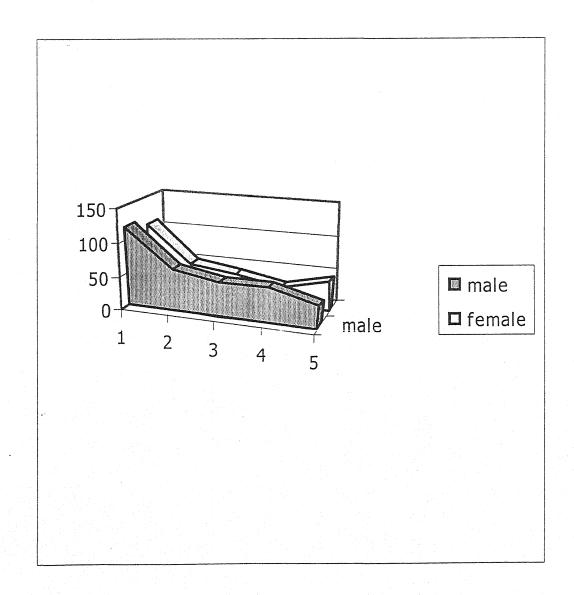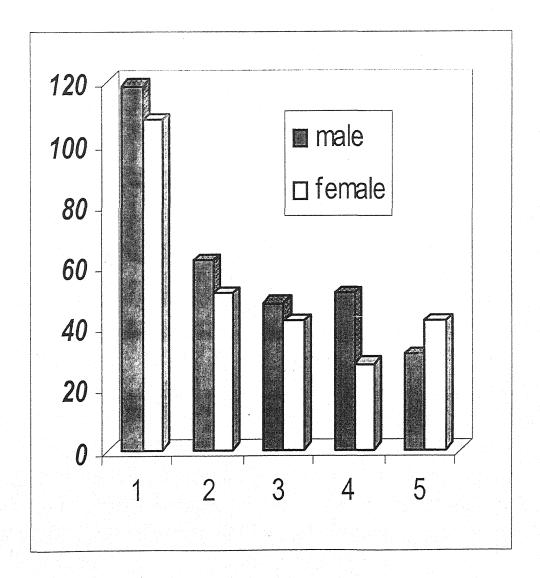
उपरोक्त तालिका यह प्रतिवेदित करती है कि एकाकी रहने वाले उत्तरदाता पुरूषों की संख्या 31 (21%) और महिलाओं की संख्या 42 (28%) है। यह सभी उत्तरदाता स्वयं या तो किसी नातेदार के साथ रह रहे हैं अथवा उन्होनें अपने माता–पिता भाई या किसी अन्य नातेदार को अपने साथ रहने के लिए बुलाया है। यह सभी उत्तरदाता 111 (80%) पुरूष एवं 108 (75%) महिलायें अनुभव करती है कि नातेदारों के साथ रहने के कारण उन्हें एकाकीपन का आभास नहीं होता है। यह सांख्यिकी इस ओर इंगित करती है कि अविवाहित रहने वाले बहुसंख्यक पुरूष और स्त्रियों विवाह न करने के कारण एकाकी पन का अनुभव करते हैं। यह एकाकीपन निश्चित रूप से उनके लिए एक समस्या है इसलिए एकाकीपन को दूर करने की भावना से इन्हें उत्तरदाताओं ने किसी न किसी नातेदार को अपने साथ रखा है। 62 (41%) पुरूष एवं 51 (34%) महिलाएं अनुभव करती है कि अविवाहित जीवन में अनेक ऐसे कार्य है जिन्हें करने में उन्हें कठिनाई अनुभव होती है ऐसी स्थिति में किसी नातेदार के साथ रखने के कारण दैनन्दिन जीवन में अनेक कार्यों को सम्पन्न करने में इन नातेदारें का सक्रिय सहयोग मिलता है। 48 (32%) पुरूष एवं 42 (28%) महिलायें अनुभव करती है कि विवाह न करने के कारण वह असुरक्षा अनुभव करती है इस प्रकार इसके कारण उन्हें आत्म–विश्वास की कमी भी अनुभव होती है। नातेदारों के साथ रहने के कारण विभिन्न मामलों में न केवल नातेदारें से परामर्श प्राप्त करते हैं बल्कि उनकी उपस्थिति में कार्य करने में उन्हें निश्चिन्तता भी अनुभव होती है। इन दशाओं मे वे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। 51 (34%) पुरूष एवं 28 (18%) उत्तरदाता महिलायें किसी प्रकार की अस्वस्थता अथवा वृद्धावस्था से ग्रस्त है। इन समस्याओं का सामना वे अकेले नहीं कर सकते हैं, परन्तु नातेदारों के साथ रहते हुए न केवल उनका एकाकीपन दूर होता है, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलती है, बल्कि वृद्धावस्था और रोग–ग्रस्तता से जनित समस्याओं के निराकरण में भी सहायता मिलती है इसे उन्हें शारीरिक सुरक्षा के साथ मानसिक सुरक्षा और निश्चिन्तता का अनुभव भी होता है।

विवाह पति–पत्नी के बीच में अत्यन्त गहन, आत्मीय और दुख से मुक्त स्वछन्द संबंधों को विकसित करता है। यही स्थिति उनके बच्चों के संदर्भ में भी रहती है, इस परिवारिक ईकाइ में रहते हुए दैनन्दिन जीवन में वे एक दूसरे के साथ पूर्णतः अनौपचारिक होते हैं तथा जीवन की सभी गतिविधियों में एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहयोग करते हैं। इस साँझा जीवन में वे एक दूसरे के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए समर्पित रहते हैं, यदि हम इस स्थिति की तुलना अविवाहित रहने वाले स्त्री–पुरूषों और

उनके साथ रह रहे नातेदारों के बीच के संबंधों से करे तो हम पाते है कि पारिवारिक संबंध की इस सीमा को नातेदारों का यह संकलन नहीं छू सकता है। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या वे अपने आप को नातेदारों के साथ रहते हुए परिवार के मुखिया जैसा अनुभव करते हुए पूर्ण अधिकार और नियन्त्रण रखते है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिकाक्रमांक 75**

**नातेदारों के साथ रह रहे उत्तरदाताओं की स्थिति**

| अ. क्र. | स्थिति | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | मुखिया के रूप में इस परिवार सम ईकाई पर उनका पूर्ण नियन्त्रण है। | 119 | 108 | 80% | 75% |
| 2. | वे आवश्यकतानुसार सहयोग देते हैं, परन्तु साथ रह रहे नातेदारों के कार्यो में या घर के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करते है। | 22 | 29 | 15% | 20% |
| 3. | जनतांत्रिक पद्धति से मिलजुल कर रहते हैं। | 51 | 39 | 34% | 26% |
| 4. | स्वयं किसी प्रकार के निर्देशन न देते हुए अन्यों की इच्छानुसार रहते हैं। | 13 | 13 | 08% | 08% |
| 5. | एकाकी रह रहे है, इसलिए सम्बन्धित नहीं हैं। | 31 | 42 | 21% | 28% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका यह प्रकाशित करती है कि किसी न किसी नातेदार के साथ रह रहे 119 (80%) पुरूष और 108 (75%) महिला उत्तरदाताओं में से 33 (22%) पुरूष एवं 27 (18%) महिला अनुभव करती है कि उसका अपनी इस परिवार सम ईकाइ पर पूर्ण नियन्त्रण है तथा ये इस परिवार में मुखिया के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं 22 (15%) पुरूष एवं 29 (18%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि नातेदार उनके साथ सहयोग करते हैं पर वह उनके कार्यो में हस्तक्षेप नहीं करते, इसका अभिप्राय यह हुआ कि वे स्वयं को अन्य सदस्यों पर किसी रूप में थोपना अथवा उन्हें नियन्त्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं, कि साथ रह रहे नातेदार कौन–कौन से मामलों मे उनकी सहायता चाहते हैं। इस प्रकार अविवाहित रहने वाले पुरूष अथवा स्त्रियाँ नातेदारों के इस समूह में रहते हुए भी स्वयं को कटा हुआ अनुभव करते हैं। 51 (34%) पुरूष एवं 29 (18%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि वे परिवार नातेदारों के समूह के रूप में अपनी आय उच्च स्थिति अथवा निम्न स्थिति या भय किसी प्रकार का भेद–भाव न रखते हुए समान स्थिति में रहते हैं तथा दैनन्दिन जीवन में एक दूसरे की भावनाओं, समस्याओं, आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए एक दूसरे पूरा सम्मान करते। 13 (08%) पुरूष एवं 13 (08%) ही महिला उत्तरदाता यह अनुभव करते कि चूँकि एकाकी रहते हुए न तो उनका जीवन सहज चल सकता है न उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, इसलिए नातेदारों के साथ रहना उनकी विवशता है। इस स्थिति से यह आवश्यक है कि वे नातेदारों को यह अनुभव न होने दें कि उनकी उपेक्षा हो रही है अथवा उन्हें किसी प्रकार का कष्ट रहा हैं, इसलिए उपयुक्त मानते है कि साथ रह रहे नातेदार जैसे भी रहना चाहे रहना दिया जाये और उनके किन्हीं मामलो से भी हस्तक्षेप नहीं किया जायें वे यह उचित मानते है कि स्वयं किसी को निर्देश न देते हुए उनकी इच्छा अनुसार स्वयं कार्य करने का प्रयास करें।

उत्तरदाता पुरूषों व स्त्रियों ने सबसे बड़ी समस्या यह व्यक्त की है कि वे नातेदारों के साथ रहते हुए भी स्वयं का मानसिक रूप से एकाकी अनुभव करते है। इस संदर्भ के कृपया निम्नांकित तालिका का अवलोकन कीजिए।

## तालिका क्रमांक–76
## नातेदारों के साथ रह रहे
## उत्तरदाताओं का एकाकीपन का अहसास (अनुभव)

| अ. क्र. | एकाकीपन का अनुभव | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | एकाकीपन अनुभव करते हैं। | 86 | 81 | 57% | 54% |
| 2. | एकाकीपन अनुभव नहीं करते हैं। | 33 | 27 | 22% | 18% |
| 3. | अकेले रहते हैं इसलिए एकाकीपन नियति ही हैं। | 31 | 42 | 21% | 28% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि नातेदारों के साथ रह रहे 119 पुरूषों में से 86 (57%) पुरूष एवं 81 (54%) महिलायें एकाकीपन का अनुभव करती है 33 (22%) पुरूष एवं 27 (18%) महिला उत्तरदाता नातेदारों के साथ रहते हुए एकाकीपन का अनुभव नहीं करते है।

उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि वे नातेदारों के साथ रहते हुए भी क्यों कर एकाकीपन का अनुभव करते हैं। उनके द्वारा प्राप्त उत्तर निम्नानुसार हैं।

## तालिका क्रमांक—77
## नातेदारों के बीच एकाकीपन के अनुभव के कारण

| अ. क्र. | एकाकीपन का अनुभव | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता है। | 99 | 33 | 66% | 22% |
| 2. | उनके परामर्श की उपेक्षा की जाती है। | 48 | 45 | 32% | 30% |
| 3. | उनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता हैं। | 87 | 102 | 57% | 68% |
| 4. | केवल आर्थिक हितों के कारण उनसे जुड़े हुए हैं। | 82 | 48 | 55% | 32% |
| 5. | नातेदारों का आचरण अमर्यादित रहता है। | 19 | 31 | 13% | 21% |
| 6. | परिवार न होने का एहसास तीव्र होता है। | 87 | 102 | 57% | 66% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उत्तरदाताओं से यह पूछा गया है कि विवाह न करने के कारण क्या वे दैनिक जीवन में कुछ कठिनाईयाँ अनुभव करते है। उत्तरदातओं द्वारा इस विषय में व्यक्त विचार निम्नानुसार हैं।

## तालिका क्रमांक–78
## विवाह न करने के कारण अनुभव की जा रही समस्यायें

| अ. क्र. | एकाकीपन का अनुभव | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | नातेदारों से निस्वार्थ आत्मीयता नहीं मिलती है। | 101 | 93 | 67% | 62% |
| 2. | अनेक मानसिक तनाव और समस्यायें होती जिसकी चर्चा किसी से करने की भावना तीव्रता से अनुभव होती है। | 143 | 138 | 96% | 93% |
| 3. | भविष्य अत्याधिक असुरक्षित अनुभव होता है | 148 | 150 | 99% | 100% |
| 4. | जीवन निरूद्देश्य प्रतीत होता है। | 87 | 102 | 57% | 68% |
| 5. | वैयक्तिक इच्छायें, जैसे इचछितानुसार वस्तुओं का रख–रखाव, वस्त्रों, की स्वच्छता आदि समस्यायें बनी रहती है। | 87 | 102 | 59% | 68% |
| 6. | वैयक्तिक, इच्छायें आकांक्षायें अपूर्ण अनुभव होती है। | 87 | 102 | 57% | 68% |
| 7. | यौन आवश्यकता कभी–कभी तीव्रता से अनुभव होती है। | 87 | 102 | 57% | 68% |

## तालिका क्रमांक 78
## विवाह न करने के कारण अनुभव की जा रही समस्यायें
## अनुक्रमांक 1 से 4 तक

रेखा–चित्र क्रमांक 22

## तालिका क्रमांक 78
## विवाह न करने के कारण अनुभव की जा रही समस्यायें
## अनुक्रमांक 5 से 7 तक

रेखा–चित्र क्रमांक 23
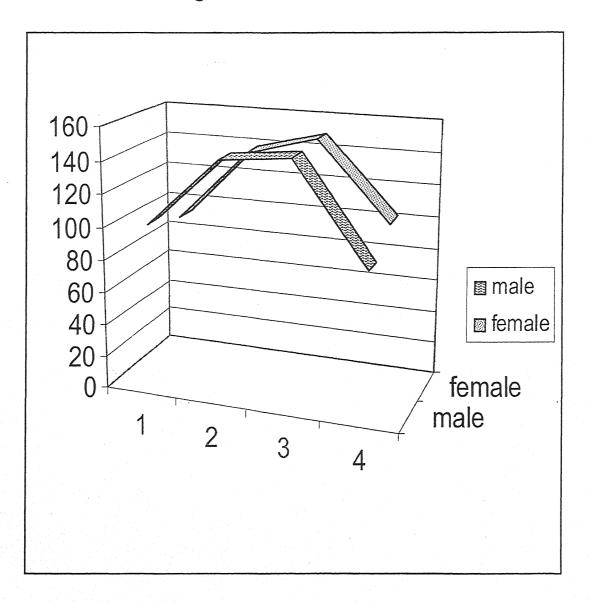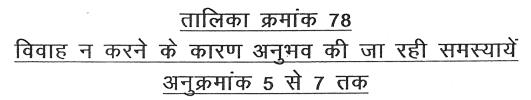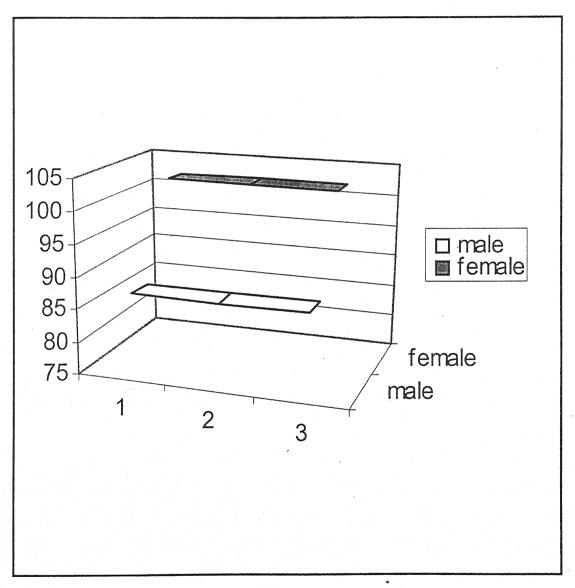
उपरोक्त तालिका में प्रेषित सांख्यिकी यह प्रकट करती है कि अविवाहित रहना बहुसंख्यक उत्तरदाताओं के लिए स्वैच्छिक न होने के कारण वे अनेक ऐसी सम्स्याऐं अनुभव करते हैं जिनका निराकरण परिवार में सहज हो जाता है यौन जीवन को एक अनिवार्यता है सभी सामान्य स्त्रियों और पुरूषों में यह एक नैसिर्गिक देन हैं। जिस प्रकार शरीर से सम्बन्धित अन्य आवश्यकताओं की यथा समय पूर्ति आवश्यक है उसी प्रकार यौन आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक है। ऐसी दशा में इसे टालना अस्वाभाविक है। यही कारण है कि परिस्थिति वश विवाह न करने के बावजूद स्त्रियों और पुरूषों में यह आकांक्षा समाप्त नहीं होती है बल्कि अवचेतन में विद्यमान रहती है, इालिए अनेक अवसरों पर यह भावना तीव्रता से उभरकर प्रकट होती है। 87 (57%) पुरूष और 102 (68%) स्त्रियों ने इसे स्पष्टता से स्वीकार किया है। यही उत्तरदाता स्वीकार करते है कि विवाह न करने के कारण इन्हें जीवन में किसी प्रकार कोई आकर्षण प्रतीत नहीं होता है, वे अनुभव करते हैं कि विवाहित पुरूषों–स्त्रियों के समक्ष पति, बच्चों घर गृहस्थी, भौतिक सुख–सुविधा के साधन सामाजिक प्रतिष्ठा, संस्कारो का परिपालन आदि अनेक ऐसे लक्ष्य होते हैं। जिन्हें पूर्ण करने का प्रयास वे करते हैं। इस प्रकार विवाहित पुरूषों व स्त्रियों का जीवन अनेक उद्देश्यों से सम्वद्ध होता है। इसी संदर्भ में 87 (57%) पुरूष और 102 (68%) अविवाहित महिला उत्तरदाता अनुभव करते हैं कि उनका जीवन निरूद्देश्य अनुभव होता है। यद्यपि इस तथ्य में वे सीधे–सीधे स्वीकार न करते हुए व्यक्त करते हैं कि उनके समक्ष ऐसी कोई समस्या नहीं है। उनका अपना व्यवसाय, नाते रिश्तेदारों के साथ संबंध और दायित्व तथा तनावग्रस्त स्वतन्त्र जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाता है, परन्तु इस आवरण के पीछे उनके वास्तविक अन्तःकरण को स्पर्श करने पर वह इस यथार्थ को प्रगट करते है। दैनिक जीवन अनेकानेक आवश्यकताओं से परिपूरित है, यदि दैनन्दिन जीवन से सम्बन्धित वैयक्तिक आवश्यकताओं की सूचि बनायी जायें तो यह सूचि अनन्त होती है। एकांकी रहने वाले पुरूष और स्त्रियाँ भी सुरूचि पूर्ण और सुविधायुक्त जीवन जीना चाहते हैं, यद्यपि वैयक्तिक प्रयासों से, नातेदारों अथवा नौकरो की सहायता से वे यथा सम्भव सुविधायें जुटा लेते हैं परन्तु फिर भी अनेक ऐसी आवश्यकतायें होती हैं, जिनके विषय वे अनुभव करते है कि उनके विवाहित मित्र पत्नी की सहायता से अधिक सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप वस्त्रों का चुनाव वस्त्रों का आकार प्रकार वैयक्तिक साज–सज्जा, वस्त्रों का रख–रखाव, सुरूचि पूर्ण खाद पदार्थ, घर की साज–सज्जा आमोद–प्रमोद आदि वे

आवश्यकतायें है जिनकी पूर्ति जीवन साथी की सहायता से सरलता से और सन्तोष जनक रूप से हो जाती है। उत्तरदाताओं ने यह व्यक्त किया है कि वे इन मामलों में स्वयं को असुविधाजनक स्थिति में पाते हैं। इसी प्रकार उनका कथन हैं कि एक ऐसे मित्र या सहयोगी की आवश्यकता होती है जिससे व्यक्ति अपना सुख—दुख, उल्लास, कुण्ठायें भ्रातियाँ, पसन्द न पसन्द आदि के विषय में खुल कर चर्चा कर सकें और जो इन मामलों में उसका उपहास करने की अपेक्षा उसके साथ सहयोग कर सकें, वे स्वीकार करते हैं कि इस मामले में कोई भी मित्र या नातेदार पति/पत्नी का स्थान नहीं ले सकता हैं, अतः अविवाहित रहने से वे इस कमी को सतत् अनुभव करते है। यह समस्या 143 (96%) पुरूषों और 138 (93%) महिलाओं के द्वारा प्रगट की गयी है। इसी प्रकार 101 (67%) पुरूष एवं 93 (62%) महिलाओं का स्पष्ट कथन है कि यद्यपि वह नातेदारों के साथ रह रहे हैं, परन्तु इन नातेदारों के साथ उनके सम्बन्ध सहज और आत्मीय न होकर किसी न किसी प्रकार के स्वार्थ अथवा औपचारिकता से बँधे हुए हैं। 148 (99%) पुरूष और 140 (100%) महिलायें यह अनुभव करती कि एकाकी रहते हुए वर्तमान के प्रति भले ही आशांकित न हो, अस्पष्ट भविष्य के प्रति आवश्यक ही आशांकित हैं। वे नहीं जानते है कि उनका भविष्य कितना सुखमय असुरक्षित है।

**नगरीय दशायें और अविवाहित रहने की प्रवृत्ति के साथ सह—सम्बन्ध**

नगरीय परिवेश और ग्रामीण परिवेश भिन्न—भिन्न स्थिति रखते हैं। अविवाहित रहने के उदाहरण ग्रामों में प्रायः कम ही परिलक्षित होते है विधुर, विधवा या परित्यक्ता के रूप में तो उनके व्यक्ति ग्रामीण समाज में रहते हैं, परन्तु सामान्य स्त्री अथवा पुरूष अविवाहित रहते हैं, ऐसे उदाहरण प्राप्त नहीं हुए हैं। नगरीय समाज में अविवाहित रहने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देने का कारण यह भी हैं कि नगरीय परिवेश में एक ओर तो व्यक्ति अन्यों की अपेक्षा उपेक्षा से एकाकी रह सकता हैं वहीं दूसरी ओर नगरीय समाज में प्राप्त अनेक सुविधायें उसके जीवन को सुगम बना देती हैं।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दैनन्दिन जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने से सम्बन्धित विभिन्न उपकरणों को घर में रखने की प्रवृत्ति महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों में अधिक है। इसका यह कारण तो यह हैं कि महिलायें चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित अपने हाथों से कार्य करना अधिक पसन्द करती है। इसलिए न केवल नातेदारों के साथ रह रही वरन अकेली रह रहीं उत्तरदाता भी रसोई के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने के प्रति अधिक उत्साहित प्रतीत नहीं हुई।

इसके विपरीत पुरूषों का कथन है कि रसोई एवं स्वच्छता से सम्बन्धित उपकरणों के कारण प्रथम तो बिना किसी हीन भावना से पीड़ित हुयें अपने कार्यो को सुगमता से कर लेते है तथा द्वितीय उनके साथ रह रहे नातेदारों पर वे ये प्रभाव छोड़ते है कि इन उपकरणों के रहते उनके स्वयं को नातेदारों के अभाव भी कार्य करना सम्भव होगा। यह भी कि वे नातेदारों पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव देना चाहते है कि नातेदारों के कार्य भार को कम करने के लिए इन उपकरणों को खरीदा है यह प्रवृत्ति इस ओर इंगित करती है कि नातेदारों के रह रहे उत्तरदाता तथा नातेदारों के बीच सहज अनौपचारिक ओर आत्मीय सम्बंध उस सीमा तक विकसित नहीं हो पाते है, जिस सीमा तक पति और पत्नी के बीच, इसके साथ यह भी सत्य है कि नगरीय समाज में निश्चय ही इन साधनों की उपलब्धि ने अविवाहित रहने वाले पुरूषों और स्त्रियों के गृह कार्य के सरलीकरण में अत्यधिक सहायता की है, न केवल यह साधन बल्कि नगरीय समाज में उपलब्ध अन्य सुविधायें भी इस संदर्भ में सहायक है। इस विषय में कृपया निम्नाकिंत तालिका देखिये।

**तालिका क्रमांक–79**

**अविवाहित पुरूषों/स्त्रियों को नगरीय परिवेश में उपलब्ध सुविधायें**

| अ. क्र. | संसाधन | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | कैन्टीन/भोजनालय/हॉटल में भोजन करना। | 64 | 12 | 42% | 08% |
| 2. | कैन्टीन/हॉटल/रेस्टोरेन्ट में प्रायः सुबह/शाम दोनो समय नाश्ता। | 81 | 02 | 56% | 01% |
| 3. | कैन्टीन/हॉटल/रेस्टोरेन्ट चाय के ठेले से नियमित रूप में चाय/पान | 81 | 51 | 56% | 34% |
| 4. | कैन्टीन/हॉटल/रेस्टोरेन्ट /चाय के ठेले से कभी–कभी चाय–पान | 129 | 25 | 87% | 16% |

उपरोक्त तालिका यह प्रगट करती है कि नगरों में उपलब्ध खान–पान सम्बधी सुविधा अविवाहित पुरूषों के लिए विशेष रूप से सहायक है। इनमे से 64 (42%) पुरूष एवं 12 (08%) स्त्रियाँ उत्तरदाता प्रायः हॉटेल/रेस्टोरेन्ट या केनटीन में भोजन करते है 81 (56%) पुरूष एवं 2 (1%) महिला उत्तरदाता सुबह शाम दोनो समय चाय/नास्ता होटल में 81 (56%) एवं 51 (34%) महिला उत्तरदाता ऐसे है जो नियमित रूप से केनटीन, ठेले या रेस्टोरेन्ट से चाय पीते है इसके अतिरिक्त 129 (87%) पुरूष एवं 25 (16%) महिला उत्तरदाता कभी–कभी बुलबा कर चाय–पान करते है।

उपरोक्त पृष्ठों पर प्रस्तुत विभिन्न तत्व यह प्रकट करते है कि अविवाहित रहने वाली स्त्रियाँ और पुरूष दिनचर्या, विभिन्न कार्यो के सम्पादन, नातेदारों के साथ रहते हुए सहयोग, मनोरंजन, अभिरूचियाँ और विशिष्ट नगरीय परिवेश के संदर्भ में विशेष प्रकार की जीवन शैली को विकसित कर लेते हैं। इस जीवन शैली पर उनके अविवाहित रहने की स्पष्ट छाप दिखाई देती हैं।

# परिजनों व नातेदारों के साथ अर्न्तक्रियात्मक सह - सम्बन्ध

## अध्याय–5

## परिजनों व नातेदारों के साथ अर्न्तक्रियात्मक सह–समबन्ध

भारत में वैयक्तिक और सामाजिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी सम्बन्धों को अत्याधिक प्रधानता दी जाती है। पश्चिमी समाज में यदि व्यक्ति यौनिक सुख के साथ विवाह करने वाले साथी को प्राप्त करने की दृष्टि से विवाह करते है तो भारत में विवाह नातेदारी का विस्तार करने उसे दृढ़ता प्रदान करने तथा पारिवारिक सामाजिक मामलों में परस्पर सहयोग करने के उद्देश्य के साथ–साथ धर्म की प्रतिपूर्ति के लिए विवाह किया जाता है। इस प्रकार भारत में किसी भी व्यक्ति का परिवार, नातेदारी और समाज से परे कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है। भारत में व्यक्ति नहीं बल्कि समष्टि का महत्व है। यहाँ व्यक्ति वैयक्तिक हितों के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते है। इसीलिए व्यक्ति के लिए जन्म का परिवार ओर जनन का परिवार दोनो ही महत्वपूर्ण हैं। पश्चिमी समाज में विवाह पश्चात् जन्म के परिवार का महत्व घटता जाता है और जनन के परिवार का महत्व सदैव बना रहता है तथा विवाह के पश्चात् स्त्री की सहभागिता पति के जन्म के परिवार के साथ बढ़ जाती है इसी प्रकार विवाहित पुरूष अपनी पत्नी के जन्म के परिवार के साथ अपने दायित्वों के निर्वाह के प्रति जागरूक रहता है। यदि इस परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो अविवाहित रहना एक असामान्यता दिखाई देती है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि अविवाहित व्यक्ति का अपने स्वयं का जनन का परिवार भले ही न हो परन्तु जन्म के परिवार के सदस्यों के साथ तथा नातेदारों के साथ कम अथवा अधिक सम्बन्ध बने रहते है। इसी संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया गया कि अविवाहित रहने वाले पुरूषों और महिलाओं का अपने जन्म के परिवार के साथ अर्न्तक्रियाओं का स्वरूप, अवसर, सम्बन्ध व समस्यायें तथा अन्य नातेदारों के साथ सम्बन्धों का स्वरूप और अर्न्तक्रियायें किस प्रकार की हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि उसने विवाह किया है तो वह दो परिवारों का सदस्य होता है। एक परिवार जिसमें उसने जन्म लिया है तथा दूसरा वह परिवार जिसे वह स्वयं विवाह के माध्यम से स्थापित करता है, अतः जन्म का परिवार वस्तुतः माता–पिता का परिवार होता है। अविवाहित रहने वाले व्यक्ति का जन्म का परिवार भले ही न हो जन्म का परिवार तो अवश्य ही रहता है। अविवाहित रहने वाले पुरूष और महिलायें या तो इस परिवार में ही बने रहते है अथवा माता–पिता,

भाई–बहिन अथवा अन्य नातेदारों को अपने साथ रखते है। इस प्रकार वे माता–पिता के ही परिवार में रहते है। इस परिवार से सम्बन्धित नातेदारों के साथ रहते है अथवा अकेले रहते है, जन्म के परिवार के सदस्यो के साथ अर्न्तक्रियायें सतत जारी रहती हैं।

उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया कि वर्तमान में वे अपने जन्म के परिवार के साथ रह रहे है, किसी अन्य नातेदार के साथ अथवा एकाकी। प्राप्त जानकारी इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–80**

**उत्तरदाताओं की नातेदारों के साथ रहने विषयक जानकारी**

| अ. क्र. | रहने विषयक जानकारी | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अभिभावकों के परिवार के साथ रह रहे है। | 34 | 48 | 22% | 32% |
| 2. | माता–पिता उत्तरदाता के यहॉ आकर रह रहे हैं। | 65 | 18 | 43% | 12% |
| 3. | अन्य अविवाहित नातेदारों के साथ रह रहे है। | 20 | 42 | 14% | 28% |
| 4. | अकेले रह रहे है। | 31 | 42 | 21% | 28% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका के अवलोकन से विदित होता हे कि 34 (22%) पुरूष एवं 48 (32%) महिला उत्तरदाता अपने माता–पिता के परिवार के साथ अर्थात जन्म के परिवार के साथ रह रहे है। 65 (43%) पुरूष ओर 18 (12%) महिला उत्तरदाता स्वयं तो माता–पिता के परिवार के साथ नहीं रह रहे है परन्तु माता–पिता आकर उनके साथ रह रहे है। प्रथम स्थिति में उत्तरदाता अभी भी माता–पिता के परिवार के रूप में माता–पिता के साथ रह रहे है। द्वितीय स्थिति में उत्तरदाता एकाकी रह रहे है, परन्तु उन्होनें अपने माता–पिता को अपने साथ रख लिया है। वस्तुतः इस पारिवारिक ईकाई के मुखिया उत्तरदाता के माता–पिता न होकर उत्तरदाता स्वंय है। प्रथम स्थिति में उत्तरदाता को अपने माता–पिता

और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समायोजन करना पड़ता है जबकि द्वितीय स्थिति में माता–पिता समायोजन करते है। इस दृष्टि से उत्तरदाताओं के संदर्भ में दोनों ही पारिवारिक ईकाईयाँ भिन्न–भिन्न स्थिति रखती है। 20 (14%) पुरूष एवं 42 (28%) महिला उत्तरदाता अन्य नातेदारों के साथ रह रहे है। एवं 31 (21%) पुरूष एवं 42 (28%) महिला उत्तरदाता ऐसे है जो कि अकेले ही रह रहे है।

उपरोक्त संदर्भ में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि जन्म के परिवार के सदस्यो के साथ उत्तरदाताओं के सम्बन्धों का स्वरूप कैसा है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–81**

**जन्म के परिवार के सदस्यों के साथ सम्बन्धों का स्वरूप**

| अ. क्र. | संबंधों का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | घनिष्ठ | 56 | 71 | 37% | 47% |
| 2. | सामान्य | 48 | 54 | 32% | 36% |
| 3. | औपचारिक | 28 | 22 | 19% | 15% |
| 4. | तनावपूर्ण सम्बन्ध | 12 | 02 | 08% | 01% |
| 5. | कोई सम्बन्ध नहीं | 06 | 01 | 04% | 01% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि विवाह न करने के कारण 56 (37%) पुरूषों एवं 71 (47%) महिलाओं का उनके अभिभावकों के परिवार के साथ सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। माता–पिता के परिवार और नातेदारों के साथ उनके सम्बन्ध घनिष्ठ है। इसी प्रकार 48 (32%) पुरूष एवं 54 (36%) महिलाओं का कथन है कि नौकरी सम्बन्धी विवशता के कारण, उन्हें पृथक रहना पड़ रहा है। इसलिए अब वे न तो माता–पिता, भाई–बहिन आदि के साथ रह पा रहे है और न ही नियमित रूप से आना–जाना है, इस कारण संबंध तो हैं, परन्तु इन्हें घनिष्ठ संबंध इसलिऐ नहीं कहा जा सकता है, कि माता–पिता के परिवार के साथ उनके संबंध उतने प्रगाढ़ और अर्न्तक्रियायें

उतनी तीव्र नहीं है, जितनी कि उनके साथ रहने पर सम्भव होती। इसी तारतम्य में 28 (15%) पुरूष एवं 22 (19%) महिलाओं का कथन है कि माता–पिता और भाई–बहिनों के परिवारों के साथ उनके संबंधों का स्वरूप औपचारिक है। विशिष्ट आयोजन जैसे किसी प्रकार का संस्कार, विवाह अस्वस्थता आदि के अवसर पर ही परस्पर मिलना होता है अन्यथा नियमित मुलाकात भी नहीं हो पाती है। 12 (8%) पुरूषों और 2 (1%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि कतिपय कारणों जैसे माता–पिता और अन्य नातेदारों की उनमें अत्याधिक अपेक्षायें, विवाह न करना उन्हें रूचिकर न लगना आदि के कारण संबंध तनावपूर्ण है। इसी प्रकार केवल 06 (4%) पुरूष एवं 1 (1%) महिला उत्तरदाता का कथन है कि अपने माता–पिता अथवा भाई–बहिनों के परिवार के साथ उनका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।

उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि वर्तमान में वे अपने जन्म के परिवार अर्थात माता–पिता के परिवार के साथ रह रहे है, किसी अन्य नातेदार के साथ अथवा एकाकी प्राप्त जानकारी इस प्रकार है। उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि वे अन्य परिजनों के साथ सम्बन्धों का निर्वाह करने में रूचि रखते हैं। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक–82
## परिजनों के साथ सम्बन्धों की तीव्रता

| अ. क्र. | संबंधों की तीव्रता | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | माता–पिता के साथ घनिष्ठ संबंध रखने में रूचि है। | 46 | 60 | 30% | 40% |
| 2. | माता–पिता का सम्मान करते है परंतु मन मुटाव है | 38 | 54 | 26% | 36% |
| 3. | अन्य परिजनों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने में रूचि | 56 | 71 | 37% | 45% |
| 4. | अन्य परिजनों के साथ सामान्य संबंधों के निर्वाह में रूचि है। | 48 | 54 | 32% | 36% |
| 5. | अन्य परिजनों के साथ सामान्य संबंधों के निर्वाह में रूचि नहीं है। | 18 | 03 | 12% | 02% |

उपरोक्त तालिका की साँख्यिकी इस ओर इंगित करती है कि 46 (30%) पुरूष एवं 60 (40%) महिला उत्तरदाता माता–पिता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने में रूचि रखते है। 38 (26%) पुरूष एवं 54 (36%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि वह माता–पिता का सम्मान करते है लेकिन मन–मुटाव बना रहता है। 56 (37%) पुरूष एवं 71 (45%) महिला उत्तरदाता अन्य परिजनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में रूचि रखते हैं। 48 (32%) पुरूष एवं 54 (36%) महिला उत्तरदाता अन्य परिजनों के साथ सामान्य एवं 18 (12%) पुरूष और 3 (2%) महिला उत्तरदाता ऐसे है जो कि अन्य परिजनों के साथ सम्बन्धों के निर्वाह में कोई रूचि नहीं रखते है।

सम्बन्धों की उपरोक्तानुसार तीव्रता अथवा दूरी को निर्धारित करने की दृष्टि से उत्तरदाताओं ने पूछा कि वे नातेदारों के साथ किस प्रकार सम्बन्धों का निर्वाह कर रहे हैं।

## तालिका क्रमांक–83
## परिजनों के साथ उत्तरदाताओं के सम्बन्धों के निर्वाह का स्वरूप

| अ. क्र. | संबंध निर्वाह का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | प्रतिबर्ष अवकाश लेकर मिलने जाते है। | 56 | 71 | 37% | 45% |
| 2. | परिजनों के परिवार से संबंधित सभी प्रकार के सुख–दुख में सम्मिलित होते है। | 104 | 125 | 68% | 84% |
| 3. | परिजनों की बीमारी अथवा अन्य परेशानियों में ही औपचारिकता वश मिलने जाते है। | 48 | 54 | 32% | 36% |
| 4. | अत्यन्त आवश्यक होने पर ही मिलते हैं। | 18 | 03 | 12% | 02% |
| 5. | किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते है। | 06 | 01 | 04% | 01% |

उपरोक्त तालिका में दी गई सांख्यिकी यह प्रतिवेदित करती है कि 56 (37%) पुरूष एवं 71 (45%) महिला उत्तरदाता ऐसे है जो कि प्रतिवर्ष अवकाश लेकर अपने परिजनों से मिलने के लिए जाते है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इन के मन में अपने नातेदारों के प्रति तीव्र आत्मीयता और हम भावना है। अविवाहित रहने के बावजूद भी वे अपने नातेदारों और उनके परिजनों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखना चाहते है। इसीलिए प्रतिवर्ष वे अवकाश लेकर कुछ समय अपने नातेदारों के साथ बिताना पसंद करते है। इनके सहित कुल 104 (68%) पुरूष एवं 125 (34%) महिला उत्तरदाता वे है जो कि स्वंय को अपने परिजनो के सुख–दुख में सहभागी बनने की भावना रखते है। इसलिये परिजनों के परिवार में सम्पन्न होने वाले किसी कार्य, दुर्घटना बीमारी अथवा परेशानियों में वे उनके यहाँ जाना अपना कर्तव्य मानते है।

## तालिका क्रमांक–84
## परिजनों के साथ उत्तरदाताओं के सम्बन्धों की तीव्रता अथवा दूरी के लिए उत्तरदायी कारक

| अ. क्र. | कारक | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | केवल मात्र परिजन होने की भावना से आत्मीयता। | 56 | 71 | 37% | 45% |
| 2. | सम्मिलित सम्पत्ति में से अपना अंश प्राप्त करने हेतु संबंध रखना। | 48 | 54 | 32% | 36% |
| 3. | सम्मिलित व्यापार, व्यवसाय कृषि या अन्य स्रोतो से प्रारंभ आय में हितोदारी | 48 | 54 | 32% | 36% |
| 4. | एकाकी जीवन की नीरसता के दूर करने की भावना | 56 | 71 | 37% | 45% |
| 5. | बीमारी, वृद्धावस्था अथवा आकस्मिक आपत्ति आने पर परिजनों से सहायता करने की भावना | 56 | 71 | 37% | 45% |
| 6. | सम्पत्ति संबंधी विवाद के कारण परिजनों में रूचि नहीं है। | 06 | 01 | 04% | 01% |
| 7. | परिजनों की दृष्टि उनकी सम्पत्ति बचत, जमीन जायजाद पर है। इसलिए उनसे बचना चाहते हैं। | 06 | 01 | 04% | 01% |
| 8. | परिजनों से संबंध रखने में उन पर अनावश्यक रूप में अत्याधिक व्यय पड़ता है। | 18 | 03 | 12% | 02% |

## तालिका क्रमांक 84
## परिजनों के साथ उत्तरदाताओं के संबंधों की तीव्रता अथवा दूरी के लिये उत्तरदायी कारक
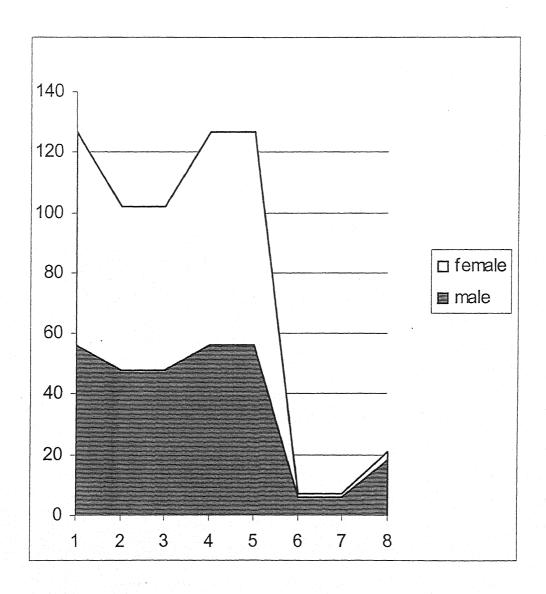
रेखा–चित्र क्रमांक 24

## तालिका क्रमांक 84
## परिजनों के साथ उत्तरदाताओं के संबंधों की तीव्रता अथवा दूरी के लिये उत्तरदायी कारक
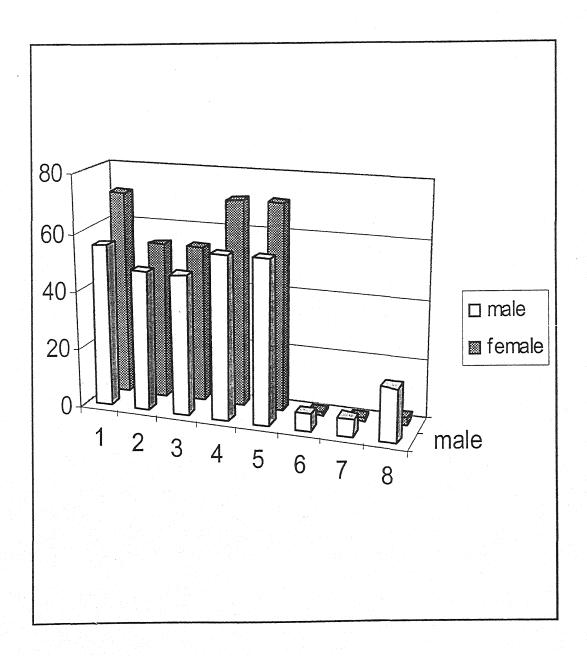
रेखा–चित्र क्रमांक 25

उपारोक्त तालिका से प्राप्त सांख्यिकी यह परिलक्षित करती है कि 56 (37%) पुरूष एवं 71 (45%) महिला उत्तरदाता आत्मीयता एवं प्रेम की भावना की वजह से अपने नातेदारों से मिलते हैं। 48 (32%) पुरूष एवं 54 (36%) महिला उत्तरदाता सम्मिलित सम्पत्ति के अंश की वजह से इन सबसे संबंध बनाये हुए है। इतने ही पुरूष एवं महिला उत्तरदाता व्यापार, व्यवसाय, कृषि इत्यादि में हिस्सेदारी के कारण अपने नातेदारों में मिलते है। तथा 56 (37%) पुरूष 71 (45%) महिला उत्तरदाता एकाकीपन की नीरसता को दूर करने और बीमारी, वृद्धावस्था एवं आकस्मिक परेशानियों में नातेदारों द्वारा प्राप्त सहायता की भावना के कारण उनसे संबंध बनाये रखना चाहते है इसके विपरीत 06 (4%) पुरूष एवं 1 (1%) महिला उत्तरदाता का कथन है कि सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद होने के कारण अथवा उनकी बचत सम्पत्ति और जमीन जायजाद पर परिजनों की दृष्टि होने के कारण वह कोई सम्बन्ध नहीं रखते है या उनसे बचना चाहते है। 18 (12%) पुरूष एवं 3 (2%) महिला उत्तरदाता परिजनों के साथ संबंध रखने पर अनावश्यक खर्च के भय के कारण संबंध रखने से बचना चाहते है।

सम्बन्ध द्विमार्गी प्रक्रिया है, संबंधों का निर्वाह करने की भावना दोनो ही पक्षों में यदि हो तभी संबंधों में मधुरता रहती है उत्तरदाताओं से पूछा गया कि उपरोक्तानुसार सम्बन्ध का निर्वाह वे अपनी और से करते है अथवा परिजन उनके इस प्रकार के सम्बन्धों की अपेक्षा रखते है। प्राप्त तथ्य निम्नाकिंत तालिका में दिये गये है।

## तालिका क्रमांक–85
## परिजनों के द्वारा उत्तरदाताओं की और से सम्बन्धों की प्रत्याशा

| अ. क्र. | संबंधों की प्रत्याशा | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | परिजन घनिष्ठ संबंधों की अपेक्षा रखते हैं। | 56 | 71 | 37% | 45% |
| 2. | परिजन सामान्य संबंधों की अपेक्षा रखते हैं। | 70 | 65 | 45% | 43% |
| 3. | परिजनों की प्रत्याशा के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। | 74 | 60 | 46% | 40% |
| 4. | परिजनों के व्यवहार में उदासीनता दिखाई देती है। | 48 | 54 | 32% | 36% |
| 5. | परिजनों को संबंधों का निर्वाह पसन्द नहीं है। | 06 | 01 | 04% | 01% |

उपरोक्त तालिका यह साँख्यिकी यह प्रतिवेदित करती है कि परिजनों द्वारा उत्तरदाताओं की ओर से संबंध की प्रत्याशा में 56 (37%) पुरूष 71 (45%) महिला उत्तरदाताओं कर कथन है कि उनके परिजन उनके साथ घनिष्ठ संबंधों की अपेक्षा रखते है। 74 (47%) पुरूष एवं 60 (40%) महिला उत्तरदाताओं का कहना हैं कि परिजनों की प्रत्याशा के विषय में उनकी कोई निश्चिता धारणा नहीं है। 70 (45%) पुरूष एवं 65 (43%) महिला उत्तरादाताओं का कथन है कि उनके परिजन उनसे सामान्य संबंधों की अपेक्षा रखते है। 48 (34%) पुरूष एवं 54 (36%) महिलाओं के अनुसार परिजानों के व्यवहार में उन्हें उदासीनता दिखाई दंती है। 06 (04%) पुरूष एवं 1 (1%) महिला उत्तरदाता ऐसे है। जो परिजानों के साथ संबंधों का निर्वाह पसंद नहीं करते है।

सम्बन्ध द्विपक्षीय अर्न्तक्रियाओं पर निर्भर होते है उपरोक्त तालिकायें उत्तरदाताओं के द्वारा नातेदारों से मेल मुलाकात से संबंधित एक पक्षीय सम्बन्धों और उस विषय में

नातेदारों विषयक उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया को प्रकट करते है। उत्तरदाताओं से वह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि जिस प्रकार वे नातेदारों से भैंट मुलाकात के लिए जाते है क्या एसी प्रकार नामेदार भी उनके यहाँ आते है। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

उत्तरदाताओं के कारण नहीं बल्कि उनके माता–पिता के कारण जाते है। जिन उत्तरदाताओं के यहाँ माता–पिता रह रहे है वहाँ स्थिति कुछ भिन्न है। इन उत्तरदाता के यहाँ नातेदार उत्तरदाता को माता–पिता के अतिरिक्त उत्तरदाताओं के साथ उनके सम्बन्धों के कारण भी आने अथवा न आने का निर्णय लेते है। जो नातेदार अकेले अथवा किसी अन्य नातेदार के साथ रह रहे है। उनके यहाँ नातेदारों के आने की घटना शुद्धता नातेदार के साथ उनके सम्बन्धों पर आधारित है। उत्तरदाताओं ने उन कारणों का उल्लेख किया है जिनके कारण नातेदार उनके यहाँ आना अथवा न आना पसंद करते है।

**तालिका क्रमांक–86**

**उत्तरदाताओं के यहाँ नातेदारों के आगमन प्रभावित करने वाले कारक**

| अ. क्र. | कारक | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | माता–पिता साथ में रहने कारण नातेदार उनके यहाँ बार–बार आते रहते है। | 34 | 46 | 22% | 30% |
| 2. | उत्तरदाताओं के साथ मधुर संबंधों के कारण मुख्यता आते है। | 59 | 35 | 40% | 24% |
| 3. | वे अविवाहित है इसलिए आना असुविधाजनक मानते है। | 46 | 30 | 30% | 40% |
| 4. | उत्तरदाताओं के साथ संबंध मधुर न होने के कारण नहीं आते जाते है। | 15 | 09 | 10% | 06% |

यह तालिका प्रतिवेदित करती है कि माता–पिता के साथ रहने के कारण और उत्तरदाताओं के साथ मधुर सम्बन्ध होने के कारण नातेदारों का आगमन बराबर बना रहता है। 34 (22%) पुरूष एवं 46 (30%) महिला उत्तरदाता जो1 कि अपने माता–पिता के साथ रह रहे है उनके यहाँ उनके नातेदार बार–बार आते रहते है। 59 (40%) पुरूष एवं 35 (24%) महिला उत्तरदाता के साथ मधुर सम्बन्ध होने के कारण अक्सर आते जाते है। इसके विपरीत 46 (30%) पुरूष एवं 60 (40%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके अविवाहित होने के कारण वह उनके यहाँ आना असुविधाजनक मानते है। तथा 15 (10%) पुरूष एवं 9 (06%) महिला उत्तरदाताओं के यहाँ सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण आते जाते ही नहीं है।

उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि वे कौन से कारण हैं जिनसे नातेदार उनके यहाँ आने, भेंट मुलाकात करने, सम्बन्धों का निर्वाह करने अथवा न करने सम्बन्धी निर्णय लेते है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–87**
**उत्तरदाताओं के साथ नातेदारों के सम्बन्ध रखने अथवा न रखने के कारण**

| अ. क्र. | कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | साथ रह रहे माता–पिता के कारण आते जाते है। | 34 | 46 | 22% | 30% |
| 2. | उत्तरदाताओं के साथ मधुर सम्बन्धों के कारण आते जाते है। | 59 | 35 | 40 | 24 |
| 3. | वरिष्ठतम पुत्र/पुत्री होने के कारण परामर्श प्राप्त करने आते है। | 11 | 06 | 08 | 04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | मेरे द्वारा उन्हे आर्थिक सहायता की जाती है इस कृतज्ञता के कारण आते है। | 18 | 39 | 12% | 26% |
| 5. | सम्मिलित सम्पत्ति, व्यापार व्यवसाय कृषि आदि में हिस्सेदारी के कारण संबंध बनायें रखते हैं। | 48 | 54 | 32% | 36% |
| 6. | मेरी सम्पत्ति पर उनकी दृष्टि है। | 61 | 83 | 40% | 55% |
| 7. | मेरा पद आर्थिक और सामाजिक स्थिति उच्च होने के कारण सम्बन्ध रखने में रूचि है। | 36 | 21 | 24% | 14% |
| 8. | अविवाहित होने के कारण मेरे प्रति दया भाव रखते है। | 12 | 31 | 03% | 20% |
| 9. | उत्तरदाताओं के साथ सम्बन्ध मधुर न होने कारण नहीं आते जाते है। | 15 | 09 | 10% | 06% |

तालिका की सांख्यिकी यह प्रदर्शित करती है कि उत्तरदाताओं के साथ सम्बन्ध रखने या न रखने के क्या कारण हैं। इस के प्रति उत्तरदाताओं ने इस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त किया है। 34 (22%) पुरूष एवं 46 (30%) महिला उत्तरदाताओं के माता–पिता के साथ रहने और उनके माता–पिता के साथ नातेदारों के सम्बन्ध अच्छे होने के कारण वह उनके यहाँ बराबर आते जाते रहते हैं। 59 (40%) पुरूष एवं 35 (24%) महिला उत्तरदाताओं के साथ मधुर सम्बन्ध होने के कारण नातेदार उनसे बराबर सम्बन्ध बनाये रखते हैं। 11 (8%) पुरूष एवं 6 (4%) महिलायें घर में वरिष्ठ है इसलियें

अक्सर उनका परामर्श लेने के लिये वह उनके यहाँ आते जाते हैं। 18 (12%) पुरूष एवं 39 (26%) महिला उत्तरदाताओं के द्वारा इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इसलिये उनके प्रति कृतज्ञता भाव रखते है और उनके यहाँ बराबर आते जाते रहते हैं। 48 (32%) पुरूष एवं 54 (36%) महिलाओं की सम्मिलित सम्पत्ति में हिस्सेदारी के कारण वह उनसे सम्बन्ध बनाये रखने में रूचि रखते हैं। 61 (40%) पुरूष एवं 83 (55%) महिला उत्तरदातायें यह सोचते है कि उनकी सम्पत्ति पर उनकी दृष्टि है इस कारण वह उनसे सम्बन्ध बनाये हुये है। 36 (24%) पुरूष एवं 21 (14%) महिला उत्तरदाताओं के साथ निरन्तर सम्बन्ध बनाये रखने के पीछे कारण उनका उच्च पद सामाजिक प्रतिष्ठा और उच्च आर्थिक स्थिति है। इसके बिल्कुल विपरीत कुछ कारण जिनमें 12 (3%) पुरूष एवं 31 (20%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि अविवाहित होने के कारण दया–भाव रखते है। और 15 (10%) पुरूष और 9 (6%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि सम्बन्ध मधुर न होने के कारण वह उनके यहाँ आते–जाते ही नहीं है।

उत्तरदाताओं से स्वमूल्यांकन करते हुए यह प्रगट करने के लिए कहा गया कि विवाह करने के कारण क्या वे अनुभव करते है कि विभिन्न नातेदारों के बीच उन्हें वह प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है जो कि यदि वह विवाह करते तो उन्हें मिलती। प्राप्त उत्तर निम्नांकित हैं।

## तालिका क्रमांक–88
## विवाह न करने के कारण नातेदारों के बीच स्थिति

| अ. क्र. | स्थिति | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अविवाहित होने के कारण उपेक्षा की जाती है | 38 | 30 | 26% | 20% |
| 2. | निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। | 38 | 51 | 26% | 34% |
| 3. | उपेक्षा नहीं करने का दिखावा किया जाता है। | 48 | 54 | 32% | 36% |
| 4. | उपेक्षा नहीं की जाती है। | 11 | 06 | 05% | 04% |
| 5. | पूरी तरह उपेक्षा की जाती है। | 15 | 09 | 10% | 06% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्योंकि उन्होंने विवाह नहीं किया है इसलिये नातेदारों के बीच उनकी क्या स्थिति है। तालिका में दी गई सांख्यिकी यह प्रदर्शित करती है कि 38 (26%) पुरूष एवं 30 (20%) महिला उत्तरदाताओं को लगता है कि अविवाहित होने के कारण नातेदार उनकी उपेक्षा करते है। 38 (26%) पुरूष 51 (34%) महिलाओं ने कहा है कि वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते है कि नातेदार उनके प्रति क्या भाव रखते है। 48 (32%) पुरूष एवं 54 (36%) महिला उत्तरदाता यह मत व्यक्त करते है कि उपेक्षा मन में रखते हुये भी उपेक्षा न करने का दिखावा करते है। 11 (06%) पुरूष एवं 6 (6%) महिलायें कहती हैं कि वह उनकी कोई उपेक्षा नहीं करते है। 15 (10%) पुरूष एवं 9 (6%) महिला उत्तरदाता इसके नितान्त विपरीत यह भाव व्यक्त करते है कि अविवाहित होने के कारण उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है।

उत्तरदाताओं ने यह भी अभिव्यक्त किया है कि अविवाहित रहने के कारण उनके

नातेदार उनकी उपेक्षा क्यों करते है। इस विषय में कृपया निम्नाकिंत तालिका का अवलोकन कीजिये।

**तालिका क्रमांक—89**

**नातेदारों के द्वारा उत्तरदाताओं की उपेक्षा के कारण**

| अ. क्र. | उपेक्षा के कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | मेरा अविवाहित होना पसंद नहीं है। | 38 | 30 | 26% | 20% |
| 2. | अविवाहित होने के कारण मेरे प्रति उनमें आस्था नही है। | 38 | 30 | 26% | 20% |
| 3. | मुझे सांस्कृतिक अनुभवहीन माना जाता है। | 48 | 42 | 32% | 28% |
| 4. | मुझे पारिवारिक दायित्वों से बचने वाला निकम्मा व्यक्ति माना जाता है। | 12 | 18 | 08% | 12% |
| 5. | अविवाहित होने के कारण मेरे चरित्र के प्रति वे आशंकित रहते है। | 12 | 12 | 08% | 08% |
| 6. | उनकी धारणा है कि अविवाहित होने के कारण मेरे पास बहुत धन है और इसलिए मुझे उनकी सहायता करना चाहियें | 61 | 83 | 40% | 55% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | उन्हें डर है कि मैं वृद्धावस्था में उन पर बोझा न बनूँ | 32 | 61 | 22% | 40% |
| 8. | कोई उपेक्षा नहीं करते है। | 11 | 06 | 07 | 04 |

उत्तरदाताओं से यह पूछे जाने पर कि नातेदारों के द्वारा आपकी उपेक्षा के क्या—क्या कारण है। उत्तरदाताओं ने उपरोक्त सांख्यिकी अनुसार प्रतिवेदित किया है। 38 (26%) पुरूष एवं 30 (20%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि उनका अविवाहित रहना उनके नातेदारों को पसंद नहीं है। इतने ही पुरूष एवं महिला उत्तरदाता यह कहते है कि उनके अविवाहित रहने के कारण नातेदार उनमें किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं रखते है। 48 (32%) 42 (28%) महिला उत्तरदाताओं का मत है कि सांसारिक कार्यो के लिए अनुभव हीन मानने के कारण तथा 12 (8%) पुरूष एवं 18 (12%) महिला उत्तरदाताओं के अनुसार पारिवारिक दायित्वों से बचने वाला निकम्मा व्यक्ति मान कर वह उनकी उपेक्षा करते है तथा इतने ही पुरूष व महिला उत्तरदाताओं के अनुसार उनके चरित्र के बारे में आशंकित होने के कारण नातेदार उनकी उपेक्षा करते है। इसके कुछ विपरीत उत्तरदाताओं के मत है कि नातेदारों द्वारा उनके प्रति की जाने वाली अपेक्षा का वह पूर्ण नहीं कर पाते है। इसलिए वह उनकी उपेक्षा करते है। 61 (40%) पुरूष एवं 83 (55%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है वह यह मानते है मेरे पास भरपूर घन है एवं दायित्व कम है अतः मुझे उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिये और परिणाम जब उनके अनुसार नहीं होते तो वह उनकी उपेक्षा करते है। 32 (22%) एवं 61 (40%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके नातेदारों के मन में यह आशंका है कि वृद्धावस्था में कहीं इन अविवाहित पुरूष स्त्री का बोझ न उठाना पड़े इसलिए वह उनकी उपेक्षा करते है और सम्बन्ध रखने से डरते है। और इसके सर्वथा विपरीत 11 पुरूष एवं 06 महिलाओं उत्तरदाताओं की धारणा है कि नातेदार कभी भी उनकी उपेक्षा नहीं करते हैं।

औपचारिक सम्बन्ध रखना और सम्बन्धों में आत्मीयता होना दो भिन्न—भिन्न बाते है। सांसारिक दृष्टि से परस्पर मेल—जोल रखने का अभिप्राय वह नहीं होता है कि

## तालिका क्रमांक 89
## नातेदारों के द्वारा उत्तरदाताओं की उपेक्षा के कारण
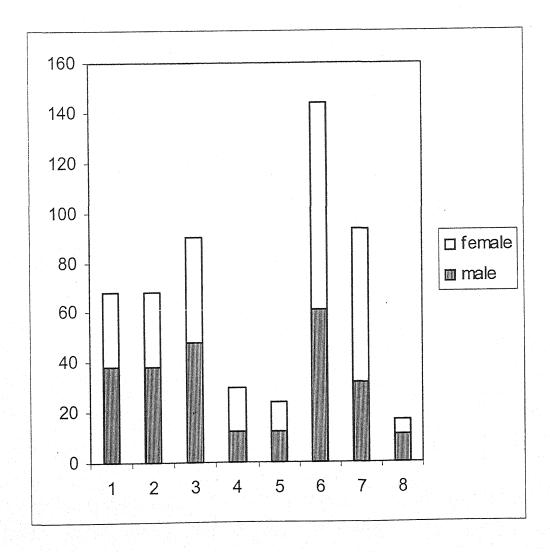
रेखा—चित्र क्रमांक 26

नातेदारों के बीच प्रगाढ़ अथवा आत्मीय सम्बन्ध है। उपरोक्त विभिन्न तालिकाओं के माध्यम के कथन से यह विदित होता है कि अविवाहित उत्तरदाताओं के अपने नातेदारों के साथ सम्बन्ध है अथवा नहीं यह भी कि सम्बन्ध होने अथवा न होने के लिये कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तालिका क्रमांक 87 और 89 उन कारणों पर प्रकाश डालते है जिनमें कि सम्बन्धों का निर्वाह किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया गया कि सम्पर्क के दौरान आमने–सामने की स्थिति में उत्तरदाताओं के स्वयं नातेदारों के सम्बन्ध का स्वरूप किस प्रकार का है।

**तालिका क्रमांक–90**

**प्रत्यक्ष सम्पर्क पर उत्तरदाताओं के साथ नातेदारों के सम्बन्धों की यथार्थता**

| अ. क्र. | संबंधों की यथार्थता | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | प्रत्यक्ष मुलाकात पर व्यवहार अत्यन्त अनौपचारिक और आत्मीय होता है। | 42 | 51 | 28% | 34% |
| 2. | सामान्य व्यवहार होता है। | 48 | 54 | 32% | 36% |
| 3. | औपचारिक व्यवहार होता है | 42 | 42 | 28% | 28% |
| 4. | तनाव उत्पन्न होता है। | 18 | 03 | 12% | 02% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

सम्बन्धों की घनिष्ठता और सम्बन्धों की अनौपचारिक व आत्मीयता समानार्थी नहीं है। स्वार्थवश बार–बार मत मुलाकात होते रहने से घनिष्ठता अवश्य रहती है परन्तु उसमें आत्मीयता उत्पन्न हो आवश्यक नहीं है। उदाहरण स्वरूप जिन उत्तरदाताओं के पास माता–पिता रह रहे है उन्होने प्रतिवेदित किया है कि उनके माता–पिता से मिलने के लिये नातेदार बार–बार अवश्य आते है। परन्तु उन सबकी यह मुलाकात घनिष्ठ हो यह आवश्यक नहीं है अनेक नातेदारों की मुलाकात उत्तरदाताओं के माता–पिता के साथ निर्वाह करने की औपचारिकता भर पूरी करते है। स्वाभाविक रूप में इस स्थिति

में उत्तरदाताओं के साथ भी उनके सम्बन्ध आत्मीय नहीं होते है। इसी प्रकार प्रसंग वश, उत्तरदाताओं के अपने नातेदारों के यहाँ जाना पड़ता है ऐसी दशा में वह अनुभव करते है कि नातेदार उनके आने पर प्रसन्नता अवश्य ही प्रगट करते है परन्तु उनके साथ किये जाने वाले व्यवहार में सामान्यतः दृष्टिगोचर होती है। विशेष प्रकार का लगाव नहीं केवल 42 (28%) पुरूष एवं 51 (34%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि प्रत्येक मुलाकात पर उनके नातेदारों का व्यवहार उनके प्रति अनौपचारिक और आत्मीय होता है। उत्तरदाता अनुभव करते है कि सम्भावना अविवाहित होने के कारण नातेदारों को स्वयं उत्तरदाताओं से वह सत्कार और आतिथ्य नहीं मिल पाता है जो कि एक गृहस्थी में उन्हें मिल सकता है इसीलिए उन्हें भी नातेदारों से बदले में सामान्य व्यवहार नहीं प्राप्त होता है।

**तालिका क्रमांक–91**

**नातेदारों के साथ उत्तरदाताओं के तनाव/कलह उत्पन्न होने के कारण**

| अ. क्र. | कारण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | कभी तनाव या कलह होती ही नहीं है। | 11 | 23 | 07% | 16% |
| 2. | कलह और तनाव स्थायी है | 06 | 01 | 04% | 01% |
| 3. | तनाव के अवसर आते है पर प्रायः ऐसे अवसरों को उत्तरदाता टाल देते है। | 55 | 42 | 43% | 28% |
| 4. | तनाव और कलह होती है। | 69 | 85 | 46% | 55% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका प्रतिवेदित करती है कि तनाव और कलह के अवसर अविवाहित महिला उत्तरदाताओं के समक्ष अधिक उपस्थित होते है पुरूष ऐसे अवसर उपस्थित होने पर प्रायः उन्हें टालने का प्रयास करते है केवल 11 (7%) पुरूष एवं 23 (19%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि नातेदारों के साथ कभी तनाव या कलह होती ही नहीं है।

55 (43%) और 42 (28%) महिला उत्तरदाताओं ने कहा है कि तनाव के अवसर तो प्रायः आते है लेकिन वह अपनी तरफ से इसे टालने का प्रयास करते है। 69 (46%) पुरूषों और 85 (55%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि तनाव के अवसर आते ही रहते हैं।

उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या कलह अथवा तनाव के लिए उनका अविवाहित रहना भी एक उत्तरदायी कारक है। इस संदर्भ में तथा कलह के लिए उत्तरदायी अन्य कारक उत्तरदाताओं के द्वारा निम्नानुसार प्रगट किये गये।

**तालिका क्रमांक–92**
**नातेदारों के साथ उत्तरदाताओं के**
**तनाव/कलह के लिए उत्तरदायी कारक**

| अ. क्र. | उत्तरदायी कारक | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | उत्तरदाताओं को अनुभव होता है कि अविवाहित होने के कारण उनकी उपेक्षा हो रही है इसलिये वे तनाव ग्रस्त हो जाते है। कभी–कभी यही कुण्ठा कलह का कारण बनती है। | 48 | 42 | 32% | 28% |
| 2. | सांस्कारिक और धार्मिक कार्यो का उन्हें प्रथक रखा जाता है। | 48 | 42 | 32% | 28% |
| 3. | उनके परामर्श पर ध्यान नहीं दिया जाता है। | 48 | 45 | 32% | 30% |
| 4. | नातेदार उनसे आर्थिक सहायता की अपेक्षा रखते है। | 61 | 83 | 40% | 55% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | सम्मिलित सम्पत्ति, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ये उनकी हिस्सेदारी को अनावश्यक माना जाता है। अतः कलह होती है। | 48 | 54 | 32% | 36% |
| 6. | नातेदारों के साथ रहने के कारण कलह और तनाव के अवसर विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते रहते है। | 119 | 108 | 80% | 75% |
| 7. | अविवाहित रहने के कारण माता–पिता के द्वारा उन्हें काबिल बनाने के लिये आर्थिक सहायता की गई। आभूषण दिये गये तथा समय पर सहायता की जाती है इसे लेकर नातेदार कलह करते है। | 32 | 61 | 22% | 40% |
| 8. | नातेदारों की अपेक्षा रहती है कि उनके परिवार के मंगल कार्यो देनदारियों आदि में उत्तरदाता सहयोग करें। | 61 | 83 | 40% | 55% |
| 9. | कभी तनाव अथवा कलह उत्पन्न नहीं होती है। | 11 | 06 | 07% | 04% |

उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि ऐसे कौन–कौन से कारण है जिसकी वजह से उनके नातेदारों व उनके तनाव अथवा कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। उपरोक्त तालिका में प्राप्त सांख्यिकी यह प्रतिवेदित करती है कि 48 (32%) पुरूष एवं 42 (28%) महिला उत्तरदाता यह मानते है कि उनके अविवाहित होने के

## तालिका क्रमांक 92
## नातेदारों के साथ उत्तरदाताओं के तनाव/कलह के लिये उत्तरदायी कारक
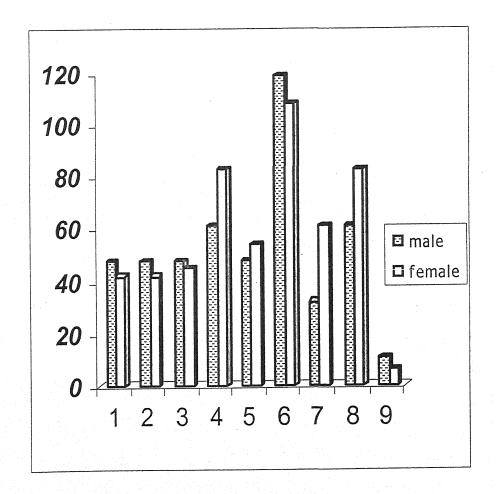
रेखा–चित्र क्रमांक 27

कारण उन्हें अनुभव हीन माना जाता है इस कारण वह तनाव ग्रस्त रहते है व यही कारण कलह को उत्पन्न करने में उत्तरदायी बनते है उतनी ही महिला व पुरूष उत्तरदाताओं का मत है कि अविवाहित होने के कारण उन्हें सांस्कारिक व धार्मिक कार्यो से प्रथक रखा जाता है जो कलह अथवा तनाव का कारण बनता हैं। 48 (32%) पुरूष एवं 42 (28%) महिला उत्तरदाता यह महसूस करते है कि उनके साथ रह रहे नातेदार उनके परामर्श पर ध्यान न देते हुए उनके परामर्श की उपेक्षा करते है जो तनाव व कलह को उत्पन्न करते हैं। 61 (40%) पुरूष एवं 83 (45%) महिला उत्तरदाता यह अनुभव करते है कि उनसे वह आर्थिक सहायता की अपेक्षा रखते है। 48 (33%) पुरूष एवं 54 (36%) महिला उत्तरदाताओं में व्यक्त किया है कि सम्मिलित सम्पत्ति में उनकी जो हिस्सेदारी है अन्य नातेदार अपना मानते है वह सोचते है दायित्व कम होने की वजह से उन्हें अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिये उस सम्पत्ति में से उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए और बराबर हिस्से होने के कारण कलह का संदेशा रहता है। 119 (80%) पुरूषों एवं 108 (75%) महिला उत्तरदाताओं में अभिव्यक्त किया है कि नातेदारों के हमेशा साथ रहने के कारण ऐसे अवसर आते है जिससें अक्सर हित टकराते है और विभिन्न प्रकार की कलह का कारण बना रहता हैं। 32 (22%) पुरूष एवं 61 (40%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है उनके माता–पिता द्वारा सम्पत्ति में जो हिस्सा दिया गया आभूषण इत्यादि दिये और मकान बनाने के लिए जो आर्थिक सहायता दी है इस कारण अन्य नातेदार उनसे ईर्ष्या रखते है व यह समस्त कारण कलह अथवा तनाव को जन्म देते हैं। 61 (40%) पुरूष एवं 83 (55%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके नातेदारों की उनसे अपेक्षा रहती है कि उनके परिवार के मंगल कार्यो देनदारियों आदि में उन लोगों में उन लोगो को सहायता करनी चाहिए और जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो कलह एवं तनाव का वातावरण बन जाता है। इसके विपरीत कतिपय 11 (7%) पुरूष एवं 6 (4%) महिला उत्तरदाताओं के अनुसार तनाव अथवा कलह कभी भी उत्पन्न नहीं होती हैं सदस्यो के साथ अन्र्त क्रियाओं और अन्र्त सम्बन्धों पर प्रकाश डालता है।

# सामाजिक अन्तर्क्रियाओं और अन्तर्सम्बन्धों का स्वरूप
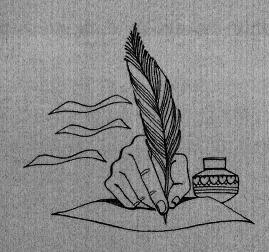
## अध्याय 6
## पड़ोसियों के साथ अविवाहित पुरूषों व स्त्रियों की अर्न्तक्रियायें और सम्बन्ध

चाहे नगरीय समाज हो अथवा ग्रामीण समाज हो, पड़ोस अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह बिना परिवार के मानव अस्तित्व की कल्पना करना संभव नहीं उसी प्रकार बिना पड़ोस के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हैं। परिवार की तरह पड़ोस भी प्राथमिक समूह का ही हिस्सा है। परिवार के अलावा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अन्य अनेक आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति पड़ोंस पर ही निर्भर होता है। घर से बाहर निकल कर बच्चा सर्वप्रथम पड़ोस के सम्पर्क में ही आता है और अर्न्तक्रिया और सामाजिक सम्बन्धों की प्रक्रिया का प्रारंभ यही से होता है। पड़ोस एक भौतिक अवधारणा न होकर एक क्रियाशील समूह है जो कि व्यक्ति के न सिर्फ व्यक्तित्व विकास के लिए अपितु सामाजिक–सम्बन्धों, अर्न्तक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति के सुख और सन्तुष्टि का मार्ग प्रशस्त करता हैं। क्यों कि इन्ही सम्बन्धों और अर्न्तक्रियाओं के माध्यम से दोनों तरफ से आदान प्रदान की क्रियाओं द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और क्योंकि यह प्रक्रिया दोनों पक्षों की तरफ से होती है इसलिए अनवरत चलती रहती है।

मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी कहा गया है सामाजिक प्राणी वह इस संदर्भ मे है कि एकाकी रहना न तो उसका स्वभाव है और न ही स्वाभाविक। इसका कारण यह है कि मनुष्य को अनकानेक आवश्यकतायें होती है जिनकी पूर्ति वह अकेला नहीं कर सकता है यह विवशता किसी एक की न हो कर सभी मनुष्यों की होती है इसलिए परस्पर सहयोग मनुष्य के लिये अनिवार्य हैं। यही कारण है कि जहाँ कही मनुष्य रहते हो वे परस्पर संयुक्त होकर समूहों का निर्माण करते है और समूहों के माध्यम से अर्न्त क्रियायें करते हुए पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही सुरक्षा भी प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में यदि विचार करें तो हम पाते है कि मनुष्य को अस्तित्व प्रदान करने के साथ ही उसे सम्बन्धों की व्यवस्था में संयुक्त करने का कार्य परिवार के माध्यम से ही सम्भव होता हैं। इसलिए परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण और केन्द्रीय इकाई है। कतिपय समाज शास्त्रियों का तो यहाँ तक कहना है कि समाज वस्तुतः परिवार का ही व्यापक विस्तार है। प्रस्तुत अध्ययन जिन महिलाओं व पुरूषों से सम्बन्धित है वे विवाह

न करने के कारण परिवार से वंचित है। अंत उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यदि हम विचार करे तो पाते है कि बिना परिवार के इनका जीवन उतना सहज व सुविधा युक्त नहीं हो सकता है जितना कि विवाहित पुरूषों और स्त्रियों का। फिर भी चूँकि इन्होंने विवाह न करने का निर्णय ले ही लिया है इसलिये यह तो निश्चित है कि परिवार के बिना भी वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे है इस दृष्टि से जहाँ उन्हें स्वयं प्रयास करना पड़ता है वही साथ रह रहे माता–पिता वह अन्य नातेदारों का सहयोग भी मिलता है परन्तु इस दृष्टि से वे पूरी तरह आत्म–निर्भर हो जाते है यह मानना भ्रांत होगा। पड़ोसियों के साथ अर्न्तक्रियायें और अर्न्त–सम्बन्ध विवाहितों तक के लिये अपरिहार्य होते है ऐसी दशा में यह जान लेना कि अविवाहित व्यक्तियों का पड़ोसियो के साथ अर्न्त क्रियात्मक सम्बन्ध नहीं होता है उचित नहीं हैं। इसी प्रकार सहकर्मियों के साथ औार स्वजातीय समाज के सदस्यों के साथ भी वे सम्बन्ध रखते होगे यह प्रकल्पना की जा सकती है। इसी प्रकार ग्रहस्थों के समान उसे असिमित पारिवारिक दायित्वों से मुक्त होने के कारण निश्चित ही इनके समय श्रम और शक्ति की बचत होती है सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस समय का सदुपयोग वे मित्रों के बीच करते है अथवा सामाजिक कल्याण के कार्यो में नियोजित करते है। प्रस्तुत अध्याय अविवाहित पुरूषों वे महिलाओं के अपने पड़ोंसियों के साथ सहकर्मियों और इनके परिजनों के साथ नगर में रह रहे अन्य नातेदारों के साथ और स्वजातीय समाज इस तारतम्य में एक ओर तथ्य की और ध्यान दिया जाना आवश्यक है वह यह कि प्रस्तुत अध्ययन में यह विदित हुआ है कि अविवाहित पुरूष और महिलायें सभी अकेले नहीं रहते हैं। ऐसी दशा में यद्यपि उनके साथ कोई न कोई नातेदार, माता–पिता अथवा कोई अन्य रहता हैं। परन्तु इसके कारण अविवाहित पुरूष महिला की वैयक्तिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है साथ रहने वाले नातेदार, माता–पिता ही क्यों न हो उस पारिवारिक इकाई का कर्ता–धर्ता अविवाहित पुरूष अथवा महिला ही मानी जाती हैं। इस प्रकार पड़ोसियों के साथ इन अविवाहित व्यक्तियों के सम्बन्ध और इनसे नातेदारों के सम्बन्ध अपने–अपने स्तर पर होते है। यदि माता–पिता अथवा नातेदारों के पड़ोसियो के साथ मधुर सम्बन्ध है तो यह अनिवार्य नहीं है कि उनके साथ रह रहे अविवाहित व्यक्ति के साथ ही उनके सम्बन्ध मधुर ही हो इसी प्रकार अविवाहित पुरूष अथवा महिला के साथ नातेदारों के रहने से नातेदारों की हार्दिक सहयोग उन्हें सदैव प्राप्त ही हो यह भी अनिवार्य नहीं हैं। जिन उत्तरदाताओं के साथ वृद्ध माता–पिता रह रहे है या अन्य नातेदार रह रहे हो उनकी सहायता मिलनी तो दूर अपितु उनकी ही उत्तरदाताओ को सहायता करनी पड़ती है।

ऐसी दशा में नातेदारों के साथ रहने के बावजूद भी उत्तरदाता अन्यों में सहायता प्राप्त करने के लिये बाध्य हो जाते है। यह परिस्थिति स्पष्ट करती है कि नातेदारों के साथ रहते हुए भी उत्तरदाताओं का पड़ोसियो, मित्रों, सहकर्मियों आदि के साथ सम्बन्ध रखना आवश्यक होता हैं।

इस प्रकार पड़ोस निकट रहने वाले मनुष्यों का एक समूह मात्र नहीं होता है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के अन्र्त–क्रियायें करने एवं सहयोग का आदान–प्रदान करने वाले मनुष्यों का क्रियाशील समूह होता है। इसी प्रक्रिया में पड़ोसियों के साथ सम्बन्धों का विकास होता है। यह विवेचना इस ओर इंगित करती है कि पड़ोसियो का पारिवारिक दृष्टि से समान–स्थिति रखना आवश्यक होता है। पड़ोसियो के बीच अन्र्त–क्रियायें और अन्र्त–सम्बन्ध एक प्रक्षीय न होकर द्विपक्षीय होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि एक पड़ोस विवाहित गृहस्थी युक्त हो और दूसरा पक्ष अविवाहित महिला अथवा, पुरूष युक्त तब अन्र्त–क्रियाओं और अन्र्त–सम्बन्धों का स्वरूप क्या होगा यह जानना समाज–शास्त्रीय दृष्टि से महत्पपूर्ण हैं। इसी संदर्भ में उत्तरदाताओं से उनका पक्ष जानने के लिए विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।

**तालिका क्रमांक–93**

**पड़ोसियों के साथ अविवाहित पुरूषों व महिलाओं के सम्बन्ध**

| अ. क्र. | संबंधो का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | सम्बन्ध घनिष्ठ और आत्मीय हैं। | 42 | 13 | 28% | 08% |
| 2. | सम्बन्ध सामान्य हैं। | 67 | 86 | 44% | 58% |
| 3. | सम्बन्ध औपचारिक है। | 32 | 41 | 22% | 28% |
| 4. | कोई सम्बन्ध नहीं हैं | 09 | 10 | 06% | 06% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि पड़ोसियो से साथ उनके सम्बन्ध किस प्रकार है। अविवाहित होने के कारण अन्य विवाहित व्यक्ति उनके बारे में

अजीब प्रकार की धारणायें व शंकाये अपने मन में बना लेते हैं और इस कारण ऐसे अविवाहित स्त्रियों और पुरूषों के प्रति इनका व्यवहार उस प्रकार का नहीं होता है जैसा कि सामान्यतः विवाहित स्त्री और पुरूषों के साथ होता है। 42 (28%) पुरूष एवं 13 (8%) महिला उत्तरदाताओं के अनुसार पड़ोसियो के साथ उनके सम्बन्ध अत्यन्त आत्मीय व घनिष्ठ है वह उनके आने जाने पर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। जिससे स्पष्ट प्रगट होता है कि वह उनके साथ आत्मीय व घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। इसके विपरीत 67 (44%) पुरूष एवं 86 (58%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके सम्बन्ध पड़ोसियो के साथ सामान्य है। क्योंकि वह उन आत्मीय सम्बन्धों को प्रगट करने वाले पड़ोसियो के विपरीत व्यवहार को प्रगट करते हैं। 32 (22%) पुरूषों एवं 41 (28%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि पड़ोसियों के साथ उनके सम्बन्ध अत्यन्त औपचारिक है क्योंकि उनके घर मिलने जाने पर उनके चेहरे के भावों से आत्मीयता या प्रसन्नता प्रगट होने की अनुभूति नहीं होती हैं, अर्थात् उनके पड़ोसियो के साथ सम्बन्ध तो है लेकिन आवश्यक पूर्ति मात्र करने के लिए। महिलायें पड़ोसियों व अन्यों के साथ सम्बन्ध बनाये रखने में ज्यादा कुशल होती है। इसलिए सामान्य, घनिष्ठ या औपचारिक सभी प्रकार के संबंध जिस तरह भी बनाये रखे जा सके, बनाये रखने का प्रयास करती है। इसलिये कोई भी महिला उत्तरदाता ऐसी नहीं है जिसका अपने पड़ोसियों से कोई सम्बन्ध नहीं। इसके विपरीत 9 (6%) पुरूष उत्तरदाता ऐसे है जिनका कि अपने पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

**तालिका क्रमांक—94**

**अविवाहित स्त्रियों व पुरूषों का अपने पड़ोसियों के साथ सम्पर्क का स्वरूप**

| अ. क्र. | सम्पर्क स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | एक दूसरे के यहाँ प्रतिदिन आते—जाते हैं। | 34 | 51 | 22% | 34% |
| 2. | एक दूसरे के यहाँ प्रायः आते—जाते हैं। | 08 | 12 | 06% | 08% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | एक दूसरे के यहाँ आवश्यकतानुसार | 54 | 59 | 36% | 40% |
| 4. | विशेष प्रसंगों में आते–जाते हैं। | 27 | 88 | 18% | 59% |
| 5. | कुछ निश्चित नहीं है। | 18 | 06 | 12% | 04% |
| 6. | प्रायः नहीं आते–जाते है। | 06 | 00 | 06% | 00% |

उपरोक्त तालिका में उत्तरदाताओं से प्राप्त साँख्यिकी यह प्रतिवेदित करती है कि उत्तरदाताओं का पड़ोसियों के साथ सम्पर्क का स्वरूप क्या है। 34 (22%) पुरूष एवं 51 (34%) महिला उत्तरदाताओं का कथन हैं कि वह अपने पड़ोसियों के यहाँ प्रतिदिन आते–जाते है अर्थात् सम्पर्क रोज ही होता है। 08 (06%) पुरूष एवं 12 (08%) महिला उत्तरदाताओं का मत है कि वह अपने पड़ोसियों के यहाँ प्रायः आया जाया करते हैं। 54 (36%) पुरूष एवं 59 (40%) महिला उत्तरदाता ऐसे है जो कि एक दूसरे के यहाँ पड़ने पर ही आते एवं जाते है अर्थात् उनके सम्बन्ध अपने पड़ोसियों के साथ औपचारिक ही है। अतः आवश्यकतानुसार ही वह एक दूसरे से सम्पर्क करने का प्रयास करते है। 27 (18%) पुरूष एवं 88 (59%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि किसी विशेष प्रसंग या विशेष आयोजन पर ही वह पड़ोसियों के यहाँ आते–जाते है। 18 (12%) पुरूष एवं 6 (04%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि वह पड़ोसियों के यहाँ कब और कितने बार जाते कुछ निश्चित नहीं हैं , पड़ोसियों के यहाँ वह कभी भी इच्छानुसार आते एवं जाते है। इसके सर्वथा विपरीत 09 (06%) पुरूष उत्तरदाता जो कि अविवाहित होने के कारण अत्यन्त अर्न्तमुखी है इस कारण वह किसी भी पड़ोसी के साथ किसी तरह का कोई सम्पर्क बनाये हुए नहीं है। क्योंकि महिलाओं में सम्बन्धों को निभाने व बनाये रखने की क्षमता पुरूषों से अधिक होती है, चाहे वी अर्न्तमुखी ही क्यो न हो अतः इस श्रेणी में कोई भी महिला उत्तरदाता नहीं आयी जिसका कि अपने पड़ोंसियों के साथ कोई सम्पर्क ही न हो।

अविवाहित महिलाओं और पुरूषों के विषय में आज लोगो में मिश्रित धारणायें पाई जाती है अधिकतर लोगों की मान्यता रहती है कि इनमें किसी प्रकार का दोष अथवा कमी होती है इस कारण विवाह नहीं हुआ है। कुछ लोग मानते है कि किसी प्रकार के चारित्रिक दोष के कारण इनके विवाह में किसी ने रूचि नही ली। यह भी मान्यता है कि प्रेम प्रसंग में असफल होने के कारण इनका विवाह नहीं हुआ है। महिलाओं के बारे में यह धारणा पाई जाती है अधिक शिक्षित होने नौकरी करने, स्वेच्छा चारी होने आदि के कारण ऐसी महिलाओं से विवाह करना न तो पुरूष पसंद करते है और न ही बहू बनाना परिजन। इस संदर्भ में यह जानना रूचि कर प्रतीत हुआ कि क्या अविवाहित स्त्रियों व पुरूषों के विषय में इस प्रकार की आम धारणा का प्रभाव पड़ोसियों के साथ उनके सम्बन्धों पर परिलक्षित होते है। उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या वे अनुभव करते है कि अविवाहित होने के कारण उनके पड़ोसी उनके साथ दूरी का निवर्रह करते है। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक–95**
**अविवाहित होने के कारण पड़ोसियों के व्यवहार में दुराव, उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया**

| अ. क्र. | पड़ोसियों का व्यवहार | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | दुराव का अनुभव होता है। | 41 | 41 | 28% | 28% |
| 2. | कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। | 67 | 86 | 44% | 56% |
| 3. | दुराव का अनुभव नही होता है। | 42 | 23 | 28% | 16% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि केवल 42 (28:) पुरुष एवं 23 (16:) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि पड़ोसियों के साथ उनके आत्मीय सम्बन्ध है तथा उन्हे भी पड़ोसियों के व्यवहार में अपने प्रति किसी प्रकार की उपेक्षा या दुराव का

अनुभव नहीं होता है। 41 (28:) पुरूष और 41 (28:) महिला उत्तरदाता अनुभव करते है कि अविवाहित होने के कारण अनेक अवसरों पर उन्हे अनुभव होता है कि पड़ोसियों का व्यवहार उनके साथ सजल नहीं है। 67 (44%) पुरूष 86 (56%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि जहाँ तक सम्भव होता है वे पड़ोसियों के परिवार में अनावश्यक रूप से सम्मलित होने का प्रयास नहीं करते है। ऐसी दशा में उनका सम्पर्क अनियमित और आकस्मिक ही होता है। इसलिए उन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि उनके साथ पड़ोसियों का व्यवहार सहज है या दुराव युक्त। यथार्थ यह है कि उनका यह कथन स्वयं ही अपने आप में यह प्रगट करता है कि पड़ोसियों के और उनके सम्बन्ध सहज नहीं है अन्यथा सम्बन्धों को और अर्न्त–क्रियाओं की आवृति को रोकना सहज नहीं होता है। उनके मन में कही न कही यह ग्रन्थि अवश्य ही है कि वे अविवाहित होने के कारण विवाहित पड़ोसियों के परिवार के साथ उनके सम्बन्ध सहज नहीं रह पायेगें। अतः यह तालिका प्रतिवेदित करती है कि अविवाहित व्यक्ति समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सहज सम्बन्धों की स्थापना और विकास में अविवाहित रहने भी एक बाधा बनते है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के उत्तरदाताओं में जानने का प्रयत्न किया गया कि आखिर में कौन से कारक है जिनसे कि अविवाहित और अन्यों के बीच सहज सम्बन्धों के विकास में मनोविज्ञानिक कारक प्रभाव डालते है। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक–96
## अविवाहित के प्रति शेष समाज का मनोविज्ञान

| अ. क्र. | मनोविज्ञान | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अविवाहित होना पड़ोसियों की दृष्टि में असामान्य है। | 102 | 112 | 69% | 76% |
| 2. | अविवाहित के चरित्र के प्रति आशंका रहती है। | 68 | 79 | 45% | 53% |
| 3. | अविवाहितों को अनुभवहीन माना जाता है। | 48 | 84 | 32% | 56% |
| 4. | अविवाहितों को स्वेच्छा–चारी माना जाता है। | 102 | 112 | 69% | 76% |
| 5. | अविवाहितों के साथ मेल जोल को अन्यों शंका की दृष्टि से देखते हैं। | 68 | 79 | 45% | 53% |
| 6. | अविवाहितों को आत्मा केन्द्रित माना जाता है। | 42 | 76 | 28% | 53% |
| 7. | अविवाहितों के व्यवहार को औपचारिक युक्त माना जाता है। | 102 | 112 | 69% | 76% |
| 8. | अविवाहित महिलाओ के शिक्षित और काम काजी होने के कारण उन्हे गृहस्थी सम्बन्धी कार्यो के लिए अक्षम माना जाता है। | 102 | 112 | 69% | 76% |
| 9. | ऐसा कोई अनुभव नहीं है। | 42 | 13 | 28% | 08% |

## तालिका क्रमांक 96
## अविवाहित के प्रति शेष समाज का मनोविज्ञान
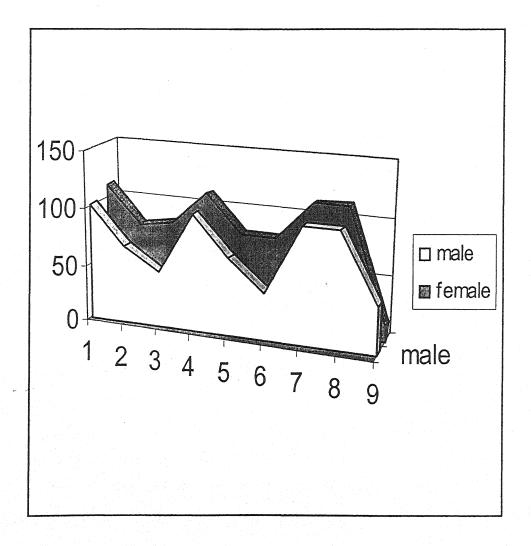
रेखा–चित्र क्रमांक 28

तालिका प्रतिवेदित करती है कि अविवाहित के प्रति दोष समाज का मनोविज्ञान क्या कार्य करता है। 102 (69%) पुरूष एवं 112 महिला (76%) महिला उत्तरदाताओं का अनुभव है कि देष समाज का दृष्टिकोण यह है कि विवाह जीवन की एक आम कार्यता है और प्रत्येक व्यक्ति को विवाह अवश्य ही करना चाहिए विवाह न करना स्त्रियों एवं पुरूषों का न तो परम्परागत आचरण है और न ही सामान्य। 18 (45%) पुरूष और 79 (53%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि लोगों के उनके प्रति यह आम धारणा है कि विवाह न करने के लिए किसी न किसी प्रकार का चारित्रिक दोष ही उत्तरदायी होता है। इन दोनों के अन्तर्गत चरित्रहीनता, यौन अपराध स्वेच्छाचारी यौन आचरण असफल प्रेम सम्बन्ध आदि होते है। 48 (32%) पुरूष एवं 84 (54%) महिलाओं का कथन है कि पड़ोसियों की यह धारणा है कि जो पुरूष अथवा स्त्री विवाह नहीं करते है उन्हे सांसारिक समस्याओं, घर गृहस्थी चलाने, पारस्परिक सम्बन्धों के निर्वाह हेतु सामंजस्य स्थापित करने, सहनशीलता उदारता और बच्चों के प्रति स्नेह आदि गुणों का अभाव पाया जाता है। इसलिए अविवाहित पुरूष और स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखना पारिवारिक हित में नहीं होता है। 102 (69%) पुरूष एवं 112 (76%) महिला उत्तरदाताओं का यह कथन भी है कि पड़ोसियों की यह धारणा है कि अविवाहित स्त्रियों और पुरूषों के कोई पारिवारिक दायित्व नहीं होते है इसलिए घर और परिवार के प्रति उनके मन में कोई आर्कषण नहीं होता है। इसलिए वे निर्बन्ध उन्मुक्त आचरण करते है। ऐसी दशा में उनका आना जाना उनके लिए तो समय बिताने का साधन है परन्तु पड़ोसियों के लिए एक समस्या। यही कारण है कि पड़ोसी उनके साथ दुराभाव रखते है। 68 (45%) पुरूष एवं 79 (53%) महिलाओं के द्वारा यह व्यक्त किया गया । चूंकि अविवाहित के प्रति आम लोगों की धारणा अच्छी नहीं होती है इसलिए जिन परिवारों में अविवाहित का आना जाना अधिक होता है उन परिवारों की स्त्रियों और पुरूषों के प्रति भी अन्य पड़ोसी मिथ्या धारणायें बना लेते है और कुप्रचार बना करते है। इस भय के कारण भी अनेक पड़ोसी चाह कर भी अविवाहितों के प्रति रखते है। 42 (28%) पुरूष एवं 79 (53%) महिला उत्तरदाताओं ने यह विचार प्रगट किया है कि अकेले होने के कारण उन्हे स्वयं अपनी अथवा अवने साथ रह रहे नातेदारों की देख भाल करनी पड़ती है। इसलिए उनकी दिनचर्या बहुत बड़ा भाग अपने ही कार्यो में बीत जाता है जो कुछ समय शेष रहता है उसमें वह स्वाध्याय पूजा पाठ, संगीत अथवा साहित्य सृजन आदि करते है। इस प्रकार अविवाहितों के साथ मेल–जोल का समय कम ही मिलता है। इस तथ्य पर

कर लेते है कि अविवाहित होने के कारण वे केन्द्रित हैं, विवाहितों से मेल–जोल सहज नहीं करते है इसलिए उनके साथ सम्बन्धों का विस्तार सम्भव नहीं है। यथार्थ के उत्तरदाताओं के अनुसार यह उनकी भ्रांति है। 102 (69%) पुरूष एवं 112 (76%) महिला उत्तरदाताओं ने कहा है कि वह स्वयं पड़ोसियों के परिवार के अधिक समिश्रित होकर किसी प्रकार की भ्रांति अथवा आयोजन को जन्म देना नही चाहते है और उचित समझते है कि आवश्यकतानुसार और सीमित रूप में ही पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध रखे जाये यह दोनों के ही हित में है। यह धारणा भी पड़ोसियों के साथ आत्मीय सम्बन्धों के विकास में बाधक बनती है। 102 (69%) पुरूष एवं 112 (74%) महिलाओं ने व्यक्त किया है कि चूकि वह अविवाहित है। इसलिए पड़ोसी यह मानते है। उनका अविवाहित होना उन्हें न केवल सांसारिक अनुभव शून्य बनाता है बल्कि घर–गृहस्थी के कामकाजों के प्रति उपेक्षा के साथ ही शिक्षा और नौकरी के कारण अहम् कारी भी बनाता है। इससे उनके साथ सहज संबंधों का विकास संभव नहीं हो पाता है। 42 (28%) पुरूष एवं 13 (08%) महिला उत्तरदाताओं ने मत व्यक्त किया है कि पड़ोसियों के द्वारा उनके प्रति इस प्रकार की कोई ग्रन्थि या भावनायें रखी जाती है ऐसा कोई अनुभव नहीं है और इसलिए पड़ोसियों के साथ उनका व्यवहार सामान्य है। उत्तरदाताओं का मत है कि उनके विषय में पड़ोसियों की इस प्रकार की मानसिकता उनसे छुपी हुई नहीं हैं। उनके पारस्परिक व्यवहार, मेल–मिलाप, बात–चीत, पारस्परिक सहयोग आदि के दौरान उनकी इस मानसिकता का परिचय सहज मिल जाता है और इसलिए वे इन निष्कर्षों पर पहुंचे है। उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या पड़ोसियों की इस मानसिकता का उन पर कोई मनोविज्ञान प्रभाव पड़ा है। इस विषय में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक–97**

**अविवाहित के प्रति पड़ोसियों की मानसिकता का उत्तरदाताओं का प्रभाव**

| अ. क्र. | पड़ोसियों का व्यवहार | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | पड़ोसियों से व्यवहार रखने से संकोच करते हैं। | 108 | 137 | 72% | 92% |
| 2. | संकोच नहीं करते हैं। | 42 | 13 | 28% | 08% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि 108 (72%) पुरूष एवं 137 (92%) महिला उत्तरदाता यह अनुभव करते है कि क्योंकि वह अविवाहित है इस कारण विवाहित पड़ोसियों के साथ अधिक मेल–मिलाप और सामान्य व्यवहार रखने में वह संकोच करते है। क्योंकि अविवाहित होने के कारण उनका व्यवहार कुछ अर्न्तमुखी होते है। 42 (28%) पुरूष एवं 13 (08%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है, कि पड़ोसियों के साथ उनके सम्बन्ध सामान्य है इस कारण वह सम्बन्ध रखने में संकोच अनुभव नहीं करते हैं।

उत्तरदाता स्वयं भी अनुभव करते है कि विवाह न करके उन्होंने अन्य से अलग रहकर एक अपारम्परिक कार्य किया है। इसके साथ ही जब नातेदारों तथा पड़ोसियों से भी उन्हें दुराव मिलता है तब क्या इसमें उनके मन में किसी प्रकार की हीन–भावना जागती है। अस विषय में उत्तरदाताओं के विचार निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक–98**

**पड़ोसियों के द्वारा दूरी रखी जाने के कारण उत्तरदाताओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव**

| अ. क्र. | मनोवैज्ञानिक प्रभाव | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | कोई अपराध बोध या हीन भावना नहीं है। | 42 | 13 | 28% | 08% |
| 2. | पड़ोसियों का ऐसा व्यवहार सहना स्वभाव बन गया है। | 67 | 86 | 45% | 57% |
| 3. | पड़ोसियों की मानसिकता को कभी महत्व नहीं दिया | 67 | 86 | 45% | 57% |
| 4. | अपराध बोध और हीन भावनाग्रस्त है। | 41 | 51 | 28% | 34% |

तालिका प्रतिवेदित करती है कि पड़ोसियों के द्वारा दूरी रखी जाने के कारण 42 (28%) पुरूष एवम् 13 (08%) महिला उत्तरदाताओं पर इस दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अविवाहित होने के कारण उन्हें कोई अपराध बोध या हीन भावना

अनुभव नहीं होती है। 67 (45%) पुरूष एवम् 86 (51%) महिलाओं ने व्यक्त किया है। कि पड़ोसियों का इस प्रकार का व्यवहार सहना उनके स्वभाव में आ गया है और इतने ही महिला एवम् पुरूष उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है। वह पड़ोसियों की इस प्रकार की मानसिकता को कभी महत्व नहीं देते हैं। 41 (28%) पुरूष एवम् 51 (34%) महिला उत्तरदाताओं ने अनुभव किया है कि क्योंकि वह अविवाहित है इस कारण अपराध बोध और हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। वह तो विवाह करना चाहते थे पर परिस्थितियोवश विवाह न होने के कारण यह हीन भावना व अपराध बोध से ग्रंथि उनके मन में बन गई है।

अविवाहित रहने से जुड़ी उपरोक्त मानसिकता के उपरांत भी यह संभव नहीं कि पड़ोसी होने के नाते वे एक–दूसरे के साथ किसी प्रकार का संबंध ही न रखें विशेष कर अविवाहितों के विषय में पड़ोसियों में बीमारी, दुर्घटना, अथवा अन्य आपदाओं के संदर्भ में सहानुभूति और सहयोग होना एक सामान्य बात है। उत्तरदाताओं से ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि ये कौन से अवसर है जब पड़ोसी विशेष रूप से उनका ध्यान रखते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं।

**तालिका क्रमांक–99**

**अविवाहित उत्तरदाताओं के साथ पड़ोसियों के सहयोग के अवसर**

| अ. क्र. | मनोवैज्ञानिक प्रभाव | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | बीमार अथवा अस्वास्थ्य होने पर पड़ोसियों का सहयोग मिलता है। | 32 | 41 | 22% | 28% |
| 2. | बीमार पड़ने पर पता चलने पर पड़ोसी स्वयं ही सहायता करते है। | 87 | 86 | 76% | 56% |
| 3. | दैनिक उपयोग की वस्तुएं न होन पर आदान प्रदान होता है। | 67 | 86 | 45% | 56% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | पर्व त्योहार आदि पर भोजन हेतु पड़ोसी आमंत्रित करते है। | 42 | 13 | 28% | 08% |
| 5. | पर्व त्योहार पर मिठाईयों का आदान प्रदान होता है। | 67 | 86 | 45% | 56% |
| 6. | कोई सहयोग नहीं करता। | 09 | 00 | 06% | 00% |

उपरोक्त तालिका की प्रतिवेदित करती है कि पड़ोसियों के साथ उनके सहयोग के अवसर निम्न रूप में आते है 32 (22%) पुरूष एवं 41 (28%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके अस्वस्थ्य होने पर पड़ोसियों का बराबर का सहयोग उन्हें मिलता है। 87 (56%) पुरूष एवं 86 (56%) महिलाओं ने व्यक्त किया है कि बीमार होने पर पड़ोसियों को पता चलता है तो वह स्वयं बिना बुलायें उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इतने ही पुरूषों एवं महिला उत्तरदाताओं का मत है कि दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का आदान प्रदान पड़ोसियों के बाय होता है। 42 (28%) पुरूष एवं 13 (08%) महिलाओं का कथन है कि एवं त्योहारों आदि पर पड़ोसी उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। 67 (45%) पुरूष एवं 86 (56%) महिलाओं का कहना है कि पर्व त्योहार पर पड़ोसी मिठाईयों का आदान प्रदान करते हैं तथा इसके विपरीत 9 पुरूष उत्तरदाताओं ऐसे हैं जिन्हें कि अपने पड़ोसियों से किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है।

उपरोक्त तालिका में दी गई साँख्यिकी प्रतिवेदित करती है। 09 (06%) पुरूष उत्तरदाता ऐसे है जिन्होने व्यक्त किया है कि अविवाहित होने के कारण उनके जीवन में सुख–दुख के अवसर कम ही आते है और वह किसी को सुचित भी नहीं करते है। 67 (45%) पुरूष एवं 86 (45%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि वह ऐसे अवसरों को मानते है जिससे कि वह पड़ोसियों के साथ भोजन इत्यादि का आनन्द ले सके व सहयोग प्राप्त कर सके। 119 (80%) पुरूष एवं 127 (85%) महिलाओं का कथन है कि कष्ट एवं बीमारी के अवसरों पर वह पड़ोसियों की सहायता को प्राथमिकता देते है। 30 (20%) पुरूष एवं 25 (16%) महिलाओं का कथन है कि सुख–दुख में नातेदारों की सहायता को प्राथमिकता देते है। 30 (20%) पुरूष एवं 48 (32%) महिला उत्तरदाताओं

ने व्यक्त किया है कि वह इन सब की सहायता के साथ साथ सहकर्मियों और मित्रों की सहायता भी लेते है।

यह तालिका प्रतिवेदित करती है कि उत्तरदाता पड़ोसियों के साथ पारिवारिक स्तर पर चाहे निकटता न रखते हो परन्तु सुख–दुख के अवसरों पर उनकी आस्था नातेदारों, मित्रों और सहकर्मियों की अपेक्षा पड़ोसियों के प्रति अधिक रही है। इसका कारण यह है कि नातेदार के द्वारा सहायता करने के पार्श्व में प्रायः कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। इसी प्रकार प्रायः मित्र भी इसे एक अतिरिक्त दायित्व मानते है जबकि पड़ोसी के नाते अविवाहितों के प्रति पड़ोसियों की दूरी अवश्य ही है परन्तु इसका अभिप्राय सम्बन्धों का निषेध नहीं होता है। पड़ोसी अनुभव करते है कि बीमारी या अन्य कोई परेशानी जैसे दुर्घटना अवसर पर यदि वे उनकी सहायता न करगें तो परिवार विहीन ऐसे व्यक्तियों का जीवन कष्टमय बन जायेगा इसलियें सामान्य अवसरों पर भले ही सहयोग न हो बीमारी दुर्घटना आदि अवसरों पर पड़ोसी अविवाहित उत्तरदाताओं की तत्परतापूर्वक सहायता करते है इसलिए 67 (45%) पुरूष और 86 (56%) महलिायें यह अनुभव करती है कि पड़ोसियों के प्रति कृतज्ञता और अपनत्व अपनी ओर से बनाये रखना उनके लिये पड़ोसियों की सुरक्षा और सहयोग को प्रेरित करती है। इसीलिये वे पड़ोंसियों को आमंत्रित करने और पार्टी आदि के अवसर ढूँढतें हैं।

उत्तरदाताओं से उपरोक्त संदर्भो में यह जानने का प्रयत्न किया गया कि क्या वे उनके प्रति पड़ोसियों के व्यवहार से संतुष्ट हैं। प्राप्त उत्तर इस प्रकार हैं।

उपरोक्त तालिका इस महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकाशित करते है कि सामान्य दिनचर्या में आपके और पड़ोसियों के बीच भले ही प्रगाढ़ सम्बन्ध से प्रदर्शित हो परंतु उत्तरदाताओं की यह मान्यता है कि उनकी अस्वस्थता के प्रति पड़ोसी संवेदनहीन और उदासीन नहीं होते हैं। विशेष रूप से पुरूष उत्तरदाताओं का कथन है कि यदि वे लगातार घर में बंद रहें, कार्यालय पर नहीं आयें–जायें अथवा उनका बाहर निकलना कम हो यह तथ्य पड़ोसियों के ध्यान में आ जाता है तथा अनुभव करे कि संभवत वह बीमार है, पड़ोसी पूछताछ करते हैं। बीमारी की दशा में पड़ोसी और उनके बच्चें भरपूर सहायता करते हैं। इसलिए उत्तरदाता आश्वस्त अनुभव करते हैं कि दैनिक जीवन में सामान्यता सर्वत्र ही पड़ोसियों के साथ उनके व्यवहार औपचारिक हों परन्तु बीमारी की दशा में उन्हें अपने पड़ोसियो से पर्याप्त सुरक्षा और सहायता अवश्य ही मिलती है।

उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि वे पर्व, पूजा, पाठ, आपसी भाव, बीमारी आदि के अवसर पर किसी की सहायता प्राप्त करने की वरीयता देते हैं प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–100**

**सुख–दुख के अवसरों पर सहयोग और सहभागिता सम्बन्धी वरीयतायें**

| अ. क्र. | वरीयता | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | प्रायः सुख दुख के अवसर कम आते है और किसी को सूचित नहीं करते है। | 09 | 00 | 06% | 00% |
| 2. | पड़ोसियों के साथ निकटता बनाये रखने के लिये साथ साथ खाने पीने, आन्नद मनाने के अवसर ढूँढते है और पड़ोसियों व मित्रों को आमंत्रित करते है। | 67 | 86 | 45% | 56% |
| 3. | कष्ट बीमारी के अवसर पर पड़ोसियों की सहायता प्राप्त करने को प्राथमिकता देते है | 119 | 127 | 80% | 85% |
| 4. | सुख–दुख बीमारी के अवसरों पर नातेदारों की सहायता को प्राथमिकता देते है। | 30 | 23 | 20% | 16% |
| 5. | सहकर्मि और मित्र सहायता करते हैं। | 30 | 48 | 20% | 32% |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि 9 (06%) पुरूष सुख–दुःख के

## तालिका क्रमांक 100
## सुख–दु:ख के अवसरों पर सहयोग और सहभागिता संबंधी वरीयतायें
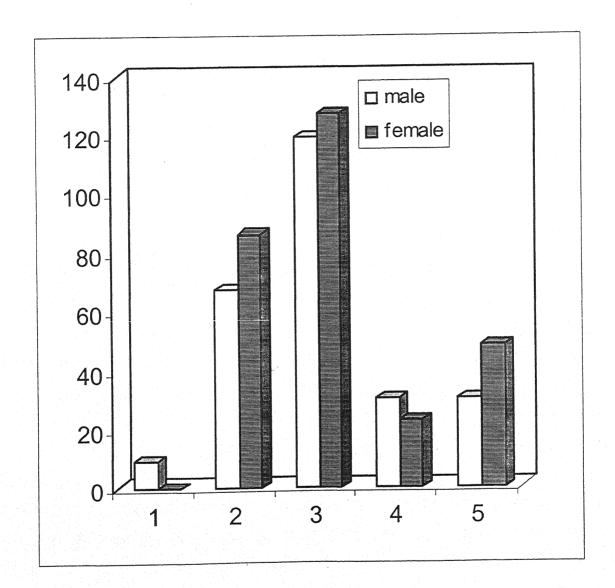
रेखा–चित्र क्रमांक 29

अवसरों पर किसी को सूचित नहीं करते हैं। 67 (45%) पुरूष तथा 86 (56%) महिलायें पड़ोसियों से निकटता रखती हैं तथा खाने पीने के लिए उन्हें आमंत्रित करती हैं। 119 (80%) पुरूष एवं 127 (85%) महिलायें बीमारी के अवसर पर पड़ोसियों की सहायता लेना पसन्द करती हैं। 30 (20%) पुरूष एवं 48 (32%) महिलाओं ने स्पष्ट किया कि सुख–दुःख के अवसरों पर साथ काम करने वाले सहकर्मी और मित्र सहायता करते हैं।

**तालिका क्रमांक–101**

**पड़ोसियों के व्यवहार के प्रति सन्तुष्टि उत्तरदाताओं का अभिमत**

| अ. क्र. | उत्तरदाताओं का अभिमत | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | सन्तुष्ट हैं। | 119 | 127 | 80% | 85% |
| 2. | सन्तुष्ट नहीं हैं। | 31 | 23 | 20% | 15% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि 119 (80%) पुरूषों एवं 127 (85%) महिला उत्तरदाताओं के संबंध पड़ोसियो से आत्मीय व घनिष्ठ है इस कारण पड़ोसियों द्वारा उनके प्रति किये गये व्यवहार से वह संतुष्ट है। 31 (20%) पुरुष एवं 23 (15%) महिला उत्तरदाताओं द्वारा अपने प्रति किये गये व्यवहार से वह संतुष्ट नहीं हैं।

विवाहित व्यक्तियों को नौकरी के अतिरिक्त अनेकानेक पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए उनके पास प्रायः सहकर्मियों और मित्रों के साथ बिताने के लिए उतना समय नहीं होता है जितना कि एकाकी व्यक्तियों के समक्ष। इस दृष्टि से अविवाहित महिलायें और पुरुष घर पर एकाकी दिनचर्या बिताने के साथ रह रहे नातेदारों के साथ समय बिताने की अपेक्षा सहकर्मियों के साथ अधिक समय बिताने को वरीयता दे सकते हैं। इस विषय में उत्तरदाताओं कें द्वारा व्यक्त यथार्थ इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक–102

## सहकर्मियों के साथ सम्बन्धों की प्रगाढ़ता उत्तरदाताओं का मत

| अ. क्र. | सम्बन्धों की प्रगाढ़ता | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | प्रगाढ़ सम्बन्ध है। | 30 | 23 | 20% | 14% |
| 2. | सामान्य सम्बन्ध है। | 70 | 73 | 48% | 50% |
| 3. | औपचारिक सम्बन्ध है। | 19 | 36 | 12% | 24% |
| 4. | केवल कार्यालयीन संबंध है। | 31 | 18 | 20% | 12% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका की साँख्यिकी प्रतिवेदित करती है कि 30 (20%) पुरूष एवं 32 (14%) महिलायें ऐसी है जिनके कि अपने सहकर्मियों के साथ सम्बन्ध अत्यन्त ही प्रगाढ़ है। 70 (48%) पुरूषों एवं 73 (50%) महिलाा उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि उनके अपने सहकर्मियों के साथ उनके सम्बन्ध सामान्य है। 19 (12%) पुरूष एवं 36 (24%) महिलाओं द्वारा व्यक्त किया गया है कि उनके अपने सहकर्मियों के साथ सम्बन्ध औपचारिक हैं। 31 (20%) पुरूष एवं 18 (12%) महिलाओं ने व्यक्त किया है उनके अपने सहकर्मियों के साथ सम्बन्ध केवल कार्यालय तक ही सीमित हैं।

सहकर्मियों के साथ संदर्भो के विषय में यह जानना चाहा गया कि सम्बन्धों की प्रगाढ़ता अथवा संबंधता कार्यालय के बाहर तक ही सीमित है अथवा पारिवारिक स्तर पर भी किसी प्रकार के सम्बन्ध है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार हैं।

## तालिका क्रमांक–103
## अविवाहित के सहकर्मियों के साथ पारिवारिक सम्बन्ध

| अ. क्र. | पारिवारिक संबंधों का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | सामान्य पारिवारिक संबंध है। | 30 | 23 | 20% | 15% |
| 2. | विशेष अवसरों पर मित्र घर पर आमंत्रित करते है। | 59 | 86 | 40% | 58% |
| 3. | अस्वस्था की अवस्था में मित्र और उनके परिजनों की सहायता प्राप्त होती है। | 30 | 23 | 20% | 15% |
| 4. | मित्रों के यहाँ कभी नहीं जाते है। | 31 | 18 | 20% | 12% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका में दी गई साँख्यिकी यह व्यक्त करती है कि अविवाहित पुरूषों एवं महिलाओं के अपने सहकर्मियों के साथ पारिवारिक स्तर पर सम्बन्ध है अथवा नहीं। 30 (20%) पुरूष एवं 23 (15%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया हैं कि उनके सहकर्मियों के साथ उनके सम्बन्ध सामान्य है। 59 (40%) पुरूषों एवं 86 (58%) महिलाओं ने प्रगट किया है कि विशेष अवसरों पर उनके मित्र उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करते है। 30 (20%) पुरूषों एवं 23 (15%) महिलाओं ने व्यक्त किया है कि अस्वस्थता में उनके मित्रों के परिजन उन्हें प्रदान करते है। 31 (20%) पुरूष एवं 18 (12%) महिलायें अपने सहकर्मियों के यहाँ कभी भी आते जाते नहीं है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अविवाहित उत्तरदाताओं के अपने सहकर्मियों के साथ पारिवारिक संबंध की अपेक्षा औपचारिक अधिक है। इस संदर्भ मे उत्तरदाताओं से जानने का प्रयत्न किया गया कि क्या उनका अविवाहित होना इसके लिए उत्तरदायी है। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक–104
## अविवाहित होने के कारण सहकर्मियों के साथ उनके पारिवारिक सम्बन्धों का प्रभाव

| अ. क्र. | प्रभाव | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | हाँ सहकर्मियों के साथ सम्बन्धों को कार्यालय तक सीमित रखने में रूचि रखते है। | 31 | 18 | 20% | 12% |
| 2. | अविवाहित होने के करण हम सहकर्मियों को अपनी ओर से आतिथ्य न दे पाने के कारण स्वयं पारिवारिक सम्बन्धों के विकास के रूचि नहीं रखते है। | 47 | 75 | 32% | 50% |
| 3. | अविवाहित होना सहकर्मियों के साथ संबंधों में बाधक नहीं है। | 30 | 23 | 20% | 16% |
| 4. | कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। | 42 | 34 | 28% | 22% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका से यह जानने का प्रयास किया गया है कि अविवाहित होने के कारण सहकर्मियों के साथ उनके पारिवारिक सम्बन्धों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं। 31 (20%) पुरूष एवं 18 (12%) महिला उत्तरदताओं ने व्यक्त किया है कि उनके सम्बन्ध नितान्त ही औपचारिक है तथा सहकर्मियों के साथ उनके

सम्बन्ध सिर्फ कार्यालय तक ही सीमित है। सम्बन्धों को कार्यालय के बाहर बढ़ाने में वह किसी प्रकार की कोई रूचि नहीं रखते है। 47 (32%) पुरूष एवं 75 (50%) महिला उत्तरनदताओं का कथन है कि वह अविवाहित है और यह महसूस करते है कि अगर उनके सहकर्मी उनके घर आयेगें तो वह परिवार में होने के कारण अपनी ओर से उनका आतिथ्य नहीं दे पायेगें जितना कि विवाहित के यहाँ उन्हें प्राप्त होता है इस कारण वह सहकर्मियों के साथ पारिवारिक सम्बन्ध बनाने में स्वयं ही अधिक रूचि नहीं रखते है। 30 (20%) पुरूष एवं 23 (16%) महिलाओं ने अभिव्यक्त किया है कि उनका अविवाहित होना उनके सहकर्मियों के साथ सम्बन्धों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुचाता है और 42 (28%) पुरूष एवं 34 (24%) महिलाओं ने यह अभ्व्यिक्त किया है कि इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं कहाँ जा सकता है। महिला उत्तरदताओं का कथन है कि उनकी रूचि केवल महिला सहकर्मियों के साथ पारिवारिक सम्बन्धों के विकास में ही है। पुरूष सहकर्मी के साथ वह पारिवारिक सम्बन्धों के विकास में इसलिए रूचि नहीं रखती है कि इसमें न तो उनके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो और न ही अन्यों को इनके विषय में कुछ कहने का अवसर मिलें।

अविवाहितों के सम्बन्ध जिन व्यक्तियों के साथ हो सकते हैं। वे है पड़ोसी, सहकर्मी, मित्र साथ रह रहे नातेदार, अन्यथा नगर में ही रह रहे नातेदार और नगर में रह रहे स्वजातीय सदस्य विवाहित व्यक्त्यिों को सुख–दुख में अपने स्वयं के परिवार, परिवार माध्यम से पड़ोसियों, नगर में रह रहे नातेदारों और स्वजातीय सदस्यों की सहयता सामान्य दशाओं में मिल जाती है। अविवाहित होने के कारण स्वयं का परिवार ने होने से इन व्यक्तियों और उत्तरदाताओं के बीच न तो परिवार रूपी सम्पर्क सूत्र होता है और न ही उत्तरदाताओं के प्रति अन्यों के मन में आस्था। फिर भी अन्यों के बीच रहते हुए सुख–दुख में एक दूसरे की सहायता एक सामान्य सामाजिक घटना है। ऊपर प्रस्तुत विभिन्न तालिकायें आदि स्त्रियों और पुरूषों को पड़ोसियों और सहकर्मियों से प्राप्त होने वाली सहायता सम्बन्धी तथ्य दिये गये है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इनमें से किस की सहायता उन्हें तत्परता से मिलती है।

## तालिका क्रमांक–105
## सुख–दुख में उत्तरदाताओं को प्राप्त होने वाली सहायता विषयक जानकारी

| अ. क्र. | सहायता की तत्परता संबंधी जानकारी | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | पड़ोसी | 87 | 86 | 56% | 56% |
| 2. | मित्र / सहकर्मी | 30 | 23 | 20% | 16% |
| 3. | नगर में रहने वाले नातेदार | 08 | 23 | 06% | 16% |
| 4. | नगर के स्व जातीय सदस्य | 00 | 00 | 00 | 00 |

उपरोक्त तालिका के अनुशीलन वे यह आभास मिलता है कि अविवाहित होने कारण नातेदारों की ओर से प्राप्त होने वाली सहायता तुलनात्मक रूप से कम रहती है। एक तथ्य यह भी है कि विवाहित व्यक्तियों के यहाँ (परिवार में) किसी न किसी प्रकार का धार्मिक सांस्कारिक आयोजन आदि होते रहते है जिनमें कि स्वजातीय व्यक्तियों की न्यूनाधिक सहभागिता रहती है। अविवाहित पुरूषों और महिलाओं के संदर्भ में इस सहभागिता के अवसर नगण्य होते है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अविवाहित व्यक्ति ज़ातीय स्वजनों के लिए हर दृष्टि से उपयोगी नहीं होता है इसलिये भी जातीय स्वजनों और अविवाहित व्यक्तियों के बीच न तो सम्बन्धों का तारतम्य होता है और न ही पारस्परिक निष्ठा। अतः यदि यह कहा जाये कि अविवाहित पुरूष अथवा स्त्री अपनी जाति से प्रायः असम्वद्ध रहते है तो त्रुटिपूर्ण नहीं होगा। तालिका स्वयं भी इसी तथ्य को प्रकट करती है। शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके सुख

दुख में जातीय स्वजनों की कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। तालिका यह प्रगट करती है कि उत्तरदाताओं को सबसे अधिक तत्परता से अपने पड़ोसियों से ही सहायता मिलती है। 87 (56%) पुरूष एवं 86 (56%) महिलाओं ने प्रतिवेदित किया है कि सुख–दुख के समय उन्हें उनके पड़ोसियो की ही तत्परता से सहायता मिलती है। 30 (20%) पुरूष और 23 (16%) महिलाओं ने प्रकट किया है कि उनके मित्र/सहकर्मी सुख–दुख में उन्हें सहायता प्रदान करते है। 08 (6%) पुरूष एवं 23 (16%) महिलाओं ने अभिव्यक्त किया है कि नगर में रह रहे नातेदार उन्हें सहायता देते है तो स्वजातीय सदस्यों से उन्हें सुख–दुख में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

उपरोक्त तालिकायें और उनमें सम्बन्धित विवेचन यह प्रगट करता है कि पड़ोसियों के साथ चाहे प्रत्यक्ष सम्बन्ध घनिष्ठ न भी हो परन्तु फिर भी उत्तरदाता यह जानते है कि उन्हें सुख–दुख में पड़ोसियों की सहायता मिलेगी। इसी प्रकार पड़ोसी भी यह जानते है कि अविवाहित होने के कारण इन पड़ोसियों की सहायता करना उनका दायित्व है। इस सुरक्षा के कारण यद्यपि सुख–दुख के क्षण उत्तरदाता व्यतीत करते है। परन्तु इसका यह अभिप्राय तो नहीं हुआ कि परिवार के माध्यम से जो सहयोग, सहायता और सुरक्षा व्यक्ति को मिल सकती है उसका विकल्प पड़ोस हो सकता है। उत्तरदाताओं का कथन है कि सामान्य दिनचर्या में अकेले रहने के वे अभ्यस्त हो चुके हैं परन्तु सुख–दुख के क्षणों में भले ही वे नातेदारों के साथ रहते हो अथवा नहीं, परिवार की कमी अनुभव होती है। उत्तरदाताओं के द्वारा व्यक्त यह यथार्थ निम्नाकिंत तालिका से विदित होता है।

**तालिका क्रमांक–106**
**अन्यों के साथ सम्बन्धों के**
**तारतम्य में परिवार की कमी सम्बन्धी अनुभव**

| अ. क्र. | परिवार सम्बन्धी | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | परिवार की कमी अनुभव होती है। | 97 | 89 | 66% | 60% |
| 2. | परिवार की कमी अनुभव नहीं होती है। | 53 | 61 | 34% | 40% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि 97 (66%) पुरूष एवं 89 (60%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध अच्छे होने और उनके द्वारा सुख–दुख में सहयोग दिये जाने के बावजूद भी उन्हें अपने परिवार ने होने की कमी अनुभव होती है। 53 (34%) पुरूष एवं 61 (40%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि पड़ोसियों, सहकर्मियों मित्रों नातेदारों के साथ रहने और सुख–दुख में पूर्णता सहयोग करने के कारण के कारण उन्हें अपना परिवार नहीं है इस बात की कभी अनुभव नहीं होती है। इसमें यह निरूपित होता है कि अविवाहित रहना चाहे वह स्वैच्छिक रहा हो अथवा किसी कारण वश एक असामान्यता है जिसका अनुभव कि युवावस्था में भले ही न हो परन्तु आयु के बढ़ने के साथ और व्यवहारिक जीवन के आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए अविवाहित पुरूष और स्त्रियाँ अनुभव करती है।

ऊपर प्रस्तुत विवेचन से यह भ्रांति नही होना चाहिए कि केवल मात्र सुख–दुख में सहायता की भावना से ही अविवाहित पुरूष और महिलायें पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध रखने में रूचि रखते है इसके कतिपय अन्य कारण भी है। इस विषय में कृपया निम्नांकित तालिका का अवलोकन किजिये।

## तालिका क्रमांक 107
## पड़ोसियों के साथ संबंधों के प्रेरक कारक
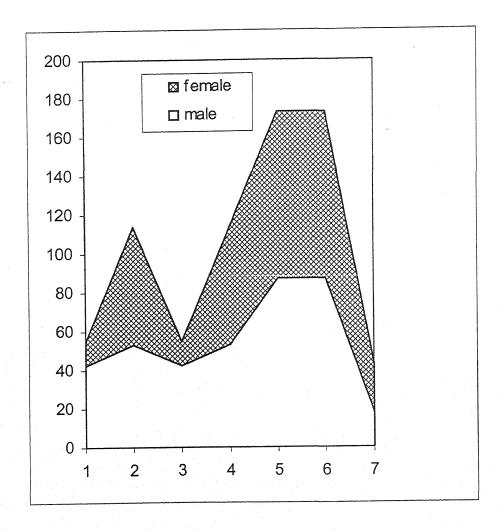
रेखा–चित्र क्रमांक 30

## तालिका क्रमांक 107
## पड़ोसियों के साथ संबंधों के प्रेरक कारक
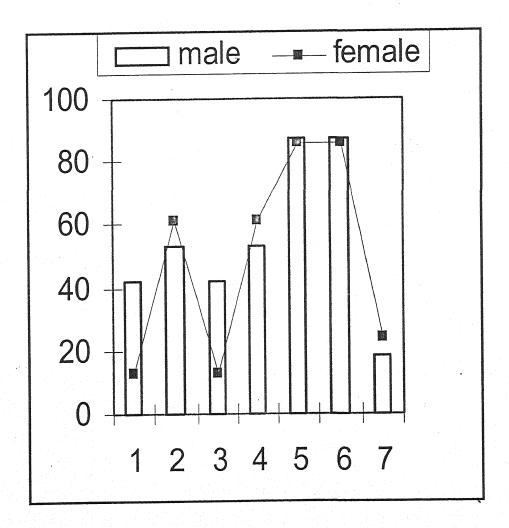
रेखा–चित्र क्रमांक 31

## तालिका क्रमांक–107
## पड़ोसियों के साथ सम्बन्धों के प्रेरक कारक

| अ. क्र. | भावना | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | एकाकी पन दूर करना। | 42 | 13 | 28% | 08% |
| 2. | परिवार की कमी अनुभव होने देना। | 53 | 61 | 36% | 40% |
| 3. | प्रयाप्त समय और पारिवारिक जिम्मेदारी न होने के कारण इने सुख–दुख में सहायता करना। | 42 | 13 | 28% | 08% |
| 4. | समय व्यतीत करना। | 53 | 61 | 36% | 40% |
| 5. | स्वयं के सुख–दुख में उनकी (उत्तरदाताओं) की सहायता हो सके इस उद्देश्य से | 87 | 86 | 56% | 56% |
| 6. | अन्य मानसिक सुरक्षा। | 87 | 86 | 56% | 56% |
| 7. | बच्चों से विशेष लगाव के कारण। | 18 | 24 | 12% | 16% |

उपरोक्त तालिका में दी गई साँख्यिकी प्रतिवेदित करती है कि उत्तरदाताओं के पड़ोसियो के साथ सम्बन्ध बनाने के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी है। 42 (28%) पुरूषों एवं 13 (08%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि अपने एकाकीपन को दूर करने के लिये तथा अविवाहित होने के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होने के

कारण, सुख–दुख में पड़ोसियो की सहायता करना वह अपना फर्ज समझते हैं तथा उनकी सहायता को तत्पर रहते हैं। 53 (36%) पुरूषों एवं 61 (40%) महिला उत्तरदाताओं व्यक्त किया है कि वह अविवाहित है और विवाह करने की अनिच्छा ने ही अपितु पारिवारिक परिस्थितियों की वजह है वह अविवाहित रहे हैं इस कारण अपना परिवार न होने की कसक उनके मन में बनी रहती हैं, तथा खाली वक्त होने की वजह से यह कमी और ज्यादा महसूस होती हैं। इसलिये वह पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध बनाने और सुख–दुख में उनकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं ताकि उन्हें अपने परिवार की कमी अनुभव न हो, तथा इतने ही पुरूष एवं महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि पड़ोसियें के साथ सम्बन्ध बनाना व उनकी सहायता करना उनके लिये समय व्यतीत करने का एक साधन हैं। 87 (56%) पुरूषों एवं 86 (56%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि अगर वह पड़ोसियो की सहायता करेगें तो उनके सुख–दुख के समय पड़ोसी भी उनकी सहायता करने को तत्पन रहेगे अतः अपनी स्वयं के सुख–दुख में उनको पड़ोसियों से सहायता प्राप्त हो सके इस उद्देश्य से वह पड़ोसियो की सहायता करतें है। 87 (56%) पुरूषों एवं 86 (56%) महिला उत्तरदाताओं के अनुसार पड़ोसियों की सुख–दुख में सहायता करने से और पड़ोसियों के द्वारा उनके सुख–दुख में सहयोग करने के कारण उनमें मानसिक सुरक्षा की भावना बनी रहती है। 18 (12%) पुरूषों एवं 24(16%) महिलाओं का कथन है कि उनका अपना परिवार न होने के कारण बच्चे नहीं हैं और बच्चों से उन्हें विशेष लगाव है अतः इस कारण वह पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध बना कर तथा उनकी सहायता कर बच्चों के प्रति स्नेह के भाव की पुष्टि कर लेते हैं।

अविवाहित उत्तरदाता कार्यालयीन समय के अतिरिक्त, यदि अकेले रह रहे हैं अथवा नातेदारों के साथ रह रहे है तो भी गृहकार्य में यथा योग्य सहायता के पश्चात भी अतिरिक्त समय बचा लेते है सामान्य लोगों को भी यही धारणा रहती है कि अविवाहित होने के कारण न तो इस पर उत्तरदायित्वों का दबाब और व्यस्तता रहती है और न ही समय की कमी इसलिए सामाजिक कार्यो में इन्हें सहयोग करना चाहिए। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं की मानसिकता यह है कि विभिन्न क्लबों और सामाजिक संगठनों के सदस्य बनने से केवल उनके समय का क्रियात्मक उपयोग होता है बल्कि अविवाहित होने के उपरान्त भी उन्हें समाज मे अपनी उपादेयता स्थापित करने का अवसर मिलता है। इसका यह अभिप्राय नहीं हुआ कि सभी अविवाहित पुरूष और महिलायें सामाजिक

संगठनों के सदस्य है इस विषय में जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक–108**

**सामाजिक संगठनों में अविवाहित पुरूषों और महिलाओं की सहभागिता**

| अ. क्र. | सामाजिक संगठन | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | लांयन्स क्लब/लायंस | 14 | 20 | 10% | 13% |
| 2. | रोटरी क्लब/इनरवीर | 13 | 23 | 08% | 16% |
| 3. | जायन्टस क्लब | 04 | 00 | 03% | 00% |
| 4. | जातिय संगठन | 06 | 09 | 04% | 06% |
| 5. | विभागीय (कार्यालयीन) खेल संगठन | 48 | 15 | 32% | 10% |
| 6. | अन्य खेल–कूद संगठन | 12 | 07 | 08% | 05% |
| 7. | नाट्र्य मंडल | 18 | 32 | 12% | 22% |
| 8. | साहित्यक संगठन | 18 | 32 | 12% | 22% |
| 9. | महिला मंडल | 00 | 15 | 00% | 10% |
| 10. | संगीत सभा | 21 | 18 | 14% | 12% |

उपरोक्त तालिका की साँख्यिकी यह प्रदर्शित करती है कि अविवाहित होने के कारण उत्तरदाताओं के दायित्व व कार्य अत्यन्त सीमित हो जाते है और समय भी काफी मिलता है उस खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उत्तरदाता महिलायें व पुरूष किस प्रकार के सामाजिक संगठनों से सहभागिता करते हैं। 14 (10%) पुरूषों एवं 20 (13%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि वह लायंस/लायन्स क्लब के सदस्य है तथा क्लब की विभिन्न गति विधयों में भाग लेते हैं। 13 (8%) पुरूषों एवं 23 (16%) महिलाओं का कथन है कि वह रोटरी क्लब/ इनरवीर क्लब के सदस्य है तथा 04 (3%) पुरूष उत्तरदाता जायन्टस क्लब के सदस्य है इस क्लब में स्त्रियों की संख्या निरक है। 06 (4%) पुरूष एवं 4 (6%) महिला उत्तरदाता जातिय संगठन से जुड़ी हुई है। 48 (32%) पुरुष एवं 15 (10%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि वह विभागीय

(कार्यलयीन खेलकूद संगठन) खेलकूद संगठन में सहभागिता करते है तथा 12 (8%) पुरूष एवं 07 (5%) महिला उत्तरदाता अन्य खेलकूद संगठनों के सदस्य हैं। 18 (12%) पुरूष एवं 32 (22%) महिला उत्तरदाता नाट्य मंडल एवं साहित्यिक संगठन के साथ जुड़े हुये हैं। 21 (14%) पुरूष एवं 18 (12%) महिला उत्तरदाता संगीत सभा संगठन के सदस्य के रूप में अपना समय व्यतीत करती है तथा इन सबसे विभिन्न 15 (10%) महिला उत्तरदाता महिला संगठनों की सदस्यायों हैं। पुरूषों में अलग से इस प्रकार का कोई संगठन नहीं हैं।

इस अध्याय में पड़ोसियों के साथ उत्तरदाताओं की अन्र्तक्रियाओं का स्वरूप, उनके आधार, प्रभाव और परिणाम तथा पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालता है। इसी प्रकार सहकर्मियों और उनके परिचितों के साथ उत्तरदाताओं से संबंधों की विवेचना भी की गई है। नगर में रह रहे नातेदारों तथा स्वजातीय समाज के सदस्यों के साथ उत्तरदाताओं के संबंधों का स्वरूप क्या है तथा उनके बीच किस प्रकार की अन्र्तक्रियायें घटित होती है इस की चर्चा भी की गई है। उत्तरदाता समाज कल्याण में किस प्रकार योगदान दे रहे है। इस विषय में भी इस अध्याय में तथ्य प्रेषित किये गये है।

# वृद्धावस्था विषयक चिन्तन

# अध्याय – 7
# वृद्धावस्था विषयक चिन्तन

वृद्धत्व मानव का जीवन एक अनिवार्य सोपान है। प्रत्येक मनुष्य को जो कि जन्म लेता है इस अवस्था को प्राप्त करना है। इसका वैयक्तिक स्तर पर कोई विकल्प भी नहीं है प्रथम स्तर विकास होता है और द्वितीय स्तर इसका जन्म के पश्चात सतत क्रमबद्ध रूप में शारीरिक और मानसिक विकास होता है। युवावस्था के प्रोढ़ावस्था के पश्चात ह्रास का क्रम आरंभी होता है इनके मध्य स्थिति होती है प्रोढ़ावस्था तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पूर्णतः सक्ष्म होता है। इसके पश्चात निरंतर शारीरिक और बौद्धिक अवरोह प्रारंभ होता है। वृद्धावस्था वह अवस्था होती है जहाँ पहुँचने से पूर्व व्यक्ति जीवन के समस्त सुखों–दुखों का उपभोग करने के पश्चात उन्हें त्यागना नैतिक रूप से प्रारंभ कर देता है। वृद्धावस्था में वृद्धि के साथ–साथ मनुष्य की पराश्रितत में भी वृद्धि होती चली जाती है। चरम अवस्था में वह पूरी तरह अन्यों पर आश्रित हो जाता है। इसी के साथ वृद्धावस्था से सम्बनधित समस्यायें प्रारंभ होती है। पाश्चात्य सामाजिक व्यवस्था में जिसमें वृद्धावस्था उतनी विकट समस्या इसलिए नहीं है कि वृद्धावस्था में भोगे जाने वाले एकांकीपन की समस्या प्रत्येक व्यक्ति को होती है तथा वहाँ वृद्धों की देखभाल परिजनों या नातेदारों का दायित्व न होकर राज्य का कर्त्तव्य होता है। भारतीय स्थिति इसमें भिन्न हैं। भारत में परम्परानुसार वृद्धों को सम्मानीय ही पूज्यनीय माना जाता है, मृत्यु के उपरान्त पूर्वजों को पित्रों के रूप में देवताओं में शामिल कर लिया जाता है कि यही कारण है कि परिवार में वृद्धों को बोझ न मानकर वरदान माना जाता है। वृद्धों के प्रति इस आस्था के विकास में भारत की जातिगत अर्थव्यवस्था का विकास और संयुक्त परिवारों का योगदान रहा है। जाति व्यवस्था के कारण प्रत्येक जाति का एक जातिगत पेशा होता था और जाति के सदस्यों के लिए उसी पेशे को अपनाना अनिर्वाय था। इसलिए उद्योंगों का स्वरूप पारिवारिक था। इन पारिवारिक उद्योंगों ने संयुक्त परिवार व्यवस्था को बल प्रदान किया। संयुक्त परिवार में वृद्धों के कार्य करने को समर्थ न रहने पर भी पारिवारिक उद्योंगों में अन्य सदस्यों की सहमात्रिता बल रहती थी और इसलिए वृद्धों के कार्य न कर पाने के कारण परिवार होने वाली आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता था। इसी प्रकार पारिवारिक उद्योंगों के कारण आय संयुक्त परिवार का विघटन भी नहीं होता था इसके साथ ही यह भी ध्यान देन योग्य है कि

भारत मुख्यतः ग्रामों का देश रहा है एक ग्राम में प्रायः सभी जातियों के सदस्य रहा करते थे और अपने–अपने जातिगत पाम्परिक उद्योंगों को पाकरिवारिक स्तर पर करते हुये वे एक दूसरे को आय की पूर्ति में सहायक होते थे। केवल विवाह सम्बन्धों के निर्धारण से सम्बन्धित आवश्यकता ऐसी थी जिसकी पूर्ति के लिये वे अन्य ग्रामों पर निर्भर रहते थे। इस प्रकार इस ग्रामीण आत्मनिर्भरता कारण गांव के लोगों में स्थान और व्यवसाय सम्बन्धी गतिशीलता का अभाव था। इस स्थिति ने ग्रामीण उद्योग धन्धों को ही नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों को भी स्थिरता और स्थायित्व प्रदान किया इन परिस्थितियों में वृद्ध किसी भी समय परिवार के लियें बोझ तुल्य नहीं होते थे। सत्य तो यह है कि वृद्धों का मार्ग–दर्शन विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक–सम्बन्धों समस्याओं, व्यापार, व्यवसाय आदि के विषय में रहता था, इसके फलस्वरूप वृद्धों की परिवार में स्थिति सम्मानीय बनी रहती थी। यही करण है कि परिवार के वृद्ध की मृत्यु पर परिवार के सदस्य राहत अनुभव न कर विलाप करते है और परिवार के लिये उसे अपूर्णीय क्षति मानते है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निरूपित होता है कि परिवार और परिजनों के मध्य रहते हुए व्यक्ति को वृद्धावस्था में आवश्यकता की पूर्ति परिचर्चा और सुरक्षा सम्बन्धी समस्या का सामना प्रायः नहीं करना पड़ता है। अविवाहित पुरूषों और महिलाओं के समक्ष इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होना अवश्य भावी है। यद्यपि राजकीय सेवारात अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवानिवृति पर पेशन के साथ अन्य परिस्ढ़ापी जैसे भविष्य निधि, जीवन बीमा आदि के माध्यम से जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त आय प्राप्त होती है परन्तु केवल आर्थिक सुविधा के कारण ही वृद्धावस्था की समस्याओं से मुक्ति मिल जायेगीं यह मानक भ्रान्तिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं विचार जानने का प्रयत्न किया गया। अलग शीर्षकों के अर्न्तगत यह जानकारी निम्नानुसार है।

## वैयक्तिक स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी चिन्ता

अध्याय एक के अर्न्तगत तालिका क्रमांक 1 उत्तरदाताओं का आयु अनुसार वर्गीकरण प्रस्तुत करती है। अध्ययन में उन्हीं उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है जो कि विवाह योग्य आयु को पार कर चुके है। इस दृष्टि से धारणा यह रही है कि 45 वर्ष की आयु के बाद विवाह सम्बन्धी सम्भावनायें अत्यन्त क्षीण रह जाती है। स्पष्ट है कि 45 वर्ष की आयु के स्त्री और पुरूष प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर होते है। इसके बाद वृद्धावस्था में व्यक्ति शेष जीवन व्यतीत करता है। प्रौढ़ावस्था चूंकि वृद्धावस्था का प्रारंभ

है। इसलिये वृद्धावस्था में भोगी जाने वाली शारीकि और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को भोगने का प्रारंभ इस आयु में हो जाता है। सर्वेक्षण में सम्मिलित उत्तरदाताओं में से 45 वर्ष से 55 वर्ष की आयु समूह 102 (68%) पुरूष एवं 132 (88%) महिलायें है। शेष 48 (132%) पुरूष और 18 (12%) महिलायें 55 से 68 वर्ष से अधिक आयु की है और निश्चित रूप से वृद्धत्व की सीमा में है।

उत्तरदताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या वृद्धावस्था में देखभाल सम्बन्धी चिन्ता से वे ग्रस्त हैं। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक–109
## वृद्धावस्था विषयक चिन्ता

| अ. क्र. | चिन्ता का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | चिन्तित हैं। | 78 | 45 | 52% | 30% |
| 2. | चिन्तित नहीं हैं। | 21 | 62 | 14% | 41% |
| 3. | फिलहाल इस विषय में कुछ सोचा नहीं है। | 51 | 43 | 34% | 29% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है 78 (52%) एवं 45 (30%) महिलायें वृद्धावस्था में अपने भविष्य के प्रति चिन्तित है। 21 (14%) पुरूष एवं 62 (41%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि इस विषय में कोई चिन्ता नहीं करते हैं। 51 (34%) पुरूष एवं 43 (29%) महिलाओं ने व्यक्त किया है कि वृद्धावस्था में क्या करना और कहाँ रहना है इस विषय में अभी तक उन्होने कुछ भी सोचा नहीं है।

उपरोक्त संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया गया कि वृद्धावस्था में उत्तरदाता शेष जीवन अकेले व्यतीत करेगें अथवा किसी नातेदार के था किसी अन्य के साथ ताकि उन्हें सुरक्षा अनुभव हो। इस विषय उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है।

तालिका क्रमांक–110

भविष्य में नातेदारों के साथ रहने विषयक उत्तरदाताओं की योजना।

| अ. क्र. | स्थान | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अकेले रहना | 21 | 21 | 14% | 30% |
| 2. | किसी मित्र/सहेली के साथ | 03 | 12 | 02% | 08% |
| 3. | भाई/भतीजे के परिवार के साथ | 43 | 49 | 28% | 32% |
| 4. | किसी अन्य नातेदार के साथ | 06 | 00 | 04% | 00% |
| 5. | वृद्धावस्था में | 06 | 03 | 04% | 02% |
| 6. | अभी निश्चित नहीं किया है। | 51 | 43 | 34% | 29% |
| 7. | किसी नातेदार के बच्चों को गोद लेगें । | 20 | 22 | 14% | 15% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका में निहित तथ्य यह प्रगट करते हैं कि प्रत्यक्ष रूप बहुसंख्यक उत्तरदाता वृद्धावस्था में भोगी जाने वाली कठिनाईयों के प्रति सचेत है केवल मात्र 21 पुरूष और 21 महिला उत्तरदाताओं ने ही प्रतिवेदित किया है कि चूंकि उन्होने विवाह न करने का निर्णय लिया है इसलिए वृद्धावस्था में संभावित कठिनाईयों को स्वयं हल करेगें। किसी अन्य के साथ रहने से संभवतः उनकी परेशानियों स्वतन्त्रता और वृद्धावस्था की शान्ति में विध्न पैदा होगा इसलिए वे जहाँ तक संभव होगा वृद्धावस्था में अकेले ही रहेगें। 3 (2%) पुरूष और 12 (08%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि वृद्धावस्था में अपने ही समान किसी मित्र/सहेली के साथ रहना पसंद करेगें ताकि दोनों को दशांयें एक समान होने के कारण वे एक दूसरे के सहयोग से वृद्धावस्था का सहज निर्वाह कर लेगें । 43 (28%) पुरूष और 49 (32%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि वे अपने किसी भाई अथवा भतीजे के परिवार के साथ रहना पसंद करेगें। ऐसा उनके लिये संभव हो सकेगा कि वे निश्चित रूप से अपनी संचित पूंजी पूर्णतः अथवा उसका बड़ा हिस्सा उस भाई अथवा उसका भतीजे या उनके परिवार के सदस्यों

को देना पसंद करेगें जो कि वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करेगें । इसी भावना से 06 (04%) पुरूष किसी अन्य नातेदार के साथ भी रह सकते हैं। महिला नातेदारों की किसी अन्य नातेदार के साथ वृद्धावस्था में रहेने की तत्परता नहीं है। वृद्धावस्था भारत में एक नवाचार है जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि भारतीय समाज और परिवार में वृद्धों को अत्यन्त सम्मान के साथ देखा जाता है। वृद्धों की उपस्थिति को अनुगृह माना जाता है परन्तु अब परिवर्तित परिस्थितियों के विशेषकर लघु एकल परिवारों के प्रचलन के कारण ( पारित ए. डी., 1994 ) वृद्धों की उपेक्षा होने लगी है इसलिये अब वृद्धाश्रमों की स्थापना भी हो रही है। अनेक बड़े नगरों में यह कार्यरत है। शनै–शनै इनका और विस्तार होगा। सर्वेक्षण सम्मिलित अविवाहित पुरूष और महिला उत्तरदाताओं में से 06 (04%) पुरूष और 03 (02%) महिला उत्तरदाताओं का विचार है कि वे वृद्धावस्था में भी रहना पसंद कर सकतें हैं। 20 (19%) पुरूष और 22 (15%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि किसी के साथ रहकर उस पर आश्रित बनने की अपेक्षा में विधिवत या बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के अपने किसी नातेदार के पुत्र/पुत्री को गोद लेने का विचार रखते है। ताकि वृद्धावस्था में इनसे उन्हें परिवार सम सुरक्षा मिल सके। केवल 51 (34%) पुरूष और 43 (28%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है। अभी वृद्धावस्था नियमित नहीं है इसलिये इस विषय में उन्होने अभी कुछ भी सोचा नहीं है।

जैसा कि कहा गया है कि वृद्धाश्रम भारत की दृष्टि से एक नवाचार है। चूंकि यह भारतीय परम्परा से मेल नहीं खाता है इसलिये इसके विषय में लोगों में अनेक भ्रातियां हैं ऊपर उनकी मिश्रित प्रतिक्रियाएं है। भारतीय परम्परा के विपरीत तो अविवाहित रहना भी है परन्तु फिर भी वृद्धावस्था का होना और वृद्धावस्था में रहना इस दृष्टि से ध्यान आकर्षित करता है कि आम भारतीय वृद्धावस्था में रहने वाले व्यक्तियों को दुर्भाग्यशाली मानते है और उनके प्रति करूणा तथा सहानुभूति रखते हैं। इसके विपरीत तथ्य यह है कि भविष्य में लघु एकल परिवार प्रचलन निरंतर चढ़ता है और इसके साथ ही प्रदत्त की समस्या भी इसलिये कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्य में वृद्धावस्था का अधिकाधिक प्रचलन हो। इस पृष्ठभूमि में उत्तरदाताओं के समक्ष वृद्धावस्था के विषय में विस्तार से तथ्य प्रस्तुत किये गये तथा वृद्धावस्था के विषय में उनकी प्रतिक्रिया चाही गई। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक—111
## वृद्धावस्था के विषय में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

| अ. क्र. | प्रतिक्रिया | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | कोई अन्य न हो तो वृद्धावस्था उपयोगी है | 30 | 24 | 20% | 16% |
| 2. | आज के बदलते परिवेश में अत्यन्त उपयोगी | 09 | 12 | 06% | 08% |
| 3. | वृद्धाश्रम घर से अच्छा है। | 12 | 21 | 08% | 14% |
| 4. | वृद्धाश्रम आवश्यक है | 15 | 12 | 10% | 08% |
| 5. | बड़े शहरों में आवश्यक | 06 | 09 | 04% | 06% |
| 6. | अकेलेपन को दूर करने के लिये श्रेष्ठ | 45 | 30 | 30% | 20% |
| 7. | अपरिचित के बीच जीवन मुश्किल | 09 | 12 | 06% | 08% |
| 8. | अच्छी देख—भाल और सुविधायें मिलती है। | 24 | 30 | 16% | 20% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

30 (20%) पुरूष और 24 (16%) उत्तरदाताओं का कथन है कि रिश्तेदारों के साथ रहने से अधिक सुरक्षा और अपनत्व मिल सकता है परन्तु फिर भी यदि और कोई विकल्प हो वृद्धावस्था की त्रासदी से बचने के लिये यही उपयुक्त होगा कि वृद्धावस्था में रहा जायें। 09 (06%) पुरूष और 12 (08%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि वृद्धों के प्रति दृष्टि कोण में हो रहे परिवर्तन को देखते हुये वृद्धावस्था न केवल अविवाहित के लिये बल्कि उपेक्षित उन वृद्धों के लिये भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं जोकि अपने स्वयं के परिवार के होने के बावजूद भी स्वयं को उपेक्षित अनुभव करते हैं। 12 (08%) पुरूष एवं 21 (16%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि वृद्धावस्था में सुख सुविधाओं और देखभाल के बावजूद घर का अनुभव संभव नहीं है।

यह सभी वृद्धावस्था में रहते हुये व्यक्ति का मानसिक रूप से तनाव ग्रस्त रख सकते हैं। इसलिये वृद्धावस्था के लिये चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित स्थिति में वह वृद्धाश्रम से अधिक अच्छा है। यद्यपि पूर्व की तालिका में 06 (4%) और 03 (02%) महिला उत्तरदातओं के द्वारा वृद्धावस्था में रहने को प्राथमिकता दी गई है परन्तु 15 पुरूष और 12 (02%) महिला अनुभव करती है। कि वृद्धाश्रम में उन्हे रहना पड़े अपमान सहना पड़े। आज की परिस्थितियों को देखते हुये वृद्धाश्रम भारतीय समाज की एक अनिवार्यता बनने 45 (30%) एवं 30 (20%) महिलाओं का कथन कि वृद्धावस्था में सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन का अनुभव होना है यद्यपि परिवार और नातेदारों के साथ रहते हुये इस अकेलेपन को दूर किया जा सकता है परन्तु फिर भी उम्र में साथियों के माध्यम से जो साथ और मनोरंजन मिलता है उसकी पूर्ति नातेदारों के माध्यम से नहीं हो सकती है। 06 (04%) पुरूष और 04 (06%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि मध्य आकर के नगरों और कस्बों में अभी पड़ोस और मित्रों का महत्व बना हुआ है। यहाँ वृद्धावस्था में भी पड़ोसियों और मित्रों की सहायता मिलेगी इस विषय में आशंका नहीं होनी चाहिये। परन्तु महा नगरों की परिस्थिति भिन्न है वहाँ न तो परिवार के सदस्यों को इतना समय नहीं मिलता है कि वे अपने अलावा अन्यों पर ध्यान दें सकें । इसलिये वे यह मानते हैं कि महानगरी संस्कृति की दृष्टि से वृद्धाश्रम अच्छे हैं । 24 (16%) पुरूष एवं 30 (20%) महिलाओं का मानना है कि वृद्धावस्था में आर्थिक कष्ट उतना नही होता है जितना कि भोतिक सुख–सुविधाओं और दैनिक जीवन के तथा बीमारी आदि के अवसर पर देखभाल सम्बन्धी समस्या व असुरक्षा की भावना होती है। वृद्धाश्रम निश्चित ही इस दृष्टि से सहायक हो सकते हैं। वृद्धावस्था में प्रत्येक वृद्ध की आवश्यकतानुसार उसे आवास उपयुक्त भोजन वस्त्र व्यायाम मनोरंजन कार्य आदि दिया जाता है। इसी प्रकार समय समय पर नातेदार समाज सेवी और वृद्धों में रूचि रखेने वाले है। अन्य व्यक्ति भेंट, मुलाकात के लिये आते रहते है। यही नही बल्कि समय–समय पर स्वास्थ परिक्षण और चिकित्सकीय सुविधायें निर्विवाद रूप में वृद्धों को उन वृद्धाश्रम में पर्याप्त सुविधायें और देखभाल मिल सकती हैं जो यथार्थ रूप से कल्याण कार्यो उद्देश्य से चलाये जायें । केवल 04 (03%) और 12 (12%) महिला उत्तरदाता व्यक्त करती है कि नातेदार के साथ रहते हुये अजनबी पन अनुभव नहीं होता है इसलिए वृद्धाश्रम में अजीवनपन के साथ कुछ समय को व्यतीत किया जा सकता है परन्तु शेष सम्पूर्ण जीवन नहीं है।

अविवाहित उत्तरदाताओं के द्वारा व्यक्त उपरोक्त प्रतिक्रियाएं इस ओर इंगित करती हैं कि वृद्धाश्रम में रहने सम्बन्धी मानसिकता अविवाहित में विकसितहो सकती है। अतः वृद्धाश्रमों का प्रचलन एक कारक के रूप में भविष्य में विवाहित रहने के लिये प्रेरक बन सकता है। उन व्यक्तियों के समकक्ष जा कि पारिवारिक दायित्वों से बचना चाहतें हैं। अथवा किसी समस्या व्याधि से ग्रस्त है।

## वृद्धावस्था विषयक चिन्तन – आर्थिक पक्ष

जीवन निर्वाह के लिए धन अत्यन्त आवश्यक है। उस दृष्टि से धन का महत्व अविवाहित और विवाहित दोनों के लिये ही समान रूप से होना चाहिये । प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि अविवाहित न केवल युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में अपने आप पर निर्भर करते हैं बल्कि परिवार विहीन होने के कारण वृद्धावस्था में भी जीवन निर्वाह की व्यवस्था उन्हें स्वयं ही करनी होगी। विवाहित व्यक्ति यह मानकर चलते हैं कि वृद्धावस्था में उनके पृत्र उनकी देखभाल करेगें और उन्हें सुरक्षा पहुचायेगें। उनकी यह आस्था सत्य हो अथवा भ्रमित यह बात अलग है परन्तु भारतीय परिवेश मे यह मान्यताओं हैं ही। अविवाहित परिवार के अभाव में पुत्रों से प्राप्त होने वाली सुविधाओं उसके सुरक्षा वंचित रहते हैं। इस दृष्टि से गृहस्थ व्यक्ति जहाँ अपनी आय का अधिक भाग गृहस्थी को समृद्ध बनाने व या बच्चों के विवाह और अन्य सांस्कृतिक व्ययों की दृष्टि से नियोजित करते हैं वहीं अविवाहित की रूचि स्वयं के मकान में अतिरिक्त गृहस्थी की अन्य सामग्रियाँ और साधनों की और इतनी ही होती है। जितनी की उनकी आय की दृष्टि से अनिवार्य हो। विवाह योग्य आयु बीत जाने पर उनका चिंतन का मुख्य केन्द्र बचत तथा बचत को इस प्रकार नियोजन होता है ताकि वृद्धावस्था में आर्थिक सुदृढ़ता के फलस्वरूप वृद्धावस्था का कुशल निर्वाह हो जाये। प्रस्तुत है इसी विषय में उत्तरदाताओं में जानकारी प्राप्त की गई है।

उत्तरदाताओं को वर्तमान में प्राप्त होने वाली मासिक आय का विवरण तालिका क्रमांक 16 में दिया गया है। यह तालिका प्रकट करती है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं की मासिक आय रुपये 3000/– से अधिक है। इस श्रेणी में कुल 125 पुरूष तथा 108 महिलायें है। यह साँख्यिकी इस ओर अकिंत करती है कि बहुसंख्यक उत्तरदाता पर्याप्त

आय रखते है। अकेले होने के कारण वे बचत भी करते होगें ऐसी अपेक्षा अविवाहित से रखी जाती है।

अथवा सेवानिवृति की आयु से पूर्व भी सेवा निवृति लें सकतें है। समूह बीमा प्रायः शासकीय और अशासकीय सभी कर्मचारियों के लिये होता है। यह वस्तुतः जीवन बीमा का ही एक अंग है जिसकी कटौती प्रतिमाह वेतन से अधिक होती है। शासकीय राजपत्रित प्रथम श्रेणी अधिकारियों के वेतन से 120 रुपये प्रतिमाह की कटौती की जाती है तथा अराजपत्रित अधिकारियों द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से 75 रुपये अथवा 100 रुपये प्रतिमाह की कटौती की जाती है। सेवाकाल में मृत्यु होने पर सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी के आश्रितों को 75 हजार लेकर 1 लाख 20 हजार रुपये तक की राशि सहायता के रूप में दी जाती है। यदि सेवाकाल में शासकीय सेवक की मृत्यु होती है तब सेवानिवृत्ति तक जमा कुल राशि व्याज सहित लौटा दी जाती है।

राजकीय व अराजकीय सेवकों की भविष्य निधि, समूह बीमा योजना के अतिरिक्त सेवानिवृति पर ग्रेच्यूटी तथा अवकाश का नकदीकारण भी किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि सेवा निवृति पर राजकीय और अराजकीय सेवकों को मुख्यता शासकीय सेवकों को पर्याप्त नगद धनराशि प्राप्त हो जाती है।

उपरोक्त अनिवार्य बचतों के अतिरिक्त भी व्यक्ति अपनी मासिक आय में से बचत करते हुये अनेक योजनाओं में धनराशि नियोजित करते है। इस योजनाओं में से उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक–112

## उत्तरदाताओं के द्वारा सुरक्षित आर्थिक भविष्य हेतु विनियोजन

| अ. क्र. | विनियोजन | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | जीवन बीमा | 64 | 37 | 42% | 24% |
| 2. | यूनिट ट्रस्ट | 30 | 33 | 20% | 22% |
| 3. | म्यूचलफंड | 12 | 03 | 08% | 02% |
| 4. | एन. एस. सी. | 53 | 16 | 36% | 11% |
| 5. | एन. एस. एस. | 26 | 19 | 18% | 12% |
| 6. | कम्पनियों के शेयर्स | 06 | 24 | 04% | 16% |
| 7. | निजि व्यक्तियों और व्यापारियों को व्याज पर कर्ज देना | 03 | 00 | 2% | 00% |
| 8. | इंदिरा विकास पत्र | 27 | 12 | 18% | 08% |
| 9. | सावधि जमा योजना | 134 | 121 | 90% | 83% |
| 10. | रिक्रेयेटिंग डिपाजिट | 134 | 121 | 90% | 83% |
| 11. | सोना–चादी का क्रय | 05 | 12 | 03% | 08% |
| 12. | स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा | 38 | 02 | 26% | 01% |

उपरोक्त तालिका की साँख्यिकी प्रेषित करती है कि उत्तरदाता अपने सुरक्षित भविष्य के लिये कई प्रकार की योजनाओं के पैसे का विनियोजन करेगें। 64 (42%) पुरूष एवं 37 (24%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि वह जीवन बीमा के माध्यम से कुछ राशि 30 (20%) पुरूष एवं 33 (22%) पुरूष 12 (8%) महिला उत्तरदातायें यूनिट ट्रस्ट में एवं 3 (2%) महिलायें म्युचुअलुफंड में 53 (36%) पुरूष एवं 16 (11%) महिला उत्तरदाता एन. एस. सी. अपना पैसा लगाते है। 26 (18%) पुरूषों एवं 18 (12%) महिला उत्तरदाताओं के द्वारा एन. एस. एस. में 6 (4%) पुरूष एवं 24 (16%) महिलाओं द्वारा निजी कम्पनिया के शेयार्स में 3 (2%) पुरूषों द्वारा व्यापारियों को व्याज पर कर्ज देने का कार्य करते हैं। 27 (18%) मीहलाओं द्वारा इंदिरा विकास पत्र खरीद

गये है। 134 (90%) पुरूषों एवं 121 (83%) महिलाओं द्वारा सावधि बीमा योजना और इतने ही उत्तरदाताओं ने आवृति जमा योजना में तथा 5 (3%) पुरूषों एवं 12 (8%) महिला उत्तरदाताओं द्वारा सोने व चांदी का क्रय किया जाता है तथा 38 (26%) पुरूषों एवं 2 (1%) महीला ओं उत्तरदाताओं द्वारा स्वास्थ्य और दुर्घटना के बीच में पैसा विनियोजन किया है।

मान्यता यह है कि जीवन बीमा व्यक्ति अपनी मृत्यु की स्थिति में अपने आश्रितों को आर्थिक कठिनाई से बचने के उद्देश्य से करना है। प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि अविवाहित उत्तरदाताओं के द्वारा भी जीवन बीमा को अपनाया गया यह विदित है कि अविवाहित व्यक्तियों को स्वयं का कोई परिवार नहीं इसलिये जीवन बीमा वे आश्रितों की सहायता के उद्देश्य से नहीं करते है। ऐसी स्थिति में उत्तरदाताओं में जानने का प्रयास किया गया कि उन्होने किस उद्देश्य से जीवन बीमा को अपनाया है प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक—113**

**अविवाहित के द्वारा जीवन बीमा अपनाने का उद्देश्य**

| अ. क्र. | उद्देश्य | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | आय कर में राहत हेतु | 35 | 22 | 24% | 18% |
| 2. | बचत के उद्देश्य से | 15 | 09 | 10% | 06% |
| 3. | वृद्धावस्था में अथवा उसके पूर्व भी जिनके साथ रह रहे है उनकी सहायता हेतु | 14 | 06 | 09% | 04% |
| 4. | जीवन बीमा नहीं करवाया | 86 | 113 | 57% | 72% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका में प्रस्तुत साँख्यिकी प्रकट करती है कि बहुसंख्यक उत्तरदाता जिन्होने कि जीवन बीमा को अपनाया है का मुख्य उद्देश्य आयकर में राहत प्राप्त करना है। वे आशान्वित है कि वे पूर्ण सामान्य आयु जियेगें और इसलिए इस योजना में भागीदारी से जहाँ उन्हे आयकर में राहत मिल रही है वही वृद्धावस्था मे इस बचत के माध्यम से राशि

भी प्राप्त होती है। कुछ बचतें राजकीय सेवकों के लिये अनिवार्य होती है जिनका लाभ उन्हे वृद्धावस्था में मिलता है। कुछ बचते शासकीय सेवको को अपनी ओर से करनी पड़ती है जिनका लाभ उन्हे सेवा में रहते हुये सेवा निवृति पर अथवा मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को मिलता है इस विषय में उत्तरदाताओं की स्थिति क्या है यह जानने का प्रयास किया गया। प्राप्त जानकारी इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–114**
**सुरक्षित आर्थिक भविष्य के लिये**
**उत्तरदाताओं की आय से होने वाली बचत कटौतियाँ**

| अ. क्र. | कटौतियाँ | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | सामान्य भविष्य निधि | 75 | 78 | 50% | 52% |
| 2. | कान्ट्रीब्यूटरी भविष्य निधि | 27 | 63 | 18% | 42% |
| 3. | समुह बीमा योजना | 102 | 141 | 69% | 94% |
| 4. | उपरोक्त में से कोई नहीं | 48 | 09 | 32% | 06% |

प्रत्येक राजकीय सेवक के लिये भविष्य निधि में अशंदान करना अनिवार्य होता है। सेवकों को जमा राशि पर व्याज प्राप्त होता है इस प्रकार इस राशि में निरन्तर वृद्धि होती जाती है अनुमानिताः 33 वर्ष तक सेवा काल पूरा करने वाले राजपत्रित अधिकारी को सेवा निवृति के समय भविष्य निधि से लगभग 4 लाख रुपये तथा अशासकीय अधिकारी कर्मचारी को डेढ़ से रुपये ढाई लाख की प्राप्ति होती है। अशासकीय सेवा में रत अधिकारियों और कर्मचारियों को भी भविष्य निधि में राशि जमा करनी होती है उन्हे जमा राशि पर शासकीय कर्मचारियों समान व्याज नहीं मिलता है परन्तु प्रतिवर्ष जितनी राशि अधिकारी, कर्मचारी की जाती है उतनी ही राशि का अंशदान नियोजित के द्वारा भी किया जाता है। इस प्रकार सेवाकाल की अवधि के अनुसार अशासकीय सेवारात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी भविष्य निधि से पर्याप्त आय होनी ही सही–सही आंकलन इसलिए संभव नहीं है कि अशासकीय सेवारात अनेक अधिकारी, कर्मचारी बार–बार नियोजन परिवर्तन करते रहते है। इस प्रकार 15 (10%) पुरूष और

09 (6%) महिला उत्तरदाताओं की मान्यता है कि वे जीवन बीमा के आम उद्देश्य को ध्यान में न रखकर बचत के उद्देश्य से ही उसे अपनाये हुये है। इसके साथ ही इनकी तथा इनके अतिरिक्त 14 (9%) पुरूष और 6 (4%) महिलाओं उत्तरदाताओं का कथन है कि उन्होने जीवन बीमा इसलिये भी अपनाया है कि उन्होने जिन नातेदारों को अपनी सहायता के लिये अपने पास रखा है उन्हे उनकी (उत्तरदाता के ) असमय मृत्यु की दशा में सहायता मिल जाये । इसकी पार्श्व में उनका उद्देश्य साथ रहे नातेदारों को उत्तरदाता की मृत्यु से होने वाली आर्थिक कठिनाई से बचने पर उद्देश्य न होकर परमार्थ की भावना है।

उत्तरदाताओं ने जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में पैसा लगाया है जिस का विवरण तालिका क्रमांक 114 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त 74 (50%) पुरूष एवं 48 (32%) महिला उत्तरदाताओं के निजि स्वामित्व के भवन भी है। उत्तरदाताओं से ये जानने का प्रयास किया गया कि इस प्रकार पूंजी विनियोजिन करने में उन्हे कितनी अतिरिक्त आय को प्राप्ति हो रही है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–115**

**बचत योजनाओं मकान अविवाहित**

**उत्तरदाताओं को वर्तमान में प्राप्त अतिरिक्त आय प्रतिमाह अनुमानित**

| अ. क्र. | अतिरिक्त आय | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | रु. 1000 से कम | 13 | 10 | 08% | 07% |
| 2. | रु. 1000 से 2000 तक | 09 | 07 | 06% | 05% |
| 3. | 2000 से 3000 | 50 | 49 | 34% | 32% |
| 4. | 3000 से अधिक | 09 | 14 | 06% | 10% |
| 5. | कुछ निश्चित नहीं कह सकते है | 51 | 57 | 34% | 37% |
| 6. | कोई आय नही होती है | 18 | 13 | 12% | 09% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि अविवाहित व्यक्तियों का यद्यपि अपना विवाह सम्बन्धी कोई परिवार नहीं होता है तथा बहुसंख्यक उत्तरदाता किसी नातेदार को साथ रखते है जिस पर कि उन्हें एक गृहस्थ के समान अत्याधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। सामान्यता धारणा यह है कि इन परिस्थितियों में उत्तरदाता अतिरिक्त आय अर्जित करने और बचत के प्रति रूचि नहीं रखते है परन्तु उपरोक्त तालिका इसके विपरीत तथ्य पर प्रकाश डालती है। 09 (6%) पुरूष और 14 (10%) उत्तरदाता ऐसे है जिन्हें बचत योजनाओं में नियोजित धन व आय स्रोतो में (मकान किराया से) प्रतिमाह 3,000 से अधिक आय होती है। इसी प्रकार 50 (31%) पुरूष एवं 49 (32%) महिला उत्तरदाताओं को रू. 2,000 से 3,000 तक आय तथा 09 (6%) पुरूष एवं 09 (5%) महिला उत्तरदाताओं को रू. 1,000 से लेकर 2,000 तक की आय होती है। 13 (8%) पुरूष एवं 10 (07%) महिला उत्तरदाताओं को इन अन्य स्रोतो से रू. 1,000 से कम की आय होती है। 51 (34%) पुरूष और 57 (37%) महिलाओं का कथन है कि वे निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते है कि विविध बचत योजनाओं से उन्हें प्रतिमाह कितनी आय है यथार्थ यह है कि इनमें से बहुत कम उत्तरदाताओं को इस विषय में जानकारी नहीं होगी। इनमें से बहुसंख्यक उत्तरदाता किसी अव्यक्त आशंका के कारण बचत से होने वाली आय को प्रकट नहीं करना चाहती है यद्यपि उन्हें आश्वस्त करने का पूरा प्रयास किया गया कि उनकी सम्बन्धित जानकारी ाक पूर्णतय गोपनीय रखा जायेगा। केवल मात्र 18 (12%) पुरूष और 13 (9%) महिलायें ऐसी है जिन्हें किसी प्रकार की अतिरिक्त आय नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्य इस ओर इंगित करते है कि एकाकीपन के कारण उत्तरदाताओं में असुरक्षा की अत्याधिक भावना है तथा इससे उभरने के लिए वे अपनी आर्थिक स्थिति को निरन्तर सुदृढ़ बनाने के प्रति प्रयाप्त जागरूक हो बचत योजनाओं और उनसे प्राप्त होने वाली आय के कारण उनका न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य भी सुरक्षित माना जाना चाहिए। इसी आधार पर बहुसंख्यक उत्तरदाताओं का कथन है कि उन्हें विश्वास है कि सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनके पास इतना धन रहेगा अथवा बचत योजनाओं में आय होती रहेगी जिससे कि उनकी वृद्धावस्था सरलता से कट जायेगी।

विवाहित व्यक्ति अपनी आय से बचत का इस प्रकार विनियोजन करते है जिससे उनकी जमा पूँजी में या सम्पत्ति में निरन्तर वृद्धि होने का प्रयास निम्नांकित कारणों से

करते हैं। (1) गृहस्थी सम्बन्धों दैनन्दिन जीवन मे समय–समय पर उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से बचत यह आवश्यकता राशि की व्यवस्था। (2) बच्चों की शिक्षा दीक्षा हेतु व्यवस्था (3) बच्चों के व्यवसायिक स्थापन हेतु व्यवस्था तथा (4) मुखिया की मृत्यु के पश्चात परिजनों के लिए विशामत उत्तराधिकारी छोड़कर जाने की भावना (5) वृद्धावस्था में स्वयं की तथा पति/पत्नी की देखभाल सम्बन्धी व्यवस्था। जब हम इस स्थिति की तुलना अविवाहित के साथ करते है तब हम पाते हैं कि इन व्यक्तियों कं संदर्भ में उपरोक्त 5 बिन्दू कोई अर्थ नहीं रखते हैं। अतः उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि बचत करने और आय में वृद्धि का उनका लक्ष्य वृद्धावस्था को मुख्य पद व्यतीत करना मुख्यतः हैं। जीवन कें अन्तिम क्षण तक इस दृष्टि से धन की आवश्यकता बनी रहती है। इसका अभिप्राय यह नहीं हुआ कि मृत्यु के क्षण तक उत्तरदाता अपनी समस्त आप बचत धन या सम्पत्ति को पर्ण व समाप्त कर देते है। इस दृष्टि से उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी अवशिष्ट सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय मे उन्होंने कुछ विचार किया हैं। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक–116
## उत्तरदाताओं का उत्तराधिकार सम्बन्धी चिन्तन

| अ. क्र. | चिन्तन का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अपने उत्तराधिकार के विषय के अभी तक कोई अन्तिम विचार नहीं किया है। | 36 | 47 | 24% | 31% |
| 2. | कभी विचार करते हैं। | 66 | 85 | 44% | 57% |
| 3. | विचार कर रखा है। | 48 | 18 | 32% | 12% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उत्तरदाताओं में से केवल 36 (24%) पुरूष एवं 47 (31%) महिला उत्तरदाता का कथन है कि उनकी सम्पत्ति का उत्तराधिकार किसे दिया जायेगा अथवा प्राप्त होगा इस विषय के उन्होंने अभी तक कोई धारणा नहीं बनायी है अपना निश्चय नहीं किया हैं। 66 (44%) पुरूष एवं 85 (57%) महिलाओं का कथन है कि चूँकि वे बचत कर रहे है तथा वृद्धावस्था बिना किसी परेशानी के कट जाये इस विषयक चिन्ता उन्हें हैं, इसलिये इसके साथ ही उनके मन में यह विचार भी उत्पन्न होता है कि उनके पश्चात उनकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी कौन हो सकता हैं। 48 (32%) पुरूष एवं 18 (12%) महिला उत्तरदाता का कथन है कि इस विषय में उन्होंने विचार रखा हैं। अतः स्पष्ट है कि उत्तरधिकार सम्बन्धी प्रश्न न केवल गृहस्थों के समक्ष रहती है बल्कि अविवाहितों के समक्ष भी यह प्रश्न उत्पन्न होता हैं। इसी दृष्टि से उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गई कि वे यह बतायें कि इन प्रश्न की उनके समक्ष क्या हल है। प्राप्त जानकारी इस प्रकार हैं।

## तालिका क्रमांक–117
## उत्तरदाताओं के उत्तराधिकार विषयक निर्णय वर्तमान विचार धारा।

| अ. क्र. | उत्तराधिकार विषयक निर्णय | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | लड़के / लड़की को दत्तक लेगें। | 14 | 12 | 10% | 08% |
| 2. | वृद्धावस्था में अन्तिम समय तक संतोष जनक रूप से जो देखभाल करेगा / करेगी उत्तराधिकार देगें | 33 | 19 | 22% | 12% |
| 3. | वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में रहेगे तथा अपनी सम्पत्ति वृद्धाक्षम को ही दान देगें | 06 | 03 | 04% | 02% |
| 4. | अपनी सम्नत्ति का एक हिस्सा उसे देगें जो उनकी देखभाल करेगा नातेदार गैर नातेदार और शेष भाग अनाथ आश्रम को दान देगें | 26 | 27 | 18% | 18% |

वे अपनी सम्पत्ति वृद्धश्रम के ही दान में देगें। 26 (18%) पुरूष एवं 27 (18%) महिलाओं की योजना है कि वे अपनी सम्पत्ति का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति अथवा परिवार को देना पसंद करेगें जो कि वृद्धावस्था में उनकी सहायता करेगा तथा शेष भाग वे किसी अनाथ आश्रम को दान करना चाहेंगे। 13 (9%) पुरूष एवं 15 (10%) महिलाओं को निर्णय है कि देखभाल करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त शेष सम्पत्ति को किसी शिक्षण संस्था को सहातार्थ देना अधिक पसंद करेंगे, 05 (3%) पुरूष चाहते है कि उनकी वह सम्पत्ति जो कि देखभाल करने वाले व्यक्ति को देने पर विचार करेगा उसका उपयोग वे असहाय / विकलांग बच्चों के कल्याण हेतु सम्बन्धित संस्थाओं को देना चाहेगें। 13 महिलायें बालको के अतिरिक्त महिलाओं के कल्याण से जुड़े संगठनों को भी

सहायता करना चाहती हैं। 16 (10%) पुरूष और 12 (10%) पुरूष और 12 (08%) महिलायें चाहती है कि वे अपनी सम्पत्ति का उपयोग चिकित्सालय में अपने नाम पर कमरों का निर्माण करने में व्यय करें। 19 (12%) पुरूषों एवं 40 (26%) महिलाओं ने व्यक्त किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को अपने भाई अथवा अपने भाई बहिनों के बच्चों में समान रूप से वितरित कर देगें। 17 (11%) पुरूष एवं 07 (5%) महीलाओं ने व्यक्त किया है कि वह अपनी सम्पत्ति कल्याण/बाल कल्याण/छात्र/छात्राओं की शिक्षा व निर्धन बच्चों की सहायता के लिये दान करने का कार्य करेगें।

इस अध्याय में प्रस्तुत विभिन्न तथ्य इस ओर इंगित करते है कि अविवाहित व्यक्ति वृद्धावस्था में अपनी देखभाल सम्बन्धी समस्या के प्रति भली–भाँति अवगत हैं। इस मामले के वे स्वयं को विवाहित पुरूषों स्त्रियों की तुलना में असहाय अनुभव करते है। इस विषय में उनकी अपनी–अपनी योजनायें है। कतिपय उत्तरदाता वृद्धाश्रम में रहने सम्बन्धी मानसिकता बना चुकें है। कुछ इस सम्बन्ध विचार करने हेतु तत्पर हैं। एक अन्य विकल्प लड़के अथवा लड़की को दत्तक लेने सम्बन्धी या उत्तरदाताओं के द्वारा विचार है। केवल 31 (20%) पुरूष एवं 42 (28%) महिला उत्तरदाता ही अकेले रह रहे है शेष सभी किसी न किसी नातेदार के साथ रहते है। इनकी अपेक्षा है कि यह नातेदार वृद्धावस्था में भी उनका साथ देगें। ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार सम्बन्धी निर्णय की आवश्यकता हो जाती है। उत्तरदाताओं ने इस विषय में जो विचार व्यकत किये है वे स्पष्ट करते है कि अविवाहित उत्तारदाता अपनी सम्पत्ति वृद्धाश्रम/आनायालय/विकलांग और असहाय बच्चों की देखभाल महिला कल्याण संगठनों/शिक्षण संस्थाओं अथवा चिकित्सालयों को दान देने का विचार रखते है। कतिपय उत्तरदाता किसी को दान देने की अपेक्षा ट्रस्ट बनाकर ट्रस्ट की आय से सतत पीड़ित लोगों की सहायता करने की भावना रखते है।

# हिन्दू सामाजिक व्यवस्था व दर्शन के प्रति-प्रतिक्रिया
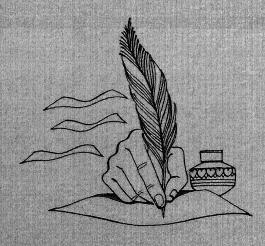
हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में पुरूषार्थ सम्बन्धी धारणा का अत्याधिक प्रभाव रहा है। साामजिक संगठन के अन्य भाग संस्कार विवाह परिवार आदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में पुरूषार्थ सम्बन्धी अस्थाओं और विधि से जुड़े हुये है। पुरूषार्थ का शाब्दिक का अर्थ है वे पुरूष के लिये कर्त्तव्य जो पुरुष के लिये अर्थात व्यक्ति के लिए अनिवार्य अथवा समाज द्वारा अपेक्षित हैं। समाज द्वारा अपेक्षित व्यक्ति के इन कर्त्तव्यों अपनी पुरूषार्थों को चार भागों में विभाजित किया गया है यह ही धर्म , अर्थ , काम और मोक्ष समाज के साथ यद्यपि पुरूषार्थ शब्द का विलोप हो चुका है तथा इनकी चार श्रेणियों का भी हिन्दू समाज व्यवस्था में पृथक–पृथक कोई अस्तित्व नहीं है परन्तु फिर भी यह चारों कर्त्तव्य माने जाते है। महाभारत के अनुसार धर्म की स्थापना सृष्टि के व्यापक हित में हुई है धर्म से व्यक्ति समाज और सृष्टि की रक्षा होती है। धर्म किसी भी रूप में किसी के लिये हानि कारक नहीं होता है। धर्म को नैतिक सिद्धान्तों के रूप में समझा गया है। जैन डाक्टर के. सी. प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संस्थायें मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल 1976 पृष्ठ 87 अर्थ सांसारिक उन्नति का साधन है। इस के द्वारा व्यक्ति धन शक्ति और साधनों का संचय करता है। वैयक्तिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ–साथ पारिवारिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी आवश्यक है। यद्यपि बोल चाल की भाषा में काम का अर्थ वासना की पूर्ति समझा जाता है परन्तु व्यापक अर्थ में इसका सम्बन्ध मनुष्य की समस्त भावनाओं आकाक्षाओं और अपेक्षाओं से है जो कि उसे कार्य करने के लिये प्रेरित करती है। हिन्दू दर्शन आत्मा द्वार योनि परिवर्तन करना और पुर्नजन्म के सिद्धान्त में आस्था रखता है। हिन्दू दर्शन यह भी मानता है कि मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है तथा इसमें रह कर ही व्यक्ति पुरूषार्थों का समपादन करते हुये साधना और तप के माध्यम से आत्मा को परमात्मा में विलीन कर जनम मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है यही मोक्ष है। इस प्रकार चारों पुरूषार्थो के माध्यम से व्यक्ति सज्ञान होने की अवस्था से मृत्यु तक समाज के लिए स्वयं के लिये सक्रिय इकाई बना रहता है जैसा कि ऊपर कहा गया है समय में परिवार के साथ पुरूषार्थ सम्बन्धों इस धारणा और पुरूषार्थो का यह वर्गीकरण अब पुराणों और धार्मिक आख्यानों की विषय वस्तु रह गया है परन्तु किसी न किसी रूप में इनका प्रभाव और भी समाजिक व्यवस्था पर देखा जाता है। पुरूषार्थों के निर्वाह में व्यक्ति की भागीदारी एकाकी न होकर पारिवारिक धरातल पर होती है। इसीलिये धार्मिक विधि विधानों संस्कारों , व्रतों और पर्वो के माध्यम से गृहस्थ इन पुरूषार्थो को अचेतन रूप में सम्पादित करते है। अविवाहित व्यक्ति भले ही वह

किसी नातेदार के साथ रहता हो एकाकीपन के कारण इन पुरूषार्थों को परिपतन नहीं कर पाता हैं। इनके परिपालन के सम्बन्ध में उन पर नातेदारों, परिवार और समाज का कोई दबाव नहीं होता हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह जानने का प्रयास किया गया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुर्नजन्म, पिण्ड दान, अमरत्व आदि के विषय में अविवाहित उत्तरदाता क्या आस्थायें रखते हैं, इस संदर्भ में उत्तरदाताओं के समक्ष इनकी आधार मूल रूप रेखा प्रस्तुत की गई। यह इस प्रकार हैं।

धर्म भारतीय, वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का मूल आधार रहा हैं अति प्राचीन काल में धर्म सम्बन्धी सुस्पष्ट अवधारणा भारतीय समाज में प्रचलित रही है। धर्म का स्वरूप वेद, स्मृति, दर्शन पुराण, धर्म सूत्र, गृहय सूत्र, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में स्पष्ट हुआ हैं। वेद में धर्म मूलतः धार्मिक आचरण का प्रतिपादक हैं। वस्तुतः धार्मिक कर्म मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। धर्म की दो स्पष्ट धारायें हैं। प्रथक भक्ति धारा और द्वितीय कर्म काण्डीय धारा। भक्ति मार्ग में प्रार्थना, साधना, तप, समर्पण आदि को महत्व दिया जाता है जबकि कर्म काण्डों के अर्न्तगत धार्मिक क्रियाओं विधि विधानों और आचरणों को धर्म की कर्म काण्डीय धारा के अर्न्तगत पूजा पाठ यज्ञ, वृत आदि सम्पादित किये जाते हैं। प्राचीन काल में धर्म वर्णाश्रम के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ था। धर्म विषयक सैद्धान्तिक ज्ञान एव ध्वन, पूजन आदि विषयक प्रायोगिक ज्ञान आश्रम में गुरू के सानिध्य में प्राप्त होता था, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के साथ व्यक्ति इन्हें व्यवहारिक रूप में सम्पन्न करता था, धार्मिक विधि विधाओं, यज्ञ, पूजा पाठ सपत्निक किये जाने का प्रावधान रहा हैं। कहा जाता है कि पत्नी विहीन व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न नहीं कर सकता हैं। ऐसे अनेक उदाहरण पुराणों एवं धर्म ग्रन्थों में देखने को मिलते हैं। जिसमें पत्नी के न होने की स्थिति में सांकेतिक रूप पत्नि का साणिध्य प्राप्त करने पर वे धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न किया गया है सीता को धोभी के कहने पर वनवास में पुनः भेजने पर जब रामचन्द्र जी ने अश्व मैघ यज्ञ सम्पन्न किया तब यज्ञ हेतु उन्होनें सीता की सोने की प्रतिमा स्थापित कर यज्ञ सम्पन्न किया। इसी प्रकार हिन्दू समाज में अविवाहित वयस्क पुरूष अथवा स्त्री की मृत्यु होने पर अंतिम किया पूर्व उनका सांकेतिक विवाह करने की प्रथा का प्रचलन है। इसमें स्पष्ट है कि धार्मिक कर्मकाण्डों के परिपालन हेतु पत्नी पति का होना अनिवार्य है। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि उनकी धार्मिक आस्थाओं, धार्मिक क्रियाओं के सम्पादन, उनसे सम्बन्धित दर्शन समस्याओं तथा प्राप्त होने वाली संतुष्टि का स्वरूप

क्या है से पूछा गया कि क्या धर्म के प्रति वह आस्था रखते है। प्राप्त जानकारी इस प्रकार हैं।

**तालिका क्रमांक 118**

**उत्तरदाताओं की धर्म के प्रति आस्थायें**

| अ. क्र. | आस्थाओं का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | ईश्वर और उसकी स्तुति हेतु पुजा पाठ में आस्था है। | 109 | 140 | 72% | 94% |
| 2. | धर्म में आस्था है परन्तु मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। | 18 | 07 | 12% | 04% |
| 3. | ईश्वर में आस्था है परन्तु पूजा पाठ धर्मिक कर्म–काण्डों में विश्वास नहीं हैं | 21 | 02 | 14% | 01% |
| 4. | किसी भी रूप में धर्म पर विश्वास नहीं है। | 04 | 01 | 02% | 01% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित करती है कि अविवाहित होने के बाबजूद हुसंख्यक उत्तरदाता पुरूष और महिलाओं में धर्म और धार्मिक विधि विधानों के प्रति आस्था है। हालाकि इस श्रेणी में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है पुरूष 160 (72%) है जबकि महिलायें 140 (94%) है। 18 (12%) पुरूष और 07 (04%) महिला उत्तरदाता का कथन की वे धर्म में आस्थ रखते हैं परन्तु मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। 21 (14%) पुरूष एवं 02 (01%) महिला उत्तरदाता का कथन कि वह धर्म में तो आस्था रखते लेकिन धार्मिक कर्म–काण्डों एवं पूजा पाठ में उनका कोई विश्वास नहीं है। 04 (02%) पुरूष एवं 01 (01%) महिला उत्तरदाता का कथन है कि वह किसी भी रूप धर्म में किसी भी प्रकार का कोई विश्वाय नहीं करते है। इन उत्तरदाताओं की मूर्ति पूजा धर्मिक कर्मकाण्ड अथवा धर्म में ही आस्था न होने का कारण उनका परिवार वहीन होना प्रतीत होता है परिवार के रहते हुये व्यक्ति को पति/पत्नी परिजन, पास–पड़ोसी जाति

समूह अथवा समाज की मर्यादाओं का निर्वाह करना आवश्यक हो जाता है। अविवाहित चूकिं इन से भिन्न स्थिति रखते है इसलिए इस हेतु उन्हें प्रेरित अथवा बाहक करने वाला या आलोचना करना वाला कोई माध्यम वहाँ होता है। अतः बहुत सम्भव है कि यदि विवाहित होते तो उनकी धारणा तथा आचरण ऐसा न रहता।

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि बहुसंख्यक उत्तरदाता महिलायें एवं पुरूष ईश्वर में आस्था रखते है तथा आराधना मूलक क्रियायें भी करते है उनसे जानने का प्रयास किया गया कि उनकी ईश्वर के प्रति आस्था और आराधना मूलक क्रियाओं के पार्श्व में क्या भावनायें हैं।

## तालिका क्रमांक–119
## धार्मिक आस्थाओं और क्रिया करने के पार्श्व में आस्थायें

| अ. क्र. | भावनाओं का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | बाल्यकाल से ही धर्म में आस्था और पूजा पाठ करते है। | 21 | 56 | 14% | 37% |
| 2. | हिन्दू होने के नाते ईश्वर के प्रति समर्पण कत्त मानते है। | 76 | 129 | 50% | 86% |
| 3. | पूजा पाठ से मानसिकता शान्ति मिलती है। | 76 | 129 | 50% | 86% |
| 4. | पूजा पाठ करने से सुरक्षा अनुभव होती है। | 76 | 129 | 50% | 86% |
| 5. | नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं करते है। | 31 | 11 | 21 | 08 |
| 6. | ईश्वर में आस्था है और ध्यान करते है परन्तु मूर्ति पूजा और कर्म काण्ड नहीं | 39 | 09 | 26 | 06 |
| 7. | नास्तिक है। | 04 | 01 | 02 | 01 |

76 (50%) पुरूष एवं 129 (86%) महिला उत्तरदाताओं धार्मिक आस्थाओं और पूजा पाठ, संस्कार के रूप में विरासत में प्राप्त किये है। इसलिये उनके अविवाहित रहने का उनकी धार्मिक आस्था और आराधनामूलक क्रियाओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इन उत्तरदाताओं से 21 (14%) पुरूष एवं 56 (37%) महिला उत्तरदाता का कथन है कि नियमित पूजा–पाठ की आदत उन्हें बाल्यकाल से ही है। इसलिये इस आदर का निर्वाह उनके द्वारा आज भी हो रहा है। 31 (21%) पुरूष और 11 (8%) महिलाओं का कथन है कि उनके मन में धर्म के प्रति आस्था है परन्तु नियमित पूजा –पाठ के प्रति वे प्रतिबद्ध नहीं हैं 39 (26%) पुरूष एवं 09 (6%) महिलाओं ने व्यक्त किया है कि वे ईश्वर के

## तालिका क्रमांक 119
## धार्मिक आस्थाओं और क्रिया करने के पार्श्व में आस्थायें
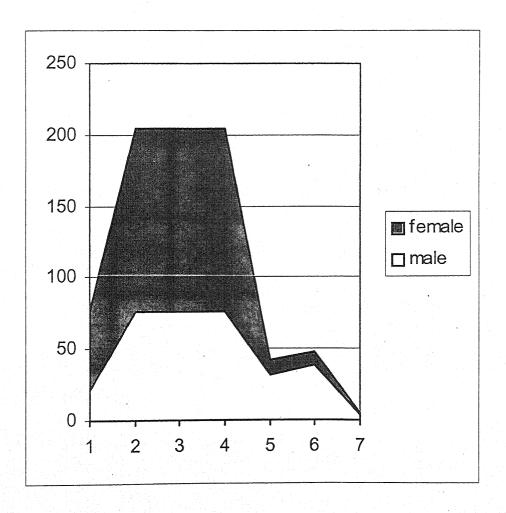
रेखा–चित्र क्रमांक 32

अस्तित्व को तो स्वीकार करते है विभिन्न गुरूओं के माध्यम से उन्होंने साधना अथवा ध्यान करने की दीक्षा ली है और उसका पालन करते हैं। उनकी आस्था के अनुसार पूजा–पाठ और कर्मकाण्ड और धार्मिक आस्था एक दूसरे के पूरक नहीं हैं।

धर्म एक सामाजिक–घटना है धर्म में समाज के बहुसंख्यक सदस्यों की आस्था होती हैं धर्म सम्बन्धी क्रिया कलाप एक वैयक्तिक और पारिवारिक आचरण होने के साथ–साथ सामाजिक आचरण भी है। परिवारों में सम्पन्न होने वाले अनुष्ठान भजन, पूजन, सत्संग आदि में प्रायः परिचितों मित्रों और पड़ोसियों को आमंत्रित करने की प्रवृति पाई जाती है। सामान्यता धार्मिक आयोजनों में सहभागिता पारिवारिक स्तर पर होती है। उत्तरदाताओं से जानना चाहा गया कि क्या अविवाहित होने के बावजूद उन्हे इस प्रकार के आमंत्रण प्राप्त होते हैं। प्राप्त जानकारी इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–120**
**अन्यों के आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों**
**में अविवाहित उत्तरदाताओं को प्राप्त आमंत्रण**

| अ. क्र. | आमंत्रण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | आमंत्रित किया जाता हैं | 107 | 140 | 71% | 93% |
| 2. | आमंत्रित नहीं किया जाता है। | 43 | 10 | 29 | 07% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका प्रतिवेदित करती है कि 107 (71%) पुरूष एवं 140(93%) महिलायें ऐसी है जिन्हे उनके मित्र एवं पड़ोसी धार्मिक आयोजनों में आमंत्रित करते है। अर्थात उनका अविवाहित होना बाधा नहीं है। परन्तु 43 (29%) पुरूष एवं 10 (07%) उत्तरदाताओं का कथन है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में उनके मित्र या पड़ोसी उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित नहीं करते हैं।

व्रत और पर्व धार्मिक आचरण के प्रारूप माने जाते है। उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि व्रतों और पर्वो के प्रति उत्तरदाताओं की आस्था क्या है। यह जानकारी इस सन्दर्भ में समीचिन मानी गई कि ग्रहस्थ प्रायः पति/पत्नी के दबाव प्रेरणा अथवा सहभोज के कारण व्रत करने में रूचि लेते है यहाँ पर दूसरा पक्ष अविवाहित होने के कारण किसी प्रकार की सहायता या अनिवार्यता नहीं रहती है। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यह जाना जाता है कि अविवाहित व्यक्ति के प्रति निराशावादी होता है फलतः ईश्वर के प्रति उनका वह समर्पण व आस्था नहीं होती है जैसी कि विवाहितों में पाई जाती है। व्रतों और पर्वों के प्रति आस्था के विषय में प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक–121**

**व्रतों के प्रति उत्तरदाताओं की आस्था**

| अ. क्र. | आस्था का स्वरूप | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | व्रतों में आस्था रखते हैं। | 31 | 82 | 20% | 55% |
| 2. | आस्था रखते है परन्तु नियमित रूप से पालन नहीं करते है। | 55 | 49 | 37% | 32% |
| 3. | व्रतों में आस्था है परन्तु इन्हे मुख्यतः स्वास्थ्य की दृष्टि से रखना पसंद करते है। धार्मिक आचरण के रूप में नहीं। | 21 | 09 | 14% | 06% |
| 4. | व्रतों के प्रति आस्था नहीं है। | 43 | 10 | 29% | 07% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका यह प्रगट करती है कि व्रतों के प्रति निष्ठा पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक पाई जाती है। 82 (55%) महिलायें वे है जो नियमित रूप से व्रत रखतीं हैं समय–समय पर व्रत रखने वाली महिलाओं की संख्या 49 (32%) केवल 09 (06%)

महिलायें प्रतिवेदित करती है कि व्रतों से वे धार्मिक आस्था नहीं बल्कि स्वास्थ्य के कारणों से रखना पसंद करती है केवल 10 (7%) महिलाओं का व्रतों में विश्वास नहीं है। इस साँख्यिकी की पुरूषों के माप तुलना करने पर हम पाते है कि 31 पुरूष नियमित रूप से और 55 पुरूष समय–समय पर व्रत रखते है। यह साँख्यिकीय इस ओर इंगित करती है कि अविवाहित पुरूष भी व्रतों के प्रति आस्था रखते है यद्यपि इस हेतु उनके समक्ष कोई सहायता नहीं होती है। 21 (14%) पुरूशों का कथन है कि वे स्वास्थ्य के लिये व्रत रखना पसन्द करते है 43 (29%) पुरूषों की आस्था व्रतों में नहीं है।

पर्व धर्म से सम्बद्ध माने जाते है। पर्वो का धार्मिक महत्व जो भी हो वे मनोरंजन के साँस्कृतिक माध्यम है यह निर्विवाद है। पर्व प्रायः परिवार में सामूहिक सहभागिता से मानने में आनन्द की अनुभूति होती है पर्वो के आयोजन में गृहणी की भूमिका और इस हेतु व्यवस्था में पति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उत्तरदाताओं के प्रकरण में केवल एक ही पक्ष उपस्थित रहता है। यद्यपि एकांकी रहने वाले पुरूष उत्तरदाता 31 (20%) और महिला उत्तरदाता 42 (28%) हैं। शेष सभी किसी न किसी नातेदार के साथ रहते हैं। परन्तु फिर भी नातेदारों के साथ पर्व मनाना और अपने स्वयं के परिवार के साथ पर्व मानने के उत्साह में अन्तर अवश्य ही होता है। शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके यहाँ पर्व मनायें जाते है। इन पर्वो में उनकी भूमिका प्राप्त सुखानुभूति विषयक प्रतिक्रिया निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक–122
## पर्वो के आयोजन में उत्तरदाताओं की सहभागिता और सुखानभूति

| अ. क्र. | सहभागिता और सुखानभूति | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | पर्वो को स्वयं पूरे उत्साह से मानते हैं | 51 | 27 | 34% | 18% |
| 2. | पर्वो को औपचारिक ढंग से मनाते है। | 22 | 21 | 14% | 14% |
| 3. | पर्व साथ रह रहे नातेदार उत्साह से मनाते है परन्तु उत्तरदाता नही। | 77 | 102 | 52% | 68% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका प्रतिवेदित करती है अविवाहित महिला/पुरूष पर्वो को उतने उत्साहपूर्वक नही मानते है जितना कि एक विवाहित व्यक्ति सिर्फ 51 (34%) पुरूष एवं 27 (18%) महिलाओं उत्तरदाताओं का कथन है कि वह अविवाहित होने के बावजूद भी पर्वो को उत्साहपूर्वक मानते है। 22 (14%) पुरूष एवं 21 (14%) महिला उत्तरदाता पर्वो को औपचारिक ढंग से मनाती हैं इनके पीछे उनका अधिक उत्साह नहीं रहता सिर्फ एक धार्मिक भावना की पूर्ति मात्र है। 77 (52%) पुरूष एवं 102 (68%) महिलाओं का कथन है कि उनके साथ रह रह नातेदार तो पर्व उत्साह से मानते है लेकिन उत्तरदाता स्वयं नहीं यह विवेचन प्रगट करता है कि पर्व के पीछे धार्मिक आस्था से अधिक महत्वपूर्ण उनको आयोजित करने में प्राप्त होने का आनन्द अधिक महत्वपूर्ण है। निश्चित ही उत्तरदाता स्वयं का परिवार रहित होने से पर्वो में अधिक रूचि नहीं है।

उत्तरदाताओं से यह प्रश्न किया गया कि हिन्दू आस्थाओं के अनुसार किसी धार्मिक क्रिया को समन्न करने के लिये पति अथवा पत्नी का होना अनिवार्य होता है। अविवाहित रहने के कारण दूसरे पक्ष के अनुपस्थित होने से क्या वह इस मान्यता के अनुरूप धार्मिक अनुष्ठानों पूजा–पाठ, व्रत, पर्व आदि के सम्पादन में कोई कठिनाई अनुभव करते है। उत्तरदाताओं के द्वारा इस विषय में प्रदत्त जानकारी निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक–123
## धार्मिक क्रिया–कलापों का सम्पादन और अविवाहित होना : परत्परा के सन्दर्भ में

| अ. क्र. | प्रतिक्रिया | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | सामान्य पूजा–पाठ में पति–पत्नी का होना अनिवार्य नहीं है। | 97 | 84 | 65% | 57% |
| 2. | वे धार्मिक आयोजन जिनमें पति–पत्नी दोनों का साथ में बैठना अनवार्य होता है। आयोजित नहीं करते। | 21 | 39 | 14% | 26% |
| 3. | आर्य समाज विधि से संपन्न करवाते है। | 21 | 39 | 14% | 26% |
| 4. | परम्परागत मान्यता मिथ्यिा है। | 97 | 84 | 65% | 57% |
| 5. | धार्मिक आयोजनों को औपचारिक रूप में सम्पन्न करते है। | 22 | 21 | 14% | 14% |
| 6. | कर्म कण्डों में आस्था नहीं है। | 31 | 11 | 20% | 08% |

तालिका की सॉंख्यिकीय प्रतिवेदित करती है कि धार्मिक क्रिया कलापों और विवाहित होना परम्परा के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है। 97 (65%) पुरूष एवं 84 (57%) उत्तरदाताओं का कथन है कि समान्य पूजा में पति–पत्नी दोनों का होना अनिवार्य नहीं होता है। 21 (14%) पुरूष एवं 39 (26%) महिलाओं उत्तरदाताओं का कथन है कि वे उन धार्मिक आयोजनों का सम्पादन नहीं करते हैं जिसमें कि पति–पत्नी दोनों का होना अनिवार्य होता है और इतने ही उत्तरदाताओं का

कथन है कि वे धार्मिक आयोजनों को आर्य समाजीय विधि से सम्पन्न करवा लेते है। आधुनिक युग में हर दिशा में परिवर्तन हो रहे है धर्म व धार्मिक क्रियाओं भी इस परिवर्तन से अछूती नहीं रहीं है, स्त्री पुरूष दोनों के द्वारा एक साथ सम्पन्न करने वाली धार्मिक क्रियायें में ही मोक्ष की प्राप्ति होती हैं अथवा ये क्रियायें करना अनिवार्य है इसे कुछ अविवाहित महिलायें व पुरूष आवश्यक नहीं मानते है। अतः 97 (65%) पुरूषों एवं 84 (57%) महिलाओं का कथन है कि यह परम्परागत मान्यता मिथ्या ही है। 22 (14%) पुरूषों एवं 21 (14%) महिला उत्तरदाता धार्मिक आयोजनों को औपचारिक रूप से ही पूर्ण करते हैं। तथा 31 (20%) पुरूष एवं 11 (08%) महिला उत्तरदाता धार्मिक क्रियाओं को करते हैं लेकिन कर्मकाण्डों में किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं रखते हैं।

इस अनुच्छेद में प्रस्तुत तथ्य यह निरूपित करते है कि अविवाहित रहने वाले अधिकांश पुरूष और स्त्रियाँ भी धर्म और धर्म से संबंधित विधि–विधानों में आस्था रखते हैं इस आस्था के दो कारण स्पष्टतः प्रगट हुए हैं।

1. अनिष्ट से बचने और सुरक्षा की भावना और
2. सामाजिकता का निर्वाह।

इससे यह भी निरूपित होता है कि एकांकी जीवन से सम्भावित परेशानियों से बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था आदि के प्रति उत्तरदाता आशंकित रहते है। इस आशय से युक्त रखने में उन्हें, उनकी धार्मिक आस्था सहायता करती है। इसी प्रकार धार्मिक आस्था के कारण, मित्रों, पड़ोसियों और नातेदारों के साथ उनकी सहभागिता और संबंधों का निर्वाह संभव होता है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत हुआ कि पड़ोसियों मित्रों के यहाँ आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से उत्तरदाताओं की सज्जनता का प्रभाव पड़ता है, जिसका लाभ उन्हे दिन–दिन जीवन और बीमारी दुर्घटना आदि के समय उनसे प्राप्त सहायता पर पड़ता हैं।

जैसा कि पूर्ववर्ती विवेचना में कहा गया है कि संकीर्ण अर्थो में काया का भोग विलास के साथ जोड़ा जाता है। यथार्थ है कि काम का अभिप्राय केवल यौनिक सुख ही नहीं होता है। इसके अन्तर्गत सामान्य मनुष्य के प्रायः अनुभव की जानने वाली सब प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं से है। इस दृष्टि से अर्थ, अर्थात धन या आर्थिक व्यवस्था काम को पूर्ति में सहायक एक पुरूषार्थ है, अर्थ और काम मिलकर मनुष्य को सांसारिक सुख की अनुभुति करवाते है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि

भारतीय परम्परा में काम संबंधी धारणा और यौनिक सुख एक–दूसरे से असम्ब्द्ध रहे हैं। निश्चय ही यौन इच्छा ईश्वर प्रदत्त एक नैसर्गिक इच्छा जो कि प्रत्येक सामान्य पुरूष और स्त्री में विद्यमान रहती हैइस नाते इस आवश्यकता का समय–समय पर उत्पन्न होना और उसकी पूर्ति की उत्कण्ठा सहज है। जहाँ तक यौन इच्छाओं और कामनाओं का प्रश्न है उनकी प्रति पूर्ति में अविवाहित होना बाधक नहीं बनता है इसलिए उत्तरदाताओं से यौन आकांक्षा और प्रतिपूर्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त यौन आकांक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक और जेविक कार्यों का सम्पादन करती है। वह है संतानोत्पत्ति के माध्यम से मानव प्रजाति भी निरन्तरता। अतः उत्तरदाताओं से दनकी यौनच्छा के साथ–साथ समान से सन्तानोत्पत्ति हेतु विवाह भी संबंधित जानकारी भी प्राप्त की गई है।

उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या वे कभी यौनेच्छा अनुभव करते है प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक–124**

**यौनेच्छा के विषय में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया।**

| अ. क्र. | प्रतिक्रिया | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | यौनेच्छा अनुभव करते हैं। | 96 | 47 | 63% | 31% |
| 2. | यौनेच्छा के प्रति प्रारंभ से ही अरूचि रही है। | 01 | 18 | 01% | 12% |
| 3. | यौनेच्छा कभी अनुभव नहीं हुई | 53 | 85 | 36% | 57% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका कि साँख्यिकीय प्रतिवेदितकरती है कि यौनेच्छा तो अधिक व्यक्ति अनुभव करते है पुरूष तो उसे स्पष्टता व्यक्त करते हैं लेकिन कुछ महिलायें संभवतः छुपाने का प्रयास करती है। 96 (63%) पुरूषों एवम् 47 (31%) महिलाओं ने व्यक्त किया है कि उन्हें यौनेच्छा का अनुभव होता है। 01 (01%) पुरूष एवम् 18 (12%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि इस तरह के संबंधों के प्रति उनकी अरूचि रही है। 52 (36%) पुरूषों एवं 85 (57%) महिलाओं ने व्यक्त किया है उन्हें यौनेच्छा अनुभव नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि यौनेच्छा एक नैसर्गिक इच्छा है जो कि बहुसंख्यक पुरूषों

## तालिका क्रमांक 124
## यौनेच्छा के विषय में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया
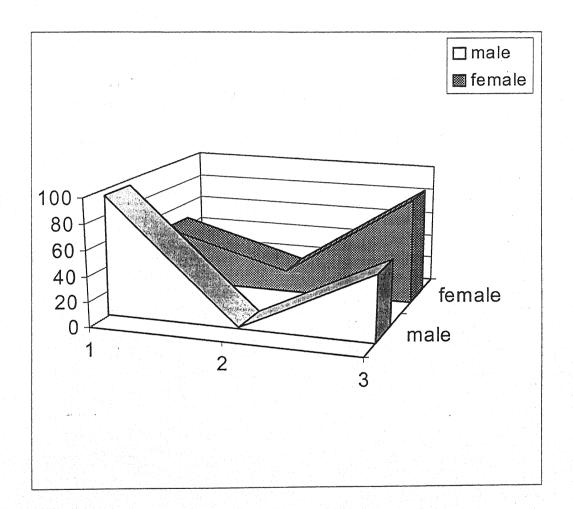
रेखा–चित्र क्रमांक 33

एवं स्त्रियों में भले ही वे अविवाहित रहते हो अनुभव करते हैं।

इस संदर्भ में उत्तरदाताओं में यह जानने का प्रयास किया गया कि यौनेच्छा उत्पन्न होने पर उनकी प्रति–क्रिया या आचरण क्या है। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक–125**

| अ. क्र. | आचरण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | विचारों में परिवर्तन के लिए घुमने निकल जाते है। | 46 | 03 | 03% | 02% |
| 2. | मित्रों के साथ गपशप करते हैं | 46 | 18 | 30% | 12% |
| 3. | चलचित्र देखने को जाते हैं। | 47 | 03 | 31% | 02% |
| 4. | पत्र–पत्रिकायें, उपन्यास आदि पढ़ते हैं। | 47 | 15 | 31% | 10% |
| 5. | इस आवश्यकता की बाहर पूर्ति करने का प्रयास करते हैं | 03 | 01 | 02% | 01% |
| 6. | अप्राकृतिक तरीकों को अपनाते है। | 03 | 01 | 02% | 01% |
| 7. | इस प्रकार का विचार मन में नहीं आने देते है और धर्म–ग्रथों का मनन करते हैं। | 53 | 85 | 36% | 56% |
| 8. | यह आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं होती है। | 01 | 18 | 01% | 12% |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि यौनेच्छा क्योंकि एक नैसर्गिक आवश्यकता है। इसलिये सभी लोगों के मन में इसकी पूर्ति की इच्छा होती है चाहे वह अविवाहित ही क्यों न हो कुछ अविवाहित व्यक्ति इस इच्छा को दूसरों के सामने प्रगट करने में हीन भावना का अनुभव करते है अतः वह इन सब को छुपाने का प्रयास करते है परिणाम स्वरूप अप्राकृतिक क्रियायें करने लगते हैं। उपरोक्त तालिका की साँख्यिकीय प्रतिवेदित

करती है कि यौनेच्छा की अनुभुति पर उत्तरदाताओं का आचरण किस–किस प्रकार का होता है। 46 (30%) पुरूषों एवं 03 (02%) महिलाओं का कथन है कि वह यौनेच्छा अनुभव होने पर, अपने विचारों में परिवर्तन के लिए कही बाहर घुमने के लिए चले जाते हैं। 46 (30%) पुरूषों एवं 18 (12%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि वह अपने मित्रों के साथ गप–शप करके अपने ध्यान को बाँट देते हैं।

**तालिका क्रमांक–126**
**अविवाहित रहना एक अप्राकृतिक कार्य**
**उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया**

| अ. क्र. | प्रतिक्रिया | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | विवाह न करना अप्राकृतिक मानते है। | 51 | 21 | 34% | 14% |
| 2. | अप्राकृतिक नहीं है। | 99 | 129 | 66% | 86% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

उपरोक्त तालिका में दी गई साँख्यिकीय की तुलना यदि तालिका क्रमांक 125 की तरलिका से करे तो प्रगट होता कि 01 (01%) पुरूष एवं 18 (14%) महिलाओं को छोड़कर अन्य सभी में यह इच्छा उत्पन्न होती है। तालिका का क्रमांक 126 में दी गई साँख्यिकीय यह प्रगट करती है कि इच्छा तो उत्पन्न होती है लेकिन इस इच्छा को अप्राकृतिक न मानने वाले उत्तरदाताओं में 99 (66%) पुरूष एवं 129 (86%) महिला उत्तरदातायें हैं। तथा सिर्फ 51 (34%) पुरूष एवं 21 (14%) महिला उत्तरदाता ऐसे है जो कि इस प्रक्रिया को अप्राकृतिक मानते हैं।

स्त्री और पुरूष की भिन्न–भिन्न रूप में सृष्टि ने रचा है यह भिन्नता मनुष्यों में ही नहीं, बल्कि पशु–पक्षियों और कीट–पतंगों में भी पाई जाती है। अतः प्रकृति में सर्वत्र विषम लिगीं जोड़े बना कर रहते हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में यौन इच्छा सदैव विद्यमान न होकर समय–विशेष अथवा मौसम विशेष में उत्पन्न

होती है पूर्ण वर्ष भर नहीं । जबकि मनुष्य में यौन इच्छा निरंतर विद्यमान रहती है। इसलिये पशु–पक्षी केवल तब जोड़ा बनाते है जब यौन आवष्यकता उत्पन्न होती है। उसके पश्तात वे पुनः प्रथक–प्रथक और असम्बद्ध हो जाते है। इसके विपरीत यौन–इच्छा की निरन्तरतर के कारण मनुष्यों में विवाह संस्था का उदय हुआ है इसलिए स्त्री का उदय हुआ है इसलिये स्त्री और पुरूष के युगल को पूर्ण युगल माना जाता है। विवाह के माध्यम से पति–पत्नी पूर्णता अनुभव करते हैं। जीवन–साथी की तलाश न केवल स्त्री–पुरूष के लिये बल्कि इस हेतु प्रयास करना माता–पिता का अविवाहित कर्तव्य माना जाता है। इस दृष्टि से उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि क्या वे अविवाहित होने के कारण दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति से रिक्तता का अनुभव नहीं करते है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–127**

**अविवाहित होने से रिक्तता का अनुभव। उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया**

| अ. क्र. | प्रतिक्रिया | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अविवाहित होने से रिक्तता अनुभव होती है। | 99 | 84 | 66% | 56% |
| 2. | रिक्तता अनुभव नहीं होती है। | 45 | 54 | 30% | 36% |
| 3. | निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। | 06 | 12 | 04% | 08% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका में दी गई साँख्यिकीय प्रगट करती है कि 99 (66%) पुरूष एवं 84 (56%) महिला उत्तरदाताऐं ऐसी है जिन्होनें विवाह नही किया है इस कारण दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में उन्हें रिक्तता व एकाकीपन का अनुभव सालता है। 45 (30%) पुरूष एवं 54 (36%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि उन्हें इस प्रकार की कोई रिक्तता अनुभव नहीं होती है। 06 (04%) पुरूष 12 (08%) महिला

उत्तरदाताओं का कथन है कि इस के बारे में उनकी कोई निश्चित अवधारणा नहीं है।

यौनेच्छा स्त्रियों और पुरूषों में प्रकृति के द्वारा स्वयं के हित में प्रदत्त एक इच्छा है। इस इच्छा के माध्यम से ही प्रजनन होता है और प्रजनन के कारण मानव प्रजाति के निरन्तरता बनी हुई है। अतः विवाह प्रत्याक्षतः केवल सुखोपभोग का माध्यम न होकर प्रजाति को निरन्तरता का एक उपक्रम भी है। भोग–विलास में लिप्त रहकर स्त्री पुरूष इस प्रजनन के दायित्व को न भूल जाये इसीलिये प्रजनन को धार्मिक कर्तव्य माना गया है। हिन्दू दर्शन के अनुसार एक व्यक्ति तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि उसका पुत्र उसका पिण्डदान न करें। इसी प्रकार उस दम्पति को दुर्भाग्यशाली माना जाता है जिनकी सन्तान न हो। इस प्रकार सन्तानोत्पत्ति, यौन, संसर्ग के दौरान उत्पन्न उप उत्पादन नहीं है बल्कि मानव प्रजाति भी निरंतरता के लिये बच्चों को उत्पन्न करने का एक उपक्रम है। इसीलिए व्यक्ति की पूर्णता केवल पति या पत्नी के माध्यम से नहीं बल्कि बच्चों के माध्यम से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं के समक्ष यह विचार रखा गया कि विवाह न करने से, मानव प्रजाति की निरन्तरता में उत्पन्न होती है क्या वे इस मत से सहमत है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–128**

**विवाह न करना मानव प्रजाति की निरंतरता में बाधकः–उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया।**

| अ. क्र | प्रतिक्रिया | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अविवाहित होना बाधक है। | 86 | 84 | 56% | 54% |
| 2. | निरन्तर बढ़ रही जनसंख्या की दृष्टिं से बाधक नहीं है। | 64 | 66 | 43% | 44% |
| 3. | अविवाहित होना मानव प्रजाति की निरंतरता में बाधक नहीं है | 64 | 66 | 43% | 44% |

तालिका में दी गई साँख्यिकीय प्रतिवेदित करती है 86 (56%) पुरूष एवं 84 (54%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है अविवाहित होना मानव प्रजाति की निरन्तरता में अवश्य ही बाधक होता है। 64 (43%) पुरूषों एवं 66 (44%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि निरन्तर बढ़ रही जनसंख्या की दृष्टि से बाधक नहीं है। इतने ही उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित होना मानव प्रजाति की निरन्तरता में बाधक नहीं है। अर्थात तालिका से स्पष्ट होता है कि 64 (43%) पुरूषों एवं 66 (44%) महिलाओं का कथन है कि अविवाहित होना मानव प्रजाति की निरन्तरता में बाधक नहीं हैं।

मनुष्य एक वुद्धिशील प्राणी है इसलिए स्वयं के साथ घटित होने वाली घटनाओं तथा परिवेश में घटित होने वाली घटनाओं का उस पर प्रभाव पड़ना अवश्यात्मक है। जब यह घटनायें व्यक्ति से सम्बन्धित होती है तब व्यक्ति ऐसे साथी की आवश्यकता अनुभव करता है जबकि तनाव के ऐसे क्षणों में उसे वह सहयोग दे। प्रभावित व्यक्ति चाहता है कि उसे किसी अपने व्यक्ति के द्वारा उपयुक्त अनुपयुक्त के विषय में परामर्श दिया जाये इसी प्रकार व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि कोई तो हो जिससे वह अपने सुख–दुख की चर्चा कर मानसिक तनाव से मुक्ति ओर शांति अनुभव करें। निश्चित रूप से ऐसा साथी पति या पत्नी के अलावा कोई ओर नहीं हो सकता है। उत्तरदाताओं से इस विषय में उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक–129
## अन्तरंग जीवन साथी जिसमें परामर्श ओर तनाव से राहत मिल सके की कमी बाबत अनुभव

| अ. क्र. | अनुभव | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अन्तरंग जीवन साथी की कमी अनुभव होती है। | 112 | 129 | 74% | 86% |
| 2. | कमी अनुभव नहीं होती है। | 38 | 21 | 26% | 14% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका की साँख्यिकी प्रकट करती है कि अविवाहित होने के कारण अधिकांश स्त्री एवं पुरूष जीवन साथी का अभाव अनुभव करते है और अक्सर यह महसूस करते है कि तनाव से राहत पाने के लिये उन्हें यह कमी बहुत अनुभव होती है। 112 (74%) पुरूषों एवं 129 (86%) महिलाओं ने व्यक्त किया है कि अन्तरंग जीवन साथी की कमी उन्हें हमेशा ही अनुभव होती है। 38 (26%) पुरूषों एवं 21 (14%) महिलाओं का कथन है कि उन्हें इस प्रकार की कोई कमी अनुभव नहीं होती है।

विवाह परिवार और प्रजनन के संदर्भ में उत्तरदाताओं के समक्ष मोक्ष ओर पुर्नजन्म सम्बन्धी शास्त्रीय हिन्दू धारणा व दर्शन की चर्चा की गई। उनसे कहा गया कि हिन्दू–दर्शन के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्त करने के लिये पुत्र के द्वारा पिण्ड–दान करना अनिवार्य होता है अतः वे जो गृहस्थ नहीं है तथा जिनका पिण्ड–दान करने हेतु पुत्र न हो उनकी मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होगा क्या इस विषय में उनके मन में किसी प्रकार का तनाव कर दुविधा है। इसके साथ ही उत्तरदाताओं के समक्ष यह विचार भी रखा गया कि सन्तानों के माध्यम से व्यक्ति के वंश की वृद्धि होती है तथा व्यक्ति अमरत्व प्राप्त करता है। मोक्ष ओर अमरत्व के विषय में उनकी आस्थाए क्या है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक–130
## पुत्रोउत्पत्ति के माध्यम से मोक्ष ओर अमरत्व की कल्पना उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

| अ. क्र. | दृष्टिकोण | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | मै इसे नहीं स्वीकारता। | 45 | 60 | 30% | 40% |
| 2. | यह धारणा सही है। | 09 | 06 | 06% | 04% |
| 3. | दत्तक पुत्र कर सकता है कोई भी अमर नहीं है। | 15 | 12 | 10% | 08% |
| 4. | यह पूर्णता सत्य नहीं है। | 09 | 12 | 06% | 08% |
| 5. | यह किताबों में लिखा है सत्य किसे ममलूम है। | 09 | 06 | 06% | 04% |
| 6. | मिथ्या अवधारणा है। | 18 | 15 | 12% | 10% |
| 7. | संतान अमरत्व नहीं दिलवा सकती है। | 06 | 03 | 04% | 02% |
| 8. | मोक्ष अच्छे कर्मो द्वारा | 12 | 06 | 08% | 04% |
| 9. | ईश्वर की कृपा से अमरत्व | 03 | 03 | 02% | 02% |
| 10. | अमर कोई भी नहीं है। | 09 | 03 | 06% | 02% |
| 11. | विवाह से संतान होगी आवश्यक नहीं हैं। | 06 | 03 | 04% | 04% |
| 12. | पुत्र स्वयं का हो या अन्य का अमरता की सत्यता झूठी है। | 09 | 21 | 06% | 14% |

हिन्दू धर्म व आस्थाऐ यह प्रगट करती है कि मोक्ष व अमरत्व के लिये पुत्रोत्पत्ति आवश्यक है। अतः अविवाहितों से यह जानने का प्रयास किया गया कि इस धारणा के प्रति उनकी क्या मान्यतायें है। तालिका में दी गई साँख्यिकी से यह प्रगट होता है कि अधिकांश इस अवधारणा से पूर्णता सहमत नहीं है। 45 (30%) पुरूषों एवं 60 (40%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि वह इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। 09

## तालिका क्रमांक 130
## पुत्रोउत्पत्ति के माध्यम से मोक्ष ओर अमरत्व की कल्पना उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण
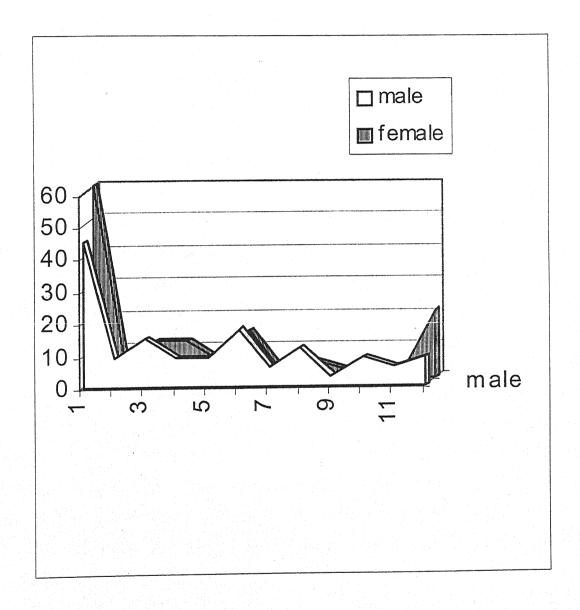
रेखा–चित्र क्रमांक 34

(06%) पुरूषों एवं 06 (04%) महिलाओं का कथन है कि यह धारणा सत्य नही है। 15 (10%) पुरूषों एवं 12 (08%) महिला उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि यह आवश्यक नहीं पुत्र प्राप्ति विवाह के माध्यम से ही की जाये पुत्र तो गोद भी लिया जा सकता है लेकिन इस के पीछे अमरता की कल्पना सत्य नहीं है। 09 (06%) पुरूषों एवं 12 (08%) महिलाओं की अनुसार यह कल्पना मात्र है पूर्णता सत्य नहीं है। 09 (06%) पुरूषों एवं 06 (04%) महिलाओं का कथन है कि पुत्र के माध्यम से मोक्ष व अमरता की कल्पना केवल किताबों में लिखी हुई बातें है सत्य तो किसी ने देखा नहीं सत्य क्या है किसे पता है। 18 (12%) पुरूषों एवं 15 (10%) महिलाओं का कथन है कि यह एक मिथ्या अवधारणा है। 06 (04%) पुरूषों एवं 03 (02%) महिला उत्तरदाताओं के अनुसार संतान माता–पिता को अमरत्व नहीं दिलवा सकती अन्यथा दर संतान वाला व्यक्ति अमर ही होता और निसंतानों को मृत्यु परान्त कोई याद नहीं करता। 12 (8%) पुरूषों एवं 06 (04%) महिलाओं के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को अच्छे कर्म करके मिलती है न कि पुत्रोत्पत्ति से 03 (02%) महिला एवं पुरूष उत्तरदाताओं के कथन है कि अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो ईश्वर उससे सदैव प्रसन्न रहता है ओर ईश्वर की कृपा ही मनुष्य को मोक्ष व अमरत्व दिलवा सकती है। 09 (06%) पुरूषों एवं 03 (02%) महिलाओं के अनुसार अमर तो कोई भी व्यक्ति नहीं है हर व्यक्ति और हर शरीर नाशवान है। 06 (04%) पुरूषों एवं 03 (02%) महिला उत्तरदाताओं का कथन हैं कि विवाह करके व्यक्ति के यहाँ संतान उत्पन्न होगी यह कोई आवश्यक नहीं है। अतः विवाह व संतानोत्पत्ति न होने पर भी व्यक्ति अच्छे कर्म एवं निष्फल मानव सेवा की चेष्टा कर अमरत्व प्राप्त कर सकता है। 09 (06%) पुरूषों एवं 21 (14%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि पुत्र स्वयं का हो गोद लिया हो या अन्य किसी का किसी के भी माध्यम से अन्य की कल्पना ठीक नहीं है। क्यों कि हिन्दू धर्मानुसार जो व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता है अपने–अपने कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है अतः अन्य उसे मोक्ष व अमरता नहीं दिला सकते चाहे वह पुत्र ही क्यों न हो।

हिन्दू धार्मिक आस्थाओं के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार और तत्पश्चात् के विधि विधानों को सम्पन्न करने का दायित्व और अधिकार पुत्र का माना जाता है।इसीलिये ऐसी दम्पत्ति जिनको अपना स्वयं का पुत्र न हो किसी अन्य लड़के को दत्तक लेते हैं। एक आम हिन्दू आकांक्षा रखता है कि उसकी अर्थी को उसके पुत्र हाथ

दे इस परिप्रेक्ष्य में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि विवाह न करने के कारण क्या वे इस विषय में किसी प्रकार की चिन्ता अथवा तनाव से ग्रस्त हैं। उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तर इस प्रकार हैं।

**तालिका क्रमांक–131**
**अंतिम संस्कार तथा सम्बन्धित विधि विधानों के सम्पादन हेतु पुत्र की अनिवार्यता उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया।**

| अ. क्र. | प्रतिक्रिया | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | भतीजे ही पुत्र समान है। | 21 | 09 | 14% | 06% |
| 2. | यह धारणा सत्य है पुत्र को गोद लिया है, या लेगें। | 14 | 12 | 10% | 08% |
| 3. | यह आवश्यक नहीं है | 12 | 21 | 08% | 14% |
| 4. | अंधविश्वास है। | 15 | 12 | 10% | 08% |
| 5. | यह धारणा कितनी है। | 09 | 15 | 06% | 10% |
| 6. | मृत्यु के बाद किसे पता चलता है। | 40 | 30 | 26% | 20% |
| 7. | छोटा भाई पुत्र समान ही | 03 | 18 | 02% | 12% |
| 8. | संस्कार कोई भी कर सकता | 06 | 09 | 04% | 06% |
| 9. | इस बारे में कभी सोचा नहीं है | 09 | 09 | 06% | 06% |
| 10. | यह परम्परा निरर्थक है। | 12 | 09 | 08% | 06% |
| 11. | अंतिम संस्कार कोई भी प्रियजन कर सकता है। | 09 | 06 | 06% | 04% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

## तालिका क्रमांक 131
## अंतिम संस्कार तथा संबंधित विधि विधानों के सम्पादन हेतु पुत्र की अनिवार्यता उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया
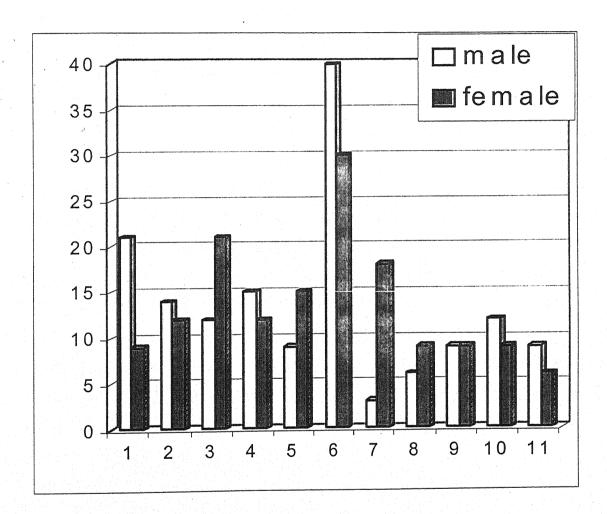
रेखा–चित्र क्रमांक 35

तालिका में प्रस्तुत तथ्य उद्घाटित करते है कि केवल 14 (10%) पुरूष एवं 12 (08%) महिलायें ही पारम्परिक आस्था में विश्वास रखते हैं। शेष उत्तरदाताओं की दो श्रेणियाँ है प्रथम में वे उत्तरदाता सम्मिलित है जिनका कथन है कि यह धारणा मिथ्या और अंधविश्वास है जबकि दूसरी श्रेणी में वह उत्तरदाता है जो मानते है कि अन्य कोई नातेदार यदि उनकी अंतिम क्रिया सम्पन्न करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके अनुसार महत्वपूर्ण है व्यवस्थित रूप से अंतिम संस्कार का होना, न कि व्यक्ति जिनके हाथों यह कार्य सम्पन्न होता है। इस आधार पर यह निरूपित होता है कि उत्तरदाता के मन मस्तिष्क में इस विषयक विचार उत्पन्न अवश्य होता है। बहुसंख्यक भतीजे छोटे भाई अथवा किसी अन्य स्वजन के हाथों अपने अंतिम संस्कार के प्रति आश्वस्त रहते है जबकि शेष अन्य निश्चय हो इस विषय में दुविधा का स्थिति में हैं।

हिन्दू पुर्नजन्म के सिद्धान्त में आस्था रखते हो यह माना जाता है कि आत्मा प्रत्येक योनि में तब तक जन्म ग्रहण करती रहती है जब तक उसे मानव जीवन प्राप्त न हो तथा मनुष्य रहते हुए साधना सत्कर्म और पुत्र के माध्यम से पिण्ड दान करवा कर मोक्ष प्राप्त न हो जाये। इस सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में निश्चय ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि यह धारणा यथार्थ है तब अविवाहित व्यक्ति पुत्र के अभाव में मोक्ष नहीं प्राप्त कर पायेंगे और न ही विवाह न करने से मनुष्य के लिये निर्धारित कर्मो को पूर्ण कर पायेगें। इसलिये उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा और उन्हें फिर किसी न किसी योनि में तब तक जन्म लेना पड़ेगा जब तक कि वह पुनः मनुष्य योनि प्राप्त कर विवाह कर पुत्र को जन्म देकर पुत्र के हाथों मोक्ष प्राप्त नहीं करगें उत्तरदाताओं से इस विषय में उनकी प्रतिक्रिया जानी गई हैं। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक–132
## पुर्नजन्म के विषय में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

| अ. क्र. | प्रतिक्रिया | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | पुर्नजन्म विषयक धारणा का कोई प्रमाण नहीं है। | 74 | 97 | 50% | 65% |
| 2. | मोक्ष सम्बन्धी धारणा में आस्था नहीं है इसलिए पुर्नजन्म में आपत्ति नहीं है। | 76 | 51 | 51% | 34% |
| 3. | पुर्नजन्म की धारणा अंधविश्वास है। | 74 | 92 | 50% | 61% |

तालिका में दी गई साँख्यिकी प्रतिवेदित करती है कि क्योकि पुर्नजन्म विषयक धारणा का कोई प्रमाण नहीं है अतः इस धारणा को वह मिथ्या ही मानते है। 74 (50%) पुरूष एवं 97 (65%) महिला उत्तरदाताओं ने प्रकट किया है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है इसलिये वह इस विषय में नहीं सोचते है। 76 (51%) पुरूषों एवं 51 (34%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि मोक्ष सम्बन्धी धारणा में आस्था नहीं है इसलिये पुर्नजन्म में भी उन्हें कोई आपत्ती नहीं है। 74 (50%) पुरूषों एवं 92 (61%) महिलाओं का कथन है कि पुर्नजन्म की धारणा अंधविश्वास मात्र है इसके अतिरिक्त कुछ नही है।

अविवाहित रहना इससे उत्पन्न जटिलतायें और पुर्नजन्म सम्बन्धी उत्तरदाताओं के विचारों के सन्दर्भ में उनसे (उत्तरदाताओं से) पुछा गया कि क्या वे आगामी जन्म में भी अविवाहित रहना पसन्द करगें प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक–133
## आगामी जन्म में अविवाहित/विवाहित रहने सम्बन्धी उत्तरदाताओं का निर्णय

| अ. क्र. | निर्णय | उत्तरदाताओं की संख्या | | उत्तरदाताओं का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 1. | अगले जन्म का विचार अभी क्यों करें। | 33 | 21 | 22% | 14% |
| 2. | अगले जन्म की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा | 17 | 27 | 11% | 18% |
| 3. | अविवाहित रहने की परेशानी को देखते हुये आगामी जन्म में विवाह अवश्य करेगें | 99 | 84 | 66% | 56% |
| 4. | अविवाहित ही रहेगें | 01 | 18 | 01% | 12% |
| | योग | 150 | 150 | 100 | 100 |

तालिका में दिये गये तथ्य प्रकट करते हैं कि आगामी जन्म अगर होता है तो इस जन्म में अविवाहित रनै वाले महिलायें एवं पुरूष अगले जन्म में विवाह करगें या नहीं इस विषय में 33 (22%) पुरूषों एवं 21 (14%) महिलाओं उत्तरदाताओं का कथन है कि पुर्नजन्म के विषय में आज ही क्यों कर सोचे और अभी वे इस विषय में सोचकर वह चिन्तित होना नहीं चाहते है। 17 (11%) पुरूषों एवं 27 (18%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि यह अगले जन्म की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि वह विवाह करेगें या नहीं करेगें। 99 (66%) पुरूषों एवं 84 (56%) महिलाओं का कथन है कि अविवाहित होने के कारण इस जन्म में उन्होने बहुत एकाकीपन भोगा है अतः आगामी जन्म में वह इस त्रासदी को भोगना नहीं चाहते है इसलिये विवाह अवश्य करेगें। 01 (01%) पुरूष एवं 18 (12%) महिलाओं का कथन है कि आगामी जन्म में भी वह अविवाहित ही रहेगें।

# अविवाहित रहने के प्रति समाज का दृष्टिकोण

## अध्याय – 9

# अविवाहित रहने के प्रति समाज का दृष्टि कोण

अविवाहित रहने का सम्बन्ध केवल उस व्यक्ति से नहीं होता है जिसने कि विवाह न करने का निर्णय लिया है वास्तव में अविवाहित रहना एक वैयक्तिक नहीं बल्कि सामाजिक घटना है। अविवाहितों से सम्बन्धित अन्य पक्ष है उनके माता–पिता, भाई–बहिनों का परिवार मित्र और मित्रों का परिवार, पड़ोसी, जाति समुदाय ओर से समाज अविवाहित रहने का निर्णय लेने में यह सामाजिक दशायें भी प्रभाव डालती है। विवाहित रहने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं अविवाहित रहने में उत्पन्न समस्या का सामना करता है बल्कि अन्य व्यक्तियों (पक्षो) पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। न केवल अविवाहित व्यक्ति उपरोक्त पक्षों के साथ समायोजन और सामंजस्य स्थापित करता है बल्कि न पक्षों को भी अविवाहित व्यक्तियों के साथ समायोजन करना पड़ता है। सत्य तो यह है कि अविवाहित के साथ अन्यों को अधिक समायोजन करना पड़ता है। भारत में व्यक्ति विवाहित हो या अविवाहित समाज का एक भाग होता है। इस नाते अविवाहित अन्यों से असम्बद्ध एकाकी जीवन का यथार्थ में निर्वाह न कर अन्यों के बीच रहकर सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह भी करते है। यद्यपि कि यह भूमिकायें तुलनात्मक रूप में सीमित होते हैं। अविवाहित एक महिला उत्तरदाता के द्वारा कहा गया यह सहज कथन महत्वपूर्ण है कि हमने स्वयं तो विवाह नहीं किया है परन्तु भाई–बहिनों के परिवार के साथ रहकर उनके दायित्वों के निर्वाह में सहायता करने तथा दामादों, सम्बन्धीयों (भाई–बहिन से सम्बन्धित) आदि के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार रखते हुये उन्हें आभास ही नहीं होता है उनका स्वयं का परिवार पुत्र/पुत्री दामाद/बहू आदि नहीं है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उन 150 परिवारों से प्रथक से जानकारी प्राप्त की गई जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी अविवाहित पुरूष अथवा महिला से सम्बन्धित है अविवाहित पुरूष अथवा महिला का जिन परिवारों से सम्बद्ध होता है। उन परिवारों के साथ उनकी सम्बद्धता, सम्बन्ध अर्न्तक्रियायें और पारम्परिक स्थिति को निर्धारित नियमित और नियन्त्रित करने में परिवार के मुखिया और उसकी पत्नी की पहल और प्रतिक्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है। मुखिया और पत्नी में भी इस दृष्टि से पत्नी की भूमिका और पत्नी के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय अधिक महत्वपूर्ण होते है। इस सन्दर्भ में । सर्वेक्षित 150 परिवारों की महिला मुखियाओं का अनुसूचि की सहायता से साक्षात्कार लेकर जानकारी प्राप्त की गई।

सर्वेक्षित 150 परिवारों की गृहणी सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक—134
## सर्वेक्षित परिवार की महिला की आयु विषयक जानकारी

| अ.क्र. | आयु समूह | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | 25 से 30 वर्ष | 03 | 02% |
| 2. | 30 से 35 वर्ष | 24 | 16% |
| 3. | 35 से 40 वर्ष | 36 | 24% |
| 4. | 40 से 45 वर्ष | 21 | 14% |
| 5. | 45 वर्ष से अधिक | 66 | 44% |

सर्वेक्षित 150 विवाहित परिवारों की मुखिया महिला उत्तरदाताओं में से प्रयास यह किया कि 25 वर्ष से अधिक आयु समूह के महिलाओं के विचार जाने जाये ताकि प्राचीन ओर नवीन दोनों प्रकार की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुये अविवाहित के प्रति अपने विचारों को ठीक से व्यक्त करवाये। सव्रेक्षित 150 महिला उत्तरदाताओं में से 03 (02%) महिला उत्तरदाता 25 से 30 वर्ष की आयु समूह की 24 (16%) 30 से 35 वर्ष के आयु समूह से है। 36 (24%) महिला उत्तरदाता 35 से 40 वर्ष के आयु समूह से 21 (14%) 40 से 45 वर्ष के आयु समूह से तथा 66 (44%) महिला उत्तरदाता 45 वर्ष से अधिक आयु समूह की है।

जिन परिवारों के साथ अविवाहित उत्तरदाता के सम्बन्ध होना पाया गया है तथा जिन्हे उनकी प्रतिक्रिया जानने की हेतु इस अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। उन परिवार में पारिवारिक स्तर पर सम्बन्धों का निर्वाह करने में उन परिवारो की महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस दृष्टि से जिन परिवारों को सम्मिलित किया गया है वे किसी विशिष्ट आयु समूह का प्रतिनिधित्व न करते हुये विभिन्न आयु समूहों के प्रतिनिधि है इस तरह इन विस्तृत प्रतिदर्शों के माध्यम से अविवाहित के विषय में विस्तृत प्रतिक्रिया जानना सहज होगा। इस तारतम्य में इन परिवारों की उत्तरदाता महिलाओं का शैक्षणिक स्तर भी ज्ञात किया गया। प्राप्त जानकारी इस प्रकार है।

तालिका क्रमांक–135
अविवाहितों के विषय जानकारी प्रदान करने
वाले परिवारों का विवरण

| अ.क्र. | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | संयुक्त | 72 | 48% |
| 2. | एकाकी | 78 | 52% |
| | योग | 150 | 100 |

उपरोक्त तालिका में दी गई साँख्यिकी प्रकट करती है कि अविवाहित के विषय जिन परिवारों से जानकारी प्राप्त की गई उनमें से 72 (48%) परिवारों का स्वरूप संयुक्त व 78 (52%) परिवारों का स्वरूप एकांकी है।

## अविवाहित रहने के सन्दर्भ में विवाह की प्रयोज्यता

पूर्ववर्ती अध्ययों में उल्लेखित अनुसार भारतीय सन्दर्भ में अविवाहित रहना एक असामान्यता है। भारतीय आस्थाओं के अनुसार वैवाहिक जोड़ों का निर्धारण ईश्वर स्वयं करता है इसलिये प्रत्येक पुरूष अथवा स्त्री के पैदा होने के साथ ही उसके जोड़े हेतु अन्य को भी ईश्वर अवश्य ही पैदा करता है। ऐसी स्थिति में हिन्दू समाज में यह आस्था है कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेने के पश्चात अविवाहित नहीं रह सकता है। ऐसी स्थिति में वे जो कि अविवाहित है समाज के द्वारा सम्मान जनक दृष्टि से नहीं देखे जाते है यह आम धारणा है। इसी प्रकार भारत में विवाह दो व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध न हो कर परिवारों को सम्बन्धित करने का माध्यम माना जाता है इस दृष्टि से जो अविवाहित है न केवल उनके प्रति बल्कि उनके अभिभावकों के लियें भी शेष समाज के विचार सम्मानीय नहीं होते है। यद्यपि अविवाहित रहना अतीत में होता रहा है पर तब वह अपवाद स्वरूप होता था और उसके पार्श्व में किसी न किसी प्रकार का शारिरीक दोष जैसे कि विकलांगता, पागलपन आदि उत्तरदायी होता था। अतः अविवाहित रहना निश्चय ही भारतीय परम्परा के सन्दर्भ में एक नवाचार है। अविवाहित रहने की प्रवृति ग्रमीण समाज में आज भी केवल उपरोक्त कारणों से ही देखी जाती है। सामान्य व्यक्ति यदि लम्बें समय तक विवाह न करे तो ग्राम वासी न केवल उस व्यक्ति की बल्कि उस

परिवार को भी आलोचना करते है। नगरीय स्थिति इस दृष्टि से भिन्न है , नगरों में अविवाहित रहना एक नवाचार के रूप में विकसित हो रहा है। इस दृष्टि से शेष समाज (वे जो विवाहित है) तथा जिनका अविवाहित के प्रति दृष्टि कोण, अर्न्तक्रियाओं और सम्बन्धों का स्वरूप क्या है यह जानने का प्रयास किया गया ।

सर्वेक्षित परिवारों के उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या वे विवाह को जीवन की एक अनिवार्यता मानते हैं। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–136**

**विवाह के प्रति समाज का दृष्टि कोण**

| अ.क्र. | दृष्टि कोण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | विवाह अनिवार्य मानते है। | 147 | 98% |
| 2. | अनिवार्य नही मानते है। | 03 | 02% |
| | योग | 150 | 100 |

तालिका में प्रदर्शित साँख्यिकी यह प्रकट करती है कि लगभग सभी 147 (98%) विवाह को जीवन की एक अनिवार्यता मानते है। इस परिप्रेक्ष्य में उनसे पूछा गया कि वे इस प्रकार की धारणा क्यों रखतीं है। प्राप्त उत्तर निम्नांकित है।

## तालिका क्रमांक–137
## विवाह के अनिवार्यता के कारण

| अ.क्र. | कारण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | विवाह एक ईश्वरीय कृत्य है। | 65 | 43% |
| 2. | विवाह एक प्राक्रतिक दायित्व है। | 42 | 28% |
| 3. | विवाह मानव प्रजाति की निरन्तरता के लिये अनिवार्य है। | 45 | 30% |
| 4. | यौनेच्छा ईश्वर प्रदत्त आवश्यकता है। इसकी पुर्ति विवाह के बिना अनुचित है। | 129 | 86% |
| 5. | विवाह व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करता है। | 37 | 24% |
| 6. | विवाह से जीवन पूर्णता का बोध होता है। | 44 | 30% |
| 7. | विवाह से स्त्री/पुरूष को सुरक्षा मिलती है। | 129 | 86% |
| 8. | विवाह एकाकी जीवन की त्रासदी से मुक्ति प्रदान करता है। | 64 | 43% |
| 9. | विवह पुत्र जन्म अन्तिम क्रिया मोक्ष आदि के लिये अनिवार्य है जो विवाह से ही सम्भव है। | 121 | 81% |

65 (43%) उत्तरदाताओं का कथन है कि विवाह करना अथवा न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है विवाह का प्रावधान स्वयं ईश्वर ने किया है इसलिये विवाह करना ईश्वर की आकांक्षा की पूर्ति करना है। ईश्वर ने स्त्री और पुरूष को भिन्न–भिन्न इसीलिये उत्पन्न किया है कि वे विवाह कर साथ–साथ जीवन निर्वाह करें 42 (28%) उझरदाताओं का विचार है कि विवाह मनुष्य ही नहीं प्राणी जगत में भी होता है। पशु और पक्षी भी एकाकी न रहकर जोड़े बना कर रहते है। चूंकि वह बुद्धि हीन होते है इसलिये उनका साथ–साथ रहना स्थाई नहीं होता है। परन्तु मनुष्य बुद्धिशील होन के कारण विवाह के माध्यम से एक जोड़े के रूप में स्थाई रूप से साथ–साथ रहतें है। इस

प्रकार यह एक प्राकृतिक कर्त्तव्य है। जिस का निर्वाह स्त्री और पुरूष करते है। 45 (30%) उत्तरदाताओं का मत है ईश्वर ने स्त्रियों और पुरूषों को इसलिये बनाया है कि वे विवाह कर सन्तान को जन्म दे जिसके कि मानव प्रजाति की निरन्तरता बनी रहे। 129 (86%) उत्तरदाताओं ने यह व्यक्त किया है कि अन्य सारी आवश्यकताओं के समान यौन आवश्यकता एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके लिये स्त्री और पुरूष का परस्पर सम्बन्धित होना अनिवार्य है यौनेच्छा की प्रतिपूर्ति न होने पर मानसिक तनाव और व्याधियाँ की पूर्ति हेतु स्त्री और पुरूष के बीच स्थाई सम्बन्ध अनिवार्य है विवाह के बिना यह सम्भव नहीं है बगेर विवाह इसकी प्रतिपूर्ति असम्भव है। 37 (24%) उत्तरदाता का कथन है कि विवाह के माध्यम से गृहस्थी बसा कर रहना भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में सामान्य जीवन पद्धति है। बहुसंख्यक व्यक्ति ऐसा करते है। इसलियें विवाह करके रहना सामान्यता है जबकि विवाह न करना असामान्यता है। इस प्रकार विवाह के माध्यम से व्यक्ति को एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 44 (30%) उत्तरदाता का कथन है मनुष्य एक विवेक शील प्राणी है। विवेक अथवा बुद्धि के कारण ही उसने अपनी आवश्यकताओं को असीमित रूप में बना लिया है। यह आवश्यकता और उनकी प्रतिपूर्ति न केवल उनके शरीर को जीवित रखती है बल्कि उन्हें सुख सुविधा और विलासिता के साथ–साथ मानसिक सन्तुष्टि भी प्रदान करती है। विवाहित व्यक्ति पति/पत्नी तथा बच्चों से युक्त गृहस्थी और इस गृहस्थी के संचालन के लिये भौतिक साधन जुटाकर अपने जीवन की सार्थकता का अनुभव करते है। जीवन की सार्थकता अथवा पूर्णता विषयक यह अहसास अविवाहित को हो ही नहीं सकता है चाहे वह कितने ही साधन क्यो न जुटा लें। अतः जीवन की पूर्णता के अनुभव के लिये विवाह अनिवार्य है। 129 (86%) उत्तरदाता अनुभव करते है कि विवाह के माध्यम से न केवल स्त्रियों बल्कि पुरूष भी स्वयं को शारिरीक मानसिक और सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित अनुभव करते है। विवाह के साथ ही स्त्रियों के पारस्परिक सम्बन्धों को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है तथा ऐसे सम्बन्धों को समाज आलोचना की दृष्टि से नहीं देखता है। इस प्रकार दैनन्दनी जीवन से सम्बन्धित अनेक आवश्यकतायें ऐसी होती है जिन्हें पति पत्नी की सहायता से और पत्नी पति की सहायता से पूर्ण करती है। 64 (43%) उत्तरदाताओं का कथन है कि व्यक्ति एकाकी जीवन का निर्वाह करने के लिये उत्पन्न हुआ ही नही समुह में रहना उसका मूल अधिकार है। इसलिये एकाकी रहते हुये व्यक्ति को अनेक समस्याओं, कष्टों और कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अविवाहित रहना और गृहस्थ जीवन व्यतीत करना, मानव जीवन के दो परस्पर विरोधी पक्ष है। उत्तरदाता गृहस्थ महिलाओं से यह पूछा गया कि स्वयं विवाहित है इसलियें विवाहित जीवन सुख–दुख से वे भली–भांति अवगत है। ऐसी स्थिति में अनुभव के आधार पर वे बतायें कि अविवाहित रहने का निर्णय लेना क्या उपयुक्त है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–138**
**विवाहित जीवन के व्यवहारिक अनुभव के आधार पर विवाह की उपयुक्ता, अनुपयुक्ता सम्बन्धी**

| अ.क्र. | धारणा | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | अविवाहित रहना सुखद हो ही नहीं सकता है। | 126 | 84% |
| 2. | गृहस्थी की अपनी समस्यायें होती है परन्तु इनसे मुँह मोढ़ना विवेक सम्मत नहीं है। | 126 | 84% |
| 3. | विवाहित जीवन से परेशानियों के बाबजूद ऐसे सुख की अनुभूति होती है जिसे एकाकी रह रहे व्यक्ति अनुभव कर ही नहीं सकते है | 76 | 50% |
| 4. | विवाहित जीवन की समस्यायें विवाह के बाद कुछ समय तक रहती हैं। बाद में परिवार के सदस्य उनके अभ्यस्त हो जाते है और सांमजस्य कर लेते है। इसलिये कोई स्थायी, कठिनाई या कष्ट अनुभव नहीं होता है। | 121 | 81% |
| 5. | जीवन के साथ कठिनाईयाँ तो जुड़ी ही है भले ही एकाकी रह जाये तब विवाह कर सुखों का उपयोग करते हुए यदि कष्ट सहना पड़े तो क्या हर्ज है। | 121 | 81% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | विवाह करना एक सामान्य सामाजिक आचरण है। इसलिये, विवाह करना कठिनाईयों के उपरान्त सामाजिक दृष्टि से सम्मानीय और सुरक्षित है। | 126 | 84% |
| 7. | पुरूष प्रधान समाज में नारी को विवाह से पूर्व पिता और विवाह के पश्चात पति व पुत्र का सानिध्य आवश्यकता होता है इसलिये विवाह न करने वाली महिलायें इस तथ्य के विपरीत आचरण करती हैं। | 71 | 48% |
| 8. | उच्च शिक्षा और नौकरी करते हुये पुरूष पर निर्भर न करने वाली स्त्री के लिये आवश्यक नहीं है। इसलिये यदि कोई स्त्री विवाह न करना चाहे तो हर्ज नहीं है। | 24 | 16% |

विवाह जीवन की उपयुक्ता व अनुपयुक्ता के प्रति विचारों को व्यक्त करते हुए 126 (84%) उत्तरदाताओं ने व्यक्ति किया है कि अविवाहित रहने वाले व्यक्ति अगर अविवाहित रहने का निर्णय यह सोच कर लेते है कि अविवाहित रहना उनके लिए आजीवन सुखद होगा तो उनकी यह धारणा अनुचित है। इतने ही उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि गृहस्थों की अपनी समस्यायें तो होती ही है, इसलिये यह सोच कर कि विवाह के बाबजूद अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस कारण अविवाहित रहना उचित है यह विचार विवेक पूर्ण नहीं है। 76 (50%) उत्तरदाताओं का कथन है कि व्यक्ति अविवाहित हो या विवाहित जीवन में अनेक परेशानियों तो होती ही है। लेकिन अविवाहित जीवन की परेशानियों को कम करने के लिये विवाहित जीवन के सुख को भोगते हुए यदि कुछ परेशानियों को भोगना भी पड़े तो अधिक अच्छा है और अविवाहित एवं एकाकी रहने वाला व्यक्ति विवाहित जीवन के सुख की अनुभूति से नितान्त परे ही होता है। 121 (81%) उत्तरदाताओं का कथन है कि नई जगह में सांमजस्य करने में

कुछ कठिनाईयों का सामना तो करना ही पड़ता है लेकिन विवाहित जीवन से संबंधित यह समस्यायें सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है बाद में व्यक्ति व परिवार के सदस्य उसके अभ्यस्थ हो जाते हैं और सामंजस्य कर लेते है। इसलिये इससे होने वाली कठिनाईयाँ स्थाई नहीं होती है अपितु कुछ समय विशेष के लिए होती हैं। इतनी ही उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि एकाकी रह कर भी व्यक्ति को कठिनाईयाँ तो अनुभव होती है परन्तु इन कठिनाईयों को सहन करते हुए विवाहित जीवन का सुख भी मिले तो अधिक अच्छा है। 126 (84%) उत्तरदाताओं का कथन है कि विवाह करना एक सामान्य आचरण है इसलिए समाज के सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये और सुरक्षित रहने के लिए विवाह करना आवश्यक है। 71 (48%) महिलाओं का कथन है कि भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज है इसलिए स्त्री को हमेशा ही पुरूष के संरक्षण में रहना होता है चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, अविवाहत होने पर पिता के व विवाहित होने के पश्चात् पति व पुत्र के संरक्षण व सानिध्य में वह रहती है। माता–पिता हमेशा ही उनके साथ नहीं रह सकते हैं इसलिए उसे पति व पुत्र की आवश्यकता होती है। और इस की पूर्ति वह विवाह के माध्यम से ही कर सकती है। अतः जो महिला एवं पुरूष विवाह नहीं करते वह समाज में स्थापित तथ्यों के विरूद्ध आचरण ही कर रहे हैं। इसके नितान्त विपरीत 24 महिलाओं का कथन है कि उच्च शिक्षित और नौकरी करने वाली महिलायें, विवाह करे ही यह आवश्यक नहीं है, और अविवाहित रहने में कोई हर्ज भी नहीं है।

उपरोक्त विभिन्न धारणाओं के तारतम्य में उत्तरदाता गृहस्थ महिलाओं से जानकारी प्राप्त की गई कि आजीवन व्यक्तियों ( पुरूषों / स्त्रियों ) के साथ उनके पारिवारिक संबंध किस प्रकार विकसित हुए। प्राप्त जानकारी इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक–139
## अविवाहितों के साथ गृहस्थों के संबंधों का विकास–कारण

| अ.क्र. | कारण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हमारे नातेदार हैं। | 30 | 20% |
| 2. | पड़ोसी हैं। | 62 | 41% |
| 3. | स्वयं के पति के साथ नौकरी करते हैं। | 32 | 21% |
| 4. | पति के मित्र हैं। | 26 | 18% |
| | योग | 150 | 100 |

तालिका के अवलोकन से यह तथ्य प्रगट हुए है कि अविवाहित के साथ गृहस्थों के संबंध के कारण हैं 30 (20%) गृहस्थ महिला उत्तरदाताओं का मत है क्यों कि वह हमारे नातेदार है इसलिए उनसे संबंध रखना अनिवार्य हो जाता हैं। 62 (41%) उत्तरदाताओं का मत है कि वह हमारे पड़ोसी है इस कारण से उनसे उनके संबंध है 32 (21%) महिलाओं का कथन है कि वह स्वयं नौकरी करते है व कुछ ऐसे अविवाहितों के साथ भी उनके संबंध है जो उनके पति के साथ नौकरी करते है। 26 (18%) उत्तरदाता का कथन है कि वह उनके अथवा उनके पति के मित्र हैं।

उपरोक्त संदर्भ में उत्तरदाता गृहस्थ महिलाओं से यह जानने का प्रयत्न किया गया कि जिन आजीवन अविवाहित पुरूषों/स्त्रियों के साथ उनके संबंध है, उन संबंधों का विकास किस प्रकार हुआ है, तथा उसके प्रति ( संबंधी के प्रति ) उनकी प्रतिक्रिया क्या है।

## तालिका क्रमांक–140
## अविवाहितों के साथ गृहस्थों के संबंधों का स्वरूप

| अ.क्र. | संबंधों का स्वरूप | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | नातेदार होने के कारण कोई विकल्प ही नहीं था। | 30 | 20% |
| 2. | पति के सहकर्मि है, और पति को उनका स्वभाव अच्छा लगा। | 18 | 12% |
| 3. | पड़ोसी है और उनके साथ संबंध रखने में कोई अन्यथा कारण प्रतीत नहीं होता | 62 | 42% |
| 4. | संबंध औपचारिक मात्र है। | 28 | 18% |
| 5. | संबंध रखना पसंद नहीं है, परन्तु संबंध तोड़कर उनका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं | 12 | 08% |
| | योग | 150 | 100 |

30 (20%) उत्तरदाताओं का कथन है कि जिन अविवाहितों के साथ उनके संबंध हैं, वे उनके नातेदार है और इसलिए नातेदार होने के कारण उनके साथ संबंधों का निर्वाह करना अनिवार्य है। 18 (14%) उत्तरदाताओं का कथन है कि वह उनके पति के सहकर्मि है तथा उनके पति को उनका स्वभाव व उनका घर आना–जाना अच्छा लगता है। इस कारण उन्होंने भी अपने संबंध उनके साथ बनाये हुए हैं। 62 (42%) उत्तरदाता का कथन है कि अविवाहित उनके पड़ोसी है, और पड़ोसियों के साथ संबंध रखने की उन्हें अन्यथा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है इस कारण वह उनसे संबंध बनाये हुए है। 28 (18%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहितों से उनके संबंध औपचारिक मात्र ही हैं। तथा 12 (08%) उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि वह अविवाहित से संबंध रखना पसंद नहीं करते है पर उनका दिल दुखे इस कारण उनसे संबंध बनाये हुए भी हैं।

उत्तरदाता गृहस्थ महिलाओं से पूछा गया कि इन अविवाहित के साथ संबंध रखने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच, असुविधा या तनाव अनुभव होता है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–141**
**अविवाहितों के साथ संबंधों के निर्वाह के विषय में गृहस्थ महिलाओं की प्रतिक्रिया**

| अ.क्र. | प्रतिक्रिया | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | संबंध रखने में कोई आपत्ति नहीं है। | 78 | 52% |
| 2. | अविवाहित परिवार विहीन होने के कारण उनके साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाये यह समस्या रहती है। | 81 | 54% |
| 3. | अविवाहितों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने पर पड़ोसी और परिचित शंका की दृष्टि से देखते है। | 43 | 29% |
| 4. | अविवाहितों का वयस्क बच्चों से मेल–जोल पसंद नहीं है। | 21 | 14% |
| 5. | परिवार के वृद्धजनों की दृष्टि में अविवाहित हेय होते है इसलिये संबंध रखना असुविधा –जनक होता है। | 52 | 34% |

78 (52%) उत्तरदाता गृहस्थ महिलाओं का कथन है कि जिन अविवाहित के साथ उनका परिचय है उनके साथ संबंध रखने में उन्हें अथवा उनके परिवार के सदस्य को किसी प्रकार की आपत्ती नहीं है। 81 (54%) उत्तरदाताओं का कथन है कि यद्यपि उन्हें अविवाहितों के साथ संबंध रखने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु फिर भी इनके साथ किस प्रकार का आचरण किया जाये यह अनिश्चित रहता है। उनका कथन है कि अविवाहित का चूंकि स्वयं का कोई परिवार नहीं होता है इसलिए पारिवारिक समस्याओं, संबंधों,

व्यवस्थापन, सहयोग आदि के विषय में वे अव्यवाहारिक होते है ऐसी दशा में कई बार सहज कहे गये कथनों को भी वे अन्यथा ले लेते है यही नहीं बल्कि प्रत्येक कथन को वे स्वयं पर की गई टिप्पणी मान लेते हैं। इसी प्रकार वे पारिवारिक मामलों में कभी–कभी अनावश्यक हस्तक्षेप करते है। व्यवहार में जरा भी औपचारिकता उन्हें अपमानास्पद लगती है और औपचारिकता को वे ठीक से समझ नहीं पाते है, इसीलिए उनके साथ मानक व्यवहार क्या हो यह निर्धारित करना कठिन होता है। 43 (29%) महिलाओं का कथन है कि अक्सर अविवाहित के चरित्र को शंका की दृष्टि से देखा जाता है इस कारण उनके साथ घनिष्ठ संबंध रखने पर परिचित एवं पड़ोसी भी उन्हें भी शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं। यद्यपि यह मानना भ्रमक होता है परन्तु फिर भी इस यथार्थ को जानते हुए भी अनावश्यक रूप से पड़ोसियों की शंका टिप्पणी करने कर अवसर न मिले इसलिए अविवाहित के साथ एक सीमा से परे संबंधों की घनिष्ठता उपयुक्त नहीं मानते है। 21 (14%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अनेक घर में वयस्क बच्चे हैं। अविवाहित का घर पर लगातार आना–जाना होगा तो उनके बच्चों के साथ भी उनके संबंध प्रगाढ़ होंगे। यद्यपि उनका यह अभिप्राय नहीं है कि अविवाहितों को वे शंका की दृष्टि से देखते है परन्तु फिर भी वे इस विषय में किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न होने का अवसर ही नहीं देना चाहते हैं। उनका यह आचरण सभी अविवाहित के प्रति उनके मन में इस प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होती हैं। इसी तारतम्य में 52 (34%)उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति अविवाहितों को चारित्रिक, नैतिक या शारीरिक दृष्टि से हेय मानते हैं और उन्हें आशंका रहती है कि अविवाहित उनके परिवार की महिलाओं/पुरूषों को प्रमादित कर पारिवारिक सुख–शान्ति में विघ्न न पहुँचायें इस लिए प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप में वे परिवार में अविवाहितों की उपस्थिति को अनुचित बनाते हैं। फलस्वरूप इन वयोवृद्ध व्यक्तियों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए परिवार के अन्य सदस्य भी अविवाहित के साथ सहज संबंध नहीं रख पाते हैं।

उत्तरदाता गृहस्थ महिलाओं से जानकारी प्राप्त की गई कि अविवाहित के साथ उनके परिवार का संपर्क निरंतर रहता है अथवा आकस्मिक। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक–142

## उत्तरदाता गृहस्थ महिलाओं के परिवार और अविवाहितों के साथ संबंधों की निरन्तरता

| अ.क्र. | निरन्तरता का स्वरूप | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | सम्पर्क व संबंध निरन्तर रहते हैं। | 38 | 26% |
| 2. | संबंध अवसर विशेष के साथ संबंधित हैं। | 22 | 14% |
| 3. | संबंध यदा–कदा के हैं। | 28 | 18% |
| 4. | पड़ोसी होने के कारण सामान्य संबंध हैं। | 62 | 42% |
| | योग | 150 | 100 |

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि 38 (26%) उत्तरदाता गृहस्थ महिलाओं की परिवार का जिन अविवाहित पुरूषों/स्त्रियों के साथ पारिवारिक संबंध है वह तात्कालिक अथवा अस्थायी न होकर नियमित है। इनका कथन है कि अविवाहित के साथ संपर्क रखने के कारण उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। इसी प्रकार यह व्यक्ति बिना इस तथ्य के प्रति चेतन रहते हुए कि वे अविवाहित है इन परिवारों के साथ सहज संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं। 22 (14%) उत्तरदाताओं का कथन है कि जिन अविवाहित के साथ उनके परिवार के संबंध है वे निरन्तर अथवा स्थायी प्रकृति के नहीं है विशेष अवसरों पर इन व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है अथवा जब उन्हें आवश्यक हो वे सहायता प्राप्त करते हैं। 28 (18%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित के साथ परिचय अवश्य ही है परन्तु किसी प्रकार के आत्मीय संबंधों का विकास नहीं हो पाया है। परिचित होने के नाते इन व्यक्तियों का उनके यहाँ आकस्मिक रूप से अथवा यदा–कदा आना होता है। 62 (42%) उत्तरदाताओं का अविवाहित के साथ सम्पर्क इसलिए है क्यों कि वे उनके पड़ोसी है। इसलिए इनसे संबंध रखना स्वाभाविक है इन पड़ोसियों के साथ उनके संबंध सामान्य है। सामान्य से अभिप्राय है न तो संबंध घनिष्ठ है और न ही नितान्त1 औपचारिक।

गृहस्थ महिलाओं से प्रश्न किया गया कि उनके वे परिचित जो कि अविवाहित हैं, वे उनके परिवार के साथ संबंधों का निर्वाह करते समय क्या उनके अविवाहित होने को बाधक मानते हैं अथवा इस आधार पर सहज संबंधों के बीच कोई दुराव रहता है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–143**
**अविवाहित के द्वारा परिचित परिवारों के साथ संबंधों के निर्वाह की प्रकृति**

| अ.क्र. | संबंधों की प्रकृति | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | आचरण सहज रहता है। | 38 | 26% |
| 2. | सहज आचरण नहीं करते हैं। | 25 | 16% |
| 3. | व्यवहारिकता नहीं दिखाई देती हैं। | 21 | 14% |
| 4. | अविवाहित होने से कुण्ठित प्रतीत होते हैं। | 40 | 27% |
| 5. | अविवाहित होने के बाबजूद यह प्रभाव डालना चाहते है कि वे सब कुछ जानते हैं। | 26 | 17% |
| | योग | 150 | 100 |

तालिका प्रतिवेदित करती है कि अविवाहित के द्वारा परिस्थितओं के परिवारों के साथ सम्बन्धों का निर्वाह की प्रक्रिया किस प्रकार की है। 38 (26%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि अविवाहित का आचरण उनके व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के समक्ष सहज रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि अविवाहित रहना परिचित गृहस्थ/परिवारों के साथ सम्बन्धों के निर्वाह में बाधक नहीं बनता है। परिवारों में अविवाहित समयानुकुल आचरण करते हैं इसलिए न तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी होती है और न ही परिजनों को। 25 (16%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित होने के कारण गृहस्थों/परिवारों के साथ उनका आचरण सहज प्रतीत नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वे संकोची प्रवृत्ति के होते है तथा यह निर्धारित नहीं कर पाते

है कि उनका यह आचरण पारिवारिक वातावरण के अनुकूल रहेगा अथवा नहीं इसलिये वे प्रायः संबंधों के निर्वाह में अपनी ओर से किसी प्रकार की पहल न करते हुए जो कुछ अपेक्षायें उनसे रखी जाती है उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। 21 (14%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहितों के व्यवहार में व्यवहारिकता कम दिखाई देती है उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि परिवार में बातचीत करते समय परिवेश, संबंध, आयु आदि का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए परन्तु उनके परिचित अविवाहित हास–परिहास के समय खान–पान के समय और अन्य अवसरों पर समय सूरकता एवं आवश्यक औपचारिकताओं व दूरी का ध्यान नहीं रखते है इसमें कभी–कभी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 40 (27%) उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके परिचित अविवाहित के आचरण से स्पष्ट आभास मिलता है कि वे विवाह करना चाहते थे परन्तु किन्ही कारणों वश या तो विवाह नहीं हो पाया अथवा वे नहीं कर सके। इस स्थिति ने उनमें कुण्ठा उत्पन्न की और यह कुण्ठा उसके आचरण में उनके द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं, पारिवारिक जीवन से संबंधित मेल–जोल ढूढना, अनावश्यक परामर्श देना, असंयमित आचरण करना, अनावश्यक रूप से क्रोधित हो जाना अथवा प्रसन्नता व्यक्त करना आदि से प्रगट होता है। 26 (17%) उत्तरदाता महिलाओं ने प्रतिवेदित किया है कि लगभग उपरोक्तानुसार ही आचरण वे उनके परिचित अविवाहित में भी पाती है। वे संदर्भ में यह भी जोड़ते हैं कि ऐसी कुण्ठा से ग्रस्त होने के कारण अविवाहित यह प्रभाव डालना चाहते हैं कि विवाह न करने के बाबजूद भी वे पारिवारिक जीवन, समस्याओं, बच्चों की देखभाल, पर्व, व्रत आदि के विषय में परिपूर्ण जानकारी रखते है। और इस प्रकार अविवाहित रहने के उपरान्त भी वे सभी मामलों में पूर्णतः दक्ष हैं।

# अविवाहितों के साथ समाज की सहभागिता
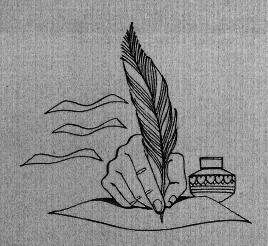
# अविवाहितों के साथ समाज सहभागिता

अविवाहित रहना एक असामान्य आचरण है इसका अभिप्राय यह नहीं हुआ है कि अविवाहितों का समाज में कोई स्थान नहीं होता है। अविवाहित भी समाज के उसी प्रकार सामान्य सदस्य होते है जैसे कि अन्य व्यक्ति। पूर्ववर्ती पृष्ठों पर यह स्पष्ट किया गया है कि अविवाहित रहने वाले व्यक्तियों की मुख्यतः दो श्रेणियाँ हैं। वे जो विवाह करना चाहते थे परन्तु कतिपय कारणों से वे विवाह न कर पाये अथवा उनका विवाह नहीं हो सका। द्वितीय वे जो विवाह शरीरिक संयोग पारिवारिक दायित्व आदि में रूचि नहीं रखते थे और इसलिए विवाह करने का विचार उनमें उत्पन्न नहीं हुआ अथवा यदि ऐसे प्रस्ताव आये भी तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया इसी आधार पर पूर्ववर्ती पृष्ठों पर यह भी उल्लेख किया गया है कि अविवाहित की प्रकृति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम जो विवाह न कर सकने के कारण कुण्ठित है और द्वितीय वे जिनमें किसी प्रकार की कुण्ठा दिखाई नहीं देती है। इन दो प्रकार के और दो प्रकृति के अविवाहित के द्वारा वर्तमान जीवन निर्वाह हेतु एकाकी, माता–पिता के साथ अथवा किसी अन्य नातेदार के साथ रहते हुए एक व्यवस्था विकसित कर ली है। इसके सम्पर्क और संचार का क्षेत्र केवल इस व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। जहाँ कार्य करते है वहाँ पर भी अपने सहकर्मियों के साथ उनके न केवल कार्यालयीन बल्कि परिवार के साथ संबंधों का विस्तार होता है। इसी तारतम्य में 150 ऐसे परिवार जिनका एक अथवा अधिक अविवाहित के साथ सम्पर्क है, का अध्ययन किया गया इसी अध्ययन के माध्यम से प्रथम तो यह जानना अभिलक्षित था कि विवाहित महिलायें अविवाहित रहने की प्रति क्या दृष्टिकोण रखती है तथा अविवाहित व्यक्तियों के साथ संबंध रखना उन्हें (पारिवारिक दृष्टि से ) कैसा अनुभव होता है। इसकी चर्चा अध्याय क्रमांक–9 में की गई है। प्रस्तुत अध्याय में अविवाहित के साथ अर्न्तक्रियाओं का स्वरूप, संबंध, बाधायें तथा अविवाहित के साथ संबंधों के निर्वाह से संबंधित पक्षों विषयक अध्ययन प्रस्तुत है।

जैसा कि उपरोक्त पैरा में उल्लेख किया गया है कि अविवाहित होने के उपरान्त भी समाज के अनिवार्य भाग हैं। शेष समाज से प्रथक न तो वह रह सकते हैं और न ही समाज ऐसे अविवाहित की उपेक्षा कर सकता है। भारत में विशेष रूप से अभी न तो इतना यंत्रीकरण हुआ है और न ही शासकीय और अशासकीय अभिकरण ( एजेन्सीज) तथा सेवा देने वाले कर्मचारी है जो कि पारिवारिक के एवज में समस्त कार्यों का जिम्मा

स्वयं उठा ले तथा व्यक्ति को एकाकी रहते हुए भी सहज और सुख–सुविधा संम्पन्न बना दें। पश्चिमी समाज ही अवश्य ही इस प्रकार की सुविधायें प्राप्त है जो कि न केवल व्यक्ति की दैनन्दिनी अवसर की पूर्ति सहज करते है बल्कि व्यक्ति की मृत्यु पर उसको अंतिम क्रिया तक का जिम्मा (ठेका) ले लेते हैं। इसलिए पाश्चात्य समाज में अविवाहित शेष समाज से औपचारिक अथवा न्यूनतम संबंध रखते हुए भी जीवन निर्वाह का सकते है। भारतीय समाज में चाहे अविवाहित हो अथवा विवाहित वह अपने परिवेश से जुड़ा रहता है तथा समुदाय के सहयोग से अपनी आवश्यकता पूरी करता है व सुरक्षा प्राप्त करता है। सर्वेक्षित 150 गृहथियों की उत्तरदाता महिलाओं के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अविवाहित के साथ उनके संबंध चाहे औपचारिक हों, सामान्य अथवा घनिष्ठ, उनके पार्श्व में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रही है। अतः संबंध स्वाभाविक हैं। यह बात भिन्न है कि संबंध रखना पसंद करते है अथवा नहीं करते हैं। उल्लेखनीय यह है कि पसंद न करते हुए भी संबंधों का निर्वाह तो किया ही जाता है इस तारतम्य में उत्तरदाताओं महिलाओं से यह पूछा गया कि जो अविवाहित व्यक्ति है उनके साथ उनके परिवार का संबंधित होना वे अथवा उनके परिवार के सदस्य पसंद करते है या नहीं। प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक–144**

**अविवाहितों के साथ संबंध रखने विषयक प्राथमिकता**

| अ.क्र. | प्राथमिकता | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | पसंद करते हैं। | 110 | 74% |
| 2. | पसंद नहीं करते हैं। | 40 | 26% |
| | योग | 150 | 100 |

उपरोक्त साँख्यिकीय व्यक्त करती है कि 110 (74%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित पुरूषों का कथन है कि अविवाहित पुरूषों/स्त्रियों के साथ संबंध रखना उन्हें और उनके परिजनों को पसंद हैं। केवल 40 (26%) उत्तरदाताओं के द्वारा इस संबंध में नकारार्थी मत व्यक्त किया गया है। इसी से संलग्न यह प्रश्न पूछा

गया कि यदि संबंध रखना पसंद करते हैं तो क्यों और नहीं तो क्यों। इस विषय में कृपया निम्नांकित तालिका का अवलोकन कीजिए।

**तालिका क्रमांक–145**

**अविवाहित पुरूषों/स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखने की तत्परता – कारण**

| अ.क्र. | कारण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | अन्यों के समान सहज सम्बन्ध है। इसमें उनका अविवाहित कोई प्रभाव नहीं डालता । | 110 | 74% |
| 2. | वे अविवाहित है इसलिये उनके प्रति दया – भाव है। | 22 | 14% |
| 3. | हमारे परिवार में आत्मीयता और सहयोग मिलता है इसलिये वे स्वयं सम्बन्ध बनायें रखते है। | 68 | 45% |
| 4. | उनके विरूध ऐसे कोई तथ्यों की जानकारी नहीं है जिसके उनके साथ सम्बन्ध न रखा जाये। | 110 | 74% |
| 5. | उन्हें हमारे बच्चों के साथ स्नेह है। | 18 | 12% |
| 6. | वे हमारे पारिवारिक कार्यो में आवश्यकतानुसार सहायता करते है। | 51 | 34% |

तालिका की साँख्यिकी प्रतिवेदित करती है 110 (74%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि अन्य विवाहित सामान्य व्यक्तियों की तरह अविवाहित के साथ भी उनके सम्बन्ध सहज व सामान्य है। सामान्य सम्बन्धों को बनाने में किसी का विवाहित या अविवाहित होना बाधक नहीं होता है यह भी समाज में रहते है व सामाजिक – प्राणी है इसलिये अन्य विवाहित व्यक्तियों की तरह इनका आचरण भी सामान्य होता है। 22

(14%) उत्तरदाताओं का कथन है कि क्यों कि वह अविवाहित है उनका अपना कोई परिवार नहीं है तथा वह एकाकी रहते है इस कारण अविवाहित पति उनके मन में दया भाव रहता है और वह उनसे सम्बन्ध बनाये रखना चाहते है। 68 (45%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अकेले रहते है और आत्मीयता तथा स्नेह को अन्य परिवारों में ढूँढ़ने का प्रयास करते है वह यह चाहते है कि उनके साथ भी कोई सहयोगात्मक रूख अपनायें, हमारे परिवार में आत्मीयता व सहयोग उन्हें मिलता है इस कारण वह स्वयं सम्बन्ध बनाने को तत्पर रहते है। 110 (74%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अक्सर अविवाहित को समाज शंका की दृष्टि से देखते है इस कारण भी विवाहित व्यक्ति उनके साथ सम्बन्ध रखना अच्छा नहीं समझते है। लेकिन जिन अविवाहित व्यक्तियों के साथ में इनके व इनके परिवार के अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध है उनके विरूद्ध इस तरह का कोई भ्रामक तथ्य सुनने में नहीं आया है और न ही उनके चरित्र के बारे में उन्हें कोई सन्देह है जिस कारण से उनके साथ कोई सम्बन्ध न रखा जायें 18 (12%) उत्तरदाताओं का कथन है कि इस प्रकार के अविवाहित व्यक्ति उनके बच्चों के प्रति अत्याधिक स्नेह रखते है अपने बच्चे न होने के कारण वह इस बच्चों के माध्यम से अपना मन बदलाने का प्रयास करते है। 51 (34%) उत्तरदाताओं का कथन है कि आवश्यक होने पर वह उन्हें हर प्रकार पारिवारिक कार्यो में सहायता करते है इस कारण दोनों पक्षों को ही लाभ होता है व उनका समय भी अच्छे से व्यतीत हो जाता है। और इनके सम्बन्ध भी मधुर होते है।

जिन उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि उन्हें अविवाहित परिचितों के साथ सम्बन्ध रखना पसन्द नहीं है उनके द्वारा इसके उत्तरदायी कारण निम्नानुसार बतायें गये है।

## तालिका क्रमांक—146
## अविवाहित के साथ सम्बन्ध रखने की अनिच्छा के कारण

| अ.क्र. | कारण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | वे अत्यन्त आत्म केन्द्रित और अर्न्तमुखी देखे गये है। | 21 | 14% |
| 2. | उनके स्वभाव, पसन्द, नापसन्द आदि के विषय में कुछ निश्चित नहीं रहता है इसलिये नापसंद है। | 40 | 26% |
| 3. | उनके आचरण से उनकी कुण्ठा स्पष्ट झलकती है जो कि उन्हें पसंद नहीं है। | 40 | 26% |
| 4. | वे अनावश्यक रूप से पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करते है। | 32 | 22% |
| 5. | परिवारों के वृद्धों को उनका आना जाना पसंद नहीं है। | 12 | 08% |
| 6. | उनके विषय में पड़ोसियों के विचार अच्छे नहीं है। | 28 | 18% |

उपरोक्त तालिका में व्यक्त विचारों में से अनेक के प्रति वे उत्तरदाता भी सहमत है जो कि अविवाहित के साथ सम्बन्ध रखना पसंद करते है। उनका मत हे कि अविवाहित की उन विलक्षणताओं के उपरान्त भी वे उनके साथ आत्मीय और सहिष्णु है इसलिए उनके आचरणों के प्रति असहमति होते हुए भी संबंध सहज है और संबंध रखना वे पसंद करती है। केवल 21 (14%) उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया है कि अविवाहित आत्मकेन्द्रित व अर्न्तमुखी प्रकृति के होते है इस कारण वह स्वयं ही अन्यों से सम्बन्ध रखना अधिक पसंद नहीं करते है। 40 (26%) उत्तरदाताओं का कथन है कि वे इन अविवाहित की पसंद व नापसंद का क्या है तथा उन्हें किस प्रकार का आचरण

अच्छा लगता है इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है इस कारण वह उनसे सम्बन्ध रखना पसंद नहीं करते है। इतने ही उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके व्यवहार व आचरण की अभिव्यक्ति से यह व्यक्त होता है कि अविवाहित होने के कारण उनके मन में कुण्ठा बनी हुई है इस कारण वह असामान्य व्यवहार करते है 32 (22%) उत्तरदाताओं का कथन है कि इनकी आदत होती है यह अनावश्यक रूप से पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करते है जो कि इन्हें पसंद नहीं है। 12 (08%) उत्तरदाताओं का कथन है कि उनका संयुक्त परिवार है व परिवार में रहने वाले वृद्धजन उन्हें हीन दृष्टि से देखते है उनके चरित्र के प्रति शंका करते है व उनका आना जाना पसंद नहीं करते है। 28 (18%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित के साथ सम्बन्ध रखने के कारण उनके पड़ोसी उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते है इस कारण भी वे उनसे सम्बन्ध रखना पसंद नहीं करते है।

सम्बन्धों का निर्वाह मौखिक न होकर अर्न्तक्रियात्मक होता है। उत्तरदाता महिलाओं से पूछा गया कि वे अवसर कौन से है जबकि उनके परिचित/नातेदार अविवाहित व्यक्ति यहाँ आते है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–147**

**अविवाहित के साथ अर्न्तक्रियाओं के अवसर**

| अ.क्र. | अवसर | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | कोई निश्चय नहीं है। | 131 | 92% |
| 2. | पर्व, अवकाश का दिन आदि। | 51 | 34% |
| 3. | बच्चों की सालगिरह एवं इसी प्रकार के अन्य सुखद अवसरों पर। | 130 | 91% |
| 4. | किसी प्रकार की सहायता अपेक्षित होने पर। | 51 | 34% |
| 5. | परिवार के किसी सदस्य की अस्वस्थाता पर। | 32 | 22% |

तालिका में दी गई साँख्यिकी प्रगट करती है कि अविवाहित किन–किन अवसरों पर परिवार में जाते है। 131 (92%) महिलाओं ने व्यक्त किया है कि अविवाहित के साथ सम्बन्ध होने के कारण यह निश्चित नहीं है कि वह कब उनके यहाँ आयेगें क्याकि उनके परिवार में उनके आने–जाने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंद्ध नहीं है। 51 (34%) उत्तरदाताओं का कथन है कि पर्व व अवकाश के अवसर पर अविवाहित उनके यहाँ अकसर आते–जाते है जिससे इन्हें अर्न्तक्रिया के अवसर प्राप्त होते है। 130 (91%) उत्तरदाताओं का कथन है कि बच्चों की सालगिरह व इसी प्रकार के अन्य सुखद अवसरों पर यह उन्हें आमंत्रित करते है ताकि उन्हें एकाकीपन नहीं अखरे व पारिवारिकता व आत्मीयता महसूस कर सके। 51 (34%) उत्तरदाताओं का कथन है कि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो या अविवाहित उनसे किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा रखते हों तो ऐसे समय में वह उनके यहाँ आते है। 32 (22%) उत्तरदाताओं का कथन है कि परिवार के किसी सदस्य की अस्वस्थता इत्यादि पर अविवाहित उनके यहाँ आते व सहायता करते है।

सम्बन्धों का निर्वाह दिमार्गी प्रक्रिया है। प्रस्तुत अध्ययन में यह दो पक्ष है अविवाहित एवं उनके विवाहित मित्र, नातेदार व उनका परिवार उत्तरदाता महिलाओं से जानकारी प्राप्त की गई कि किन मामलों में उन्हें अविवाहित मित्रों / पड़ोसियों / नातेदारों की सहायता मिलती है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक—148
## अविवाहितों से सहायता के प्राप्त अवसर

| अ.क्र. | सहायता के अवसर | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | बिना किसी अवसर के जबकि आवश्यक हो। | 130 | 91% |
| 2. | परिवार के किसी सदस्य की बीमारी पर। | 32 | 22% |
| 3. | पर्व, त्योहार, सालगिरह आदि अवसरों पर तत्सम्बन्धी तैयारी में । | 81 | 54% |
| 4. | बच्चों की शिक्षा में पड़ोसी अविवाहित के द्वारा सहायता। | 45 | 30% |
| 5. | बच्चों कर देखभाल में पड़ोसी अविवाहित के द्वारा सहायता। | 45 | 30% |
| 6. | आर्थिक आवश्यकता होने पर सहायता। | 78 | 52% |
| 7. | पति/पत्नी/परिजनों को (मनोरंजन) साथ देने के लिये। | 99 | 66% |
| 8. | वरिष्ठ व्यक्ति की तरह मार्ग दर्शन। | 93 | 64% |

उपरोक्त तालिका में दी गई साँख्यिकी प्रतिवेदित करती है कि गृहस्थ महिलाओं व उनके परिवार को अविवाहित पड़ोसियों/मित्रों व नातेदारों से उन्हें किस–किस प्रकार की सहायता मिलती हैं। 130 (91%) गृहस्थ महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके अविवाहित मित्रों/पड़ोसियों नातेदारी के साथ में उनके संबंध इतने घनिष्ठ हैं कि बिना किसी अवसर के जब भी उन्हें इनसे किसी प्रकार की पारिवारिक एवं अन्य घर के कार्यो तथा परेशानी में इनकी आवश्यकता हो यह उनके कार्य करने को तत्पर रहते हैं। 32 (22%) महिलाओं का कथन है कि उनके व उनके परिवार के किसी भी सदस्य की अस्वस्थता के समय यह उनकी सहायता करने के लिये हमेशा तत्पर रहते हैं,

बीमारी की अवस्था में बाहर से दवाई इत्यादि लाकर देना एवं डाक्टर को बुलाना इत्यादि इन कार्यो को करने में निसंकोच आगे आते हैं। 81 (54%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि पर्व, त्यौहार एवं बच्चों की सालगिरह आदि के अनेक ऐसे अवसरों की तत्संबंधी तैयारी में उन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता होती हैं। विवाहित स्त्रियों/पुरूषों को अपना स्ववं का परिवार होने व गृहस्थी संबंधी अनेक कार्य होने से अन्यों को समय देना कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में उनके अविवाहित मित्र/पड़ोसी एवं नातेदार उनकी यथा सम्भव सहायता करने को तैयार रहते हैं। उनकी इस प्रकार की सहायता से उनका अपना एकाकी पन भी समाप्त होता है परिवार से प्राप्त होने वाली आत्मीयता व स्नेह की पूर्ति होती है तथा साथ ही गृहस्थों को सहयोग भी प्राप्त होता हैं। 45 (30%) महिलाओं का कथन है, अविवाहितों का क्यों कि अपना जनन का परिवार एवं बच्चे नहीं होते और अकेले होने के कारण एकाकीपन भी खलता है अतः गृहस्थों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण वह उनके बच्चों की शिक्षा में सहयोग देते है इससे उनका एकाकीपन दूर होने के साथ–साथ बच्चों के प्रति स्नेह भाव में भी वुद्धि होती है तथा इस सहयोग के माध्यम से बच्चों के विकास में भी सहायता मिलती है। इतनी ही उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि बच्चों की बीमारी के समय या आवश्यकता पड़ने पर वह बच्चों की पूर्णता देखभाल भी करते है। जैसे उन्हें अगर कहीं जाना हो तो उतने समय वह बच्चों को अपने पास रखते है व उन्हें पूर्ण ममत्व एवं प्यार देने का प्रयास करते है जिससे बच्चों को अपने माता–पिता की कमी महसूस न हो। 78 (54%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अगर उनके सामने कोई आर्थिक समस्या हो अचानक अधिक पैसों की आवश्यकता हो तो यह उनकी आर्थिक सहायता करने को भी तत्पर रहते है क्योंकि अकेले होने के कारण इनके स्वयं के खर्च अन्य गृहस्थ व्यक्तियों से कम होते हैं। अतः आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार भी सहायता करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। 99 (66%) महिलाओं का कथन है उनके पति उनको स्वयं को या उनके घर आये हुए परिजनो को वह साथ ( मनोरंजन परक ) देने के लिए तैयार रहते हैं कभी–कभी अकेले होने के कारण व गृहस्थ के अनेक कार्यो के कारण वे आये हुए परिजनों का पूर्णतः साथ नहीं दे पाते ऐसे में उनके अविवाहित मित्र/पड़ोसियों का उन्हें

पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। 93 (64%) महिलाओं का कथन है कि उनके अविवाहित मित्र/पड़ोसियों/नातेदारों में कई व्यक्ति बुर्जग है अतः जब उन्हें पारिवारिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता हो तो वह उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहते हैं।

सर्वेक्षण में 62 उत्तरदाता महिलायें वे है जिनके निकट पड़ोसी अविवाहित/स्त्री अथवा पुरूष है। इन उत्तरदाताओं से पूछा गया कि इन पड़ोसियों में उन्हें यदि कोई परेशानी है तो वह तथा यदि सुविधायें है तो वे बतायें। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक—149**

**अविवाहित पड़ोसियों के साथ संबंधों का स्वरूप**

| अ.क्र. | संबंधों का स्वरूप | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | कोई असुविधा नहीं है। | 10 | 7% |
| 2. | इनके घर रहने के समय का निश्चित न होने के कारण, अनेक मामलों जैसे दूध लेना, धोबी से कपड़े लेना, सब्जी खरीदना, डाक रखना आदि कार्य हमें करने पड़ते है। | 42 | 28% |
| 3. | पड़ोसी होने के कारण कभी भी आकर लम्बे समय तक बैठे रहते है। इसमे परेशानी होती है। | 31 | 21% |
| 4. | पड़ोसी होने के कारण परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध है इसलिए अनावश्यक रूप से पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं | 18 | 12% |
| 5. | वे समय बिताने के लिए पति/बच्चों को अधिक समय तक बैठाये रखते है जिससे परेशानी होती है। | 31 | 21% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | बच्चों को अत्याधिक लाड़ प्यार करते है जिससे घर में बच्चों का व्यवहार ऊछंखल होता है | 49 | 34% |
| 7. | दैनदिन आवश्यकता की वस्तुएं अक्सर मांगते रहते हैं। | 52 | 35% |
| 8. | इनके अपने शौक जैसे—मनोरंजनपरक पत्रिकाओं, असाहित्यिक उपन्यास, विडियो गेम, वी.सी.आर., आदि देखने का बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। | 28 | 19% |

उपरोक्त तालिका में दी गई साँख्यिकी अविवाहित पड़ोसियों के साथ संबंधों के स्वरूप के प्रगट करती है। 10 (7%) गृहस्थ महिलाओं का कथन है कि उनके अविवाहित पड़ोसियों से उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। क्योंकि वह उनके किसी कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप इत्यादि नहीं करते। 42 (28%) उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके अविवाहित पड़ोसियों का घर रहने का निश्चित समय नहीं होता अक्सर वह अकेले होने के कारण अपना अधिक समय घर के बाहर व्यतीत करते है ऐसे में उनके अनेक कार्य—दूध लेना, धोबी के कपड़े लेना, सब्जी खरीदना, डाक रखना इत्यादि इतने कार्य हो जाते है जिन्हें अपने गृहस्थ के अनेक कार्यों के साथ यह अतिरिक्त कार्य भी करने पड़ते है, जिससे अक्सर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। 31 (21%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि उनका अपना कोई परिवार नहीं और वह उनके पड़ोसी भी है। इस नाते अपने एकाकी पन को दूर करने या समय व्यतीत करने के उद्देश्य से वह यह सोचे बिना कि गृहस्थ व्यक्तियों की अपनी जिम्मेदारियाँ व कार्य होते हैं, आकर घर में बैठ जाते है व लम्बे समय तक बैठे रहते है इसे उनके घर के सारे कार्य उथल—पुथल हो जाते है जिसमें अक्सर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतनी ही उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि अपना समय व्यतीत करने के लिए उनके अविवाहित पड़ोसी उनके पति/बच्चों के उनके घर पर

जाने पर लम्बे समय तक बिठायें रखते है व उन्हें अपने घर आने नहीं देते जिससे घर के अन्य लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 18 (12%) उत्तरदाताओं का कथन है कि परिवार के साथ उनके संबंध घनिष्ठ है। इस कारण कभी–कभी बिना सलाह मांगे भी व अनावश्यक रूप से उनके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते है। जैसे–पति/पत्नी के कपड़ो, बच्चों के व्यवहार को लेकर, बाहर जाने आने संबंधी बातों को लेकर। इससे उन्हें अक्सर बहुत खीझ होती है। 49 (34%) उत्तरदाताओं का कथन है कि बच्चे कुछ समय के लिए ही इनके पास जाते है और ऐसे में वह उनको अत्याधिक लाड़–प्यार व स्नेह देते है जिससे घर में बच्चों का व्यवहार उच्छखल व कभी–कभी असहनीय भी हो जाता है, 52 (35%) उत्तरदाताओं का कथन है अविवाहित अकेले होने के कारण दैनदिन जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुओं को भी घर नहीं लाते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर अक्सर उनसे मांगते रहते है जिससे घर में इन बातों को लेकर अक्सर तनाव व परेशानी की स्थिति पैदा हो जाती है। 28 (19%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अकेले होने के कारण इनके अपने अलग प्रकार के शौक है जैसे अधिक मनोरंजन, पत्रिकायें पढ़ना, असाहित्यिक उपन्यास पढ़ना, वीडियों–गेम खेलना, वी.सी. आर पर अत्याधिक पिक्चर देखना, ऐसे में बच्चे अक्सर जब उनके यहाँ जाते रहते है तो उनकी इन मनोरंजन परक क्रियाओं का बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उपरोक्त 62 उत्तरदाताओं के अतिरिक्त 88 उत्तरदाता महिलायें वे है जिनके परिचित अविवाहित पुरूष/महिलायें पड़ोसी नहीं है इन उत्तरदाताओं ो पूछा गया कि अविवाहित परिचितों से उन्हें क्या कठिनाई है। प्राप्त उत्तर इस प्रकार है।

## तालिका क्रमांक–150
## गैर पड़ोसी अविवाहितों के साथ संबंधों का स्वरूप

| अ.क्र. | संबंधों का स्वरूप | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | कोई असुविधा नहीं है। | 32 | 22% |
| 2. | सम्पर्क स्थापित करना कठिन होता है क्योंकि प्रायः वे घर नहीं मिलते हैं। | 61 | 40% |
| 3. | संबंध घनिष्ठ होने के कारण पारिवारिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। | 53 | 36% |
| 4. | अपना समय व्यतीत करने के लिए अक्सर घर आकर लम्बे समय तक बैठे रहते है। जिससे परेशानी होती है। | 53 | 36% |
| 5. | बच्चों को अत्याधिक लाड़–प्यार करते है तथा भेंट उपहार आदि देते है जिससे कि बच्चों की अपेक्षायें बढ़ जाती है। | 31 | 20% |
| 6. | वस्तुएं मांगने की आदत है, तथा लौटाने की तत्परता नहीं रखते है। | 11 | 8% |
| 7. | घर आने पर हर बार स्वागत–सत्कार की आकांक्षा रखते है। | 53 | 36% |
| 8. | जरा भी असुबिधा, हल्की सी बीमारी होने पर चाहते है कि उनकी और भरपूर ध्यान दिया जाये। | 53 | 36% |
| 9. | एकाकी जीवन की समस्याओं की बार–बार चर्चा करते हैं। | 29 | 20% |

32 (22%) उत्तरदाताओं गृहस्थ महिलाओं ने प्रतिवेदित किया है कि गैर पड़ोसी अविवाहित स्त्रियों/पुरुषों के साथ उन्हें संबंध रखने में किसी प्रकार की कोई असुविधा

नहीं होती हैं, क्योंकि उनका व्यवहार व संबंध भी अन्य विवाहित व्यक्तियों की तरह ही उनके माप भी हैं। 61 (40%) उत्तरदाताओं का कथन है कि यह लोग अकेले रहते है इसलिये वह अपना अधिक समय घर में व्यतीत न करके बाहर व्यतीत करते है इसलिये इनसे सम्पर्क स्थापित करना कठिन हो जाता है क्योंकि प्रायः उनके घर जाने पर वह घर में मिलते ही नहीं हैं। इसलिये चाह कर भी संबंध रखना मुश्किल हो जाता है। 53 (36%) उत्तरदातााओं का कथन है कि क्यों इन अविवाहित के साथ उनके सम्बन्ध घनिष्ठ हैं और अपनी इंस घनिष्ठता को प्रगट करने के लिये वह अनावश्यक रूप से उनके न चाहने पर यदि उनके परिवार मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और अपनी सलाह देने को तत्पर रहते हैं जिसमें अक्सर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। इतने ही उत्तरदाताओं का कथन है कि अपना समय व्यतीत करने के लिये वह लम्बे समय तक उनके घर पर आकर बैठे रहते है व अपनी अनावश्यक सलाहें देने का प्रयास करतें हैं तथा इनके लम्बे समय तक घर बैठे रहने के कारण अन्य अनेक कार्यो को करने में बाधा उत्पन्न होती है व समय का अत्यधिक दुरूपयोग होता हैं। 31 (20%) उत्तरदाताओं का कथन है कि उनके अपने बच्चें नहीं है और न ही अधिक जिम्मेंदारियां इस कारण वह जब भी उनके घर आते हैं तो बच्चों को अत्याधिक लाड़ प्यार करते हैं व उनके लिये अक्सर भेंट उपहार लातें हैं। जिससे माता–पिता से भी बच्चों की अपेक्षायें बढ़ जाती हैं और उनके पूर्णन होने पर माता–पिता के प्रति विद्रोही व उच्छखल व्यवहार करने लगते हैं। 11 (8%) उत्तरदाताओं का कथन है कि वह अक्सर उनसे घर में काम आने वाली वस्तुओं को मांग कर ले जाते हैं व ये किसी तरह की कोई तत्परता नहीं रखते हैं जिसमें वस्तु की जरूरत पड़ने पर उन्हें अत्याधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। 53 (36%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित मित्र नातेदार भी उनके घर आतें है वह हर बार उनमें विशेष स्वागत, सत्कार की अपेक्षा रखते हैं व अपेक्षा पूर्ण न होने पर जल्दी नहीं नाराज व क्रोधित भी हो जाते हैं। इतनी ही उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि वह हल्की सी बीमारी के समय भी गृहस्थी से यह अपेक्षा करते है कि उन्हें किसी प्रकार की भी असुविधा न हो और उन पर पूरा समय व ध्यान दिया जाए जो कि गृहस्थ महिला/पुरूष के लिये मुशिकल हैं। 29 (20%) उत्तरदाताओं का कथन है कि वह एकाकी जीवन से परेशान है इस कारण उनके सामने अनेक समस्यायें हैं।

गृहस्थों की समस्याओं को ध्यान न रखते हुए वह अपने एकांकी पन से सम्बधिंत समस्याओं की बार–बार चर्चा करते है व अन्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं।

उत्तरदाता महिलाओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि अविवाहित पुरूषों महिलाओं के साथ सम्बन्धों के कारण क्या उनके पारिवारिक जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कथन इस प्रकार है।

**तालिका क्रमांक–151**
**अविवाहित पारिवारिक जीवन पर प्रभाव**

| अ.क्र. | प्रभाव | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | अनावश्यक रूप से बार–बार उनके आने अथवा पति के उनके यहाँ जाने के कारण कलह उत्पन्न होती है। | 84 | 56% |
| 2. | बच्चों को लेकर पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। | 80 | 53% |
| 3. | पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण कलह होती है | 71 | 48% |
| 4. | पारिवारिक के वृद्धजनों को इनका आना जाना पसंद न होने से तनाव रहता है। | 52 | 34% |
| 5. | सहायता की अपेक्षा खीझ उत्पन्न करती है। | 63 | 42% |

84 (56%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि अविवाहितों का अपना कोई परिवार नहीं इसलिये अधिक जिम्मेदारी न होने के कारण उन्हें प्रर्याप्त समय भी मिलता है इस समय को व्यतीत करना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है अतः इसे

व्यतीत करने के लिये वह अनावश्यक रूप से बार–बार गृहस्थों के यहाँ आते है अथवा उनके पति को अपने साथ ले जाते है इस कारण से कई बार उनके घर में कलह उत्पन्न होती है व घर का माहौल खराब हो जाता है। 80 (53%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित बच्चों को अनावश्यक लाड़ प्यार करते है व भेट उपहार देते रहते है या अकेला पन दूर करने के लिए बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाते है घर में बच्चों की अत्याधिक अनुपस्थिति बच्चों को लेकर पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना देती हैं। 71 (48%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित उनके पारिवारिक मामलों में जैसे बच्चों के पालन पोषण को लेकर पति के साथ बाहर आने जाने को लेकर संयुक्त परिवार में दूसरों के प्रति सम्मान व व्यवहार को लेकर घर की साफ सज्जा को लेकर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते रहते है जिस कारण परिवार में कलह होने का अंदेशा बना रहता हैं। 52 (34%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि उनका अपना संयुक्त परिवार है व परिवार में वृद्धजन भी रहते है अविवाहित के प्रति क्यों कि उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं हैं अतः वह इनका घर में आना जाना पसंद करते है और इनके आने जाने से घर में तनाव पूर्ण स्थिति बन जाती है। 63 (42%) महिलाओं का कथन है कि अविवाहित अकेले रहते है परिवार विहीन होते है इसलिए यह अपेक्षा रखते है कि शेष गृहस्थ के व्यक्ति उनकी हमेशा हर प्रकार से सहायता करते है इनकी इन अत्याधिक अपेक्षाओं के कारण कभी–कभी खीझ उत्पन्न होने लगती हैं।

जैसा कि अब तक के विवेचन में स्पष्ट हुआ है कि अविवाहित रहना सामाजिक आदर्शो के प्रतिकूल एक आचरंण है। भारतीय परिवेश में पत्नि/पति और बच्चों विहीन जीवन अपूर्ण ही नहीं असामान्य भी माना जाता है। यद्यपि अविवाहित भी समाज के एक सदस्य के रूप में अन्यो के साथ रहते हुए पूर्ण आयु जीते है तथा अपनी दैनन्दिन जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं परन्तु फिर भी इनके आचरण में सामान्य व्यक्तियों के आचरण से अनेक भिन्नतायें उत्तरदाताओं के द्वारा अनेक रूपों मे अभिव्यक्त हुई है। जिनकी विवेचना पूर्ववती पृष्ठों पर यथा स्थान की गई है। इस तारतम्य में सर्वेक्षित गृहस्थ महिलायें, जिनका की अविवाहित पुरूषों/ स्त्रियों के साथ पारिवारिक स्तर पर सम्बन्ध है उनके भी इस विषय में विचार ज्ञात किये गये है। उनके विचार निम्नांकित तालिका में संकलित हैं।

## तालिका क्रमांक—152
## अविवाहितों का आचरण—गृहस्थ महिलाओं का दृष्टि कोण

| अ.क्र. | आचरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | अविवाहित होने से कुण्ठित व्यकित्व प्रकट होता है। | 40 | 26% |
| 2. | अविवाहित रहकर कोई गलती नहीं की यह अनुभव करवाने का बार—बार प्रयास करते है। | 121 | 84% |
| 3. | अनावश्यक रूप में पारिवारिक मामला में हस्तक्षेप कर अन्यों के समान सामान्य अनुभवी होने का प्रदर्शन करते है। | 71 | 48% |
| 4. | उनके आचरण में असुरक्षा का भाव स्पष्टता परिलक्षित होता है। | 142 | 45% |
| 5. | भविष्य के प्रति असामान्य रूप से चिन्तित प्रतीत होते है। | 131 | 92% |
| 6. | अपने असहाय होने का प्रदर्शन कर सहानुभूति अर्जित करना चाहते है। | 102 | 68% |
| 7 | थोड़ी सहायता कर बदले अत्याधिक सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा रखते है। | 81 | 54% |
| 8. | परिचितों से निरन्तर सहायता विषेश कर भोजन मनोरंजन पर्व और त्योहरों में आमंत्राण आदि की अपेक्षा रखते है। | 81 | 54% |
| 9. | आम पुरूषों/स्त्रियों की तुलना में अकर्ण्मय एवं सुस्त होते है। | 92 | 60% |

| अ.क्र. | आचरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 10. | कंजूस प्रवृति के होते है। | 81 | 54% |
| 11. | अव्यवाहारिक बातें करते है। | 84 | 56% |
| 12. | अपने अलावा शेष समाज से उन्हें शिकायतें ही शिकायतें है। | 91 | 60% |

उपरोक्त तालिका में दी गई 40 (26%) महिला उत्तरदाताओं की साँख्यिकी यह प्रतिवेदित करती है कि अविवाहित का आचरण उनके कुण्ठित व्यक्तित्व एवं कुण्ठा को प्रगट करता है। यद्यपि बच्चों के प्रति इनका व्यवहार पति पत्नी के सम्बन्धों को लेकर अनावश्यक दुर्भाव पैदा करने की कोशिश पत्नियों को अपनी स्वतन्त्रता को लेकर पतियों के प्रति भड़कना पुरूषों की तानाशाही की बात करना एवं विवाहितों की पारिवारिक समस्याओं को न समझकर उनके ऊपर आक्षेप लगाना कि वह अनावश्यक रूप से पति से डर कर अपनी स्वतन्त्रता का हनन कर रहीं हैं उनके कुण्ठात्मक व्यक्तित्व को प्रगट करता हैं। उदाहरण स्वरूप एक विवाहित एवं नौकरी करने वाली महिला उत्तरदाता का कथन है कि क्यों कि उनकी बॉस स्वयं अविवाहित है अतः उनकी पारिवारिक समस्याओं को न समझते हुए उन पर अनावश्यक दबाव डालती रहती है व व्यंग्य करती है कि नौकरी एवं परिवार की समस्या या बच्चों की समस्या दो अलग–अलग चीजे है इन्हें नौकरी से अलग रख कर नौकरी की चिन्ता ज्यादा आवश्यक है जैसा कि वह करती हैं। 121 (84%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि जो स्त्रियों/पुरूष अविवाहित है वह बार–बार अपने व्यवहार से प्रकट करने का प्रयास करते है कि अविवाहित रहकर उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है वह इस जीवन से अत्याधिक सन्तुष्ट हैं। 71 (48%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित न पूछने पर भी अपनी घनिष्टता को प्रकट करने के लिये अनावश्यक रूप से उनके पारिवारिक मामलो में हस्तक्षेप करते रहते है व इस प्रकार यह प्रकट करने की चेष्टा करते है कि चाहे वह अविवाहित ही है लेकिन विवाहितो के समान अनुभव उन्हें भी हैं। 142 (45%) उत्तरदाताओं का कथन है कि इनके व्यवहार में असुरक्षा का भाव स्पष्ट झलकता है जैसे

बात–बात पर सलाह लेने के लिये घर आना कहीं आने जाने के लिये साथ ढूँढना, या परिवार के अन्य लोगो की सेवा इत्यादि देखकर अपने साथ तुलना करना जो उनके मन की असुरक्षा के भाव प्रकट करता हैं। 131 (92%) उत्तरदाताओं का कथन है कि उन्हें भविष्य की असामान्य रूप से अत्याधिक चिन्ता होती है जैसे उनकी वृद्धावस्था कैसे कटेगी कौन उनके साथ में रहेगे, पैसा अधिक होने से शायद अन्य लालच में उनकी देखभाल करेगे, इस असमान्य विचार के कारण वह पैसे को बहुत कंजुसी से खर्च करते है व भविष्य की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक बचत का सचेष्ट प्रयास करते हैं। 102 (68%) उत्तरदाता महिलाओं ने व्यक्त किया है कि वह अकेले है इस कारण असहाय व लाचार है बाहर आने जाने में परेशानी होती है या इस कारण वह जिम्मेदारियों से भी बचने का प्रयास करते हैं, व अपने अकेले पन और असहाय होने के प्रदर्शन कर दूसरों से सहानुभूति अर्पित करने का प्रयास करते हैं। 81 (54%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अगर वह गृहस्थों की किसी समस्या में काम आते है व थोड़ी सी सहायता कभी कर भी देते है तो बदले में उनसे अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा रखते है। इतनी ही उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित हमेशा अपने परिचितो से भोजन मनोरंजन तथा पर्व और त्यौहार आदि पर आमंत्रण की अपेक्षा रखते हैं तथा इस अपेक्षा के पूर्ण न होने पर नाराज भी हो जाते हैं। 92 (60%) उत्तरदाताओं का कथन हैं कि विवाहित स्त्री/पुरूष की तुलना में यह सुस्त होते है अकेले होने के कारण कुछ तो वह कार्य करते ही नहीं कि किसके लिये करे और क्यों करे हम अकेले का क्या है और कुछ यह सोच कर कि दूसरे परिचित उनके लिये कुछ करेगे वह अकर्मण्य और सुस्त हो जाते है। 81 (54%) उत्तरदाताओं का कथन है कि भविष्य भी चिन्ता ज्यादा करने के कारण पैसे को अत्याधिक बचा कर रखते है जो इनकी कंजूस प्रकृति को प्रकट करता है, किसी को भेंट उपहार देने से इसलिये कतराते है कि उनके घर तो लेने का कोई अवसर आयेगा ही नहीं इसलिये वह दूसरों को दे भी क्यों ? 84 (56%) उत्तरदाताओं का कथन है कि यह उत्पन्न अव्यवहारिक होते है कहाँ किससे किसी प्रकार बात करना है इस बात का ध्यान न रखते हुए व माहौल को न देखते हुए उसकें विपरीत बाते करने लगते हैं। जैसे पति के सामने पत्नी की बुराई करना उनके घर के झगड़ो को बढ़ावा

देता है। 91 (60%) उत्तरदाताओ का कथन है कि अकेले होने के कारण समय अधिक होता है शेष समाज से जब उन्हें उतना समय नहीं मिलता तो वह उनकी अपेक्षा के प्रतिकूल ही होता है ऐसे में उन्हें स्वयं को छोड़ कर एक व्यक्ति से कोई न कोई शिकायत बनी ही रहती हैं।

उपरोक्त कठिनाइयों के उपरान्त भी यह सत्य है कि अविवाहित समाज से पृथक न होकर समाज के सक्रिय सदस्य होते हैं न केवल इस सर्वेक्षण में सम्मिलित 150 परिवारों के साथ उनके सम्बन्ध है बल्कि अन्यों के साथ भी उनके सम्बन्ध हैं बल्कि अन्यों के साथ भी उनके सम्बन्ध अवश्य ही है। चूँकि विवाह न करना, चाहे स्वेच्छिक हो अथवा किसी कारण वश असामान्यता है इसलिये इनसे होने वाली कठिनाईयों अथवा प्राप्त होने वाले लाभों के उपरान्त भी इनके प्रति शेष समाज के लोगो में दया, करूणा, स्नेह, सहयोग की भावना आदि मानवीय कोमल भावनाओं के साथ–साथ घृणा, क्षोभ, क्रोध, उपेक्षा, परिहार आदि भी पाया जाना सहज हैं। इसी तारतम्य में उत्तरदाता महिलाओं से उनकी प्रतिक्रिया जानी गई। इसे निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

**तालिका क्रमांक–153**

**अविवाहित के प्रति मानवीय दृष्टि कोण**

| अ.क्र. | दृष्टि कोण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | दया के पात्र है। | 22 | 14% |
| 2. | विवाह न करना अपना निर्णय है इसलिये दया की उन्हें नहीं रखना चाहिए। | 84 | 56% |
| 3. | दया अनावश्यक है। | 104 | 69% |
| 4. | सम्बन्ध विवाहित या अविवाहित रहने के मापदण्ड पर नहीं, वैयक्तिक गुणों पर निर्भर करते है। | 131 | 92% |

| अ.क्र. | दृष्टि कोण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 5. | सहयोग भले ही नहीं किया जाये परन्तु घृणा करना उपयुक्त नहीं है। | 140 | 94% |
| 6. | सम्बन्ध मर्यादित रखने पर उनकी अधिक स्नेह, दया भाव रखा जा सकता है। | 66 | 44% |
| 7. | उनकी सुरक्षा रखना समाज का कर्त्तय है। | 94 | 64% |
| 8. | उनकी सुरक्षा का दायित्व समाज पर नहीं है। | 56 | 38% |

22 (14%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि क्योंकि कई अविवाहित व्यक्ति परिस्थितियों पर अविवाहित है अपनी इच्छा से नहीं और इनका एकाकीपन तथा परिवार न होना इन्हें बहुत त्रस्त करता होगा इस कारण शेष समाज को इन्हें सहानुभूति देना चाहिए हेयदृष्टि से न देखते हुए इनसे सम्बन्ध बनाने का प्रयास करें क्योंकि अन्यों से अलग होने के कारण यह दया के पात्र है क्योंकि इनकी परेशानी में कोई इनकी सहायता करने वाला नहीं हैं। 84 (56%) उत्तरदाताओं का कथन है कि उन्होने अविवाहित रहना अपनी इच्छा से स्वीकारा है क्योंकि यह पारिवारिक दायित्वों से बचना चाहते थे व अपनी स्वतन्त्रता का हनन नहीं होने देना चाहते थे किसी का भी बंधन किसी रूप में भी इन्हें स्वीकार नहीं, इस कारण उन्होनें यह निर्णय लिया है अतः इन्हें समाज से दया की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। 104 (69%) उत्तरदाताओं का कथन है कि यह स्वयं अपने पैरो पर खड़े है आर्थिक रूप से सक्षम है व अपने हर निर्णय के लिये स्वतन्त्र है किसी का कोई बंधन इन पर नहीं हैं अतः इनके प्रति दया अनावश्यक है क्योंकि यह अविवाहित जरूर है लेकिन अक्षम नहीं है जब अपने सारे कार्य यह स्वयं कर सकते है तो अनावश्यक रूप से उन्हें दया व सहानुभूति देकर अक्षम क्यों बनाया जायें। 131 (92%) उत्तरदाताओं का कथन है कि किसी भी व्यक्ति का विवाहित अथवा अविवाहित उसके व्यवहार रहन–सहन, बोल–चाल, व्यक्तित्व व्यक्तित्व का मापदण्ड

नहीं हैं। अपितु व्यक्ति चाहे विवाहित हो या अविवाहित समाज के साथ उसके सम्बन्ध इस बात पर निर्भर करते है कि उसके अपने वैयक्तिक गुण किस प्रकार के है, अगर उसमें दूसरों को अपना बनाने व सम्बन्धों का निर्वाह करने का गुण है तो विवाहित या अविवाहित होना सम्बन्धों के विकास में बाधक नहीं होता और न ही शेष समाज यह देख कर अन्यों से सम्बन्ध बनाता है कि व्यक्ति विवाहित है अथवा अविवाहित। 140 (94%) उत्तरदाता महिलाओ का कथन है कि समाज अविवाहित को शंका की दृष्टि से देखता है इस कारण उनसे सम्बन्ध बनाने पर गृहस्थों को भी शंका की दृष्टि से देखेगा या इन अविवाहितों के साथ सम्बन्ध बनायें रखने पर समाज में उनकी प्रतिष्ठा या स्थिति पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा या फिर उनसे सम्बन्ध रखने के कारण परिवार में झगड़ा या परेशानी का अंदेशा बना रहेगा अथवा उनके पास इतना समय ही नहं होता कि वह अविवाहितों को दे पाये तो ऐसे में वह इनसे सम्बन्ध न रखें उन्हें चाहे किसी प्रकार का सहयोग भी न करें लेकिन अविवाहितो से घृणा करना उचित नहीं है क्योंकि यह भी समाज का ही हिस्सा है वे अपनी इच्छा से अविवाहित नहीं बल्कि कईयों को परिस्थितियों ने अविवाहित रहने पर मजबूर किया है। 66 (44%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि अविवाहितों में अव्यवहारिकता अधिक पाई जाती है इस कारण कई बार मर्यादित व्यवहार न करके वह उच्छखँल भी हो जाते है। अगर यह मर्यादा में रहकर के व्यवहार करे तो विवाहित व्यक्ति इनके प्रति अधिक स्नेह व दया भाव तथा त्याग का भाव रख सकते है जिससें इन्हें पारिवारिक माहौल भी प्राप्त होता है एकाकीपन भी दूर हो जायेगा। अतः यह अविवाहित के आचरण पर निर्भर है कि अन्यों के साथ अपने सम्बन्धों को वह क्या स्वरूप देते हैं। 94 (64%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि क्यों अविवाहित अकेले रहते है इनका अपना कोई परिवार नहीं है, इस कारण हमेशा इनमें असुरक्षा की भावना बनी रहती है। इस कारण यह अधिकतर अर्न्तमुखी भी हो जाते है और यही असुरक्षा का भाव उन्हें अन्य व्यक्तियों से सम्बन्ध बनाने को रोकते है और इसके ठीक विपरीत कुछ लोग सुरक्षा ढूँढने के लिये गलत लोगो से सम्बन्ध भी बना लेते है अतः इन परेशानियों से बचने व इनके मन में सुरक्षा का भाव बना रहें, शेष समाज का कर्त्तव्य है कि वह इनसे निरन्तर सम्बन्ध बनाये रखे व उनके मन से असुरक्षा की भावना को दूर करने का प्रयत्न करे। 56 (38%)

उत्तरदाताओं का कथन है क्योंकि अपनी सुरक्षा वह स्वयं कर सकते है इसलिये उन्होनें अविवाहित रहने का निर्णय लिया है और इन अविवाहितों का जनन का परिवार न हो जन्म का परिवार का होता ही है अतः उनकी सुरक्षा का दायित्व उनके जन्म के परिवार के व्यक्तियों व नातेदारों का है समाज का नहीं।

उपरोक्त तारतम्य में उत्तरदाता महिलाओं से पूछा गया कि क्या वे सहमत है कि उनके द्वारा किये जाने वाले सहयोग प्रदत स्नेह, दया आदि के प्रति अविवाहित व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखते है। प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक–154**

**परिचित परिवारों के द्वारा प्रदत्त सहायता के प्रति अविवाहितों में कृतज्ञता का भाव उत्तरदाता महिलाओं की प्रतिक्रिया**

| अ.क्र. | प्रतिक्रिया कोण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | कृतज्ञता का भाव रखते है। | 31 | 21% |
| 2. | उन्हें इसकी आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। | 89 | 60% |
| 3. | उनकी आस्था है कि परिवारों के द्वारा उनकी सहायता की जानी चाहिए। | 61 | 20% |
| 4. | निश्चित रूप से कह नहीं सकते है। | 30 | 30% |

उपरोक्त तालिका प्रतिवेदित करती है कि परिचित परिवारों के द्वारा अविवाहित को जो सहायता मिलती है उनके प्रति वह अपनी कृतज्ञता को किस प्रकार से प्रकट करते है। 31 (21%) उत्तरदाताओं का कथन है कि परेशानी में व समय असमय वह इनकी सहायता को तत्पर रहते है व इनकी दैनन्दिनी जीवन की आवश्यकता का भी ध्यान रखते है अतः इस प्रकार सहायता के प्रति अविवाहित कृतज्ञता का भाव रखते है व अपनी कृतज्ञता को परेशानी व समस्याओं के समय सहायता करके व्यक्त करने का प्रयास करते है। 89 (60%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि वह अपने अविवाहित

परिचितों की जो भी सहायता करते है अविवाहित इस सहायता को उनका कर्त्तव्य मानते है अविवाहित इस सहायता को उनका कर्त्तव्य मानते इसलिए कभी भी कृतज्ञता व्यक्त करने की भावना महासूस नहीं करते है। 61 (40%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि अविवाहित उनके नातेदार/मित्र/पड़ोसी है अतः वह अपेक्षा करते है कि क्योकि वह अकेले रहते है और इस कारण उनको अनेक समस्यायें होती है अतः गृहस्थ परिचितों को उनकी सहायता करना ही चाहिये यह उनका कर्त्तय है। इसके नितान्त विपरीत 30 (20%) महिलाओं उत्तरदाताओं में व्यक्त किया है कि वह अपने परिचित अविवाहित स्त्रियों/पुरूषों के प्रति अपने सम्बन्धों को बनायें रखने का प्रयास करते है व बनते कोशिश उनकी सहायता भी करते है लेकिन अविवाहित इनकी इस सहायता के प्रति किस प्रकार का भाव रखते है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

अविवाहित व्यक्ति चाहे वे अकेले रहते हों अथवा किसी नातेदार के साथ प्रायः निर्बन्ध जीवन का निर्वाह करते है। वे स्वयं जीवन–चर्या, अपनी आवाश्यकताओं कार्यो, व्यय, सामाजिक सम्पर्क मनोरंजन आदि के विषय में निर्णय लेते है। गृहस्थ इन मामलों में सम्पूर्ण पारिवारिक हित के परिप्रेक्ष्य में विचार करते है। इसलिए उनका आचरण निर्बन्ध नहीं होता है। इन विशिष्टि परिस्थिति का अविवाहित के चरित्र स्वाभाव और आदतों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उनके आचरण आदत में क्या सामान्यता है और क्या असामान्यता इसका निर्धारण वे कर सकते है जिनके साथ उनका सम्पर्क और सम्बन्ध रहता है। इसी दृष्टि से सर्वेक्षित 150 गृहस्थ प्रदत्त जानकारी संकलित रूप में निम्नानुसार है।

## तालिका क्रमांक–155
## अविवाहितों का आचरण तथा प्रकृति–गृहस्थ महिलाओं की प्रतिक्रिया

| अ.क्र. | प्रतिक्रिया | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | कोई असामान्यता नहीं दिखाई देती है। | 31 | 21% |
| 2. | जरा–जरासी बात पर क्रोधित हो जाते है। | 82 | 54% |
| 3. | उनकी उपेक्षा तो नहीं हो रही इस ओर अत्याधिक सचेत है। | 133 | 85% |
| 4. | परिवार के बीच रह कर मर्यादित आचरण के अभ्यस्त नहीं होते है। | 81 | 53% |
| 5. | परिणामों का अनुमान लगाये बिना आचरण करते है। | 81 | 53% |
| 6. | हास–परिहास और वार्तालाप अधिक उन्मुक्त रूप से करते है। | 81 | 53% |
| 7. | अपनी उपादेयता को प्रदर्शित करने का अवसर ढूंढ़ते रहते हैं। | 131 | 84% |
| 8. | स्वयं को उनके परिवार का सदस्य होने का प्रभाव अन्यों पर डालते है। | 38 | 26% |
| 9. | मद्यपान, धुम्रपान, मनोरंजन पर अत्याधिक व्यय के अभ्यस्त होते है। जिनके कारण उनके पति के साथ संबंधों और परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। | 32 | 22% |
| 10. | बड़ी जल्दी प्रसन्न या क्रोधित हो जाता हैं। | 82 | 54% |
| 11. | इस दृष्टि से कभी विचार नहीं किया है। | 17 | 12% |

उपरोक्त तालिका गृहस्थ महिलाओं की प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए प्रगट

करती है कि 31 (21%) उत्तरदाता गृहस्थ महिलाओं का कथन है कि यद्यपि कुछ लोगों का मत है कि अविवाहित रहना क्यों कि एक असामान्य प्रतिक्रिया है अतः इस कारण इन लोगों के आचरण व व्यवहार में भी असामान्यता आ जाती है लेकिन इनका मत है कि उन्हें इन अविवाहितों के आचरण में किसी प्रकार की कोई असामान्यता दिखाई नहीं देती है। 82 (54%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अकेलापन इन अविवाहितों को चिड़चिड़ा बना देते है अतः जरा–जरा सी बात पर यह क्रोधित हो जाते है अकेले रहने के कारण क्योंकि इनकी सहनशीलता कम हो जाती है। 133 (85%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित अपने आप को सामान्य गृहस्थ व्यक्तियों से थोड़ा अलग मानते हैं क्यों कि हिन्दू समाज व संस्कारो के अनुसार कई आयोजनों में सिर्फ विवाहितों को ही आमंत्रित किया जाता है अपना इन्हें ही ज्यादा महत्व दिया जाता है ऐसे में अविवाहित अपनी स्थिति के प्रति बहुत सचेत रहते है, वह इस और अत्याधिक सजग होते है कि जिस जगह स्थान या माहौल में वो है उस जगह पर कहीं उनकी उपेक्षा तो नहीं हो रही हैं। 81 (53%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि क्यों कि इनका अपना कोई परिवार नहीं है इसलिये परिवार के बीच बैठकर किस प्रकार का मर्यादित आचरण किया जाये इसके यह अभ्यस्थ नहीं होते है अतः कई जो कि परिवार के सदस्यों के लिये परेशानी का कारण बन जाता है। इतनी ही उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि बिना सोचे समझ किस समय पर किस तरह का आचरण करना चाहिए और इस माहौल में उनके इस आचरण के क्या परिणाम होगे, इन सबका अनुमान लगाये बिना वह व्यवहार करते हैं। 81 (53%) उत्तरदाताओं का कथन है क्योंकि इन पर परिवार को कोई बंधन या नियंत्रण तो नही होता है। हास–परिहास सभी गृहस्थों में भी होता है लेकिन इतने उन्मुक्त नहीं उसकी अपनी सीमायें होती हैं लेकिन यह लोग यह सोचे बिना हास परिहास और वार्तालाप को बड़े उन्मुक्त रूप से करते है। 131 (84%) उत्तरदाताओं का कथन है क्योंकि अविवाहित कुण्ठित होते है अतः यह कुण्ठा दूसरों पर प्रगट न हो इस कारण वह अपनी महत्ता व उपादेयता के प्रगट करने का अवसर की तलाश में लगे रहते है, जिससे यह प्रदर्शित कर पाये कि विवाह न करना उनकी उपादेयता में बाधक नहीं हैं। 38 (26%) उत्तरदाताओं का कथन है क्योंकि अविवाहितों के साथ उनके संबंध घनिष्ठ है पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह उनके परिवार के सदस्य ही हो गये,

लेकिन अविवाहित इन संबंधो की आढ़ में दूसरों पर यह प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं कि जैसे वह उनके परिवार के ही सदस्य हो। 32 (22%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है क्योंकि इनकी अपनी कोई जिम्मेदारियाँ तो होती नहीं हैं और अकेले होने का कारण ही समय व्यतीत करने का कोई साधन अतः समय व्यतीत करने के लिये यह व्यय करने का मनोरंजन से भी पीछे नहीं रहते और इस कारण वह मद्यपान, धूम्रपान, मनोरंजन आदि पर अत्याधिक व्यय करने के अभ्यस्त होते है जिस कारण उनके साथ से उनके पति भी इन सब के अभ्यस्त हो गये है, अतः पति के साथ उनके संबंध में तनाव बना रहता है जिसका असर बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों पर प्रतिकूल पड़ता है। 82 (54%) उत्तरदाताओं का कथन है कि इनका व्यवहार इतना असमान्य होता है कब–कौन सी बात उन्हें अच्छी या बुरी लग जायेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है अतः इनसे किस प्रकार का व्यवहार किया जाये इसे लेकर वह अक्सर पशोपेश की स्थिति में रहती हैं क्योंकि यह बहुत जल्दी प्रसन्न या क्रोधित हो जाते है। 17 (12%) उत्तरदाता महिलाओं के इन सबके विपरीत कथन है कि इनका आचरण किस प्रकार का होता है, मर्यादा से पूर्ण अथवा अमर्यादित, क्रोध करने वाला यह प्रसन्न रहने वाला। वह सिर्फ उनसे संबंध रखे हुए हैं और परेशानी व समस्या में एक दूसरे का सहयोग व सहायता करते है। लेकिन इस दृष्टि से कभी विचार नहीं किया कि अविवाहितो का आचरण किस प्रकार का रहता है।

# अविवाहितों के साथ सम्बन्धों के निर्वाह के अवसर व परिहार

## अविवाहितों के साथ संबंधों के निर्वाह के अवसर व परिहार

हिन्दू संस्कृति भारत की विशेष भौगोलिक दशाओं और पर्यावरण से उत्पन्न पल्लवित और सुरभि युक्त एक संस्कृति है। भारत जलवायु समशीतोष्ण हैं। यहाँ अच्छी फसल पैदावार होती है घने वन हैं, साल भर प्रवाहमान सरितायें हैं। इस परिवेश में यहाँ के लोगों का स्वभाव सहिष्णुता, सहयोगात्मक तथा समवन्यावत्मक होना सहज है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीयों की धार्मिक आस्थाओं पर भी पड़ा हैं। जहाँ प्रकृति में होने वाले उत्तर–चढ़ावों से वे प्रभावित होते हैं, वहीं प्रकृति की विलक्षणताओं ने उन्हें चमत्कृत भी किया हैं। सम्पूर्ण सृष्टि भारतीयों कें लिए किसी न किसी रूप में सुख, सम्पत्ति और प्रसन्नता का स्रोत रही हैं। इसने भारतीयों के मन में प्रकृति के प्रति असीमित लगाव और समर्पण का भाव विकसित किया है। यही कारण है कि वे न केवल पेड़–पौधो और पशु–पक्षी बल्कि पृथ्वी, जलवायु , अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि में भी ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव करते हैं। सहज है कि इन दशाओं में यहाँ अनेकानेक देवी–देवताओं का सृजन हुआ हैं। देवी–देवताओं की आराधना और उन्हें प्रसन्न रखने हेतु पूजा–अर्चना भी सहज और स्वाभाविक हैं। इसलिये न केवल हिन्दूओ के अनेक देवी–देवता है बल्कि उनके तीज–त्यौहार और पर्वो की संख्या भी अगणित हैं। इनके माध्यम से जहाँ ईश्वर की स्तुति अथवा आराधना होती है वही मानसिक शांति व सुरक्षा, सामाजिक एकता की स्थापना और सात्विक मनोरंजन भी प्राप्त होता हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीयों को ईश्वर के प्रति अत्याधिक आस्थावान और साथ ही साथ उत्सव प्रिय बनाया हैं। इसका दूसरा पक्ष यह है कि व्यक्ति में सतत ईश्वर के प्रति समर्पण बना रहे तथा उसकी क्रियायें धर्म समाज और संस्कृति के अनुकूल बनें। इसी दृष्टि से हिन्दू समाज में जहाँ अनेक देवी–देवताओं अनेक पर्वो तीज त्यौहारों का प्रचलन हुआ है वही अनेक संस्कारो का भी विकास हुआ हैं। अतीत में संस्कारो की संख्या अत्याधिक थी कालान्तर में संस्कारों की संख्या घटती चली गई और अन्तोगत्वा स्वामी दयानंद ने 16 संस्कारों की अनिवार्यता प्रतिपादित की। वर्तमान में संपादित संस्कारों के विषय में सम्पूर्ण भारत में समान रूप से स्वीकृत कोई मानक नहीं हैं। नगरीय समाज और ग्रामीण समाज के सदस्यो में संस्कारों की संख्या और उनके निष्पादन संबंधी भिन्न–भिन्न प्रतिमान हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि हमारा तेजी से पश्चात्यीकरण हो रहा है परन्तु फिर भी मूलभूत सांस्कृतिक विशेषताओं का लोप नहीं हो पाया हैं। इसी कारण न्यूनाधिक रूप में संस्कारों का प्रचलन अभी भी नगरीय समाज के सदस्यों में हैं। इन संस्कारों का

परिपालन मुख्यता गृहस्थों के लिये आवश्यक होता है। इसीलिये हिन्दूओं के लिए विवाह भी अनिवार्य होता है।

अविवाहित व्यक्तियों का शेष समाज के साथ अन्तर क्रियात्मक संबंध दो रूपों में देखा जाना चाहिए। प्रथम सामान्य दैनन्दिन जीवन की क्रियाओं में और द्वितीय उनसे संबंधित परिवारों की सांस्कृतिक व सांस्कारिक क्रियाओं में। दैनन्दिन जीवन में अविवाहित का अपनी परिचितों के परिवार में आना–जाना तथा उन्हें पर्वो, संस्कारों के संपादन और धार्मिक आयोजनो में बुलाया जाना भिन्न–भिन्न महत्व रखता है। दैनन्दिन जीवन मे उन्हें सहभागी बनाना सामान्य सामाजिकता का निर्वाह माना जाता है जबकि सांस्कारिक और सांस्कृतिक आयोजनों में उन्हें आमंत्रित करना अथवा न करना उनके अविवाहित होने से संबंध रखता है। इसी संदर्भ में उत्तरदाता महिलाओं से यह पूछा गया कि वे कौन से पर्व है जिनमें अविवाहित की उपस्थिति वे पसंद नहीं करती हैं। प्राप्त उत्तर इस प्रकार हैं।

**तालिका क्रमांक–156**

**वे धार्मिक आयोजनों जिनमें अविवाहित व्यवक्तियों की उपस्थिति पसंद नहीं है।**

| अ.क्र. | उपस्थिति सम्बन्धी प्राथमिकता | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | वे आयोजनों में केवल विवाहित युगलों की उपस्थिति अपेक्षित है। | 133 | 88% |
| 2. | वे आयोजन जो परिवार में सौभाग्य (पति की मंगल कामना) के उद्देश्य से आयोजित किये जाते है। | 133 | 88% |
| 3. | बन्धन नहीं है सभी आयोजनों में आमंत्रित करते है। | 17 | 12% |

उत्तरदाता महिलाओं ने व्यक्त किया कि कुछ धार्मिक आयोजन इस प्रकार के भी होते है जिनमें कि वह अविवाहित की उपस्थिति धर्मानुसार या सामाजिक नियमों एवं संस्कारों अनुसार पसंद नही करती है। 133 (88%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है

कि वह अविवाहितों को ऐसे किसी भी धार्मिक आयोजन में बुलाना पसंद नहीं करती है जिन आयोजन में केवल विवाहित चुग्लों की उपस्थिति ही अपेक्षित होती है जैसे गृह प्रवेश में पति–पत्नी द्वारा पूजा अर्चना एवं यज्ञ होने के समय युग्लों का साथ में उपस्थित रहना आवश्यक होता है। इतनी ही उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन जो कि सौभाग्यवती व विवाहित स्त्रियां अपने पति की मंगल कामना व दीर्घायु के लिये करती हैं (जैसे सहतालिका, संक्रान्ति, करवा चौथ व व्रतों के उद्यापन के समय सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करना) क्योंकि यह आयोजन विवाहित स्त्रियों द्वारा उनके लिये ही आयोजित किये जाते है अतः इन आयोजनों में अविवाहितों की उपस्थिति यह पसंद नहीं करती है। मात्र 17 महिला उत्तरदाता ऐसी है जो कि धार्मिक इस प्रकार के किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करती हैं और सामान्य व धार्मिक सभी प्रकार के आयोजनों व अवसरों पर इन अविवाहितों को आमंत्रित करती हैं जो कि उनके परिचित है।

उपरोक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि यद्यपि केवल इस तालिका में सम्मिलित महिलाओं में संबंध रखने वाले विशिष्ट आयोजनों में ही अविवाहित को आमंत्रित नहीं किया जाता हैं। फिर भी यह इस ओर इंगित करता है कि विवाह न करने के कारण उनकी स्थिति अन्यों से भिन्न है यह भिन्नता उनके साथ असमानता अथवा भेद–भाव को जन्म देती है अतः अविवाहित रहना इन आयोजनों में उनकी उपस्थिति और सहभागिता का प्रभावित करता हैं।

हिन्दू परिवारों में प्रत्येक पर्व के साथ न केवल पूजा–पाठ और धार्मिक विधि विधान जुड़े होते है बल्कि सहयोग और आमोद–प्रमोद भी जुड़ा रहता है। उत्तरदाता महिलाओं से पूछा गया कि क्या वे केवल धार्मिक क्रियाओं के दौरान ही अविवाहित की उपस्थिति नापसंद करती है या उनसे जुड़े हुए सहभोज आदि में भी। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार हैं।

## तालिका क्रमांक–157
## धार्मिक आयोजनों से जुड़े सहभोज आदि में अविवाहित का परिहार

| अ.क्र. | परिहार का स्वरूप | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | केवल पूजा–पाठ में नहीं बुलाया जाता है। | 133 | 88% |
| 2. | ऐसे आयोजनों पर रखे गये भोज में भी नहीं बुलाया जाता है। | 61 | 41% |
| 3. | आयोजन समाप्ति के बाद औपचारिकता के निर्वाह हेतु बुलाया जाता है। | 98 | 68% |
| 4. | किसी प्रकार का परिहार नहीं रखते है। | 17 | 04% |

उत्तरदाता 150 गृहस्थ महिलाओं से यह पूछा गया कि धार्मिक आयोजनो के पश्चात सहभोज भी होता है इसमें वह अविवाहित के आमंत्रित करती है अथवा नहीं। 133 (88%) उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि केवल पूजा–पाठ के समय इन्हें आमंत्रित नहीं करते लेकिन सहभोज में वह इन्हें बुलाना जरूर पसंद करती है। 61 (41%) उत्तरदाताओं का कथन है कि धार्मिक आयोजन के समय में ये सहभोज होता है उस सहभोज में भी वह अविवाहितो का आमंत्रित करना पसंद नहीं करती हैं। 98 (68%) महिलाओं का कथन है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में तो नहीं, लेकिन कई अविवाहित उनके नातेदार/मित्र/पड़ोसी है इस नाते औपचारिकता का निर्वाह करने हेतु वह इन्हें बुलाते है चाहे वह इसे पसंद करते हो या नहीं। 17 (4%) उत्तरदाताओं का कथन है कि अविवाहित के साथ वह किसी भी प्रकार का कोई परिहार नहीं रखती है सिर्फ औपचारिकता जरा इनसे बात जरूर करती हैं। धार्मिक और सांस्कारिक दृष्टि से अविवाहित का अपना महत्व है। अविवाहित प्रायः किशोर और बालक–बालिकाओं को कतिपय धार्मिक आयोजनों मे विशेष रूप से बुलाया जाता है। उनका यह आमंत्रण उनके मात्र अविवाहित होने का परिणाम होता है। ऐसे बालको और बालिकाओं को न केवल भोजन कराया जाता है बल्कि उनकी पूजा अर्चना कर उन्हीं भेंट उपहार भी दिये

जाते हैं। हिन्दू परिवारों में कुँवारी कन्याओं को जिमाने का आम प्रचलन हैं। अविवाहित यद्यपि प्रायः प्रौढ़ होते है पर है तो कुँवारे (अविवाहित ही) अतः इस संदर्भ में उत्तरदाता महिलाओ से पूछा गया कि क्या वे उन आयोजनो में अपने परिचित अविवाहित पुरूषों व महिलाओं का आमंत्रित करता है जो अविवाहित कन्याओं व बालकों से संबंधित होते हैं। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार है।

**तालिका क्रमांक–158**
**कुंवारे बालक / बालिकाओं पर कंन्द्रि धार्मिक आयोजनों में अविवाहित पुरूषों व स्त्रियों का आमंत्रण**

| अ.क्र. | आमंत्रण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ आमंत्रण करते है। | 00 | 00% |
| 2. | आमंत्रित नहीं करते है। | 150 | 100% |
| | योग | 150 | 100 |

उपरोक्त तालिका में दी गई साँख्यिकी प्रतिवेदित करती है कि हिन्दू धर्मानुसार कई धार्मिक आयोजन इस प्रकार के होते है जिनमें कि कुँवारे बालक / बालिकाओं के आयोजन अन्य हिन्दू धार्मिक क्रियाओं अनुसार मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। जब इनसे यह पूछा गया कि अविवाहित चाहे प्रौढ़ हो लेकिन कुंवारे है तो ऐसे आयोजनों में वह उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं करती हैं। 150 (100%) उत्तरदाताओं का कथन है कि वह इन्हें आमंत्रित नहीं करती क्योंकि कुंवारे बालक / बालिकाओं के लिये जो धार्मिक आयोजन किये जाते है वह केवल उनकी 10–12 वर्ष ही आयु तक ही महत्वपूर्ण है उसके बाद कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे धार्मिक आयोजनों में कोई भी उत्तरदाता अविवाहित प्रौढ़ो को आमंत्रित नहीं करती हैं।

जिन उत्तरदाताओं के द्वारा आमंत्रित नहीं करना प्रतिवेदित किया गया है उनसे पूछा गया है कि अविवाहित होने के उपरान्त भी वे उन्हें क्यों कर आमंत्रित नहीं करती हैं। प्राप्त उत्तर निम्नानुसार हैं।

## तालिका क्रमांक–159
## अविवाहित पुरूषों व महिलाओं को कुंवारों पर केन्द्रित आयोजनों में आमंत्रित न करने का कारण

| अ.क्र. | परिहार का स्वरूप | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | कुंवरों बालकों और बालिकायें निषलंक आत्मा होते है। | 93 | 62% |
| 2. | अविवाहित प्रौढ़ अविवाहित होने पर भी दुनियादारी में लिप्त सामान्य व्यक्ति होते है। | 63 | 42% |
| 3. | इन आयोजनों में केवल बालक और बालिकायें को ही आमंत्रित करने की परम्परा है। | 81 | 54% |
| 4. | ऐसा कोई कारण नहीं है परन्तु अन्यों को आत्ति न हो इसलिए आमंत्रित नहीं करते है। | 57 | 48% |

93 (92%) उत्तरदाता महिलाओं ने व्यक्त किया है कि क्योंकि धर्मानुसार कुंवारा व्यक्ति तब गिना जाता है जब कि उसमें यौनावस्था के लक्षण प्रगट न हो और इस उम्र तक के बालक/बालिकाओं को ही निष्कलंक माना जाता है क्योंकि इस उम्र तक वह दुनियादारी के बंधनो से मुक्त होते है धार्मिक आयोजनो में पूर्णयता निष्कलंकता का होना जरूरी है अतः कुंवारों पर केन्द्रित आयोजनों में वह कम उम्र के बालक/बालिकाओं को ही आमंत्रित करते है। 63 (42%) महिलाओं का कथन है कि अविवाहित कुंवारे चाहे हो पर क्योंकि वह प्रौढ़ हो गये है इस कारण दुनियादारी में लिप्त होकर अन्य व्यक्तियों की तरह सामान्य व्यक्ति होते है विशिष्ट नहीं जिस कारण उनकी पूजा की जाये। 81 (54%) उत्तरदाताओं का कथन है कि धर्मानुसार ऐसे आयोजनों में सिर्फ बालक/बालिकाओं को बुलाने की भी परम्परा है अतः परम्परा का निर्वाह करते हुए वह प्रौढ़ो को इस प्रकार के आयोजनों में आमंत्रित नहीं करते हैं। 57 (48%) महिला उत्तरदाताओं का कथन है कि

उपरोक्त किसी भी कारण को वह इस प्रकार के आयोजन में बाधा नहीं मानते हैं लेकिन अविवाहित प्रौढ़ो को बुलाने पर अन्य व्यक्ति किसी प्रकार की कोई आपत्ति उठाये इस रूप से वह ऐसे आयोजनों में उन्हें आमंत्रित नही करते है। उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे कौन से आयोजन है जिनमे वे अविवाहित को आमंत्रित करने को प्राथमिकता देते हैं। उत्तरदाता महिलाओं का कथन है कि ऐसे कोई धार्मिक अथवा सांस्कृतिक आयोजन नहीं है जिनमें अविवाहित प्रौढ़ो को बुलाना पसंद करते हैं।

# निष्कर्ष एवं सुझाव

# निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध प्रबंध अविवाहितों का समाजशास्त्रीय अध्ययन एक गहन एवं सूक्ष्म आधुनिक अध्ययन है, इस अध्ययन में अविवाहितों (महिला एवं पुरूषों) को स्वतंत्र परिवर्तय मानकर उनकी सामाजिक समस्याओ एवं समायोजन तथा आत्म संतुष्टि की समस्या को विश्लेषित करने का प्रयत्न किया गया है। इस अध्ययन में परिवार समाज नातेदारों एवं पड़ोसियों से सामाजिक समायोजन एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन की समस्या की प्रश्नात्मक स्थिति को विशेषता अध्ययन के अन्तर्गत समाहित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अनुसंधान में उपयुक्त पहलुओं को विशेष रूप से विश्लेषण हेतु ध्यान में रखा गया है। यह अध्ययन जनपद जालौन के परिवेश में 150 अविवाहितों महिलाओं एवं 150 अविवाहितों पुरूषों की निदर्श इकाईयों पर आधारित है। तथ्यों से विहिद है कि प्रस्तुत शोध में बहुसंख्यक उत्तरदाता 45 से 55 ब्राह्मण जाति के हैं जिसमें सर्वाधिक 38% एवं 50 प्रतिशत महिलाएं ब्राह्मण जाति की हैं। सम्पूर्ण निर्देशों में कुछ को छोड़कर समस्त निर्देश वेतन भोगी है और अत्याधिक शिक्षित है। सभी अविवाहित स्त्री एवं पुरूष हिन्दू धर्मावलंबी संबंधी हैं, क्योंकि प्रस्तुत शोध प्रबंध हिन्दू धार्मिक आस्थाओं एवं संस्कारों से ही संबंधित हैं एवं 86% पुरूष एवं 55% और महिला उत्तरदाता एकाकी परिवारों से है तथा 74% पुरूष एवं 92% महिलाएं नगरीय परिवेश से हैं।

पेशे के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सर्वाधिक 62% महिलाएं अध्यापिका है और शेष प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा, वकील, व्यापार और व्यवसाय तथा गृह उद्योग में कार्यरत है। 16% पुरूष उत्तरदाता शिक्षित कार्य से व अन्य पद पर कार्यरत है या व्यवसायी है।

गतिशीलता और देशकाल के अनुसार परिवर्तन होने की नमनीयता में ही सामाजिक संस्थ के जीवन शक्ति निहित होती है किंतु इस परिवर्तन में मौलिक तत्व तब तक नहीं बदलते जब तक कि स्वयं मावन प्रकृति में ही क्रांतिकारी परिवर्तन न हो। यही कारण कि भारतीय जनता आज के इस के इस वैज्ञानिक युग में भी नवीन खोजों एवं अपने पुराने रूढ़िवादी तरीकों एवं वस्तुओं को अपनाना अधिक पसंद करती है। यही कारण है कि बदलते समाजिक मूल्यों को अपनाने ये व्यक्ति को समय लगता है और आज भी इन्हीं विकासशील प्रवृति के कारण अविवाहितों को समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। क्योंकि हिन्दू धर्मानुसार विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना

गया है अतः विवाह न करना ईश्वर की इच्छा का अनादर है।

## अध्याय 1

नैसर्गिक आवश्यकता की पूर्ति सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बन्धित है विवाह हिन्दू धर्मानुसार (समाज की अनुमति से) नेसर्गिक आवश्यकताओं को पूर्ण परने का एक माध्यम है, विवाह के बिना परिवार संभव नहीं है और परिवार के बिना न तो सामाजिक व्यवस्था को बनायें रखना सम्भव है और न ही मानव जीवन के पुरूषार्थो को ही व्यक्ति पूर्ण कर पाता है और परिवार को विवाह के बिना स्थायित्व प्राप्त नहीं हो सकता है। एक हिन्दू के जन्म लेने का उद्देश्य आश्रम और वर्ण व्यवस्था के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना निर्दिष्ट है और इसकी पूर्ति के लिये विवाह अनिवार्य है अर्थात विवाह के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है।जीवन भर विवाह न करने वाले व्यक्ति को समाज न केवल अतीत में बल्कि आज भी हेय दृष्टि से देखते है। अतीत में व्यक्ति पर समाज का प्रत्येक और कठोर नियंत्रण था तब ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता था, परन्तु आज सामाजिक नियंत्रण के कमजोर पड़ जाने पर वैयक्तिक स्वातन्ता को प्रधानता देने, स्त्री–पुरूषों की समानता, वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति बाहर रह कर पूर्ण सकने की संभावना तथा अत्याधिक पारिवारिक दायित्वों के बोझ के आदि के कारकों के कारण स्त्री–पुरूषों में अविवाहित रहने की प्रवृति निरन्तर बढ़ रही है।

मेरे अध्ययन की प्राकल्पनायें यह थी कि कोई भी स्त्री पुरूष स्वेच्छा से अविवाहित नहीं रहते, पारिवारिक दायित्वों का भार इसके लिये उत्तरदायी है। परिवार के मुखिया की अक्षमता और पारिवारिक दायित्वों के प्रति उसकी उदासीनता परिवार के सदस्यों के लिये पहल न करना इस प्रवृति का प्रथम देता है। आत्म विश्वास का अभाव उच्च जीवन मुल्यों और आदर्शो की कल्पना, औद्योगिकरण, नगरीयकरण आदि के कारण सामाजिक नियंत्रण का शिथिल होना इस प्रवृति को समाज असामान्य मानता है। यह प्रवृति यौन अपराधों को बढ़ावा दे सकती है। अविवाहित रहने की प्रवृति पर समाज का नियंत्रण संभव नहीं है।

## अध्याय 2

# वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य निदर्शो विषयक जानकारी

अविवाहित स्त्री एवं पुरूषों की वैयक्तिक जानकारी जैसे शिक्षा सम्बन्धी जानकारी उनकी, इच्छायें इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई उनके व्यवसाय एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई एवं उनकी शिक्षा का भविष्य में क्या उपयोग होगा इस सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त की गई।

## अध्याय 3

# अविवाहित रहने के लिये उत्तरदायी दशायें।

यह अध्ययन अविवाहितों की वैसक्तिक समास्याओं का अध्ययन है ऐसी पारिवारिक समस्यायें जिस कारण उन्हें अविवाहित रहने को विवश होना पड़ा उनकी आर्थिक दशायें जिस कारण घर के लोगों को का दायित्व उनके ऊपर होने से अविवाहित रहना पड़ा समाज में प्रचलित कुछ प्रथायें जैसे दहेज इत्यादी और परिवार में अन्य नातेदारों का जीवन सुरक्षित होना इत्यादि।

## अध्याय 4

# अविवाहितों की जीवन शैली व समस्यायें

अविवाहित को अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है उनकी दिनचर्या अन्य विवाहित व्यक्तियों की अपेक्षा अलग प्रकार की है समस्त कार्यो को करने का दायित्व स्वयं उन पर है इसमें उनकी सहायता नहीं करते है और करते भी है तो अधिकत्त स्वार्थवाश ही इस ओर प्रेरित होते है अविवाहितों का धर्म की ओर झुकाव है और इसे वह समय व्यतीत करने का एक साधन भी मानते है बचे समय को व्यतीत करने के लिये अनेक सभा सोसायटी और सामाजिक संस्थाओं की सदस्यता को ग्रहण किये हुए है अधिक समय अपने मित्र वर्ग में व्यतीत करने का प्रयत्न करते है उनकी वैयक्तिक रूचियों व शौक विभिन्न प्रकार के है। जैसे अत्याधिक सिगरेट, शराब पीना अश्लील साहित्य पढ़ना घूमनाया टी. वी. देखना इत्यादि है इसके साथ ही अनेक नैसर्गिक आवश्यकतओं को पूरी करने की समस्या बनी रहती है।

## अध्याय 5

परिजनों व नातेदारों के साथ अर्न्तक्रियात्मक सह सम्बन्ध परिवार के सदस्यों के साथ उनके सम्बन्ध सामान्य है बहुत कम ही व्यक्तियों के सम्बन्ध मधुर है और कुछ तो उन सम्बन्धों को पूर्णतः छोड़ चुका है। जिन अविवाहितों के साथ उनके नातेदार इत्यादि रह रहे है उनमें से अधिकत्तर अपने एकांकीपन को दूर करने के लिए इन्हें रखे है पर अधिकत्त ने वह स्वीकार किया है कि इनसे उन्हें कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं होती है अपितु वह अपने स्वार्थवश उनके साथ में रह रहे है। अन्य नातेदार जो उनसे दूर रहते हैं वह उन्हें किसी विशेष अवसर पर ही अपने यहाँ बुलाते है अधिकत्तर के सम्बन्ध इनके साथ सामान्य है बहुत अच्छे नहीं है।

## अध्याय 6

## सामाजिक अर्न्तक्रियाओं और सम्बन्धों का स्वरूप

अधिकत्तर अविवाहित अर्न्तमुखी व्यक्तियों के है फिर भी नातेदार से अधिक पड़ोसियों के पास रहने के कारण उनके साथ अर्न्तक्रिया व सम्बन्ध अधिक अच्छे है सहकर्मियों व उनके परिजनों के साथ भी सम्बन्ध सामान्य है अन्य नातेदारों के यहाँ वह आवश्यकता पड़ने पर ही जाते है स्वजातीय समाज में जाने से वह घबराते है लेकिन सामाजिक समितियाँ सोसायटी इत्यादि में वह सहभागिता जरूर करते है लेकिन उनमें भी पुरूषों का प्रतिशत स्त्रियों से अधिक है।

## अध्याय 7

## वृद्धावस्था विषयक चिन्ता

अकेले होने के कारण वैयक्तिक स्वास्थ्य व देखभल की चिन्ता इन्हें हमेशा बनी रहती है साथ ही कई बार इस कारण उन्हें अनेक आर्थिक समस्यायों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके साथ उनके नातेदारों (जो उनके साथ रह रहे है।) की जिम्मेदारी भी है। उन्हें यह भी चिन्ता रहती है कि उनके बाद सम्पत्ति की देखभाल कौन करेगा व उत्तराधिकार वह किसे दें अंतिम संस्कार के विषय में वह अधिक चिन्तित नहीं है अधिकत्तर की मान्यता है जो साथ में है. वह भतीजे भाई इत्यादि कोई भी इस क्रिया को

पूर्ण का सकता है। अधिकत्तर ने वृद्धाश्रमों को अच्छा माना है जिनके अपने नातेदार नहीं है अथवा जिनको अन्य रखना पसंद नहीं करते है ऐसे व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम अच्छा है।

## अध्याय 8

# हिन्दू सामाजिक व्यवस्था व दर्शन के प्रति दृष्टिकोण

हिन्दू धर्म और समाजिक व्यवस्था के उनकी पूर्ण आस्था है विवाह एवं परिवार है लेकिन संस्कार के माध्यम से अमरत्व की कल्पना का वह पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हैं और पुर्नजन्म का भी एक परिकल्पना व मिथ्या धारणा मानते है।

## अध्याय 9

# अविवाहित रहने के प्रति समाज का दृष्टिकोण

इनमें उन 150 परिवारों की यौनिक जानकारी है जिनके उत्तरदाता विवाहित है तथा विवाह की उपादेयता के प्रति और अविवाहित रहने की प्रवृति तथा अविवाहितों के प्रति अपने दृष्टिकोण को उन्होंने व्यक्त किया है अधिकत्तर इस प्रकार के लोगों से सम्बन्ध रखते है जो कि इनके अपने नातेदार मित्र या पड़ोसी है। लेकिन कभी–कभी वह इनके सम्बन्धों को शंका की दृष्टि से देखते है अविवाहित होने के कारण उनके चरित्र के प्रति संदेह करते है। प्रत्यक्ष रूप में उन्हें सम्मान देते है लेकिन अप्रत्यक्ष में वह उनके प्रति उतना सम्मान नहीं देते है।

## अध्याय 10

# अविवाहितों के साथ समाज की सहभागिता

विवाहित व्यक्ति अन्य परिवारों और समाज मे सम्मान पाता है। अन्य परिवार तथा समाज विवाहित व्यक्ति का सर्वथा सामान्य मानकर पारिवारिक और सामाजिक कार्यो में उन्हें निशक आमंत्रित करते है। अविवाहितों को आमंत्रित किया जाता है परन्तु उस भावना से नहीं जिस भावना से विवाहित स्त्री पुरूषों को आमंत्रित किया जाता है ऐसे स्त्री पुरूषों को सामान्य अनुभवहीन मानकर पारिवारिक सामाजिक कार्यो में उनका

परामर्श भी प्रायः अविवाहित स्त्री पुरूषों की उपेक्षा की जाती है।
अविवाहित स्त्री पुरूष में प्रायः अन्यों की समस्याओं को समझते उनसे सहानुभूति रखना और सहयोग देना दूसरों के प्रति त्याग करना आदि का अभाव होता है।

यह प्रायः आत्म केन्द्रित व असहिष्णु कठोर और असामान्य होते है। इस कारण आवश्यकतानुसार ही विवाहित इन से सम्बन्ध रखते है।

**अध्याय 11**

## अविवाहितों के साथ सम्बन्ध के अवसर व परिहार

धार्मिक आयोजनों को छोड़कर अन्य में आमंत्रित कर लेते है जो स्वयं एकांकी परिवार में रहते है वह उन्हें आमंत्रित करते है लेकिन वृद्धों की उपस्थिति में वह अविवाहितों को आमंत्रित करने में संकोच अनुभव करते है धार्मिक आयोजनों में अविवाहितों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। पर्वो और त्याहारों में इनके एकांकीपन को दूर करने के लिए वह अविवाहितों को भी आमंत्रित करते है। लेकिन वे लोग अविवाहित है इसलिए इनकी बोद्धिक क्षमता पर वह आत्याधिक भरोसा नहीं करते है इस कारण इनके परामर्श को बहुत जरूरी होने पर ही महत्व देते है अन्यथा नहीं देते है।

अविवाहित में से अधिकतम ने इस तथ्य को स्वीकार किया है और अधिकांश अविवाहितों के अविवाहित रहने के पार्श्व में कारण स्वयं की इच्छा न होकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी और दायित्वों का उन पर होना है अधिकतम ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि असमय पिता की मृत्यु या उनके सेवा निवृति होने के कारण बड़े होने से अन्य भाई/बहिनों की शिक्षा और विवाह इत्यादि दायित्व उन पर आ जाने के कारण चाहकर भी विवाह नहीं कर पाये और दायित्वों से मुक्त हुये तब तक विवाह की आयु बीत चुकी थी।

निदर्शो ने स्वीकार किया है कि वे अपनी मासिक आय से गुजर बसर करते हुये भविष्य के लिए बचत भी करते है क्योकि वृद्धावस्था में उनके साथ कोई नहीं होगा यह चिन्ता उन्हें बचत करने को प्ररित करती है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में निदर्शो के चयन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि वे सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिये तैयार है। 40 से 45 वर्षो से अधिक आयु के व्यक्तियों का अध्ययन के लिये होना है। चुनने

के कारण विवाह की सम्भावना का इस आयु की समस्या वर्तमान स्थिति के अध्ययन के लिए शोध की मानव विधियों जैसे साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार, असहभागी अवलोकन प्रणाली, चित्र लेखों एवं रेखाचित्रों इत्यादि का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही संदर्भ ग्रंथों, प्रतिवेदनों, पत्र–पत्रिकाओं से आदि के द्वारा विषय वस्तु से सम्बन्धित सूचनाओं तथा तथ्यात्मक आकड़ों का एकात्रिकरण किया गया है कि घटना का ऐतिहासिक सांस्कृतिक वस्तुनिष्ठ परिवेश जानने में सहायक हो सके। तत्पश्चात प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया है (जो समस्या को अन्तिम विश्लेषण योग्य बानने में सहायक हुई है।) इस प्रकार शोध में अध्ययन को परिसीमित किया गया है एवं अध्ययन की सीमा में ही विवरणों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि अध्ययन समस्या का क्षेत्र बहुत विस्तुत नहीं है किंतु इनके निष्कर्ष सम्पूर्ण क्षेत्रों पर लागू होगें। इस प्रकार यह अन्वेषणा व्यक्त शोध है जिसमें विश्लेषणात्मक आनुभाविक पद्धति का अनुसरण किया है और ऐतिहासिक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक एवं संघर्ष उपागम को विश्लेषण हेतु समक्ष रखा गया है।

अविवाहित का परिवेश उनकी पारिवारिक संरचना व्यवस्था कार्यस्थल का परिप्रेक्ष्य एवं समायोजन की समस्या का विश्लेषण प्रस्तुत करना अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है। शोध में कुछ ऐसे पहलू है जो अविवाहितों में व्यक्तित्व चेतना शैक्षणिक वृद्धि एवं नौकरी में पर्दापण के फलस्वरूप सामने आये है। अध्ययन में अविवाहित सामाजिक समस्या एवं सामंजस्य के पहलू के केन्द्र बिन्दू में रखा गया है आधुनिकरण मनोवृति आर्थिक दबाब के कारण महिलाओं एवं पुरूष अविवाहित रहने की ओर अग्रसर होते है उनकी इन कार्य प्रणाली का प्रभाव परिवार एवं समाज में गत्यावरोध उत्नन्न कर रहा है दूसरी ओर उनकी इस क्रिया से पारिवारिक जीवन गंभीरता पूर्वक प्रभावित हो रहा है।

मजबूरी के कारण या इच्छा से लिया गया यह निर्णय भी उन्हें समायोजन की समस्याओं से जूझने की ओर ले जा रहा है। अध्ययन से परिलक्षित होता है कि कार्य की प्रवृति एवं कार्य सहकर्मियों अधिकारियों तथा अधीनस्थों व सहयोगियों का दुव्यवहार इत्यादि तत्वों के कारण अविवाहित कठिनता अनुभव करते है।

अध्ययन के अविवाहितों के मूल्यस्थापना का विश्लेषण परम्परा एवं आधुनिकता से सामाजिक सांस्कृतिक अन्र्तवृद्ध के प्रसंग में किया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक अन्र्तवृद्ध में प्रसंग में किया गया है। इस अध्ययन में यह देखने का प्रयत्न कि गया है

कि परिवार विवाह जाति प्रथा , अभिरूचियों मान्याताओं, मूल्यों, सामाजिक विकास एवं नियोजन, अम्प्रेषणी राष्ट्रीय चेतना , सामाजिक चेतना , स्वास्थ्य एवं धर्म दोहरी भूमिका सकीर्णता, रूढ़िवादिता एवं आधुनिकता के प्रति अविवाहित क दृष्टिकोण क्या है प्रस्तुतः विषय वस्तु की उपयोगिता समायोजन की समस्या के अध्ययन में बोधगम्य दृष्टि से सहायक है।

इस अध्ययन में यह खोज करने का प्रयत्न किया है कि आपने अविवाहित क्या मनोवैज्ञानिक, सामाजिक अभिप्रत्या दृष्टि कोण, विचार एवं प्रत्यासा कहां तक परम्परा मूल्य अनूपस्थिति है या आधुनिक मूल्य अनुपस्थिति है। सामाजिक समायोंजन के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुये परम्परा एवं आधुनिकरण के प्रसंग में महिलाओं सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य द्वन्दात्मक स्थिति की आनुभाविक विवेचना करना प्रस्तुत अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य है।

सर्वेक्षण से प्राप्त सांख्यिकी आकड़ो के सैद्धातिक संख्या के आधर पर शोध समस्या का सर्वेक्षण निम्नलिखित है।

अधिपत्य अविवाहितों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जन्म के परिवार के अत्याधिक के दायित्वों के कारण उनके अकेले नौकरीपेसा होने के कारण एवं दहेज इत्यादि की समस्या के कारण उन्हें अविवाहित रह जाना पड़ा। कुछ महिलाओं एवं पुरूष उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि यौन सम्बन्धों के प्रति अरूचि के कारण उन्होने अविवाहित रहने का निर्णय लिया है। कुछ उत्तरदाताओं ने उच्च आकांक्षाओं के कारण अविवाहित रहने का निर्णय लिया है।

व्यक्तिगत रूप में अविवाहितों से स्वीकार किया कि वह असुरक्षा एवं एकांकीपन का अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष समाज के अन्य व्यक्ति चाहे उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हो लेकिन वास्तविकता यह है कि वह उन्हे शंका की दृष्टि से देखते है। अविवाहित रहना एक असामान्यता है, ऐसे व्यक्ति चाहे जितना बड़ा चढ़ाकर कहे कि इसे असामान्य नहीं मानते है अथवा विवाह न करने से उनके व्यक्ति व सामाजिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है परन्तु यथार्थ यह है कि वे जानते है कि उनका यह कथन सत्य से परे है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति अर्न्तमुखी होते है। वे अविवाहित रहने के अपने इस आचरण से सम्बन्धित उत्तरदायी कारणों पर खुलकर चर्चा करना पसंद नहीं है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन के लिए तथ्यों के संकलन हेतु बनाई गई अनुसूचि अत्यन्त

विस्तृत थी जिससे कि उत्तरदाता बचने का प्रयास करते है फिर भी बार–बार सम्पर्क करने पर तथा उनका विश्वास अर्जित कर लेने पर साक्षात्कार आयोजित करना उतना कठिन नहीं रह गया। जब व्यक्ति सत्य को छुपाकर असत्य कथन करता है तब उसके आचरण में कहीं न कहीं असामान्यता आ जाती है। अतः ऐसे समय में वाक्य पठुता और हास परिहास के द्वारा उत्तरदाताओं से वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया और सफलता प्राप्त की।

अविवाहित रहने वाले अधितम व्यक्ति स्त्री और पुरूष विवाह एवं परिवार के प्रति अच्छी धारणायें ही रखते है और विवाह कर परिवार में बसाना उचित मानते है कुछ स्त्रीयों एवं पुरूषों ने स्वीकार किया है कि परिवार एवं विवाह के बिना भी व्यक्ति अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकता है।

अविवाहित रहने की प्रवृति चाहे एक नवाचार ही क्यो नहीं और इस धारणा अधिक लोगों का झुकाब इस ओर चाहे हुआ हो लेकिन अविवाहित स्त्रीयों एवं पुरूषों से प्राप्त उत्तर इस ओर इंगित करते है कि कुछ स्त्रीयों एवं पुरूषों को छोड़ कर अविवाहित रहने के पीछे उनकी स्वेच्छा नहीं बल्कि दायित्व थे। इसके यह लक्षित होता है कि पारिवारिक दायित्वों का भार अविवाहित रहने के लिए एक मुख्यतः उत्तरदायी कारण है।

कई बार दहेज की मांग को पूरा न कर पाने, स्वयं पर विश्वास कम होने या निकट सम्बन्धी एवं नातेदारों में से किसी के वैवाहिक जीवन का सुखत न होना भी प्रवृति को बढ़ावा देने का उत्तरदायी कारण है।

कई बार व्यक्ति ऐसे उच्च जीवन मुल्यों और आदर्शो की कल्पना अपने जीवन साथी से करने लगते है जिन्हे प्राप्त करना मात्र एक कल्पना होती है परिणाम हताशा होता है परिणाम हताशा होता है फलस्वरूप व्यक्ति अविवाहित रहने भी प्रेरित हो जाता है।

औद्योगीकरण, नगरीकरण आदि के कारण नातेदार व जाति के प्रभाव व नियंत्रण का कम होना एवं वैज्ञानिक के द्वारा ऐसी खोजें जिनके व्यक्ति गृह कार्य भी सुचारू रूप से चल जाता है। अतः विवाह करके सिर्फ गृह कार्य के आराम के लिए वह ऐसी किसी बन्धन को स्वीकार करना पसंद नहीं करते है।

हिन्दू धर्म और सामाजिक नियमों दोनों ही विवाह को आवश्यक मानते है और विवाह न करने को असामान्यता को महत्व देने के पश्चात ऐसा व्यक्ति को समाज वह

सम्मान नहीं देता जो एक अविवाहित को मिलना चाहियें। अधिकतम अविवाहितों ने इसे चाहे स्वीकार किया हो कि वह इस तरह के व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं करते है परन्तु साथ ही इस बात को भी स्वीकार करते है कि धार्मिक कार्यो के सम्पादन में वह ऐसे व्यक्तियों को आंमत्रित भी नहीं करते है ऐसे व्यक्ति क्योकि स्वयं ही अन्र्तमुखी हो जाते है अतः समाज, नातेदारों और मित्रों के परिवारों आदि से कटे रह कर एकांकी जीवन व्यतीत करके जो अग्रसर होते रहते है।

अविवाहित रहने की प्रवृति चाहे एक नवाचार है पर तथ्य इस बात को प्रकट करते है कि इस कारण परिवार नामक संस्था को निकट भविष्य में कोई संघात नहीं पहुचेगा क्योंकि अधिकतर व्यक्ति मजबूरी बश इस स्थिति में है अन्यथा परिवार के महत्व को व विवाह के महत्व को वह स्वीकार करते है नकारते नहीं है इस कारण हिन्दू सामाजिक व्यवस्था पर भी इसके कोई कुप्रभाव होगें ऐसी संभावना नहीं है।

विवाह पीर यौन सम्बन्धों को मालवीय समाज स्वीकार नहीं करता ऐसे अविवाहित व्यक्ति सिर्फ 2% ही है जो कि इस आवश्यकता की पूर्ति बाहर कर लेते है लेकिन अधिकतम की इच्छा उत्पन्न होने पर वह साहित्य लेखन व धार्मिक कार्यो से अपना ध्यान बांट कर इस ओर से ध्यान हटाने की कोशिश करते है। अतः वह इस सामाजिक नियम को स्वीकार करते है धार्मिक कर्त्तव्य की पूर्ति भी वे अविवाहित होने के बावजूद भी करते है। अतः न वो धर्म पर न हिन्दू सामाजिक व्यवस्था पर इस प्रक्रिया से कोई संकट आने की संभावना है और न यौन अपराधों के बढ़ने की क्योकि अविवाहितों के व्यवहार उनकी स्थिति इत्यादि को देखते हुए देर से ही सही व्यक्ति विवाह के माध्यम से ही अपना जीवन व्यवस्थित करने कर प्रयास करेगें। अविवाहित रहना चाहे स्वेच्छा ही हो लेकिन सामाजिक नियमों के विरूध जाने पर समाज इस प्रवृति पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण लगाने में सक्षम होगी।

दहेज प्रथा और धर्म को लेकर अभी भी समाज काफी पिछड़ा हुआ है, क्योकि शुरू से ही इस प्रथा का समाज में अत्याधिक प्रचलन है और धर्म को लेकर अत्याधिक आस्था धर्म के नाम पर समाज अपनी पुरानी प्रथाओं व परम्पराओं से अभी भी चिपका हुआ है। अतः निकट भविष्य में परिवार एवं विवाह संस्था पर कोई संकट आना संभव नहीं है। वर्तमान अध्ययन के दौरान मैने पाया कि माता–पिता लड़की को पराया धन मानते है और आवश्यकतानुसार विवाह करना अनिवार्य अतः अत्याधिक मजबूरी तब तक

न हो जब तक वह बच्चों को अविवाहित रहने को मजबूर नहीं करते है।

मेरी यह उप कल्पना किसी हद तक सत्य सिद्ध हुई है कि अविवाहित रहने को असामान्य मानने के कारण अपनी वह पर चाहे समाज ऐसे व्यक्तियों के समक्ष इस तथ्य को स्वीकार न कहो कि अविवाहित रहना कोई असामान्यता है या अविवाहित व्यक्ति इस कारण हेय है परन्तु यह सत्य है कि ऐसे व्यक्तियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता उत्तरदाताओं ने यह मत व्यक्त किया है कि कभी–कभी विवाहित व्यक्तियो के व्यवहार से यह बात स्पष्ट होती है उक्त निष्कर्षो को पाने का यही तात्पर्य है कि मनुष्य यह जान सके कि विज्ञान पर तो विजय प्राप्त करता आ रहा है और उसके यह वैज्ञानिक अध्ययन निर्भर योग्य भी है तो क्या यह आपने समाज में अध्ययन का कुछ ऐसे अध्ययन कर सकता है जो कि स्थितियों में सुधार और मनुष्य के मस्तिष्क में परिवर्तन कर सकें विज्ञान पर तो विजय प्राप्त कर सकता है पर अपने समाज में आकर वह चकरा जाता है।

''इति''

अनुसूची - ''अ''

# अविवाहितों की सामाजिक समस्यायें एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

## बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के अन्तर्गत

समाज-शास्त्र विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु प्रस्तावित शोध कार्य के हितार्थ तथ्यान्वेषण हेतु प्रयुक्त

# साक्षात्कार अनुसूची

शोध निर्देशक :
**डॉ. आनन्द कुमार खरे**
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
डी० वी० (पी० जी०) कॉलेज, उरई

शोधकर्ता :
**अखिलेश कुमार श्रीवास्तव**
एम० ए० समाजशास्त्र

# अविवाहित पुरूषों एवं स्त्रियों से सम्बन्धित जानकारी

अनुसूचि क्रमांक :–

## 1– उत्तरदाताओं से सम्बन्धित वैयक्तिक जानकारी

1. उत्तरदाता का नाम ? ____________________

2. उत्तरदाता की आयु ? 1– 45 से 55 ( ) 3– 65 से 75 ( )
2– 55 से 65 ( ) 4– 75 से अधिक ( )

3. उत्तरदाता का व्यवसाय ?

1– राज–पत्रित अधिकारी ( ) 5– अराज–पत्रितअधिकारी ( )
2– सरकारी अधिकारी ( ) 6– अराजकीय अधिकारी ( )
3– सरकारी अधिकारी ( ) 7– आयकर दाता व्यापारी ( )
4– सामान्य व्यापारी ( ) 8– श्रमिक ( )
9– अन्य ____________________

4. उत्तरदाता की मासिक आय ?

1– 1500/– रुपये से कम
2– 1500/– से 3000 /– रुपये तक
3– 3000/– से 4500/– रुपये तक
4– 4500/– से 6000/– रुपये तक
5– 6000/– से 7500/– रुपये तक
6– 7500/– रुपये से अधिक

5. क्या आप आयकर दाता है ? ____________________

6. क्या आप की सेवा पेंशनेवल है ? ____________________

7. क्या आपको सेवा–निवृति पर प्राविडेंट [ भविष्य– निधि ] ग्रेच्युटी आदि दी जायेगी।
____________________

8. यदि आप सेवा–निवृति नहीं हुई/हुये हैं तो आपको वर्तमान में आय के अतिक्ति शासन से और क्या–क्या सुविधायें प्राप्त है ?

1– मकान। 2– बिजली। 3– अर्दली। 4– वहान।
5– पानी। 6– चिकित्सा। 7– टेलीफोन। 8– फर्नीचर।

9. सेवा निवृति होने पर आपको क्या–क्या सुविधायें होगीं ?

1– मकान। 2– बिजली। 3– अर्दली। 4– वहान।

5– पानी। 6– चिकित्सा। 7– टेलीफोन। 8– फर्नीचर।

10. यदि आप सेवा निवृति हो चुकी/चुके हैं तो कृपया बताईये कि आपको वर्तमान में क्या–क्या सुविधायें मिल रहीं हैं ? ____________________

11. यदि आपत्ति न हो तो कृपया आपकी जाती बताईये ? ____________

12. आप मुलतः किस क्षेत्र के निवासी है ?

1– नगरीय। 2– कस्बाई। 3– ग्रामीण।

13.कृपया आपकी मातृ भाषा बताईये ? ____________________

## 2– उत्तरदाता के मूल परिवार (जन्म के माता–पिता के) की जानकारी —अनुक्रमांक :–

1. कृपया आपके पिता जी का शुभ नाम बताईये ?
2. आपके माता–पिता वर्तमान में कहाँ हैं ?
   1– उत्तरदाता के साथ रह रहे है ?
   2– उत्तरदाताओं के किसी भाई के साथ रह रहे हैं ?
   3– माता–पिता अकेले रह रहे हैं ?
   4– वृद्धाश्रम में रह रहे हैं ?
   5– परलोक वासी हो गये हैं ?
   6– अन्य
3. यदि माता–पिता परलोक वासी हो गये है तो बताईये कि उनके परलोक वास के समय आपकी आयु क्या थी ? ____________________
4. कृपया आपके माता–पिता व भाई–बहिनों के विषय में जानकारी दीजियें ?

| नाम | उत्तरदाता से संबंध | आयु | वैवाहिक स्तर अविवाहित/अविवाहित | मासिक आय | शैक्षिणिक स्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

5. आप वर्तमान में इनमें से किस के पास रह रहे हैं ?

1– माता–पिता। 2– अविवाहित भाई। 3– विवाहित भाई।

4– संयुक्त परिवार। 5– अकेले।

6. यदि आप अकेले रह रहे/रही हैं तब बताईये कि क्या आपके

1– माता–पिता। 2– भाई। 3– बहिन।

4– इनमें से कोई नातेदार नगर में अन्यत्र रह रहे/रही है ?

7. आपके अलग रहने का कारण क्या हैं ?

1– नौकरी की पदस्थापना। 2– अविवाहित होने के कारण

3– माता–पिता व भाई–बहिनों से विचारों का मेल न होना।

4– या अन्य ______________________

8. आपके भाई–बहिनों में आपका क्रम कौन सा है ? ______________

9. क्या आपके भाई माता–पिता के साथ संयुक्त रूप से इसी नगर में है ? ______

10. क्या आपके भाई माता–पिता के साथ संयुक्त रूप से इसी नगर में रह रहे है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

## 3– उत्तरदाता की व्यावससायिक व आर्थिक स्थिति :–

1. आप किस आयु से नौकरी कर रहे/रही है ? ______________

2. क्या प्रारम्भ से ही नौकरी के कारण आपको माता–पिता व भाई–बहिन से अलग रहना पड़ा।

1– हाँ। 2– नहीं।

3. किस आयु तक आप माता–पिता के साथ रह पाये/पायीं ? ______________

4. जब नौकरी या व्यवसाय प्रारम्भ किया था तब आपकी मासिक आय कितनी थी । ______________

5. सेवा निवृति के समय आपकी संभावित आय क्या होगी ? ______________

6. आपके कार्य के घण्टे बताईये ? ______________

7. आपके कार्य का स्वरूप बताईये ?

1– टूरिंग जॉब। 2– प्रराजकीय दायित्व। 3– लिपीकीय

4– शिक्षिकीय। 5– चिकित्सकीय। 6– यांत्रिक

7– वकील। 7– उद्योग पति। 9– व्यापारी

10– व्यवसायी। 11– कलाकार

12– अन्य ____________________

8. कृपया आपित्त न हो तो बताईये कि आपकी आय के अन्य स्त्रोत क्या है ?

____________

9. कृपया बताईये कि आपके निजी स्वामित्व के मकान कितने है ? ____________

10. कृपया बताईये कि आपके निजी स्वामित्व प्लाट कितने है ? ____________

11. आपका भावी जीवन कि प्रकार सुखमय होगा इस दृष्टि से में जानना चाहतीं हुँ कि आपके पास नगद अथवा सर्टिफिकेट्रस शेयर्स सावधि जामा आदि के रूप में कितनी राशि है ? ____________________

12. वृद्धावस्था के लिये आपने और क्या आर्थिक सुरक्षायें सोच रखीं है ? ________

## 4– उत्तरदाताओं की शैक्षणिक जानकारी :–

1. कृपया बताईये कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या–क्या है ?

1– इण्टरमीडियड 2– स्नातक।

3– स्नातकोत्तर। 4–बी. ई.।

5– एम. ई.। 6– एम. बी. बी. एस.।

7– एम. एम./एस. डी.। 8– पी. एच. डी.।

9– एल. एल. बी.। 10– एल. एल. एम.।

11– बी. एड.। 12– एम. एड.।

2. उपरोक्त में से कहाँ तक शिक्षा आपने नौकरी करने से पूर्व प्राप्त की थी।

3. आपकी नौकरी/व्यवसाय आपकी शैक्षणिक योग्यता से किस प्रकार से सम्बन्धित हैं।

4. क्या शिक्षा हेतु आवश्यक व्यय :–

1– स्वयं को जुटना पड़ा।

2– माता–पिता द्वारा दिया गया।

3– भाई/बहिनों द्वारा सहायता की गई अन्य व्यक्तियों या संगठनों द्वारा सहायता की गई।

5. क्या आपकी शिक्षा से आपको सेवा–निवृति के बाद भी जीवन यापन करने में कोई सहायता मिलेगी ?

1– हाँ                                        2– नहीं

**5– अविवाहित रहने के लिए उत्तरदायी दशायें :–**

1. क्या आप अनुभव करते/करती है कि विवाहित जीवन की अनिवार्यता नहीं है।

1– हाँ।                                        2– नहीं।

2. यदि हाँ है तो क्यों ? ____________

3. क्या आपने इस आस्था के कारण ही विवाह नहीं किया हैं ?

1– हाँ।                                        2– नहीं।

4. विवाह और परिवार के विषय में आपकी मान्यतायें क्या है ? ____________

5. क्या आप अनुभव करते/करती है कि विवाह न करके आपने ठीक ही किया है ?

1– हाँ।                                        2– नहीं।

6. यदि हाँ तो कृपया बताईये आप विवाह न करना ठीक क्यों मानते/मानती हैं ? ____________

7. यदि नहीं तो आपने विवाह नहीं किया इसे आप क्यों ठीक नहीं मानते/मानती है ? ____________

8. आपकी दृष्टि में आपके विवाह न करने के कारण क्या है ? ____________

9. क्या आप अपने व्यक्तित्व के विकास की ओर अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई, लिखाई, नौकरी और पद्दोत्रति के प्रयास में ही लगे रहे/लगी रही इसलिए विवाह करने की ओर ध्यान नहीं दे पाये/ दे पायी ?

1– हाँ।                                        2– नहीं।

10. क्या आपके किसी घनिष्ठ मित्र का वैवाहित जीवन दुःखी है ?

1– हाँ।                                        2– नहीं।

11. क्या आपके पुराने मित्रों में (बाल्यकाल या युवास्था के मित्रों में) आपके अलावा और भी कोई अविवाहित है ?

1– हाँ।                                        2– नहीं।

12. यदि हाँ तो क्या आप अनुभव करते/करती है कि इस मित्रता के कारण आपने भी अविवाहित रहने की मानसिकता बनाई है ?

1– हाँ।                                        2– नहीं।

13. कृपया बताईये कि विवाह न करने का निर्णय आपने क्यों लिया ?
______________________________

14.स्त्रियों/पुरूषों के स्वभाव चरित्र और कार्यो के बारे में आपकी क्या धारणा है ? ______________________________

15. क्या आपका कभी किसी के साथ प्रेम सम्बन्ध रहा है ?
1– हाँ। 2– नहीं।

16. यदि हाँ तो आपने इस सम्बन्ध को विवाह तक क्यो नहीं पहुंचाया ?
______________________________

17. क्या किसी स्वास्थ्य सम्बन्धी कारण से आपने विवाह न करने का निर्णय लिया है ? ______________________________

18. यौन सम्बन्धों के प्रति अनिच्छा या घृणा के कारण आपने विवाह करने में अरूचि दिखाई ?
1– हाँ। 2– नहीं।

19. अन्य कारण ______________________________

**6– पारिवारिक समस्याएं (जन्म परिवार से सम्बन्धित) :–**

1. क्या आपके और भी सगे भाई/बहिनों ने विवाह नहीं किया है ?
1– हाँ। 2– नहीं।

2. यदि हाँ तो वे कौन है ? ______________________________

3. इनके द्वारा विवाह न करने का कारण क्या है ? ______________________________

4. आपके माता–पिता, भाई–बहिनों, चाचा–चाची अथवा उनके बच्चों में से कोई तलाक शुदा है ?
1– हाँ। 2– नहीं।

5. जब इनमें तलाक हुआ तब आपकी उम्र क्या थी ? ______________________________

6. कृपया ठीक–ठीक बताने का कष्ट कीजिए कि आपके माता–पिता, भैइया–भाभी, चाचा–चाची आदि के सम्बन्ध प्रायः तनावपूर्ण झगड़ालू रहे है ?
1– हाँ। 2– नहीं।

7. यदि हाँ तो आपकी दृष्टि में झगड़ालू कौन है ? ______________________________

8. क्या आप अनुभव करते/करती है कि जब आपकी आयु विवाह योग्य थी तब आपके माता पिता या आपके बड़े भाई–बहिनों ने आपका विवाह करवाने प्रयास नहीं किया ?

1– हाँ।　　　　　　　　2– नहीं।

9. यदि हाँ तो क्यों ? ————————————————————

10. जब आपकी आयु विवाह योग्य थी तब क्या आपके पिता जी :–

1– सेवा निवृति हो चुके थे।

2– स्वर्गवासी हो चुके थे।

11. क्या आप अनुभव करते/करती है कि पिता जी की वृद्धावस्था के कारण आप विवाह हेतु प्रयास नहीं कर पाये ?

1– हाँ।　　　　　　　　2– नहीं।

12. क्या आप अनुभव करती/करते है कि छोटे भाई–बहिनों की देखभाल शिक्षा और शादी विवाह का दायित्व निर्वाह आपको करना पड़ा इसलिए आप विवाह नहीं कर पाये/कर पायी ?

1– हाँ।　　　　　　　　2– नहीं।

13. क्या आप अनुभव करते/करती है कि आपकी शिक्षा आपके विवाह में बाधक रही है ?

1– हाँ।　　　　　　　　2– नहीं।

14. यदि हाँ तो निम्न लिखित में किस प्रकार :–

1– मेरी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप वर वधू नहीं मिली/मिला इएलिए मैंने विवाह नहीं किया ?

2– मैं तो मुझसे कम शिक्षा प्राप्त से विवाह के लिए तैयार था/थी पर कोई वर/पधू तैयार नहीं हुआ/हुई।

3– मै अनुभव करता था/करती थी कि उच्च शिक्षा होने के कारण में पति/पत्नी के साथ समायोजन नहीं कर पाऊंगा/पाऊंगी।

4– इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद विवाह और गृहकार्य में मैं अपनी प्रतिभा को कुंठी नहीं करना चाहता था/चाहती थी।

15. क्या आप अनुभव करती है कि यदि आप इतनी इतनी शिक्षित न होते/होती तो आपका समय पर विवाह हो सकता था ?

1– हाँ। 2– नहीं।

**7– आर्थिक :–**

1. कृपया आपने भाई–बहिनों की संख्या बताईये ? ____________

2. क्या आपके पिता जी के परिवार संयुक्त परिवार है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

3. यदि हाँ तो आपके/आपकी माता–पिता, भाई–बहिनों के अतिक्ति उस परिवार में और कौन–कौन रहते है ? ____________

4. आपके पिता के भाईयों में आयु की दृष्टि से आपके पिता जी का स्थान कौनसा था?

5. कृपया बताईये कि आपके पिता जी ने कहां तक शिक्षा प्राप्त की ? ____________

6. आपके पिता जी का व्यवसाय बताईये :–

1– नौकरी। 2– व्यापार

3– कृषि

7. यदि वे नौकरी में थे तो कृपया उनका पद बताइये ? ____________

8. क्या आप अनुभव करते है/करती है कि आपके पिता जी को सदैव आर्थिक कठिनाईयाँ रहीं है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

9. क्या आप अनुभव करते है/करती है कि आपकी बहिनों के विवाह के लिए दहेज जुटाने का प्रयास में पिता जी आपके विवाह की उपेक्षा करते रहे ?

1– हाँ। 2– नहीं।

10. क्या आप बहिनों के विवाह को ध्यान में रखकर स्वयं ही अपने विवाह की बात टालते रहे/टालती रही ?

1 1– हाँ। 2– नहीं।

11. क्या आप भाई बहिनों की समुचित शिक्षा और व्यवस्था हो सके इस दृष्टि से अपना विवाह नहीं किया।

1– हाँ। 2– नहीं।

12. क्या विवाह हेतु दहेज की मांग आपकी अपेक्षा अनुकूल पूरी न होने से आपने विवाह नहीं किया ।

1— हाँ।　　　　2— नहीं।

13. परिवार के आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण आप विवाह कर परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते थे/चाहती थी ?

1— हाँ।　　　　2— नहीं।

14. परिवार में आर्थिक सहायता करने की भावना के कारण आपका विचार था कि विवाह कर आप अपने स्वयं के परिवार को सुख सम्पन्नता नहीं दे पायेगें/पायेगीं इसलिए आपने विवाह नहीं किया ?

1— हाँ।　　　　2— नहीं।

15. क्या आप विवाह से पूर्व नौकरी करतें थे ? करती थी ?

1— हाँ।　　　　2— नहीं।

16. यदि हाँ तो क्या नौकरी छोड़ देने की शर्त के कारण आपने विवाह से इन्कार किया ?

1— हाँ।　　　　2— नहीं।

**8— सामाजिक व्यवस्था :—**

1. क्या आप अनुभव करते/करती है कि आपकी जाति/उपजाति में आपके योग्य वर/वधू न मिलने के कारण आपने विवाह नहीं किया ?

1— हाँ।　　　　2— नहीं।

2. कृपया बताईये कि निम्नांकित में से कौन से कारणों ने आपको विवाह न करने के लिए प्ररित किया है ?

1— अत्याधिक दहेज

2— दहेज हत्यायें

3— बहुओं पर अत्याचार

4— परिवार दायित्वों का बोझ

5— पति या पत्नी के साथ समायोजन न कर सकने का भय

6— संयुक्त परिवार में रहकर समायोजन न कर सकने का भय

7— अन्य ________________________________

**9– दिनचर्या :–**

1. कृपया विस्तार से आप अपनी दिनचर्या बताईये :–
   - 1– प्रातः उठने का समय ——————————————
   - 2– प्रातः काल से लेकर कार्यालय जाने के पूर्व अथवा प्रातः 11 बजे तक किये जाने वाले कार्य ——————————————
   - 3– 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किये जाने वाले कार्य ? ——————
   - 4– 3 बजे से शाम 7 बजे तक किये जाने वाले कार्य ? ——————
   - 5– शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक किये जाने वाले कार्य ? ————
   - 6– रात्रि 10 बजे से सोने तक किये जाने वाले कार्य ? ——————
2. आपके साथ और कौन–कौन रह रहे है ? ——————————————
3. कृपया बताईये कि क्या आपने आपनी सहायता के लिए नौकर, नौकरानी रखी है ?
   - 1– हाँ। 2– नहीं।
4. यदि हाँ तो आप निम्नलिखित कार्यो में से कौन–कौन से कार्य करते है :–
   - 1– घर की सफाई। 2– चाय बनाना।
   - 3– नाश्ता बनाकर देना। 4– बिस्तर ठीक करना।
   - 5– सब्जियां और अन्य सामान खरीद कर लाना।
   - 6– खाना बनाना और परोसना।
   - 7– बर्तन साफ करना। 8– शाम को चाय नाश्ता देना।
   - 9– कपड़े धोना। 10– कपड़ों पर प्रेस करना।
   - 11– रात का खाना बनाना। 12– परोस कर देना ।
   - 13– बर्तनों की सफाई कर देना।
   - 14– अन्य कार्य ——————————————
5. नौकरी के कार्य की अवधि बताईये ?
   - 1– पूर्ण कालीन। 2– अंश कालीन।
6. आपके यहाँ कितने नौकर है ? ——————————————
7. उन्हे आप कितनी तनखाह देते है/देती है ? ——————————————
8. आप अपने नौकर पर कितना व्यय करते है/करती हैं ? ——————————————
9. आप अपने कौन–कौन से कार्य स्वयं करते/करती है ? ——————————————

10. नौकर होने के बाबजूद भी आपको दैनिक जीवन में कौन–कौन सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं ? ________

11. आपके साथ कौन–कौन रह रहे है इनके साथ आपका सम्बन्ध (नातेदारी) बताईये ? ________

12. इनके साथ रहने में आपको सहायता मिल रही है ? ________

13. क्या इनके कारण आपको कोई कठिनाई भी अनुभव होती है ?

    1– हाँ।    2– नहीं।

14. यदि हाँ तो कृपया बताईये कि आपको क्या कठिनाईयाँ हो रहीं है ? ________

15. आप इन सब से अलग अकेले क्यों नहीं रहते/रहती है ? ________

16. कृपया सच–सच बताईये कि क्या इनके साथ रहने के कारण आप अनुभव ही नहीं करते/करती है कि अपका अपना परिवार नहीं है ? ________

17. आप इन लोगों के साथ क्यों रह रहे/रहीं है ? ________

18. आपके कारण इन्हें क्या सहायता मिल रहीं है ? ________

19. क्या उनसे आपको पर्याप्त सम्मान मिल रहा है ?

    1– हाँ।    2– नहीं।

20. यह आपसे किस मामले में परामर्श लेते है ? ________

21. क्या यह आपके परामर्श कर पूरा ध्यान देते है ?

    1– हाँ।    2– नहीं।

22. क्या कभी कोई ऐसे अवसर आते है जब यह आपकी उपेक्षा करते हों ?

    1– हाँ।    2– नहीं।

23. वह अवसर कौन से है जब आप अपने आपको उपेक्षित या आहत अनुभव करते/करती है ? ________

## 10– अविवाहित जीवन और नगरीय सुविधाएं :–

1. क्या आपके पास निम्नांकित अपने स्वयं का है –

    1– मकान।    2– कूलर।
    3– मिक्सर।    4– पंखे।
    5– ओवन।    6– स्टील अलमारी।
    7– कार।    8– फ्रिज।

9– डिश्क्लीनर। 10– वी. सी. आर.।
11– फर्नीचर। 12– वाशिंग मशीन
13– वेक्यूम क्लीनर। 14– विडियो गेम।
15– टी. वी.। 16– कुकिंग गैस।
17– टेलीफोन। 18– टोस्टर।
19– स्कूटर या मोटर साईकिल
20– अन्य ————————————————

2. नाश्ता आप निम्नलिखित में कहां करते/करती है ?

1– नौकर से बनवाकर घर पर ही।
2– स्वयं बनाकर ही घर पर ही।
3– कभी घर पर कभी बाजार में ।
4– नाश्ते की आदत ही नहीं है।

3. चाय आप कहाँ पीते/पीती है ?

1– नौकर से बनवाकर घर पर ही।
2– स्वयं बनाकर ही घर पर ही।
3– कभी घर पर कभी बाजार में ।
4– चाय पीने की आदत ही नहीं है।

4. क्या अपने भोजन के लिए आपने कोई भोजनालय ज्वाइन किया है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

5. यदि नहीं तो आप किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

6. यदि नहीं तो आपका खाना कौन बनाता है ?

1– स्वयं। 2– नौकर।

7. समय बिताने के लिए आप क्या करते/करती है ?

1– सुबह ————————————
2– दोपहर ————————————
3– शाम ————————————

8. कृपया बताईये कि आप अकेलापन अनुभव करते/करती है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

9. समय व्यतीत करने के लिए आपने क्या उपाय अपनाये है ? ——————————
10. आप नगर के कौन– कौन से संगठनों और क्लाबों के सदस्य है ? ——————
11. इन संगठनों में आप प्रतिदिन कितना समय देते/देती है ? ——————————
12. क्या आप नगर के किसी वाचनालय के सदस्य/सदस्या है ? ——————————
13. आप कौन–कौन से समाचार–पत्र पत्रिकाएं बुलवाते/बुलवाती है ? ——————
14. कृपया आपके घनिष्ठ मित्र (जिनके यहाँ आपका आना जाना है।) कितने है ? ——————————
15. क्या आप प्रतिदिन इनमें से किसी न किसी के यहाँ आते जाते/आती जाती है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

16. यदि हाँ तो इनके साथ आपका कितना समय गुजरता है ? ——————————
17. क्या आपके जाने आने से आनके मित्र के परिवार के सदस्य नाखुश तो नहीं है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

18. आनके निम्नलिखित में से व्यक्तिगत शौक क्या क्या है ?

1– खूब चाय पीना।
2– मिठाईयां लाकर या बनाकर खाना।
3– दोस्तों को खिलाने–पिलाने और उपहारों पर खर्च करना।
4– खूब अच्छा खाना खाना।
5– घर की साज सज्जा करना।
6– ठाठ बाठ की जिन्दगीं जीना।
7– नातेदार की सहायता करना व उपहार देना।
8– निर्धन बच्चों और लोगों की सहायता करना।
9– घर गृहस्थी के अधिकाधिक आधुनिक साधनों का क्रय करना।
10– नाटक, नृत्य, गीत, गजल आदि के कार्यक्रम देखना।
11– शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम देखना और सुनना।
12– शास्त्रीय संगीत के रिकार्ड व कैसेट एक्त्रित करना एवं सुनना।
13– पाश्चात्य संगीत के रिकार्ड व कैसेट एकत्रित करना व सुनना।
14– राजनैतिक और समाज सेवा के कार्यो में हिस्सा लेना।

15– खूब पत्रिकाएं व पुस्तकें पढ़ना।
16– दावतें देना और सम्मिलित होना।
17– टी. वी. देखना।
18– अच्छे और बहुत सारे वस्त्र पहनना।
19– छबि ग्रहों में चलचित्र देखना।
20– मद्यपान करना।
21– बैंडमिंटन, टेबल टेनिस या टेनिस खेलना।
22– दूसरों के सुख–दुख में सहायता करना।
23– लेख लिखना।
24– ताश खेलना।
25– वी. सी. आर देखना।
26– बागवानी करना।
27– मित्रों के साथ गप्प शप्प करना।
28– धूम्रपान करना।
29– शतरंज खेलना।
30– अन्य ____________________

19. कृपया बताईये कि विवाह न करने के कारण दैनिक जीवन में आपको कौन–कौन सी कठिनाईयाँ अनुभव हो रहीं है ?

**11– धार्मिक आस्थाएं एवं क्रिया कलाप :–**

1. क्या आप धर्म में आस्था रखते/रखती है ?

1– हाँ।  2– नहीं।

2. यदि नहीं हो तो क्यों ____________________

3. आप प्रतिदिन निम्नलिखित में से कितने समय पूजा पाठ में लगाते/लगाती है ?

1– एक घंटे से कम।
2– एक घंटे से दो घंटे।
3– दो घंटे से तीन घंटे।
4– तीन घंटे से चार घंटे।

5– चार घंटे से पांच घंटे।

6– पांच घंटे से छैः घंटे।

7– छैः घंटे से अधिक समय।

4. पूजा–पाठ करने के पार्श्व में आपकी भावना क्या है ?

1– मानसिक शान्ति।

2– परम्परा का निर्वाह।

3– वर्तमान और वृद्धावस्था कष्ट रहित व्यतीत हो इसलिए।

4– किसी प्रकार का रोग या व्याधि न हो।

5– जीवन में किसी प्रकार का संकट न आए।

6– स्वयं का कोई परिवार न होने से ईश्वर ही रक्षक है, इसलिए उसकी आराधना व भक्ति।

7– समय व्यतीत करने का साधन।

8– परलोक सुधार की भावना।

9– कोई कारण नहीं।

5. क्या आप प्रतिदिन मन्दिर जाती/जाते है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

3– कभी–कभी।

6. क्या आप दूसरों के यहाँ होने वाले भजन, पूजा, पाठ व सत्यसंग में सम्मिलित होते/होती है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

7– क्या आप दान पुण्य करते/करती है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

8– यदि हाँ तो कृपया बताईये कि, दान, पुण्य करने का कारण क्या है ?

1– गरीबों की दुआयें प्राप्त करना।

2– समाज सेवा।

3– ईश्वर को प्रसन्न करना।

4– जरूरत मन्दों की सहायता करना।

5– धार्मिक विधि विधान के प्रति निष्ठा।

6– अन्य कारण ______________________

9. आप कौन–कौन से व्रत रखते/रखती है ?

| | |
|---|---|
| 1– | 2– |
| 3– | 4– |
| 5– | 6– |
| 7– | 8– |
| 9– | 10– |
| 11– | 12– |
| 13– | 14– |
| 15– | 16– |

10. व्रत किस प्रकार से करते/करती है ?

1– पूरे दिन केवल पानी, चाय, दूध, फलों के रस पर।
2– एक समय भोजन फिर उपरोक्तानुसार तरल पदार्थ लेकर।
3– पूरे दिन फलदार और उपवास में अनुमत वस्तुयें खाकर।
4– केवल जल पर।
5– अन्य प्रकार से ।

11. व्रत रखने का कारण क्या है ?

1– शरीर को स्वस्थ्य रखना।
2– परम्परा का निर्वाह।
3– वर्तमान और वृद्धावस्था कष्ट रहित व्यतीत हो इसलिए।
4– स्वयं का कोई परिवार न होने से ईश्वर रक्षक है, इसलिए उसकी अराधना/भक्ति एवं परलोक सुधार की भावना।
5– किसी प्रकार का रोग या व्याधि न हो।
6– कोई कारण नहीं है।
7– मानसिक शान्ति।
8– जीवन में कोई संकट न आये।
9– समय व्यतीत करने का साधन।

12. आप कौन–कौन से त्योहार मनाते/मनाती है ? ______________________

13. त्योहार पर मिठाई, नमकीन आदि निम्नलिखित में से कौन बनाता है ?

1— स्वयं बनाते है।

2— नौकर/नौकरानी से बनवाते है।

3— खरीदते है।

4— रिश्तेदार बनाकर भेजते है।

5— मित्रों के परिवार में बनवाते है।

6— त्योहार मानाने के लिए मिठाईयां और नमकीन आवश्यक नहीं हैं।

7— सामान्य दिनों जैसे ही भोजन करते/करती है।

14. क्या त्योहार पर आप घर की विषेश साफ—सफाई और साज—सज्जा करते करती है ?

1— हाँ। 2— नहीं।

3— रोज ही घर साफ सुथरा और व्यवस्थित है इसलिए आवश्यक नहीं है।

15. क्या पर्वो पर मित्रों व रिश्तेदारों को अपने यहाँ आमंत्रित करते/करती है ?

1— हाँ। 2— नहीं।

16. आपके अकेले होने के कारण क्या आपके मित्र या रिश्तेदार आपको पर्व मनाने के लिए अपने यहाँ आमंत्रित करते है ?

1— हाँ। 2— नहीं।

3— कभी—कभी।

17. क्या आप अनुभव करते/करती हैं कि, परिवार न होने के कारण धर्म, व्रत और त्यौहारों को मानने से आपको सन्तोष का अनुभव नहीं होता हैं।

1— हाँ। 2— नहीं।

**12— परिजनों (जन्म के परिवार से सम्बन्धित) के साथ सम्बन्धों का स्वरूप :—**

1. क्या आपके भाई—बहिन या उनके बच्चे आपके साथ रह रहे है ?

1— हाँ। 2— नहीं।

2. उसके साथ इनके रहने का कारण क्या है ? ____________

3. अपके साथ इनके रहने कारण क्या है ?

1– मुझे अकेलापन अनुभव न हो।

2– मुझे सुरक्ष मिल सके।

3– मुझे अपने कामों में सहायता मिल सके।

4– मेरे स्वास्थ्य की देख–भाल हो सके।

5– मेरी सम्पत्ति की देख–भाल हो सके।

6– मैने उसे गोद लिया है।

7– उसकी पढ़ाई लिखाई में मैं मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता करता हुँ।

8– मैने उसे गोद लिया है।

4. यदि आपने गोद लिया है तो कृपया गोद लेने का कारण बताईये ? ————————

5.आपके भाई, बहनों, चाचा, चाची आदि के साथ आपके सम्बन्ध कैसे हैं?

1– घनिष्ठ　　2– साधारण

3– कोई सम्बन्ध नहीं।

6. क्या आप उनके यहाँ जाते/जाती हैं ?

1– हाँ।　　2– नहीं।

7. यदि हाँ तो बर्ष में कम से कम कितनी बार :–

1– एक बार।　　2– दो बार।

3– आवश्यकतानुसार।

8. किन अवसरों पर या कारणों से आप उनके यहाँ जाते/जाती हैं ?

1– भेंट मुलाकात के लिए।

2– किसी की बीमारी पर।

3– अपना ही परिवार होने के कारण कुछ दिन उनके साथ रहने के लिए।

4– जब किसी मामले में परामर्श चाहने हों।

5– विवाह या अन्य किसी संस्कार पर।

6– सम्पत्ति सम्मिलित होने के कारण। सम्पत्ति की देख–भाल होने के कारण। सम्पत्ति की देख–भाल या हिस्सा प्राप्त करने के लिए।

7– स्वयं के बीमार होने पर देख–भाल हो सके इसलिए।

8– सम्बन्ध बनाए रखने के लिए।

9– माता–पिता के साथ लगाव के कारण।

10– इनके पालन–पोषण में सहायता की थी इसलिए वे कृतज्ञता का भाव रखते है।

11– अन्य कारण।

9. क्या वे चाहते हैं कि, आप सभी पर्वों पर उनके यहाँ जाकर पर्व मनायें ?

1– हाँ। 2– नहीं।

10. क्या आपके उपरोक्त सगे सम्बन्धी आपके यहाँ आते हैं। ?

1– हाँ। 2– नहीं।

11. यदि हाँ तो बर्ष में कितनी बार। ________________________

12. किन अवसरों पर या कारणों से वें आपके यहाँ आते हैः–

1– भेंट मुलाकात के लियें।

2– मेरी बीमारी पर।

3– अपने परिवार का सदस्य मानकर मेरे साथ कुछ दिन रहने के लिए।

4– मेरे यहाँ आकर पर्व मनाने के लिए।

5– मेरा परामर्श लेने के लिए।

6– मैं मिलनसार हूँ इसलिए उन्हें मिलना अच्छा लगता हैं।

7– सम्मिलित सम्पत्ति के हिसाब–किताब के लिए।

8– माता–पिता मिलने आते।

9– मेरे साथ भावनात्मक लगाव के कारण।

10– उन्हें विश्वास हैं कि अच्छे सम्बन्ध रखने के कारण अन्ततः मेरी सम्पत्ति उन्हें ही मिलेगी।

11– मेरी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है इसलिए मेरे यहाँ आना उन्हें प्रतिष्ठाजनक लगता है।

12– मैं उच्च पदस्थ हूँ इसका वह लाभ उठाना चाहते है।

13– उन्हें मुझसे आर्थिक सहायता मिलने की अपेक्षा रहती हैं।

14– अकेला/अकेली होने के कारण वह मुझे दया व देख–भाल का पात्र मानते हैं।

15– अन्य कारण।

13. क्या आप चाहते/चाहती हैं कि, सुख दुःख में वह आपका साथ दें ?

1– हाँ। 2– नहीं।

14. क्या आप भी उनके सुख दुख में साथ देने की भावना रखते/रखती हैं ?

1– हाँ। 2– नहीं।

15. क्या आप चाहते/चाहती हैं कि, पर्वो पर कोई न कोई स्वजन आपके साथ रहें ?

1– हाँ। 2– नहीं।

16. क्या आप में और आपके स्वजनों में कोई तनाव हैं ?

1– हाँ। 2– नहीं।

17. यदि हाँ तो कारण बताईयें ? ——————————

1– मेरा अविवाहित होना उन्हें पसंद नहीं हैं।

2– अविवाहित होने के कारण वह मेरी उपेक्षा करती हैं ?

3– अविवाहित होने के कारण वह मुझे अनुभवहीन मानते हैं।

4– वे सम्पत्ति में मुझें हिस्सा नहीं देना चाहतें।

5– मैंने विवाह नहीं किया इसलिए वह मानते हैं कि, मेरा कोई खर्च नहीं हैं इसलिए, मैं अपनी आय से उनकी सहायता करता/करती हूँ ?

6– उन्हें डर है कि मैं वृद्धावस्था मे उन पर बोझ न बन जाऊं।

7– मेरी सम्पत्ति उन्हें मिल जाये इसलिए वह अपने पुत्र को मेरे साथ रखना चाहते हैं।

18. क्या परस्पर मिलने पर आप लोगों में विवाद हो जाता है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

19. यह विवाद किस प्रकार शांत किया जाता है ? ——————————

20. स्वजनों के अतिक्ति अन्य नातेदारों के साथ आपके सम्बन्ध कैसे है ? ——————

1– समान्य है। 2– घनिष्ठ है।

3– औपचारिक है। 4– कोई सम्बन्ध नहीं है।

21. सम्बन्ध समान्य नहीं है तो क्या कारण है ?

1– अविवाहित होने के कारण उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित करने या सम्बन्ध बनायें रखने का अवसर ही नहीं आता है।

2– अविवाहित होने के कारण सांस्कारिक कार्ये में वह मुझे बुलाना आवश्यक नहीं समझते है।

3– स्वजनों के अतिक्ति अन्यों से सम्बन्ध बढ़ाने में मेरी रूचि नहीं है।

4— अविवाहित होने के कारण उनका आतिथ्य करने में मुझे कठिनाई होती है।

5— उन्हें भेंट उपहार उनके आतिथ्य आदि पर मैं खर्च करना नहीं चाहता/चाहती हूँ।

6— उनसे मुझे सहायता मिलती है।

7— मैं अकेला रहना पसंद करता/करती हूँ।

8— नातेदार स्वार्थी है मेरे साथ वे निस्वार्थ सम्बन्ध रखना नहीं चाहते।

9— अविवाहित होने के कारण वह मुझे शंका की दृष्टि से देखते है।

19— अन्य कारण ——————————————————

22. यदि आपके साथ उनके सम्बन्ध बहुत अच्छे है तो इसका कारण क्या है ?

1— मैं मिलनसार हूँ इसलिए उन्हें मुझसे मिलना अच्छा लगता है।

2— मेरी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है इसलिए मेरे यहाँ आना उन्हें प्रतिष्ठाजनक लगता हैं।

3— मैं उच्च पदस्थ हूँ इसका वह लाभ उठाना चाहते हैं।

4— उन्हें मुझसे आर्थिक सहायता मिलने की अपेक्षा रहती हैं।

5— अकेला/अकेली होने के कारण वह मुझे दया व देख—भाल का पात्र मानते हैं

**13— पड़ोसियों के साथ अन्तक्रियाएं व सम्बन्ध :—**

1. क्या आपके पड़ोसी उनके यहाँ के आयोजनों में आपको आमंत्रित करते है ?

1— हाँ। 2— नहीं।

2. आप विवाहित हैं क्या यह सोचकर पड़ोसियों के यहाँ के आयोजनों मे सम्मिलित होने मे संकोच अनुभव करते हैं ?

1— हाँ। 2— नहीं।

3. क्या आप अनुभव करते/करती हैं कि, आपके पड़ोसी आप अविवाहित हैं इसलिए आपसे पारिवारिक स्तर पर मेल—जोल नहीं रखते हैं ?

1— हाँ। 2— नहीं।

4. क्या पड़ोसियों के साथ सम्बन्धों का निर्वाह करते समय आपको अनुभव होता है कि, अविवाहित होने के कारण आप उन्मुक्त रूप में आचरण या सहयोग नहीं पा रहे हैं ?

1— हाँ। 2— नहीं।

5. यदि हाँ तो बताईये कि, क्या इसके कारण किसी प्रकार का अपराध बाध या हीन भावना आप में हैं ?

1– हाँ। 2– नहीं।

6. क्या आप अनुभव करते है कि, अविवाहित होने के कारण आप अन्य परिवारों के साथ मेल–जोल रखना कम पसन्ध करते हैं ?

1– हाँ। 2– नहीं।

7. क्या आपके सुख–दुख में आपके पड़ोसियों की आपको पूरी सहायता मिलती हैं ?

1– हाँ। 2– नहीं।

8. क्या आपके सहकर्मियों के साथ आपके पारिवारिक स्तर पर सम्बन्ध हैं ?

1– हाँ। 2– नहीं।

9. अपने सहकर्मियो के घर पर आप सप्ताह में औसतन कितनी बार जाते हैं ?

1– निश्चित नहीं हैं। 2– अनेक बार।

3– दो बार। 4– तीन बार।

5– अनेक बार।

10. क्या आपके सहकर्मी आपको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं ?

1– हाँ। 2– नहीं।

11. आपके सुख–दुख मे कौन आपकी सहायता सबसे अधिक तत्परता से और मन लगाकर करते हैं :–

1– पड़ोसी। 2– मित्र।

3– सहकर्मी। 4– नगर मे रहने वाले नातेदार।

5– नगर के स्वजातीय सदस्य।

12. क्या आप अनुभव करते है कि, पड़ोसियो की देख–भाल के कारण सुख–दुख, वार–त्यौहार में आपको परिवार का अभाव नहीं खटकता हैं।

1– अवश्यता महसूस होता है। 2– महसूस नहीं होता हैं।

13. कृपया बताईये कि, पड़ोसियों, सहकर्मियों, स्वजातीय बन्धुओं, स्थानीय नातेदारों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के पार्श्व में क्या भावना रहती हैं।

1– एकांकी पन को दूर करना।

2– परिवार की कमी न अनुभव होने देना।

3– प्रयास समय होने और पारिवारिक जिम्मेदारी न होने के कारण उनके सुख–दुख में सहायता करना।

4– समय व्यतीत करना।

5– स्वयं के सुख–दुख में उनकी सहायता हो सके इस उद्देश्य से।

6– कोई अन्य कारण हो तो बताईये ?

14. यदि आप पड़ोसियों, सहकर्मियों, स्वजातीय बन्धुओं, स्थानीय नातेदारों के साथ केवल औपचारिक सम्बन्ध रखना चाहते/चाहती हैं तो क्यों ?

1– अविवाहित होने के अधिक मेल–जोल रखना मुझे पसन्द नहीं।

2– अविवाहित होने के कारण वे मुझसें अधिक मेल–जोल रखना पसन्द नहीं करते हैं।

3– मेरी दिनचर्या इतनी व्यस्त हैं कि, मुझे समय ही नहीं मिलता हैं।

4– मैं उन पर किसी प्रकार का धन खर्च नहीं करना चाहता/चाहती हूँ।

5– वे जिस प्रकार मेरा आतिथ्य और सत्कार करते हैं, मैं अपने घर बुलाकर उसे लौटा नहीं सकता/सकती हूँ इसलिए।

6– मुझें भीड़–भाड़ में घबराहट होती हैं।

7– मैं एकाकी रहना पसन्द करता हूँ।

8– यदि कोई और कारण हो तो कृपया बताईयें ?

15. यदि आपको पड़ोसियों, सहकर्मियों, स्वजातीय बन्धुओं, स्थानीय नातेदारो से अधिक मेल–जोल पसन्द नहीं हैं तब बताईयें कि, क्या आप किन्ही समाज–सेवी संस्थाओ या खेल–कूद संगठनों के सदस्य हैं ?

1– हाँ।　　　　2– नहीं।

3– उपरोक्त के साथ मेल–जोल रखता/रखती हूँ तथा सभा, समिति, क्लब, खेल–कूद संगठन का सदस्य/सदस्या भी हूँ।

16. निम्नलिखित में से कौन–कौन से संगठनों के आप सदस्य/सदस्या हैं :–

1– लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, जायन्ट्स क्लब, निमाड़ क्लब, मेसोनिक लॉज।

2– जातीय सामाजिक संगठन।　　　　3– खेल–कूद का संगठन।

4– नाटक मण्डली।　　　　5– अन्य।

17. उपरोक्त संगठनों में आपकी स्थिति क्या हैं ?

1– सदस्य।　　　　2– पदाधिकारी।

18. इनमें आपकी भूमिका या कार्य क्या रहता हैं :–

1– संगठन करना।　　　　2– प्रासन करना।

3— सेवा कार्य करना। 4— गप—शप करना।
5— खेल—कूद में हिस्सा लेना।
6— ताश खेलना।
7— तटस्थ होकर बैठको या गतिविधियेा में सम्मिलित होना।
8— मद्य—पान करना।

**14— आय व्यय और बचत :—**

(आपके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा) इस शोध कार्य के अतिरिक्त इस जानकारी का और किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने पर इन प्रपत्रों को नष्ट कर दिया जाएगा।

1. कृपया आपका कुल मासिक वेतन बताईये :—
1— दो हजार रूपये से कम। 2— दो से तीन हजार रू.।
3— तीन से चार हजार रू.। 4— चार से पांच हजार रू.।
5— पांच से छै हजार रू.। 6— छै से सात हजार रू.।
7— सात से आठ हजार रू.। 8— आठ हजार रूपये से अधिक।

2. कृपया आपके वेतन में होने वाली कटौतियों की जानकारी दीजिए :—
1— भविष्य निधि। 2— समूह बीमा।
3— जीवन बीमा। 4— मकान कर्ज की किश्त।

3. क्या आप आयकर—दाता हैं :—
1— हाँ। 2— नहीं।

4. यदि हाँ तो कृपया बताईये कि, पिछले बर्ष आपने कितना आयकर दिया :—
1— रूपये 1000/— से कम।
2— रूपये 1000/— 2000/— रू.।
3— रूपये 2000/— से 3000/— रू.।
4— रूपये 3000/— से 4000/— रू.।
5— रूपये 4000/— से 5000/— रू.।
6— रूपये 5000/— से 6000/— रू.।
7— रूपये 6000/— से 7000/— रू.।
8— रूपयें 7000/— से 8000/— रू.।
9— रूपयें 8000/— से 9000/— रू.।

10– रूपयें 9000/– से 10,000/– रू.।

11– रूपयें 10,000 से अधिक।

5. क्या आयकर कम हो इस दृष्टि से पिछले साल आपको कुछ धन राशि बचत में लगानी पड़ी हैं :–

1– हाँ।  2– नहीं।

6. यदि हाँ तो कृपया बताईये कि आपने किस योजना में कितनी राशि लगाई :–

1– यूनिट ट्रस्ट।  2– एल. आय. सी.।

3– म्युजुअल फण्ड।  4– एन. एस. सी.।

5– एन. एस. एस.।  6– अन्य योजना में।

कृपया योजना का नाम भी बताईये।

7. क्या आपने जीवन बीमा करवाया हैं ?

1– हाँ  2– नहीं।

8. यदि हाँ तो ऐसा करने का आपका उद्देश्य क्या हैं ? ____________

(आपकी मृत्यु की दशा में इससे किसे लाभ पहुँचेगा ?) ____________

9. क्या आपने कम्पनियों के शेयर्स भी खरीदे हैं ?

1– हाँ  2– नहीं।

10. कृपया बताईये कि, भविष्य (वृद्धावस्था) की दृष्टि से आप प्रतिमाह कितनी बचत करते हैं ?

1– बिल्कुल नहीं।  2– वेतन जो कटौतियां होती हैं।

3– उपरोक्त क्रमांक 6 तथा 7 व 9 के अनुसार।

4– इनके अतिरिक्त प्रतिमाह 1000/– रूपये तक।

5– रूपयें 1000/– से रू. 2000।

6– रूपये 2000/– से रू. 3000।

7– रूपये 3000/– से रू. 4000।

8– रूपये 4000/– से रू. 5000।

9– रूपयें 5000 से अधिक।

11. क्या वेतन के अतिरिक्त आपका और भी कोई आय का स्रोत हैं :–

1– हाँ  2– नहीं।

12. यदि हाँ तो बताईये कि, आप कौनसा अतिरिक्त कार्य करता हैं :–

1– पैसा ब्याज पर देना।  2– दुकानदारी।

3– ट्यूशन। 4–लेख, कहानियां लिखना।

5– दलाली। 6– सट्टा, जुआं।

13. उपरोक्त से आपको प्रतिमाह लगभग कितनी आमदनी हो जाती हैं :–

1– एक हजार रूपये तक।

2– एक हजार रूपये से दो हजार रू.।

3– दो हजार रूपये से तीन हजार रू.।

4– तीन हजार रूपये से चार हजार रू.।

5– चार हजार रूपये से पांच हजार रू.।

6– पांच हजार रूपये से अधिक।

14. कृपया निम्नांकित मदो पर आपके द्वारा प्रतिमाह किया जाने वाला लगभग खर्च बताईये।(कृपया विचार पूर्वक यह जानकारी अवश्य दीजिए।)

1– भोजन, (भोजनालय), चाय, नास्ता, घर पर खाना बनाने की दशा में गेहूं , चावल, दालें, तेल, घी, मिर्च, मसाला, शक्कर, चाय, नाश्ते की चीजें सब्जियां आदि। .......................... X12 =

15. फलों पर आप प्रतिदिन खर्च करते है .......................... 30X12 =

16. दुध पर आप प्रतिदिन खर्च करते है .......................... 30X12 =

17. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान पर प्रतिदिन खर्च0 .......................... 30X12 =

18. मद्य पान पर आप का प्रतिदिन खर्च .......................... 30X12 =

19. मकान प्रतिमाह किराया .......................... X12 =

20. मित्रों के साथ चाय, नाश्ता प्रतिदिन खर्च .......................... X12 =

21. अखवार, पत्र–पत्रिकाओं आदि पर प्रतिमाह .......................... X12 =

22. सिनेमा देखने में आपका प्रतिमाह खर्च .......................... X12 =

23. मित्रों, नातेदारों को भेंट उपहार देने पर प्रतिमाह .......................... X12 =

24. धोवी पर आपका प्रतिमाह खर्च .......................... X12 =

25. घरेलू नौकरों का वेतन प्रतिमाह खर्च .......................... X12 =

26. कपड़ों की खरीदी पर साल भर में आपका कितना खर्च होता है ? .... X12 =

27. क्या आप पर कोई कर्ज है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

28. यदि हाँ तो आपको कर्ज निम्नलिखित में से किस पर लेना पड़ा :–

1– स्वयं की बीमारी पर।
2– स्वयं का खर्च अधिक होने के कारण।
3– मकान बनाना, प्लाट खरीद ने के लिए।
4– वहान खरीद ने के लिए।
5– मित्र की सहायता करने के लिए।
6– अन्य कारण (कृपया कारण बताइये) ?

29. यदि आपका स्वयं का मकान नहीं है, तो क्या आप बनाना चाहते है ?
1– हाँ। 2– नहीं।

30. यदि हाँ तो कहाँ।
1– जहाँ अन्य भाई रहते है।
2– नातेदार रहते है।
3– जहाँ से रिटायर होगें।
4– किसी महानगर में।
5– किसी पर्वतीय स्थान पर।

**15– वृद्धावस्था विषयक चिन्ता :–**

1. क्या आप अनुभव करते/करती है कि, अविवाहित होने के कारण आप अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते/पाती है ?
1– हाँ। 2– नहीं।

2. क्या आपको यह चिन्ता है कि, वृद्धावस्था में आपकी अवस्था पर आपकी देख–भाल कैसे होगी ?

3. कृपया बताइये कि, वृद्धावस्था में आप निम्नाकिंत में से कहाँ रहना पसंद करगे/करगीं :–
1– अकेले रहना। 2– किसी मित्र या सहेली के साथ।
3– किसी भाई या भतीजे के परिवार के साथ।
4– किसी अन्य नातेदार के साथ।
5– वृद्धाश्रम में रहना।
6– अभी कुछ निश्चित नहीं किया है।

4. कृपया बताइये कि रिटायरमेंट पर आपको कौन—कौन से आर्थिक लाभ मिलेगें ?

1— पेंशन राशि। 2— ग्रेच्यूटी की राशि।
3— प्राविडेन्ट फण्ड। 4— जीवन बीमा निगम की राशि।
5— अन्य बचतों की पूर्णता की राशि।
6— ब्याज की राशि। 7— मकान किराया।
8— मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं 9— पैतृक सम्पत्ति से आय।
10— अन्य

5. क्या आप अनुभव करते/करती है कि, आप सेवा निवृति के बाद आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी रहगी कि जिसमें वृद्धावस्था सरलता से कट जावेगी ?

1— हाँ। 2— नहीं।

6. क्या आपको विश्वास है कि, वृद्धावस्था में आपके नातेदार आपकी देख—भाल करेगें ?

1— हाँ। 2— नहीं।

7. यदि हाँ कौन ?

8. यह आपकी अपेक्षा है या विश्वास है ?

9. वृद्धाश्रम के प्रति आपके क्या विचार है ?

10. आपके बाद आपकी सम्पत्ति का उत्तराधिकार किसे मिलेगा ?

11. क्या इस विषय में आपने वसीयत की है ?

12. यद्यपि यह पूछना बहुत अटपटा लग रहा है परन्तु हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में तो अन्तिम संस्कार व इस विषयक परम्पराओं का निर्वाह पुत्र करता है, इस विषय में आपकी धारणा क्या है ?

## 16— हिन्दू सामाजिक व्यवस्था व दर्शन के प्रति दृष्टिकोण :—

1. हिन्दू दर्शन में जीवन के चार पुरूषार्थ – धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष बताये गये है। इन पुरूषाथों को पूर्ति के लिए गृहस्थ जीवन आवश्यक माना जाता है, धर्म कर पूर्ति बिना पति या पत्नी के नहीं हो सकती ? क्या आप अनुभव करते/करती है कि, विवाह न करने के कारण आप धार्मिक विधि—विधानों, क्रियाओं, पूजा—पाठ, दान दक्षिणा आदि ठीक से या शास्त्रोक्त रूप से नहीं कर पा रहे/रही है ?

1— हाँ। 2— नहीं।

2. यदि हाँ तो क्या इसके कारण आप चिन्तित रहते/रहती है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

3. हिन्दू दर्शन के अनुसार पित्र ऋण से उऋण होने के लिए विवाह कर पुत्र को जन्म देना अनिवार्य माना जाता है क्या आप अनुभव करते/करती है कि, विवाह न करने के कारण इस ऋण से आप उऋण नहीं होकर अधार्मिक कार्य कर रहे/रही है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

4. हिन्दू दर्शन के अनुसार मोक्ष व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब उसका पुत्र पिण्ड दान करे, पुत्र प्राप्त करने कि लिए विवाह अनिवार्य है, क्या अनुभव करते/करती है कि, विवाह न करने से आप मोक्ष प्राप्त करने के पात्र नहीं है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

5. इस हिन्दू धारणा के प्रति आपका व्यक्तिगत विचार क्या है ?

6. क्या आप अनुभव करते/करती है कि, आपने प्रकृति प्रदत्त यौनेच्छा की पूर्ति न कर अप्राकृतिक कार्य किया है ?

7. क्या आपको जीवन में कभी इसका अभाव अनुभव हुआ है ?

1– अनुभव हुआ है। 2– अनुभव नहीं हुआ है।

8. यदि हुआ है तो इस तनाव को पूरा करने के लिए आपने क्या किया ?

9. विवाह के माध्यम से स्त्री और पुरूष गृहस्थी का निर्माण कर जीवन की पूर्णता अनुभव करते है, क्या आप इसमें सहमत है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

10. परिवार के माध्यम से व्यक्ति समाज के साथ जुड़ता है क्या आप अनुभव करते/करती है कि, विवाह न करने के कारण समाज के सम्वद्धता में बाधा उत्पन्न हुई है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

11. क्या विवाह करने और परिवार न होने के कारण आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा अन्य गृहस्थों के समकक्ष नहीं है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

12. एक व्यक्ति बीबी बच्चों को देख कर पुरूषत्व की सार्थकता अनुभव करता है, क्या इस दृष्टि से कभी आपको परिवार न होने की ग्लानि हुई है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

13. प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसा जीवन साथी चाहता है जो उसके सुख–दुख, कष्ट, तनाव मान, अपमान में उसका साथ दे सके , इस दृष्टि से पति या पत्नी का स्थान कोई और नहीं ले सकता है, क्या आप अनुभव करते/करती है कि, आपके जीवन में यह कमी रही है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

14. प्रत्येक हिन्दू सन्तान के माध्यम से अमरत्व की कल्पना करता है इस विषय में आपके क्या विचार है ?

## 17– अविवाहित रहने की प्रवृति के प्रति धारणा :–

1. आपका अविवाहित रहना –

1– आकस्मिक है। 2– सोच समझ कर ऐसा किया है।

2. यदि विचार पूर्वक आपने विवाह नहीं किया है तो इसके कारण बताइये ?
3. क्या आप मनुष्यों के लिए विवाह अनिवार्य मानते/मानती है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

4. विवाह और परिवार के माध्यम से ही मानव प्रजाति की निरन्तरता बनी रहती है इसलिए विवाह न करना क्या अप्राकृतिक नहीं है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

5. अविवाहित रहने की प्रवृति निरन्तर बढ़ रही है, इस विषय में आपके क्या विचार है ? क्या आप अनुभव करते/करती है कि , अविवाहित रहने की प्रवृति के कार्यज्ञण समाज में अनाचार फैलने की सम्भापना हो सकती है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

6. क्या समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए अविवाहित होना आवश्यक है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

7. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ रहने और अन्यों के साथ मेल–जोल रखकर परस्पर दायित्वों को पूर्ण करने के लिए परिवार आवश्यक है। क्या आप अनुभव करते/करती है, कि विवाह न करने के कारण सामाजिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

8. विवाह के साथ जुड़ी हुई बुराईयाँ आपकी दृष्टि में क्या है ?

9. क्या विवाह को कानून के माध्यम से अनिवार्य बनाया जाना चाहये ?

1– हाँ। 2– नहीं।

10. क्या विवाह को कानून के माध्यम से अनिवार्य बनाया जाना चाहये ?

1– हाँ। 2– नहीं।

11. आपकी दृष्टि से अविवाहित रहने के लिए निम्नांकित में से कौन सी दशांये आवश्यक है :–

1– परिवार का टूटना। 2– नौकरी करने की सुविधा।

3– अच्छा वेतन। 4– व्यवसायिक मनोरंजन।

5– भोजन और उपहार गृह। 6– वृद्धाश्रमों का होना।

7– वृद्धावस्था में शासन से प्राप्त सामाजिक सुविधाएं।

8– जन संख्या रोकने हेतु शासकीय प्रयास।

9– परिवार से परे यौन आवश्यकताओं की पूर्ति की सम्भावना।

12. क्या आप अनुभव करते/करती है कि, बच्चों के बगैर जीवन की सार्थकता नहीं है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

13. क्या पति–पत्नी न होने के कारण आपको कभी अकेलापन अनुभव होता ?

1– हाँ। 2– नहीं।

14. क्या परिवार न होने के कारण आपको मानसिक तनाव रहता है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

15. पति/पत्नी व बच्चों के साथ रहकर व्यक्ति में समायोजन करने की, क्षमता उत्पन्न होती है, क्या आप अनुभव करते/करती है कि विवाह न करने के आपमें स्वेच्छा–धारिता है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

16. आप निम्नलिखित में क्या पसंद करते/करती है ?

1– दूसरो के साथ स्वयं सामंजस्य करना।

2–दूसरे आपके साथ सामंजस्य स्थापित करें यह अपेक्षा रखते है ?

17. क्या आप शीघ्र क्रोधित, उग्र या तनाव ग्रस्त हो जाते है!

1– हाँ। 2– नहीं।

18. क्या आप अपने अविवाहित सहकर्मियों की :–

1– परस्पर समस्याओं को समझकर उन्हे सहयोग देते/देती है ?

2– पारिवारिक समस्याओं को बीच में न लाने का उपदेश देते/देती ?

19. यदि आप उन्हें सहयोग नहीं देते/देती है तो क्या इसका कारण उनके पारिवारिक जीवन के प्रति आपके मनमें विद्यमान अवेतन ईर्ष्या तो नहीं है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

अनुसूची - "ब"

# अविवाहितों की सामाजिक समस्यायें एक अध्ययन

समाजशास्त्र विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु प्रस्तावित शोध प्रबन्ध में हितार्थ व्यक्तिगत जानकारी हेतु प्रयुक्त

# साक्षात्कार अनुसूची

शोध निर्देशक :
**डॉ० आनन्द कुमार खरे**
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
डी० वी० (पी० जी०) कॉलेज, उरई

शोधकर्ता :
**अखिलेश कुमार श्रीवास्तव**
एम० ए० समाजशास्त्र

# अविवाहित रहने की समस्या और समाज का दृष्टि कोण

व्यक्तिगत जानकारी

1. कृपया आपका शुभ नाम बताइये ? ____________
2. कृपया आपकी आयु बताइये ? ____________
3. कृपया आपका व्यवसाय बताइये ? ____________
4. यदि आपत्ति न हो कृपया आपकी जाति बताइये ?
5. आप मूलतः किस क्षेत्र के निवासी है ?

   1– नगरीय 2– कस्बाई

   3– ग्रामीण
6. कृपया आपकी मातृ भाषा बताइये ? ____________
7. आपके परिवार में कितने सदस्य है ? ____________
8. आपके परिवार का स्वरूप क्या है ?

   1–संयुक्त। 2– एकांकी।
9. आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है ?

## समाज का दृष्टिकोण

1. क्या आप विवाह को अनिवार्य मानते है ?

   1– हाँ। 2– नहीं।
2. यदि हाँ क्यों ? ____________
3. विवाह न करने से क्या हानियाँ हो सकती है ? ____________
4. क्या विवाह करने से पति या पत्नी और बच्चों की देख–भाल की समस्या उत्पन्न नही होती है ?
5. क्या विवाह के कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अंकुश नहीं लगता है ? ____________
6. विवाह को आप –

   1– आप धार्मिक कार्य मानते/मानती है।

   2– सामाजिक कार्य मानते/मानती है।
7. यदि इसे धार्मिक कार्य मानते/मानती है तो क्यो ? ____________

8. यदि धार्मिक कार्य न मानकर सामाजिक कार्य मानते/मानती है तो क्यो ——————
9. यदि धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार के कार्य मानते/मानती है तो किस प्रकार है ?
10. विवाह से क्या लाभ है ?

1– धार्मिक दृष्टि से आवश्यक।
2– जीवन को सुख पूर्वक जीने के लिए आवश्यक।
3– बच्चों के माध्यम से वंश के निरन्तरता के लिए आवश्यक।
4– धार्मिक कार्यो को सम्पन्न करने के लिए।
5– पुत्र प्राप्त करने हेतु।
6– लड़की प्राप्त करने हेतु।
7– कन्यादान कर धार्मिक कार्य पूरा करने हेतु।
8– गृहस्थी बसाकर, समाज में सम्मानपूर्वक जीने हेतु।
9– माता–पिता, भाई–बहिन आदि नातेदार की दुख–भाल के लिए।
10– वंश परम्परा को चलाने के लिए।
11– यौन इच्छा को पूरा करने के लिए।
12– सुख–दुख में एक दूसरे का साथ देने के लिए।
13– सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए।
14– वृद्धावस्था में उचित देखभाल हो इसलिए।
15– बच्चों का पालन पोषण करना तथा उनकी सुखी गृहस्थी आदि देखने की भावना।

11. आपकी दृष्टि से जो लोग विवाह नहीं करते क्या ऐसा करना ठीक है ?

1– हाँ। 2– नहीं।

12. यदि हाँ तो क्यो ?
13. यदि नहीं तो क्यो ?
14. जो व्यक्ति विवाह नहीं करते और अब विवाह की उम्र पार कर चुके है, क्या इनके साथ पारिवारिक स्तर पर सम्बन्ध रखना पसंद करेगें/करेगीं ?

1– हाँ। 2– नहीं।

15. यदि नहीं तो क्यों ?
16. आप इस प्राकर के अविवाहित रहने वाले व्यक्तियों को किन अवसरों पर अपने घर

आमंत्रित करना पसंद करना करेगें/करेगीं ?

17. इसका कारण बताइये ?
18. क्या आप तीज–त्योहार और छुट्टी के दिन इन लोगों को अपने यहाँ करते/करती है ?

    1– हाँ।  2– नहीं।

19. यदि हाँ तो क्यों ? ——————————
20. आप इन अविवाहितों के सुख–दुख में सहायता करते/करती है ?

    1– हाँ।  2– नहीं।

21. यदि हाँ तो किस प्रकार ? ——————————
22. क्या आपका इनका परिवार में आना जाना आपके परिवार के किसी सदस्य को न पसंद है ?

    1– हाँ।  2– नहीं।

23. यदि हाँ तो कैसे और क्यों ? ——————————
24. क्या आपके अविवाहित, पड़ोसी मित्र या सहकर्मी

    1– आपके बुलाने पर ही।

    2– बिना बुलाये ही आपके घर आते है।

25. क्या इनके आने जाने से आपके पारिवारिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है ?

    1– हाँ।  2– नहीं।

26. यदि हाँ तो क्यों ? ——————————
27. आपके पड़ोसी मित्र, सहकर्मी आप लोगों की सहायता किस प्रकार करते है ?

    1– बीमार पड़ने पर।

    2– बच्चों की शिक्षा और देख–भाल में ।

    3– वरिष्ठ व्यक्ति की तरह मार्गदर्शन कर।

    4– त्योहार या और किसी आयोजन पर।

    5– आवश्यकता अनुकूल आर्थिक सहायता कर।

    6– अन्य प्रकार से

28. क्या अनुभव करते/करती है कि, आपके अविवाहित मित्र पड़ोसी या सहकर्मी का व्यवहार सामाजिक लोगों में भिन्न प्रकार है ?

    1– हाँ।  2– नहीं।

29. यदि हाँ तो आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है ? ____________________

30. अविवाहित मित्र, पड़ोसी या सहकर्मी के प्रति आपका व्यवहार दया के कारण होता है ?

    1– हाँ।    2– नहीं।

31. क्या आप अनुभव करते/करती है, अविवाहित होने के कारण आपके पड़ोसी, मित्र या सहकर्मी को कोई कठिनाई न हो , यह आपका कर्त्तव्य है ?

    1– हाँ।    2– नहीं।

32. आपके परिवार के साथ मेल–जोल या आपके साथ मित्रता के कारण क्या आपका अविवाहित पड़ोसी, मित्र या सहकर्मी कृतज्ञता भाव रखती/रखते है ?

    1– हाँ।    2– नहीं।

33. क्या आपके यहाँ सगे– सम्बन्धियों, नातेदारों मित्रों आदि के आने पर आप अपने अविवाहित मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी का आना पसंद करते है ?

    1– हाँ।    2– नहीं।

34. क्या आपके बच्चों का अविवाहित मित्र, पड़ोसी या सहकर्मी के यहाँ जाना आपको अच्छा लगता है ?

    1– हाँ।    2– नहीं।

35. आपकी दृष्टि में अपके अविवाहित मित्र? पड़ोसी या सहकर्मी के आचरण में आपको क्या कमियाँ अनुभव होती है ? ____________________

36. क्या आपके अविवाहित मित्र, पड़ोसी या सहकर्मी के साथ आपका किसी मामले में विवाद होता है

    1– हाँ।    2– नहीं।

37. यदि हाँ तो किन कारणों से विवाद होता है ? ____________________

38. विवाद का समाधान किस प्रकार करते/करती है ? ____________________

39. क्या आपकी दृष्टि से आपके अविवाहित मित्र, पड़ोसी या सहकर्मी की कुछ आदते केवल उनके अविवाहित होने के कारण है ?

    1– हाँ।    2– नहीं।

40. यदि हाँ तो ऐसी आदते क्या है ? ____________________

41. क्या आपके पारिवारिक सुख–दुख में आपके यहाँ अविवाहित मित्र, पड़ोसी सा सहकर्मी की आपको सहायता मिलती है ?

1– हाँ।　　　　2– नहीं।

42. क्या आप अनुभव करते/करती है कि, आपका अविवाहित मित्र, पड़ोसी या सहकर्मी अविवाहित होने के कारण गृहस्थी की समस्याएं समझते है ?

1– हाँ।　　　　2– नहीं।

43. क्या आपके ऐसे मित्र सदैव आपको आदेश देते रहते है ?

1– हाँ।　　　　2– नहीं।

44. क्या आप अनुभव करते/करती है कि, आपके ऐसे मित्र स्वयं घुलने–मिलने की बजाय एकान्त पसंद करते है ?

1– हाँ।　　　　2– नहीं।

45. आपकी दृष्टि में आपके ऐसे मित्र के कुछ विशेष शौक जो कि अविवाहित होने के कारण उनमें विकसित हुए है ?

1– हाँ।　　　　2– नहीं।

46. यदि हाँ तो कृपया कौन–कौन से है ? ________________

47. क्या आपके अविवाहित मित्र, पड़ोसी या सहकर्मी द्वारा आपको पारिवारिक, सांस्कृतिक सामाजिक या धार्मिक मामलों में आपको दिये जाने वाले परापर्श को आप महत्व देते/देती है ?

1– हाँ।　　　　2– नहीं।

48. यदि हाँ तो क्या आपके मन में यह विचार नहीं आता है कि, विवाह न होने के कारण अनुभवहीन है ?

1– हाँ।　　　　2– नहीं।

49. यदि नहीं तो आप उनके परामर्श को महत्व क्यो नहीं देते ? ________________

## सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Ballard L.V. — Social Institutions
2. Breenches J. — Huwah Geography
3. Calborlon, V. P. — The Marketing of Society
4. Dexter. R. G. — Social Adjustment
5. Hel J. O. — Social Intitutions

6. MacIver R. M. — Community

7. Kretch & Crutchfield — Theory & Problems of Social Psychology, McGraw Hill Book Co. Newyork. 1948

8. Goode, W. Z. and Hatt, P. K. — Method in Social Research, Mcgraw Hill Book Company, Newyork

9. Young P. V. — Scientific Social Surveys and Research Prentice Hall of India New Delhi

10. Karlinger F. N. — The Foundations of Behavioural Research, The University Press Chicago. 1964

11. Alfred J. K. — The Design of Research, Rinehert and Winston Press. Halt, Newyork, 1963

12. डॉ. शर्मा, त्रिपाठी — पारिवारिक समाजशास्त्र, किताब महल, इलाहबाद

13. दुवे, सत्यमित्र — मनु की समाज व्यवस्था, किताब महल, इलाहबाद

14. वेदालंकार, हरिदत्त — हिन्दू परिवार मीमांसा, सरस्वती सदन मसूरी

15. मुकर्जी, दुवे — भारत में सामाजिक परिवर्तन, सरस्वती सदन, मसूरी

16. रेडफिल्ड, रॉबर्ट (अनुवादक शल्य यशदेव) — लप्पु समुदाय राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर

17. कापडिया के. एम. — भारत वर्ष में विवाह एवं परिवार जवाहर नगर, दिल्ली

18. डॉ. राधाकृष्णन् — धर्म और समाज, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली

19. दुबे, डॉ. एस. सी. — मानव और संस्कृति, राजकमल प्रकाशन दिल्ली

20. डॉ. भगवान दास — भारतीय समाज और संस्थाएं, प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ

21. शैपिरो, हेरी. एल. (अनुवादक श्रीवास्तव आर. एल.) — मानव संस्कृति तथा समाज, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

22. प्रभु डॉ. पी. एन. — हिन्दू सोशल ऑर्गनाईजेशन

23. प्रसाद डॉ. नर्मदेश्वर — जाति व्यवस्था, राजकमल प्रकाशन दिल्ली

24. प्रो. कणे — हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र

25. मोटवाना, डॉ. केवल — हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र

26. विद्यालंकार डॉ. सत्यव्रत — समाजशास्त्र, सरस्वती सदन, मसूरी

27. मुकर्जी दुबे — समाज शास्त्र की विधियाँ व प्रविधियाँ सरस्वती सदन, मसूरी

28. मुकर्जी आर0 एन0 — सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन, विवेक प्रकाशन, दिल्ली

29. तोमर, रामविहारी — सामान्य समाज शास्त्र संस्कृति तथा व्यक्तित्व

30. प्रो0 बघेल — भारतीय सामाजिक संस्थाएं, रीवा प्रकाशन, रीवा

31. डॉ. लवानिया — भारतीय सामाजिक व्यवस्था कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

32. जैन शशि — भारतीय समाज का अध्ययन कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

33. लवानिया डॉ. एम. एम. — धर्म का समाजशास्त्र, कॉलेज बुक डिपो जयपुर

34. डॉ. लवानिया — भारतीय समाज, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर